राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10 चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का छत्तीसवां दिवस संख्या 20

सोमवार,

दिनांक 19 अप्रेल, 1971.

विधान सभा की बैठक म.पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[पंचायत, सिचाई, शिक्षा, चिकित्सा, वन, अकाल सहायता, विद्युत, वित्त, यातायात, खाद्य, राजस्थान केनाल परियोजना विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।
प्रश्न सं. 325

श्री पृथ्वीसिंह !

(अनुपस्थित), कृपया आगे देखिये)
प्रश्न सं. 326

श्री देवीलाल बुरासिया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)
प्रश्न सं. 327

श्री चुन्नीलाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)
प्रश्न सं. 328

श्री जगन्नाथ पटेल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)
प्रश्न सं. 329
श्री हरलाल मीणा !

प्रतापगढ़ स्कूल में फर्नीचर की कमी

329. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

1. क्या यह सही है कि हायर सैकेन्डरी स्कूल प्रतापगढ़ व कन्या हायर सैकेन्डरी स्कूल प्रतापगढ़ में फर्नीचर की अति कमी है ? यदि हां, तो कब से ?

2. क्या यह सच है कि फर्नीचर की कमी के कारण छात्र व छात्रायें नीचे जमीन पर बैठते हैं ?

3. क्या यह भी सत्य है कि यह मामला शिक्षा मन्त्री महोदय की जानकारी में हैं ? यदि हां, तो अब तक व्यवस्था नहीं होने का क्या कारण है और अब भविष्य में कब तक पूर्ति होने की आशा हैं ?

उप मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : 1. जी हां, यह कमी लगभग तीन वर्ष से चली आ रही है।

2. फर्नीचर की कमी के कारण छात्र छात्राओं को बैठाने की व्यवस्था दरी अथवा जाजम बिछा कर की जाती है।

3. आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में व्यवस्था कर दी जावेगी।

Page No 2

श्री हरलाल मीणा : यह व्यवस्था हो गई या नहीं ?

राव श्री धीरसिंह : प्रश्न तीन के उत्तर में यह बताया गया है कि इस वर्ष यह व्यवस्था कर दी गई है ।

श्री हरलाल मीणा : यह व्यवस्था तीन वर्ष तक क्यों नहीं की गई ?

राव श्री धीरसिंह : धनाभाव के कारण से । एज्यूकेशन मिनिस्टर साहब वहां पर गये थे और स समय इसका उल्लेख किया गया था और इस चालू वर्ष में फर्नीचर प्रोवाइड करने के लिये व्यवस्था कर दी गई है ।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या यह जरूरी समझते हैं कि फर्नीचर ही हो, दरी या जाजम पर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते ? होस्टल में फर्नीचर नहीं था तो क्या दरी, जाजम से काम नहीं चल सकता ?

राव श्री धीरसिंह : यह होस्टल नहीं है, स्कूल है ।

श्री अध्यक्ष : नेकस्ट । वन मंत्रीजी ।

वन विभाग की कृषि योग्य भूमि

330. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

1. जिला बून्दी में वन विभाग की कृषि योग्य भूमि कौन कौन सी तहसीलों की अब तक राजस्व विभाग में ली गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

2. लोकल फोरेस्ट कमेटी व जिला फोरेस्ट कमेटी ने अब कौन कौन सी तहसीलों व ग्रामों की वन विभाग की कृषि योग्य भूमि को राजस्व विभाग में लिए जाने की सिफारिश की ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

वनमंत्री (राव श्री नारायणसिंह मसूदा): तहसील बून्दी, नेनवा हिण्डोली से कुल 28181 एकड़ वन भूमि राजस्व विभाग को दी जा चुकी है । सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

2. सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री नन्दलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सूची मांगी थी वह सूची नहीं मिली है ?

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : यह भूमि जो वन विभाग से राजस्व विभाग को ट्रान्सफर की गई है क्या यह भूमि बराये नाम, नाम मात्र के लिए वन विभाग में दर्ज थी और वह भूमि राजस्व के लायक थी ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : 51-52 से अब तक जो जो भी भूमि दी गई है उसकी गणना इसमें की गई है । इसमें विभिन्न प्रकार की भूमियां हैं और विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को देखते हुए दी गयी हैं ।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता ?

श्री नन्दलाल बैरवा : लोकल फोरेस्ट कमेटी द्वारा डिस्ट्रिक्ट फोरेस्ट कमेटी को जो सिफारिश की जाती है उस पर कब तक विचार करने का प्रावधान है ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : उस सारे प्रश्न को देख कर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय हो जाना चाहिये ।

Page No 3

श्री दौलतराम सारण: यह भूमि जो वन विभाग से राजस्व विभाग को दी गई है। उस भूमि पर पेड़ व वन खड़ा था या यह भूमि पेड़ विहीन थी जो राजस्व विभाग को दी गई है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, यह करीब दस साल से 1952 से आज तक जो भूमि दी गई है उसकी गणना है। उसमें विभिन्न प्रकार की भूमि विभिन्न जिलों में दी गई है ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : किन किन आधारों पर और किस किस सिफारिश पर दी जाती है ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : लोकल फौरेस्टकमेटी और जिला स्तर की समिति की सिफारिश पर भी दी जाती है और जिलाधीश व जिला वन मण्डल अधिकारी की राय के अनुसार भी दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : बैरवा।

श्री नन्दलाल बैरवा : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि तहसील नैनवा और पाटन के अन्दर जो लोग काश्त कर रहे थे उनको बेदखल वन विभाग द्वारा कर दिया गया है और उन पर केस चलाये गये हैं ? क्या यह सही है कि बिना रेन्वेयू डिपार्टमेंट की अनुमति के वन विभाग ने जो लोग 20 साल से खेती कर रहे हैं, उनको वहां से हटा दिया है ?

श्री नारायण सिंह मसूदा: यह प्रश्न जुदा है। फिर भी मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि इस प्रकार के डिमार्केशन के डिस्प्यूट कई जगह पर चलरहे हैं और कई जगह रेवेन्यूडिपार्टमेंट ने इनको कन्ट्रेडिक्ट किया है और इनमें दुरुस्तियां भी की गई हैं। इस प्रकार के कई मसले हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इनकी दुरुस्तियां की जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज आर्य ।

श्रीनन्दलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, वे बीस साल से खेती कर रहे हैं और इस तरह से उनको हटा दिया गया है . . .

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है। श्री आर्य ।

प्रश्न सं. 331

श्री हंसराज आर्य ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 332

श्री हरिवल्लभ शर्मा ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 333

श्री किशनलाल वर्मा ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दौलतराम सारण ।

प्रति व्यक्ति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष

कर–भार

334. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. राजस्थान निर्माण के समय प्रति व्यक्ति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यत्र कर–भार कितना था और आज कितना है ?

2. उस समय राज्य पर ऋण भार कितना था और राज्य के असेट्स कितने

(श्री दौलतराम सारण)
थे ? आज ऋण भार क्या है और असेट्स कितने हैं ?

3. उस समय बजट क्या था ? आज का बजट कितना है ?

4. उस समय प्रति व्यक्ति मासिक व वार्षिक आय क्या थी ? आज प्रति व्यक्ति मासिक व वार्षिक आय कितनी है ?

5. उस समय प्रशासनिक व्यय कितना प्रतिशत था ? आज कितना प्रतिशत है ?

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) :

1. वर्ष 1950-51 के वित्तीय लेखों के अनुसार राजस्थान निर्माण के समय प्रति व्यक्ति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर–भार क्रमशः 2.27 रुपये तथा 4.02 रुपये था और वर्ष 1971–72 के आय–व्ययक अनुमानों के अनुसार क्रमशः 11.49 तथा 26.50 रुपये है।

2. वर्ष 1950-51 के वित्तीय लेखों के अनुसार 31 मार्च, 1951 को राज्य पर 9.57 करोड़ रुपये का ऋण था तथा असेट्स 24.56 करोड़ रुपये के थे। वर्ष 1970–71 के संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष के अन्त में अर्थात् 31–3–71 को 647.14 करोड़ रुपये का ऋण तथा 588.65 करोड़ रुपये के असेट्स का अनुमान है।

3. वर्ष 1950-51 के वित्तीय लेखों के अनुसार 31 मार्च, 1951 को तथा वर्ष 1971-72 के आय अनुमानों के अनुसार स्थिति निम्न प्रकार है--

(अंक करोड़ों में)

	1950–51 लेखे	1971–72 आय व्ययक अनुमान
राजस्व प्राप्तियां	+14.61	+186.01
राजस्व व्यय	--13.91	--197.28
पूंजी व्यय	--2.01	--26.93
राज्य ऋण, उधार और अग्रिम शुद्ध	--0.49	-- 2.25
लोक लेखा (शुद्ध)	+1.97	+1[illegible].94
सर्वोपरि शुद्ध	+1.15	--2[illegible].51

4. प्रति व्यक्ति आय निकालना वर्ष 1954–55 से प्रारम्भ हुआ है। उस वर्ष प्रति व्यक्ति आय 233/- रुपया वार्षिक अर्थात् 19.4[illegible] रुपया मासिक थी।

वर्ष 1969–70 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 469 रुपया वार्षिक अर्थात् 39.08 रुपये मासिक थी।

वर्ष 1970–71 के आंकड़ों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है तथापि आय में 1969-70 पर 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तदनुसार वर्ष 1970–71 में प्रति व्यक्ति आय 549 रुपया वार्षिक अर्थात 45.75 रुपया मासिक होने का अनुमान है।

Page No 5

(श्री मथुरादास माथुर)

5. वर्ष 1950-51 के वित्तीय लेखों तथा वर्ष 1971-72 के आय व्यय अनुमानों के अनुसार प्रशासनिक व्यय कुल राजस्व व्यय का क्रमश: 61.83 तथा 56.37 प्रतिशत है।

श्री रामकिशन (वैर) : जो आपने असेट्स बताये है इसमें राजस्थान बनने से पहले के कितने असेट्स शामिल हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने शुरू में कहा है, राजस्थान बनने से पहले जो असेट्स हमारे पास आए हैं वह तो है नहीं बाकी बिल्डिंग्स वगैरह का असेट्स में शामिल नहीं हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, चार सौ सिक्सटी नाइन कितने होते है ?

श्री मथुरादास माथुर : फोर-सिक्स-नाइन ।

श्री दौलतराम सारण : यह जो आपने प्रति व्यक्ति आय बताई है यह कौनसी कीमतों के आधार पर बताई है ।

श्री मथुरादास माथुर : उस साल का भी करेन्ट और इस साल का भी करेन्ट ।

श्री दौलतराम सारण : चालू कीमतों के आधार पर . . .

श्री मथुरादास माथुर : हां ।

प्रश्न संख्या 335

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामकिशन ।

भरतपुर जिले के अध्यापकों की द्वितीय वेतन श्रृंखला में पदोन्नति ।

336. **श्री रामकिशन (वैर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

1. क्या यह सही है कि भरतपुर जिले के लगभग 250 प्रशिक्षित स्नातकों को वरिष्ठ होते हुये भी पिछले 10 वर्षों से प्रति वर्ष द्वितीय वेतन श्रृंखला में पदोन्नत नहीं किया गया है। यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

2. क्या यह भी सही है कि ये अध्यापक समय समय पर सम्बन्धित उच्च-तम अधिकारियों के समक्ष प्रार्थना पत्र देते रहे हैं ? यदि हां, तो इन सभी प्रार्थना पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है अगर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो सरकार इस सम्बन्ध में अब क्या कार्य-वाही करने जा रही है ?

उप मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह): (1) जी नहीं, इस कार्यालय द्वारा भरतपुर जिले के अध्यापकों को नियमों के अन्तर्गत एवं वरिष्ठता क्रमानुसार ही समय समय पर पदोन्नतियां दी गई हैं एवं अन्य जिलों के सन्दर्भ में इस जिले के अध्यापकों को भी पदोन्नति हेतु उचित स्थान दिया गया है। यह गलत है कि इस जिले के 250 प्रशिक्षित स्नातक पिछले 10 वर्षों से वरिष्ठ होते हुये भी पदोन्नत नहीं किये गये हैं।

सत्र 70-71 में भी विद्यालय निरीक्षक भरतपुर से उनके जिले के प्रशिक्षित स्ना-

Page No 6

(श्री धीरसिंह)
तकों के पदोन्नति हेतु प्रस्ताव मांगे गये थे, एवं उनके कार्यालय से प्राप्त 26 अध्यापकों के प्रस्तावों में से प्रथम 3 को पूर्व में ही पदोन्नति पर जाने से मना करने के कारण इस वर्ष पदोन्नति नहीं दी गई। 3 अध्यापकों को वरिष्ठता क्रमानुसार सभी जिलों के अध्यापकों के साथ पदोन्नति दे दी गई एवं शेष 20 अध्यापक कनिष्ठ थे, इसलिये छोड़ दिये गये।

(2) प्रश्न 1 के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। संयुक्त निदेशक कार्यालय में जितने भी प्रतिवाद हुये वे सही तथ्यों पर आधारित नहीं थे, अतः सम्बन्धित अध्यापकों को समय समय पर सूचना दे दी गई कि नियमान्तर्गत एवं वरिष्ठता क्रमानुसार उनकी पदोन्नति नहीं की जा सकी है।

श्री रामकिशन : यह आपने संख्या कौनसी बताई है ? 250 नहीं हैं तो कितने हैं–जिन का विचाराधीन है।

राव श्री धीरसिंह : पहले जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाती थी उस वक्त एतराज किये थे उन एतराजों का निर्णय डाइरेक्टर ने किया और उसके बाद में ग्यारहवें महीने मे भरतपुर के निरीक्षक ने उसके आधार पर दुबारा लिस्ट बनाई उसके बाद प्रदेश लेवल पर लिन्क कर दिया गया। उसके बाद हेर-फेर नहीं किया गया है। नियमों के अनुसार पदोन्नति मिल रही है। अब उस वक्त जिनके एतराजात थे और उनकी वजह से मीटिंग हुई और भरतपुर निरीक्षणालय के अन्दर उनके आब्जेक्शन आये हुये हैं। 11 महीने में जो प्रमोशन हो गये हैं अब उनको कन्सीडर कर रहे हैं। अब अगर कोई अफेक्ट होगा तो कन्सीडर करने के बाद पदोन्नति और भी मिल जायगी।

श्री राम किशन : पहले जिला लेवल पर पदोन्नति देते थे और अब दे रहे है रीजनल लेवल पर ? यही स्थिति है ?

राव श्री धीरसिंह : हां।

श्री रामकिशन : सारे रीजन की जो वेकेन्सीज है उसके पर्सेन्टेज के हिसाब से लगाया है ?

राव श्री धीर सिंह : जी हां।

श्री रामकिशन : अब कितने लगे हैं ?

राव श्री धीरसिंह : तीन अध्यापकों ने जाने से मना कर दिया 70-71 में और 3 अध्यापक पदोन्नति पर चले गये और 30 अध्यापकों के मामले रिजेक्ट कर दिये। रिवाइज्ड सीनियरिटी लिस्ट आने पर–भरतपुर की 11 वें महीने में लिस्ट आ गई और उसमें चेन्जेज बहुत हो गये। वह सीनियरिटी अभी पेन्डिंग है। उसको डिसाइड नहीं किया है। हो सकता है उसमें और लोगों का चान्स आ जाय।

श्री रामकिशन : यह कब तक कर देंगे ?

राव श्री धीरसिंह : जल्दी से जल्दी।

श्री रामकिशन : जल्दी से जल्दी कब तक ? उनके रिप्रेजेन्टेशन लगातार आ रहे हैं और जैसी मुझे सूचना मिली है, कल या परसों तक वे हड़ताल करने वाले हैं। यह स्पष्ट मालूम हो जाय कि राज्य सरकार कब तक फैसला कर देगी ?

राव श्री धीरसिंह : इस मामले को जल्दी ही निपटाया जायगा। हड़ताल न हो पाये इसके लिये पूरा ध्यान रखा जायगा।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट। श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत।

राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों में राज्य के लेखकों की रचनाओं को स्थान।

337. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही नहीं है कि राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों में राजस्थान की संस्कृति, इतिहास, भूगोल तथा स्थानीय आदरणीय नायकों के सम्बन्ध में बहुत कम स्थान दिया जाता रहा है ?

(2) क्या यह सही नहीं है कि राजस्थान के लेखकों की रचनाओं को बहुत कम स्थान दिया जाता है ? और राजस्थान के बाहर वालों की बाहर प्रकाशित हुई रचनाओं को ही प्रमुखता दी जाती है ?

(3) पाठ्यक्रम की पुस्तकें तैयार करते समय राजस्थान के विद्वानों तथा लेखकों की सलाह क्यों नहीं ली जाती ?

उपमंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (1) यह कथन सही नहीं है। राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों में यथासम्भव तथा पाठ्यक्रम की सीमाओं के अन्तर्गत राजस्थान की संस्कृति, इतिहास एवं भौगोलिक विशिष्ठियों के सम्बन्ध में अध्ययन सामग्री प्रस्तुत की जाती है। राजस्थान के आदरणीय नायकों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से सम्बन्धित पाठ भी सम्मिलित किये गये हैं। भाषा एवं सामाजिक ज्ञान के अतिरिक्त सामान्य विज्ञान एवं गणित जैसे विषयों तक में वृहद् राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में जहां कहीं सम्भव जान पड़ा है ? क्षेत्रीय उपलब्धियों एवं विशेषताओं को समुचित एवं समादरित स्थान दिया गया है।

(2) कक्षा 5, 6, 7 व 8 की हिन्दी भाषा की पुस्तकों को छोड़कर शेष 46 पुस्तकों की समस्त रचनायें राजस्थान के लेखकों द्वारा लिखी हुई हैं। हिन्दी की उक्त चार पुस्तकों में भी राजस्थान के साहित्यकारों की रचनाओं का बाहुल्य है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि भाषा के विविध रूपों, शैलियों तथा काल एवं देशान्तर के अनुसार भाषा में हुई विशिष्ठ कृतियों की ओर भी बालक की रुचि उत्पन्न की जाए ताकि साहित्य की विभिन्न विद्याओं का रसास्वादन बालकों को हो सके।

श्री रामकिशन : यह उत्तर किसने लिखा है ?

राव श्री धीरसिंह : पहले सुन लीजिये।

(3) पाठ्यक्रम की समस्त पुस्तकें राजस्थान के विद्वानों एवं लेखकों द्वारा ही तैयार कराई जाती हैं तथा इनके सम्बन्ध में संशोधन, उन्नयन एवं मूल्यांकन कार्य भी अधिकांशतः राजस्थान के साहित्यकारों के सहयोग से सम्पन्न कराया जाता है। अतः यह कथन सही नहीं है कि पाठ्यक्रम की पुस्तकें तैयार करते समय राजस्थान के विद्वानों तथा लेखकों की सलाह नहीं ली जाती है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : क्या यह सही नहीं है कि राजस्थान के पाठ्य

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत)
क्रम में जो पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं उनको देखकर कोई व्यक्ति यह नहीं बता सकता है कि राजस्थान राज्य के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। ऐसा नजर आता है जो कुछ यू. पी. में प्रकाशन होता है उसकी झूठन लेकर ही कुछ कर लिया जाता है।

राव श्री धीरसिंह : ऐसा नहीं किया जाता है। चार सदस्यों की समिति बैठी हुई है उसके चेयरमैन, सेक्रेटरी एज्यूकेशन बोर्ड हैं, एक एज्यूकेशन इन्स्टीट्यूट के डाइरेक्टर हैं, एक टैक्स्ट बुक के डाइरेक्टर हैं तथा शंकर दयाल सक्सेना हैं। ये चार आदमी मिलकर हर विषय की टैक्स्ट बुक का निर्णय करते हैं। उसके अनुसार जितने राइटर्स हैं उनको मौका दिया जाता है। उनकी दृष्टि से कौनसा पाठ्यक्रम स्ट्रक्चर ठीक रहेगा, बदलते रहते हैं। अब यह तो नहीं है कि राजस्थान के साहित्यकारों को ही किताबों में चान्स दिया जाय। जैसे जैसे समय होता हैं, जिसकी किताब सही स्यूटेबल समझी जाती है उसको चान्स दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि राजस्थान से साहित्यकारों की पुस्तकें उपयुक्त होती हैं तो उनको चान्स नहीं दिया जाता है। उनको चान्स अवश्य ही दिया जाता है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : मन्त्री जी के कहने से मैं सहमत हूं बाकी मेरा अभियोग यह है कि राजस्थान के शिक्षा विभाग ने बाहर वालों की कोलोनी बना रखी है जहां राजस्थान के साहित्यकारों की कोई आवाज नहीं है। फिर इतनी गलतियों से भरे हुये पाठ्यक्रम क्यों रख दिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : कोलोनी बनाने का आधार भी दे दीजिए। कैसी कोलोनी बनी है?

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय, यहां के प्रकाशक की छपी हुई पुस्तक नहीं ली जाती है। यहां के प्रेस की अच्छी पुस्तकों को भी नहीं लिया जाता है, यहां के लेखक जो लिखते हैं उनको उचित स्थान नहीं दिया जाता है और न उनको प्रोत्साहन ही मिलता है। दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद की भ्रष्ट पुस्तकें ले ली जाती हैं और यहां की नहीं ली जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, यह आज से नहीं 10 साल से प्रश्न उठ रहा है। राजस्थान के शिक्षा मन्त्री महोदय से भी इस सम्बन्ध में मिला गया है कि राजस्थान के लेखकों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है, न यहां की पुस्तकों को और जो हीरो नायक हुए हैं उनके बारे में कोई प्रकाश डाला गया है। बंगाल के विद्वानों ने कर्नल टाड ने जो कुछ लिखा है उसको ही इधर-उधर रख दिया है। वास्तविक स्थिति को देखा तक नहीं जाता है। हमारे शिक्षा विभाग ने, अध्यक्ष महोदय, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

राव श्री धीरसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं लेखकों के नाम बता सकता हूं ताकि मालूम हो जायगा कि कितने साहित्यकारों को स्थान दिया गया है काफी लम्बी लिस्ट है। वे खुद अन्दाज लगा सकती है 50% के करीब है।

श्री अध्यक्ष : अन्दाज तो अन्दाज ही ही रहने दीजिए।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय, जिनके नाम

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत)

गिनाते हैं वह बाहर के हैं। राजस्थान की धरती में पैदा हुये कोई साहित्यकार नहीं हैं। ये सब बाहर के हैं जो राजस्थान में रहने लगे हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या समिति के सदस्य बाहर के हैं या राजस्थानी हैं ?

राव श्री धीरसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें चेयरमेन हैं वह सेक्रेटरी एज्यूकेशन बोर्ड में हैं, एक डाइरेक्टर एज्यूकेशन इन्स्टीट्यूट हैं और एक टेक्स्ट बुक के डाइरेक्टर हैं और एक शंकर दयाल सक्सेना हैं....

श्री अध्यक्ष : सभी राजस्थान के हैं ?

राव श्री धीरसिंह : 50% तो, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में आकर बस गये हैं, राजस्थानी नहीं हैं। लेकिन इसका कोई क्राइटेरिया नहीं रखा जाता है। सब राजस्थान के रहने वाले हैं। उनकी किताबों को ही एप्रूव कर रहा है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मेरा प्रश्न यह है कि राजस्थान के विद्वानों तथा लेखकों की सलाह क्यों नहीं ली जाती है ?.....

राव श्री धीरसिंह : जितने भी ये चारों समिति के सदस्य बताये गये हैं ये एजूकेशनिस्ट हैं, विद्वान हैं और इनकी सलाह से ही होता है।

श्री अध्यक्ष : समिति में हैं वे विद्वान तो हैं लेकिन लेखक भी हैं क्या ?

राव श्री धीरसिंह : लेखक भी हैं। कुछ नहीं भी होंगे।

श्री अध्यक्ष : और कौन हैं ?

राव श्री धीरसिंह : अध्यक्ष महोदय, ये शंकरदयाल सक्सेना पहले डाइरेक्टर आफ कालेज एजूकेशन थे उनको कमेटी में रखा है और जो भी एक्स-ओफिसियो मेम्बर्स हैं वे एजूकेशनिस्ट्स हैं और ऐसी बात नहीं है कि उनको नालेज नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : एजूकेशनिस्ट और साहित्यकार में क्या भेद है ? वह है कि नहीं–यह बता दें ?

राव श्री धीरसिंह : एजूकेशनिस्ट्स का सवाल है। साहित्यकार तो कई संबंधों में लिख सकते हैं जिस तरह का सम्बन्ध हो। उसमें एजूकेशनिस्ट की ज्यादा जरूरत है और उसमें उपयुक्त किताबों की ज्यादा आवश्यकता है, साहित्य की नहीं। बहुत बढ़िया साहित्यकार एजूकेशनिस्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है मेरा। क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस समिति के सदस्यों का नाम अभी माननीय मंत्री महोदय ने लिया उसमें कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मान्यता हिन्दी साहित्य के इतिहास में मानी गयी है ? राजस्थानी साहित्य और हिन्दी साहित्य में लेखक और कवि के रूप में माने गये हैं क्या ? यह बता दें।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : मैं, अध्यक्ष महोदय, यही आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि

Page No 10

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
एक ओर तो यह कहा जाता है कि राजस्थान के लेखक हैं, तो राजस्थान के रहने वाले आदमी लेखक हैं या नहीं हैं? मंत्री महोदय का दृष्टिकोण क्या है? कौन लेखक है और कौन कवि है–यह तो वे ही जानें और यह उनकी अपनी विचारधारा है लेकिन यह सही है कि गवेषणात्मक साहित्य लिखने वाले, छोटे छोटे लेख लिखने वाले व्यक्ति हैं उनकी पाठ्यक्रम में न तो कविता आती है न लेख आते हैं तो प्रश्न यह रहता है...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न मेरे सामने प्रवचन का नहीं रहता है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : मैं तो आपसे यह निवेदन करता हूं कि साहित्य का संबंध है इससे और आप साहित्य के प्रति इतने उदार हैं...

श्री अध्यक्ष : उदासीन हूं। आप तो आरम्भ रखिये।

श्री दुर्गालाल बाढदार : अध्यक्ष महोदय, यह साहित्य का मामला है और इस तरह यह तो पागल हाथियों की तरह बरबाद कर देंगे और इनके ऊपर आप अंकुश लगाइये।

श्री अध्यक्ष : आप साहित्यकार होकर ऐसे शब्दों का चयन क्यों करते हैं।

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, आपके मुंह से ये शब्द सुनकर बड़ा दुःख हुआ कि आप साहित्य के प्रति उदासीन हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता!

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय, समिति के जिन चार व्यक्तियों के नाम लिये वे ब्यूरोक्रेट हैं, लेखक नहीं हैं, साहित्यकार नहीं हैं। मेरा कहना यह है कि आप लेखकों की, साहित्यकारों की एक परामर्श देने वाली समिति नियुक्त करें और केवल ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर ही नहीं छोड़ें इसको।

श्री अध्यक्ष : मनोनयन कौन करता है समिति के सदस्यों का?

राव श्री धीरसिंह : मनोनयन तो गवर्नमेण्ट के द्वारा किया जाता है और सलाह टेक्स्ट बुक बोर्ड से दी जाती है और बुक्स तो 8 वीं क्लास तक की लिखवाते हैं और इसमें ऊंचे साहित्यकार का प्रश्न नहीं है। मैंने निवेदन किया कि ऊंचे स्टेण्डर्ड की किताबें लिखाने की आवश्यकता हो उसके लिये एज्युकेशनिस्ट्स की जरूरत है और 8 वीं क्लास तक की किताबें लिखवाने में कोई बहुत गहरे साहित्यकार की आवश्यकता भी नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे मन्त्री महोदय के वक्तव्य पर घोर आपत्ति है। इनका कहना है कि बच्चों के लिए 8वीं क्लास तक की किताबों के लिखवाने में ऊंचे साहित्यकार की जरूरत नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि बच्चों के लिये सबसे अच्छे साहित्यकार की आवश्यकता होती है। सबसे मुश्किल होता है तो बाल साहित्य और मन्त्री महोदय इसकी गहराई समझ ही नहीं पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न साहित्य का भी है। माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसी

(श्री अध्यक्ष)

एडवाइजरी कमेटी बना दी जाये तो क्या हर्ज है ?

राव श्री वीरसिंह : इनके पास अधिकार है कि वे अपने लिये एडवाइजरी कमेटी अपाइन्ट कर सकते हैं। उन्होंने साहित्यकारों की सलाह लेकर ही पुस्तकों के प्रकाशन का काम किया है। जो भी साहित्यकार उपयुक्त समझे जाते हैं उनकी सलाह यह समिति लेती है और आगे भी लेती रहेगी। ऐसा इनको अधिकार है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्य मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों को एजूकेशन का काम दिया जाता है उन्हें एजूकेशन सम्बन्धी कुछ ज्ञान दिया जाना आवश्यक है ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन !

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न के भाग 1 में बताया है कि हम नायकों का चित्रण करते हैं तो यह भूगोल के नायक कौन होते हैं ? साहित्य के नायक होते हैं, संस्कृति के नायक होते हैं, कला के नायक होते हैं लेकिन भूगोल के नायक कौन होते हैं ?

राव श्री वीरसिंह : इतिहास और समाज का कहा है। भूगोल का नहीं कहा है।

श्री रामकिशन : भूगोल के भी नायक होते हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट,

प्रश्न संख्या 338

श्री अमीलाल यादव ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न संख्या 339.

श्री अध्यक्ष : चिकित्सा मंत्री ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : (फाइल में कागजों को ढूंढते रहे)

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है इस प्रश्न को,

(विराम)

मैंने एप्रूव करके इसको भेज दिया है . . .

श्री अध्यक्ष : आप ढूंढ लें इतने में दूसरा प्रश्न ले लेता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मिल गया साहब ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

न्याय शुल्क स्टाम्प का बेचान

340. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा महल, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या न्याय शुल्क स्टाम्प बेचने के लिये कमीशन एजेन्ट नियुक्त हैं और यदि हां,

Page No 12

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
तो उन्हें कितने रुपयों तक के मूल्य के स्टाम्प बेचने को दिये जाते हैं ?

(2) 100 रुपये से अधिक मूल्य का स्टाम्प किस प्रकार बेचा जाता है और इसे खरीदने में कितना समय लगता है ?

उप-मंत्री, वित्त (श्री बृजप्रकाश गोयल) : (1) हां, कमीशन एजेन्ट नियुक्त हैं। कमीशन एजेन्ट को बिक्री हेतु दिये जाने वाले स्टाम्पों पर मूल्य सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध नहीं है इच्छानुसार जितना स्टाक चाहें ट्रेजरी से खरीद कर रख सकते हैं।

(2) 100 रुपये से अधिक मूल्य के स्टाम्प सीधे कोषालय से बिक्री किये जाते हैं। खरीदने में कितना समय लगेगा यह क्रेता द्वारा बैंक में रुपया जमा करवा कर चालान की प्रति प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है।

जहां तक कोष से स्टाम्प देने का प्रश्न है चालान की प्रति प्राप्त होते ही सम्बन्धित पार्टीज को दे दिये जाते है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न (2) में बताया कि खरीदने में कितना समय लगता है यह रुपया जमा कराने के बाद चालान की प्रति प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है। मैं तो पूछता हूं कि आपकी व्यवस्था किस प्रकार की है कितना समय लगता है आप बता दें ? किसी का लिटीगेशन जरूरी है और स्टाम्प नहीं मिले तो कोई इलाज नहीं। अध्यक्ष महोदय, आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा और, मन्त्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि 8 आने का स्टाम्प नहीं मिलता, 5 पैसे का स्टाम्प नहीं मिलता, कोर्ट फी स्टाम्प नहीं मिलता और लोगों को इतनी असुविधा हो रही है कि 5 पैसे के स्टाम्प के लिए 8 आना और एक रुपये का स्टाम्प प्रयोग में लाना पड़ रहा है। रुपया देते हैं कोई मुफ्त में लेते नहीं है। गई बार भी आपने कहा था कि आइन्दा स्टाम्प की कमी नहीं आयेगी और इसके लिये प्रबन्ध कर दिया जायेगा तो क्या आप इसका सरलीकरण कर सकते हैं कि 200 और 400 रुपयों के स्टाम्प भी एजेन्टस् के पास ही मिल जायें ? अगर आप एजेन्टस् को नहीं देना चाहते हैं तो पहले आपके सरकारी आदमी थे और उनके पास आसानी से मिल जाते थे लेकिन अब उनके प्राप्त करने में बडी कठिनाई आती है। 11 बजे तक तो आफिसर्स ही नहीं आते और थोड़ी सी व्यवस्था आप कर दें।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं।

श्री बृजप्रकाश गोयल : स्टाम्प के खरीदने में कठिनाइयों की कोई विशेष शिकायत नहीं आई। इन्डीविजुअल केस में शिकायत हो और स्टाम्प की कमी हो तो उसी समय उसको दूर करने की कोशिश की जाती है और कम कीमत के होते हैं और बड़ी कीमत के नहीं तो जब कभी कोई कठिनाई की शिकायत आई तो उसको पूरा किया गया है और 100 रुपये से ऊपर के स्टाम्प वेन्डर्स के पास रखे जाने में कोई विशेष फायदा होने वाला हो–ऐसी बात नहीं है। इसमें कमीशन बंधा हुआ है इसलिए 100 रुपये से नीचे के स्टाम्प पर ही यह अलाउ है और यह नियमों में भी प्रावधान है।

Page No 13

श्री दुर्गालाल बाढदार : बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं और आज भी उपलब्ध नहीं हैं। मैं तो, अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय को ही रुपये देता हूं। ये किसी आदमी को भेज दें और देख लें कि कितनी देर में खरीद कर वह ला सकता है।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): चार घण्टे का समय चाहिये 100 रुपये का स्टाम्प खरीदने के लिए।

श्री दुर्गालाल बाढदार : चार घंटे आप जैसे आदमी को चाहिए। आठ घण्टे में भी नहीं मिलता है गरीब आदमी को तो। चार घण्टे तो पोस्ती ने पी पोस्त और नौ दिन में चले अढाई कोस। राजस्थान सरकार इतनी आसानी से नहीं चलती है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दें।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, जहां तक 100 रुपये से कम के स्टाम्पों के सवालात हैं उसमें इन दिनों इतनी कठिनाई की हमारे सामने शिकायत पेश नहीं हुई है क्योंकि जो कमीशन ऐजेण्ट हैं वे काफी तादाद में अपने पास रखते हैं। 100 रुपये से ज्यादा कीमत के स्टाम्प के लिए कमीशन एजेन्ट को चालान से ट्रेजरी में रुपये जमा करवा कर स्टाम्प निकालने पड़ते हैं। कुछ तो अपने पास में रखते हैं लेकिन ज्यादा कीमत के होने की वजह से उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पडता है इसलिए क्या होता है कि वकील साहब या उनके मुवक्किल स्टाम्प लेने जाते हैं कि दो हजार रुपये के स्टाम्प लेने हैं तो वेन्डर रुपये लेकर ट्रेजरी में चालान भर कर जमा करवा कर स्टाम्प निकलवा कर उन्हें देता है। उसमें समय लगता है। यह आज की व्यवस्था है। स्टाम्प वेन्डर्स के पास 100 से ज्यादा कीमत के स्टाम्प नहीं रहते हैं और अगर वह रुपया जमा करा देगा तो दे देंगे। वह रुपया जमा नहीं कराता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है। यह आज की व्यवस्था है। माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि सरकारी तौर पर व्यवस्था की जाय।

श्री दुर्गालाल बाढदार : स्टाम्प फरोख्त करने वाले सरकार ने नियुक्त कर रखे हैं। ऐसी बात नहीं है कि····

श्री अध्यक्ष : उसमें हो जाएगा।

श्री दुर्गालाल बाढदार : मैं इतना ही सुझाव देना चाहता हूं कि स्टाम्प फरोख्त करने वाले सरकार ने बड़े बड़े शहरों में नियुक्त कर रखे हैं। जहां कि स्टाम्प की ज्यादा खपत होती है वहां पर इस प्रकार की आप व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरी बात आपने बताई कि शिकायत आपके पास नहीं आई है। मंत्री महोदय, छोटी-छोटी बातों की शिकायत लेकर हम आपके दरवाजे के पास नहीं पहुँच सकते हैं। सारी शिकायतें जनता के प्रतिनिधियों के सामने आती हैं और सदन में हम आपके सामने शिकायतें करते हैं तो क्या यह शिकायत है नहीं है?

श्री अध्यक्ष : स्वास्थ्य मंत्रीजी का प्रश्न ले लें सतीशचन्द्रजी का।

339. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. जयपुर नगर में पैसा लेकर खून देने वाले व्यक्तियों की सूची में कितनी संख्या दर्ज है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

2. क्या यह सही है कि इनमें से अधिकांशतः व्यक्ति वो ही हैं जो कोई कारोबार नहीं करते ?

3. वर्ष में एक व्यक्ति से कितनी बार खून लिया जाता है ?

4. गत 15 वर्षों में जयपुर नगर में कितने रुपये इस मद में चुकाये गये ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : 1. सूची में 2737 व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं।

2. जी हां।

3. वर्ष में एक व्यक्ति से चार बार खून लिया जाता है।

4. इस मद में करीब 6,77,600 रु. चुकाये गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो व्यक्ति हैं जो कि खून बेच कर अपना पेट पालते हैं उनके लिए क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था की है यह देखने कि इनका न्यूटीशन ठीक है कि नहीं ? आम तौर पर इनके खाने पीने का बड़ा लो स्टेंडर्ड है तो क्या सरकार यह उचित नहीं समझती है कि दूसरी व्यवस्था की जाय ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस बारे में हम प्रयत्न कर रहे हैं कि वालन्टरी ब्लड बैंक कायम किये जायं। इस प्रकार के ब्लड बैंक की शुरूआत हम यहां जयपुर में करने जा रहे हैं और यहां पर वालन्टरी ब्लड बैंक की स्थापना करने का इरादा है और आम तौर पर हम यह कहते हैं कि मरीज के जो रिश्तेदार होते हैं उनसे कि खून की जरूरत है, उसके रिश्तेदार ही खुन दे दें और जब वह तैयार नहीं होते हैं और आम तौर पर यही देखा जाता है राजस्थान में कि पैसा देने को तैयार हो जाते हैं रिश्तेदार लेकिन अपना खून देने को तैयार नहीं होते हैं। ऐसी सूरत में जो भी खून देने को तैयार होते हैं और यदि उनका खून स्टेण्डर्ड का होता है तो उसको लेकर देते हैं और इसी कारण पेमेंट करते हैं। वालन्टरी ब्लड बैंक की स्थापना करने के बाद में इस समस्या में कुछ सुधार हो सकता है, वरना जैसी स्थिति है उसमें कुछ अन्तर आने की आशा नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वालन्टरी ब्लड बैंक के सिलसिले में जो योजना बन रही है या बनी है वह केवल जयपुर शहर के लिये ही है या अन्य बड़े बड़े नगरों के लिये भी है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां भी इस प्रकार के लोग आगे आयेंगे वहां पर ब्लड बैंक का निर्माण कर दिया जायगा। जब आपरेशन होता है तो उसके रिश्तेदारों से कहा जाता है तो यह देखा गया है जयपुर शहर में तो आम तौर पर, वे खून देने को तैयार नहीं होते हैं। वह कहते हैं कि आप पैसा ले लो, हम पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन खून देने को तैयार नहीं हैं। कुछ लोग जो देने को तैयार हो जाते हैं उनका खून लेकर जिस कैटेगरी का ब्लड होता है उसमें रखते हैं।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : यह, अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में 2737 व्यक्ति ऐसे रजिस्टर्ड किए हुए हैं उनमें से अधिकांशतः मेरी जानकारी यह है कि चांदपोल दरवाजे

Page No 15

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)।

के बाहर पड़े रहते हैं या जलेबी चौक में रहते हैं, वे खून बेच कर अपना पेट पालते हैं। ये जयपुर शहर में लगभग 2737 व्यक्ति हैं जो हर क्वार्टर पर राजस्थान सरकार को अपना खून बेचते हैं उसका उनको तीन महीने में 25 रुपया मिलता है और इस प्रकार से 8 रुपये महीने में वे किस प्रकार की डाइट खा सकते हैं और किस तरह से अपनी हैल्थ को मैनटेन कर सकते हैं ? क्या इस प्रकार की मनोवृत्ति को कि लोग अपना खून बेच कर पेट का पालन करें मानवीय दृष्टिकोण से दूर करने की कोशिश करेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस बात को राजस्थान सरकार प्रोत्साहन नहीं देती है, लेकिन यह जो ब्लड देने वाले हैं वे यही काम नहीं करते हैं। कोई मजदूरी करता है, कोई रिक्शा चलाता है। केवल यही ब्लड देने का काम नहीं करते हैं। वैसे भी आप देखें तो इसमें उनका गुजारा ही नहीं चल सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने प्रश्न सं. (2) में पूछा है "क्या यह सही है कि इनमें से अधिकांशतः वो ही हैं जो कोई कारोबार नहीं करते ?" तो आपने उत्तर दिया, "जी हां।"

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कारोबार का मतलब और कोई धन्धा चलाते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे ज्यादातर भिखारी हैं। उनका कोई धन्धा नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। या तो रिक्शा चलाने वाले गरीब हैं जिनका कि पेट नहीं भरता है, या छोटे-छोटे काम करते हैं, इस प्रकार से अकेले जयपुर शहर में 3 हजार के करीब व्यक्ति हैं। जो कि आपको चांदपोल दरवाजे के बाहर या जलेबी चौक में पड़े मिल जायेंगे। वे तैयार रहते हैं। किसी को खून चाहिये तो मोटर में बैठ कर जाता है और एक आवाज लगाता है तो कई लोग दौड़ कर आते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पेट पालने की बात नहीं है मगर यह स्थिति यहां पर पैदा हो गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द बाफणा।

श्री फूलचन्द बाफणा : इसका मतलब यह है कि गरीबी हट जायेगी तो खून देने वाले नहीं मिलेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हम इस बात को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जब खून की आवश्यकता होती है तो हम उनके रिश्तेदारों से कहते हैं कि अपने शरीर से खून दो...

श्री अध्यक्ष : वह आपने कह दिया।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या यह सही है कि यह पैसे के लिए खून देते हैं इन्सान के लिए नहीं ?

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इन्सान को बचाने के लिए खून की जरूरत होती है। इसमें पैसे की जरूरत होती है इसलिए देते हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार) : क्या यह सही है कि आपने बार-बार जनता से इस बात की अपील की है हास्पिटल में

(श्री भैरोंसिंह)
जाकर ब्लड डोनेट करें ? आपकी अपील का असर और कहीं पर पड़ा हो या नहीं लेकिन मन्त्री-मन्डल के किसी सदस्य पर नहीं पड़ा और आज तक किसी भी मन्त्री ने ब्लड डोनेट नहीं किया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसकी जानकारी मुझे नहीं है लेकिन मैंने तो एक बार दिया है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मन्त्रियों का फालतू खून हर महीने निकाल लेना चाहिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय सदस्य के पास बहुत खून है और यदि आवश्यकता पड़ी तो ले लिया जायेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरे पास फालतू खून कहां से आया है।

श्री रामकिशन (बैर) : माननीय मन्त्रीजी यह बतलायेंगे कि एक क्वार्टर में एक बार खून देते हैं तो इसका उनकी ऐज यानी उम्र पर क्या असर पड़ता है, इसका परीक्षण कर रहे हैं क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामकिशन : इससे सम्बन्धित सवाल है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : एज के मुताबिक ही खून लेते हैं। अगर उस एज का नहीं होता है नुकसान होता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वैसे एज 55 तक की है।

श्री रामकिशन : अगर जांच करवा ली है तो क्या राजस्थान सरकार यह व्यवस्था कर सकती है कि जो पेशेवर खून देने वाले हैं उनके खून की कीमत के अलावा उनके स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रावधान करें ? उनका मासिक भत्ता बान्ध सकती है चूंकि उसका उनकी एज पर असर होता है

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बीमार होते तो दवा ले लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जिला टोंक में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

1. क्या यह सही है कि जिला टोंक में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत कोई सर्वेक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट है ? कृपया रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

2. क्या यह सही है कि बांध सरदारपुरा तहसील देवली, जिला टोंक का [illegible] हो चुका है ?

3. क्या यह सत्य है कि अकाल राहत कार्य में इस बांध हेतु कुछ धनराशि खर्च की गई थी ? यदि हां, तो कितनी ?

4. क्या यह सत्य है कि इस बांध के निर्माण से करीब 1000 एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी ?

(श्री दिग्विजसिंह)

5. क्या सरकार इस कार्य के निर्माण के लिये वर्ष 1971–72 में कुछ धन राशि प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (1) जी हां, टोंक जिले में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत सूथड़ा, आकोडिया, राजकोट, कादेर, सिरोही, लाम्बा हरीसिंह फीडर, सहोदरा, शिवदानपुरा का सर्वेक्षण कराया गया है। रिपोर्ट संलग्न है।

2. सिंचाई विभाग द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

3. जी हां, अकाल राहत में कुल 15059 रुपया खर्च किया गया है।

4. सर्वेक्षण के पश्चात् ही बताया जा सकता है।

5. यह अभी विचाराधीन है।

कृपया परिशिष्ट 2 देखिये

श्री दिग्विजयसिंह : इन योजनाओं के अलावा क्या अन्य योजनाएं भी ऐसी हैं, अगर आप सर्वे करायें तो लाभप्रद हो सकती हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी योजनायें बहुत ही हो सकती हैं। धीरे-धीरे सभी योजनाओं का सर्वे कराया जाता रहा है।

श्री दिग्विजयसिंह : और भी योजनायें हैं, उनका कब तक करवायेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कार्यक्रम के अनुसार।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पंचायत समिति धोरीमना का ट्यूबवेल

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि धोरीमना पंचायत समिति जिला बाड़मेर द्वारा लोहाबा पंचायत में एक ट्यूब वेल पर खेती का फार्म बनाया जा रहा है ? अगर हां, तो कब प्रारम्भ किया गया और उसमें आज तक कितना लाभ हुआ ? वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखे।

(2) क्या यह सही है उपरोक्त पंचायत समिति द्वारा गत वर्षों के अकाल के समय सांड पालन की व्यवस्था भी की गई थी ? अगर हां, तो एक सांड पालन पर हर वर्ष कितना खर्चा हुआ और कुल कितने सांड थे और आज कितने जीवित हैं ? इसका ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त फार्म बड़े घाटे से चल रहा है ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार घाटे की जांच कराने का विचार रखती है ? अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप मंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) जी हां, माह अगस्त, 1969 में चालू किया गया था जो अब बन्द कर दिया गया है। कुल 1908.73 रु. का लाभ हुआ है। वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां, कुल 21 सांड थे व उन पर माह नवम्बर 69 से जून, 70 तक

(श्री बालसिंह सोढ़ा)
प्रत्येक सांड पर 98–92 रु. खर्चा हुआ है। 19 सांड आज तक मौजूद हैं।

(3) जी नहीं। जांच कराने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री बाल सिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, जब इस फार्म में पंचायत समिति को लाभ हुआ तो बन्द करने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अकाल सहायता के विषय में काम चला रहे थे। जो सांड थे उन को हर पंचायत पर पहुँचा दिया गया है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : यह कृषि सुधार के अन्तर्गत संचालित हो रहा था फिर उसको बन्द क्यों किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : लाभ हो रहा था तो बन्द क्यों किया गया ?

पंचायत मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, वहां फेमिन डिपार्टमेण्ट सब्सीडी दे रहा था। अकाल होने पर यह ट्यूब वेल हरा चारा उगाने के लिए लगाया गया था। हरा चारा उगाने के लिए ट्यूब वेल पंचायत समिति को आवश्यक है। एग्रीकल्चर की दृष्टि से वह रखना चाहते हैं या नहीं यह अलग बात है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसमें लिखा है कि 19 सांड आज तक मौजूद हैं। लेकिन यहां तो 37 सांड मौजूद हैं। यह कम कैसे लिख दिया ?

श्री परसराम मदेरणा : कोई मरा नहीं है। वह मौजूद हैं।

वित मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : 184 है।

जवाई बांध

343. **श्री पृथ्वीसिंह चौहान (बाली) :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. इस वर्ष जवाई बांध में कुल कितना पानी भरा था ? और वह कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई करने के लिए काफी था ?

2. इस वर्ष जवाई जल वितरण कमेटी ने कितने प्रतिशत क्षेत्र में पानी देने का निर्णय लिया था ? बैठक की कार्यवाही की नकल सदन पटल पर रखने की कृपा करें।

3. इस निर्णय के अनुसार कुल कितने बीघा क्षेत्र में सिंचाई होनी चाहिए थी ? अब रवि गिरदावरी के आधार पर वास्तव में कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई हुई हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) :
1. इस वर्ष जवाई बांध में पानी का भराव 40 फीट था जिसकी क्षमता 4415 एम. सी. एफ. टी. थी। 500 एम. सी. एफ. टी. डेड स्टोरेज छोड़ने के बाद 3915 एम. सी, एफ. टी. पानी उपलब्ध था जो 31300 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई के लिए काफी था। पर पीने के लिए पानी 1000 एम. सी. एफ. टी. पानी सुरक्षित रखना था।

2. जल वितरण कमेटी ने 22400 एकड़ क्षेत्र में जल वितरण का निर्णय लिया

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
था। बैठक की कार्यवाही की नकल संलग्न है।

3. जल वितरण की बैठक निर्णयानुसार कुल 22400 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई होनी चाहिए थी।

रवि गिरदावरी के अनुसार वास्तविक सिंचाई 30077 एकड़ क्षेत्र में हुई है क्योंकि पीने के लिए 1000 एम. सी. एफ. टी. के बजाय 500 एम. सी. एफ. टी. पानी सुरक्षित रखा गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जब मीटिंग हुई तो यह कहा गया कि 22400 एकड़ के लिए पानी है। आपने जो जवाब दिया उसमें यह कहा गया है कि 31300 एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए पानी था। इसमें फर्क क्यों है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें फर्क इसलिए है कि जिस समय मीटिंग हुई थी वो 22400 एकड़ के लिए पानी बताया। 1000 एम. सी. एफ. टी पानी जोधपुर के लए पीने के लिए सुरक्षित रखेंगे। लेकिन बाद में काश्तकारों की अप्रोच पर 500 एम. सी. एफ. टी. पानी सुरक्षित रखा गया था। इसलिए कण्ट्राडिक्ट हुआ।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, 4415 एम. सी. एफ. टी. भरा था। 2000 पानी लिया जाता तो 2200 एकड़ की सिंचाई हो सकती है। अब 500 एम. सी. एफ. टी. मिला दिया तो वह 3000 हो गया है। यह विरोधाभास है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: कोई विरोधाभास नहीं है। 500 क्यू रहा हैं। उसके बाद 1000 ले लिया। बाद में 1000 के बजाय 500 ही रखा गया। 11 एकड़ कल्टीवेटर्स ने पिलाई की है।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक्सेस पिलाया गया है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह तो ड्रिंकिंग वाटर...

श्री शंकरलाल (जैतारण): क्या यह सही है कि वितरण कमेटी में एम. एल. ए. भी सदस्य है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा कोई आवश्यक नहीं है।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जल वितरण कमेटी में विधान सभा के एम. एल. ए. भी सदस्य होते हैं या नहीं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : न आवश्यक है, न रुकावट है।

श्री पृथ्वीसिंह : कमेटी की मीटिंग में जो निर्णय हुआ उसका जो काश्तकार उपस्थित थे, उन्होंने निर्णय का विरोध किया था?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किस निर्णय का?

श्री पृथ्वीसिंह : कमेटी के निर्णय का।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कुछ विरोध करेंगे ही। एक्सेस किसने किया? बड़ी होल्डिंग वालों ने किया या छोटी होल्डिंग लों ने किया?

श्री पृथ्वीसिंह: जिन्होंने एक्सेस लिया है नके खिलाफ कार्यवाही कीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह निर्णय लिया गया था कि 5 बीघा तक के खातेदारों को पानी मिलेगा। साढे छः कम से कम होगा। 15 से 25 बीघा 30%, 25 से ऊपर 13% होगा।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय ···

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। स्थगित प्रश्न।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी।

श्री पृथ्वीसिंह : मैं जानना चाहता हूं कि आप उनके विरोध में क्या करने जा रहे हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रूल्स के तहत ही ऐसी कार्यवाही की जाती है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य। स्थगित प्रश्न।

श्री पृथ्वीसिंह : हर साल यह कहते हैं कि कार्यवाही करेंगे लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य। पंचायत मन्त्री जी।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक्सेस इरिगेशन करते हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या वास्तव में ऐसा हुआ है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, किसी ने आधा बीघा किसी ने एक बीघा कर लिया है तो उसके खिलाफ माननीय सदस्य क्या कार्यवाही कराना चाहते हैं?

श्री पृथ्वीसिंह : इतने साल में 1100 एकड़ हुआ है। वहां की हालत देखें। कलेक्टर भी वहां इन्तजाम करने में असफल रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि जब से यह बांध बना है तब से मैग्जिमम इरिगेशन हुआ है तो इस साल हुआ है। मैग्जिमम कल्टीवेटर ने पानी लिया है तो इसी साल लिया है।

श्री पृथ्वी सिंह : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में·····

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट! आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री पृथ्वी सिंह : यह बहुत ही ····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

प्रश्न सं. 134

श्री प्रेमसिंह सिंघवी।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री जुझारसिंह :

स्थगित प्रश्न

(12-4-71)

ग्राम पंचायत गोलाणा के सरपंच के विरुद्ध आरोप

189. **श्री जुझार सिंह** (रामगंज मंडी): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्राम पंचायत गोलाणा, पंचायत समिति खानपुर, जिला झालावाड़ के भूतपूर्व सरपंच श्री सूरजमल के विरुद्ध पंचायत क्षेत्र में निर्माण के लिये दिये गये धन का दुरुपयोग करने का आरोप है? यदि हां, तो किन किन कार्यों पर कितने कितने धन का दुरुपयोग किया जाना बतलाया गया है?

Page No 21

(श्री जुझार सिंह)

(2) श्री सूरजमल द्वारा पंचायत के धन का दुरुपयोग किन किन सालों में किया गया और उनके विरुद्ध कब से जांच चालू हुई और जांच का क्या नतीजा रहा ?

उप मंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के बारे में अभी पूरी सूचना उपलब्ध नहीं हो पाई है, इसलिये निवेदन है कि इसे स्थगित किया जाये।

श्री जुझार सिंह : इसमें तो कुछ भी नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया

श्री कृष्ण कुमार गोयल।

स्थगित प्रश्न

(12–4–71)

मेडिकल कालेजों में पदों का सृजन

193. श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

1. क्या यह सही है कि यूनिवर्सिटी हैंड बुक के अनुसार फोरेंसिक मेडिसन अन्डर ग्रेज्युएटस के लिये यूनिवर्सिटी परीक्षाओं में फैकल्टी आफ मेडिसन में एक विषय है ?

2. क्या यह सही है कि यूनिवर्सिटी हैंड बुक के अनुसार मेडिकल कालेजों की एम. बी. बी. एस. आदि कक्षाओं के लिये फोरेंसिक मेडिसन के विषय में प्रोफेसर के रीडर, लैक्चरार और ट्यूटर के पद होने चाहिये ?

3. क्या यह सही है कि इंडियन मेडिकल कौंसिल की रिपोर्ट में भी जो मई 1970 में प्रकाशित हुई है, इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रत्येक मेडिकल कालेज में फोरेंसिक मेडिसन विभाग में प्रोफेसर, रीडर, लैक्चरार, ट्यूटर, डिमोन्स-ट्रेटर आदि के पद सृजन किये जाने चाहिये ?

4. क्या यह भी सही है कि इंडियन मेडिकल कौंसिल के इन्सपेक्टर की वर्ष 1969 की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि एस. एम. एस. मेडिकल कालेज में फोरेंसिक मेडिसन में स्टाफ की कमी है तथा एस. एम. एस. मेडिकल कालेज का जो निरीक्षण नवम्बर, 1970 में किया गया है उसमें भी उक्त विषय में स्टाफ की कमी होने का उल्लेख किया गया है।

5. क्या यह सही है कि उपरोक्त सभी निष्कर्षों और निरूपणों के उपरान्त भी राज्य सरकार मेडिकल कालेजों में फोरेंसिक मेडिसन के विषय में पर्याप्त स्टाफ नियुक्त नहीं कर रही है ?

6. क्या यह सही है कि जहां अन्य विषयों जैसे : ट्यूबर क्लोसिस, पैडियाट्रिक मेडिसन, रेडियोलोजी, स्कीन, साइकेटरी, आरथोपेडिक, एनेस्थीसिया, डेन्टिस्टरी और पोडियोट्रिक सर्जरी में फोरेंसिक मेडिसन से कम डिमान्सट्रेशन, लैक्चर्स आदि होते हैं. रीडर, लैक्चरार्स आदि के पद फोरेंसिक मेडिसन विषय से कहीं अधिक संख्या में हैं ? यदि नहीं, तो कृपया राज्य के मेडिकल कालेजों में वहां विभिन्न विषयों में नियुक्त स्टाफपेटर्न की तुलना में लैक्चर्स व डिमोन्स्ट्रेशन की संख्या गत 2 वर्षों की बताने की कृपा करें।

7. क्या यह सही है कि राज्य में उक्त विषय में आवश्यक पदों का सृजन इसलिये नहीं किया जा रहा है कि इसके लिये आवश्यक योग्यता प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

8. क्या यह सही है कि इन पदो पर योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को लगाने के लिये कभी आवश्यक विज्ञापन नहीं निकाला गया है ? यदि हां, तो यह जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि योग्यता प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है ?

9. क्या सरकार उपरोक्त सभी तथ्यों को तथा फोरेंसिक मेडिसन जैसे विषय के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इस विषय में तुरन्त प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरार व ट्यूटर के पदों का सृजन राज्य के प्रत्येक मेडिकल कालेज में करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कब तक कर दी जावेगी ?

10, क्या सरकार के ध्यान में है कि उक्त पदों के सृजन में राज्य सरकार की लापरवाही के कारण एम. बी.बी. एस. की डिग्री इंडियन मेडिकल कौंसिल द्वारा डीरिकाग्नाइज की जा सकती है जैसा कि हाल ही पटना मेडिकल कालेज में की गयी है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) जी हां, द्वितीय वर्ष एम. बी., बी. एस. की परीक्षा में ।

(2) ये सारे पद आवश्यक नहीं हैं ।

(3) यह रिपोर्ट इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है । वैसे आवश्यकतानुसार हर विषय में प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरार आदि के पद सृजित किये जाते हैं वे इस विषय में भी अभी तक आवश्यकतानुसार पद सृजित किये हुए हैं ।

(4) निरीक्षण रिपोर्ट, उसका उपसंहार एवं एस. एम. एस. मेडीकल कालेज में नवम्बर 1970 के निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है । इस रिपोर्ट में जो सिफारिश अतिरिक्त पद देने की की गई है उस पर विचार किया जा रहा है ।

(5) यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

(6) जी हां ।

(7) जी नहीं । वर्तमान में कालेजों की कार्यक्षमता को देखते हुए अधिक पदों के सृजन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । आवश्यकतानुसार ही पद सृजित किये जाते हैं ।

(8) जी हां, अभी तक इस विषय में राज्य के चिकित्सा महा विद्यालयों में कोई पद रिक्त नहीं था । रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अब आयोग को विज्ञापन भेजने की कार्यवाही की जा रही है ।

(9) जी नहीं, आवश्यकतानुसार पद सृजित किये जाते हैं । एक लेक्चरार का पद सृजन करने की कार्यवाही चल रही है

(10) ऐसी कोई आशंका नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि युनिवर्सिटी हैंड बुक के आर्डीनेन्स 66 के अनुसार फोरेन्सिक मेडिसन के लिये प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरार और डिमान्स्ट्रेटर की पोस्ट्स निर्धारित की गई है ।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : आम तौर पर एक प्रोफेसर होता है, उसके नीचे रीडर, लेक्चरार और डिमान्स्ट्रेटर होते हैं, लेकिन ये सभी एक साथ होना आवश्यक नहीं है। अगर प्रोफेसर होता है और साथ में लेक्चरार की जरूरत होती है तो लेक्चरार का पद सृजित किया जाता है, या रीडर होता है और डिमान्स्ट्रेटर की आवश्यकता होती है तो डिमान्स्ट्रेटर दे दिया जाता है। वैसे तो हरेक डिपार्टमेंट के लिये प्रेस्क्राइब्ड है कि प्रोफेसर होना चाहिये, रीडर होना चाहिये आदि, लेकिन विद्यार्थियों की तादाद देखकर पद सृजित किये जाते हैं। सारे पद एक साथ दिये जायें, यह आवश्यक नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने कहा कि ऐसा होता है और ऐसा नहीं होता है। मेरा तो यह प्रश्न था कि क्या यूनिवर्सिटी के हैंडबुक के आर्डिनेन्स 66 के अनुसार ये सारे पद निर्धारित हैं या नहीं ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : यूनिवर्सिटी हैंडबुक में तो प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरार, तीनों पद सृजित करने को कहा गया है, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या देखी जाती है और जितनी आवश्यकता होती है उसके अनुसार पद सृजित किये जाते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : भाग (3) के उत्तर में आपने कहा कि यह रिपोर्ट आपके विभाग को प्राप्त नहीं हुई है, यह बड़े खेद की बात है। यह, अध्यक्ष महोदय, इण्डियन मेडीकल कौंसिल की रिपोर्ट जो आपके पास पत्र संख्या एम. सी. आई. । 140(6)/70/ इ. एस. टी. टी./ 7865 दिनांक 18 जनवरी 1970 द्वारा भेजी गई है, उसमें लिखा है :

डिपार्टमेंट आफ फारेन्सिक एण्ड लीगल मेडीसिन

इसके अनुसार हरेक मेडीकल कालेज के लिये जो स्टाफ प्रेस्क्राइब्ड है वह है :

प्रोफेसर	1
रीडर	1
डिमान्स्ट्रेटर	1
टीचिंग असिस्टेंट	1

क्या यह सही है कि इस प्रकार की रिपोर्ट विभाग के पास मौजूद है लेकिन उसको जानबूझ कर छुपाया जा रहा है ? इण्डियन मेडीकल कौंसिल की रिपोर्ट भी अगर आपके पास नहीं है तो आगे क्या कहा जाये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस रिपोर्ट को उपलब्ध कराने की कोशिश की गई, लेकिन विभाग के पास तो उपलब्ध नहीं है, कालेजेज में शायद हो सकती है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि फोरेन्सिक मेडीसीन एक सेपरेट सब्जेक्ट है और उसके लिये अलग से पेपर होता है ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : एम. बी.बी.,एस. के लिये अलग सब्जेक्ट है और अलग पेपर होता है ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या यह सही है कि युनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिये स्पेशल सब्जेक्ट है ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मैंने बताया न कि सब्जेक्ट है और अलग पेपर होता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि केवल इसी सब्जेक्ट के अन्दर रीडर और प्रोफेसर की कमी है, और दूसरे सब्जेक्ट्स में सभी में रीडर और प्रोफेसर हैं ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : फोरेन्सिक मेडीसन के प्रोफेसर राजस्थान में अवेलवल नहीं हैं। एक ही क्वालीफाइड रीडर अवेलवल हुआ, उसका अपाइमेंट कर दिया गया हैं। अब ज्यों ज्यों अवेलेवल होते जायेंगे, तो पद भरते जायेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास (टोंक) : अवेलेबिलिटी की बात आप कैसे कहते हैं ? क्या राज्य सरकार ने कभी इन पदों को एडवर्टाइज किया है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि दूसरे सब्जेक्ट्स के लिये, जैसे कि ट्युबरक्लोसिस, पेडियाट्रिक्स, रेडियालाजी आदि हैं, उनकी पढ़ाई फोरेन्सिक मेडिसन से कम होते हुए भी, उनके लिये प्रोफेसर, लेक्चरार, रीडर आदि सभी तरह के लोग मौजूद हैं, लेकिन मेडिकल जूरिस्ट के पद पर केवल एक एम. बी., बी. एस. आदमी को जिसके पास कोई स्पेशल क्वालीफिकेशन्स नहीं हैं, उसको रखा गया, जब कि स्पेशल क्वालीफिकेशन्स वाले डाक्टर भी मौजूद थे ? क्या यह सही है कि आज तक कभी भी राज्य सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा क्वालीफाइड आदमी को लेने की कोशिश नहीं की ? आप कहते हैं कि राजस्थान में क्वालीफाइड आदमी नहीं मिल रहे हैं, तो जब आप दूसरे विषयों के लिये बाहर से आदमी ले सकते हैं, तो इस सब्जेक्ट के लिये भी बाहर से क्वालीफाइड आदमी लेने में क्या आपत्ति है ? यह आप किस आधार पर कहते हैं कि क्वालीफाइड आदमी उपलब्ध नहीं हैं ?

श्री रा किशन (बैर) : अगर लोक सेवा आयोग को लिखते तो कभी का मिल गया होता।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : स्थिति यह है कि पहले भी इसके बारे में विधान सभा में सवाल आया था। केवल डाक्टर दुग्गड़ ही काम कर रहे थे, और एक मिस्टर शर्मा आये थे। उसके पश्चात् केवल एक व्यक्ति क्वालीफाइड हुए, मिस्टर माथुर जो कि रीडर की क्वालीफिकेशन्स रखते थे, उनको रीडर बना दिया।

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : अब जोधपुर में स्थान खाली हो गया।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : अब स्थिति यह है कि जो–जो स्थान रिक्त हैं उसके लिये पी. एस. सी. को लिख दिया गया है और लेक्चरार की जहां जगह नहीं है, वहां पर लेक्चरार की पोस्ट क्रिएट करने के लिये वित्त विभाग को लिखा गया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह राज्य सरकार किस आधार पर कहती है कि···

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि असिस्टेण्ट प्रोफेसर और लेक्चरार के पदों के लिये मिनीमम क्वालीफिकेशन्स एम. डी. या एम. एस. और साथ में दो

Page No 25

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

साल का अनुभव है? क्या राजस्थान के अन्दर ऐसे एम. डी., एम. एस. जिनका दो साल का अनुभव हो, उनकी कमी है? न तो आपने कभी पोस्ट्स क्रिएट कीं न कभी पी. एस. सी. को लिखा। अगर कभी एड-वर्टाइजमेंट निकाला होता, तो ही मालूम पड़ सकता था कि क्वालीफाइड आदमी मौजूद हैं या नहीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एम. एस. और एम. डी. करने वाले तो कई मिल जाते हैं, लेकिन पैथालाजी में होने चाहिये और दो साल का उस ब्रांच का अनुभव होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति पैथालाजी छोड़कर इधर नहीं आना चाहते।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आप एप्लीकेशन्स इनवाइट तो करिये। क्या यह सही है कि राजस्थान के अन्दर पांच मेडिकल कालेजेज में किसी भी कालेज के अन्दर फोरेन्सिक मेडिसन का प्रोफेसर नहीं है? क्या यह सही है कि केवल एस.एम.एस. मेडिकल कालेज के अन्दर एक रीडर की पोस्ट है और बाकी चारों मेडिकल कालेज में एक भी रीडर नहीं है? क्या यह भी सही है कि एस. एम. एस. मेडिकल कालेज के अन्दर कोई लेक्चरार की पोस्ट नहीं है और बाकी चार के अन्दर लेक्चरार की पोस्ट्स मौजूद हैं? यह जो पांचों कालेजों में अलग अलग तरह की व्यवस्था कर रखी है, कहीं लेक्चरार हैं तो रीडर नहीं और जहां रीडर है तो लेक्चरार नहीं। तो सभी जगहों पर एक ही प्रकार की व्यवस्था करने का क्या सरकार विचार रखती है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक एम. बी., बी.एस. और फारेन्सिक मेडिसन का सम्बन्ध है, रीडर और लेक्चरार वही हो सकते हैं जो एम. डी. की क्वालिफिकेशन रखते हों। यह बेसिक क्वालिफिकेशन है। अब राजस्थान में इस बेसिक क्वालिफिकेशन के आदमी न मिलने की वजह से यूनीवर्सिटी से एक्जेम्प्शन सीक किया जाता रहा है और यूनीवर्सिटी बराबर एक्जेम्प्शन देती रही है। इस वजह से काम चलता रहा है। अब जहां तक जयपुर का सवाल है, रीडर की पोस्ट यहां मौजूद है और लेक्चरार की पोस्ट का सृजन करने के लिए कार्यवाही चल रही है। बाकी सब जगह लेक्चरार की पोस्ट मौजूद है और जिसके होते हुए रीडर की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : एक भी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : बड़ा जरूरी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बहुत आवश्यक है, एक प्रश्न।

क्या यह सही है कि आज से पहले जितने मेडिकल जूरिस्ट काम कर चुके हैं, मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि वह मिनिमम क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते थे और फारेंसिक साइंस में एक्सपर्ट थे, या और एक्सट्रा क्वालिफिकेशन रखते थे?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं समझता हूं, यह प्रश्न बहुत बार विधान सभा में आ चुका है,

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
मैंने उस वक्त निवेदन किया था कि यूनीवर्सिटी से एक्जेम्प्शन सीक करके वह काम कर रहे थे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यूनीवर्सिटी से एक्जेम्प्शन सीक करने की क्या आवश्यकता थी ? क्या राज्य सरकार ने पोस्ट को एडवर्टाइज करके क्वालिफाइड व्यक्तियों को इस बात का मौका दिया कि वह एप्लाई कर सकें और यहां आकर प्रोफेसर की पोस्ट पर काम कर सकें, और काम पर लग सकें ? बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है।

श्री अध्यक्ष : कोई महत्व का सवाल नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक प्रश्न यह है कि रीडर की पोस्ट पर जो काम कर रहे हैं वह मैडिकल कालेज में काम कम करते हैं और अस्पताल में ज्यादा काम करते हैं और मेडिकल जूरिस्ट का काम करते हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, वह दूसरे......

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामकिशन : इसे तो पूरा हो जाने दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान में इस क्वालीफिकेशन के आदमी मौजूद हैं जो इस पोस्ट पर नियुक्त किये जा सकते हैं ? इस कारण, क्या यह सही है कि मैडिकल विभाग ने इस प्रकार के पद पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में फाइनेन्स डिपार्टमेंट को सिफारिश की थी ? क्या यह सही है कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने यह कह कर मामले को वापिस लौटा दिया कि मैडिकल विभाग के मंत्री महोदय हैं वह व्यक्तिगत मामलों की पैरवी करते हैं इसलिए इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह प्रिविलेज्ड डाक्यूमेंट है। यह आपको कैसे पता लगा कि क्या कहा, क्या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह : प्रिविलेज किस बात का है ? है क्या ? आप कह दीजिये कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने यह नहीं कहा कि व्यक्तिगत मामलों की मंत्री महोदय पैरवी करते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : प्रश्न विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न विचाराधीन बता रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या विचाराधीन है ? मैडिकल के मिनिस्टर आवश्यकतानुसार सिफारिश करते हैं कि दो व्यक्तियों की जरूरत हैं उसके लिए दो आदमी क्वालि-फाइड मौजूद हैं, इनको नियुक्त किया जाय, और क्योंकि फाइनेन्स मिनिस्टर और इनके बीच में झगड़ा है, इसलिए वह यह लिखकर वापिस भेजते हैं कि मंत्री महोदय व्यक्तिगत मामलों की पैरवी कर रहे हैं, इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह नहीं लिखा कि व्यक्तिगत मामलों की पैरवी करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : फिर क्या लिखा ?

श्री अध्यक्ष : झगड़ा भी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: वित्त मंत्री जी ने यह लिखा है, यह नोट लिखा है·····

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। झगड़ा तो नहीं है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कोई झगड़ा नहीं है। इन्हें समझा दूंगा मैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, इंडियन मेडिकल कौंसिल का पत्र उपलब्ध नहीं है, यह कहा। तो जिस पत्र का मैंने उल्लेख किया है, उसके अन्दर जिस प्रकार की क्वालिफिकेशन निर्धारित की हैं और राजस्थान सरकार को इंडियन मेडिकल कौंसिल ने जो सिफारिश की है, उन सिफारिशों को आप मानने के लिए बाध्य हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(शेष तारांकित के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखिये।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत, समिति सुमेरपुर के विकास अधिकारी का पद

325. **श्री पृथ्वीसिंह चौहान (बाली):** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सुमेरपुर पंचायत समिति में शुरू से ही विकास अधि-कारी की नियुक्ति आई. ए. एस. केडर के व्यक्ति की ही की जाती है और उसके पश्चात् आर. ए. एस. केडर के व्यक्ति भी लगाये गये ?

(2) क्या यह सही है अब इस स्थान ए. ई. ओ. केडर के व्यक्ति को लगाया गया है ? जिससे प्रशासन में बड़ी शिथिलता पड़ गई है और समिति का कार्य सुचारु रूप से नहीं चल पा रहा है ?

(3) क्या सरकार इस समिति के प्रशासन के हितों को ध्यान में रखते हुए, किसी प्रशासनिक योग्यता वाले व्यक्ति को पुन: नियुक्त करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। समय समय पर आवश्यकतानुसार विभिन्न सेवाओं के अधि-कारी नियुक्त किए गए हैं।

(2) यह सही है कि वर्तमान विकास अधिकारी कृषि अधीनस्थ सेवा के है परन्तु यह सही नहीं हैं कि इससे प्रशासन व अन्य कार्यों में शिथिलता आयी है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

विसुन्दनी बांध

326. **देवीलाल बुरासिया (केकड़ी):** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि केकडी पंचायत समिति क्षेत्र में विसुन्दनी बांध का निर्माण कराया जा रहा है ?

(2) अगर हां, तो क्या यह योजना आयोग द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार बनाया जा रहा है ?

(3) उक्त बांध का निर्माण कब तक पूरा करवा दिया जावेगा ?

(श्री देवीलाल बुरासिया)

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्माण कार्य पर सरकार द्वारा कार्यरत मजदूरों की एवं ठेकेदार द्वारा कार्यरत मजदूरों की मजदूरी में काफी अन्तर है।

उत्तर

(1) जी हां,

(2) जी नहीं। क्योंकि यह लघु सिंचाई योजना है। आयोग की स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) आवश्यक वित्तीय प्रावधान मिलने पर कार्य को 4 वर्ष में पूरा किया जा सकेगा।

(4) सामान्यतः विभाग मजदूरों को दैनिक मजदूरी पर लगाता है और ठेकेदार काम के नाम पर मजदूरी देता है। अतः दोनों की तुलना सम्भव नहीं है।

ग्राम पांचोलास में मिडिल स्कूल

327. **श्री चुन्नीलाल (खण्डार)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या तहसील सवाई माधोपुर के ग्राम पांचोलास के अन्दर सरकार की तरफ से प्राईमरी स्कूल चलता है?

(2) क्या उक्त ग्राम में मिडिल स्कूल खोलने के लिए भवन की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है?

(3) क्या शिक्षा की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए उक्त पिछड़े हुए ग्राम में कम से कम मिडिल स्कूल का होना आवश्यक है?

(4) क्या सरकार शिक्षा के महत्व को देखते हुए उक्त ग्राम में मिडिल स्कूल खोलने की योजना रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) छात्रों की संख्या एवं भवन के अभावों के कारण इस शाला को क्रमोन्नत करने की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है।

(4) भविष्य में शिक्षा के प्रसार के उचित समय पर इस प्रश्न पर भी गुणावगुण के आधार पर विचार किया जावेगा।

टोडारायसिंह अस्पताल भवन

328. **जगन्नाथ पटेल (टोडारायसिंह)**: क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कस्बा टोडारायसिंह के अस्पताल भवन का निर्माण किस वर्ष में हुआ?

(2) क्या यह सत्य है कि भवन बहुत पुराना व जीर्ण-शीर्ण हालत में है?

(3) इस भवन की क्या क्या मरम्मत कब कब की गई व कितनी राशि खर्च की गई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) कस्बा टोडारायसिंह की आबादी कितनी है? क्या यह भी सही है कि आस-पास के गांवों के निवासी भी इस अस्पताल से लाभ उठाते हैं?

(श्री जगन्नाथ पटेल)

(5) क्या यह सत्य है कि अस्पताल में दवाइयों आदि की बहुत कमी रहती है व मरीजों को पूरी दवाइयां नहीं दी जाती हैं ? यदि हां, तो इतनी बडी आबादी वाले कस्बे तथा आस पास के गांव वालों को जो असुविधा हो रही है इस कारण और धनराशि का प्रावधान कर और ज्यादा सुविधा देने का सरकार का विचार है ? गत पांच वर्षों में दवाओं पर कितनी राशि खर्च की गई ?

(6) इस अस्पताल में कुल कितना व किस किस श्रेणी का कौन कौन सा स्टाफ स्वीकृत है ? क्या सरकार को विदित है कि जन संख्या तथा बीमारों की संख्या को देखते हुए स्टाफ अपर्याप्त है ? यदि हां, तो इस कमी को कब तक व कैसे दूर किया जावेगा ?

(7) क्या सरकार का इरादा यहां रोगियों के लिए एक एम्बुलेंस गाड़ी भिजवाने का है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(8) इस अस्पताल में कितने बेड्स की व्यवस्था है तथा आबादी तथा बीमारी की संख्या को देखते हुए यहां सरकार और बेडस बढाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह अस्पताल राजस्थान बनने से पूर्व से इस भवन में सन् 1927 से चल रहा है।

(2) जी हां, किन्तु जीर्ण-शीर्ण हालत में नहीं है।

(3) भवन की मरम्मत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा होती रही है जिसकी सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है। इस विभाग द्वारा मरम्मत एवं सफेदी हेतु सन् 1967–68 में 400/– रु., सन् 1969–70 में रु0 500/– एवं सन् 1970-71 में रु0 400/– स्वीकृत किये गये।

(4) टोडारायसिंह की आबादी सन् 1961 की जनसंख्या के अनुसार 9008 है। इस अस्पताल के पास के गांवों के लोग इससे लाभ उठाते हैं।

(5) जी नहीं। गत पांच वर्षों से दवाइयों पर किये गये खर्चे का निम्न प्रकार है:—

सन् 1966–67	2800/–
सन् 1967–68	2800/–
सन् 1968–69	2944/–
सन् 1969–70	4560/–
सन् 1970–71	3282/–

(6) इस अस्पताल के स्वीकृत स्टाफ व कार्यरत का व्योरा निम्न प्रकार है:—

क्र0 सं0	पद	स्वीकृत	कार्यरत
1.	डाक्टर	1	1
2.	कम्पाउण्डर श्रेणी 2	1	1
3.	कम्पाउण्डर श्रेणी 3	1	1
4.	मिडवाइफ	1	1
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	3

Page No 30

(चिकित्सा मंत्री)

सन् 1970 के रोगियों की दैनिक औसत संख्या आउटडोर 59 व इण्डोर 3 है जिसके अनुसार यहां स्टाफ पर्याप्त है ।

(7) यह माप दण्ड में नहीं आता है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

(8) वर्तमान समय में इस अस्पताल में 20 रोगी शैय्याओं की व्यवस्था उपलब्ध है जो दैनिक रोगियों की संख्या व आबादी के अनुसार पर्याप्त है

घग्घर के पानी का उपयोग

331. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंजाब सरकार के साथ में राजस्थान सरकार का घग्घर के पानी के उपयोग के सम्बन्ध में कोई समझौता किया गया था ?

(2) यदि हां, तो कब हुआ था और क्या समझौता हुआ था ?

(3) उस समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखी जावे ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) सन् 1959 में । समझौते की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(3) समझौते की सम्बन्धित धारा की प्रति संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ठ 6 देखिये)

ओलावृष्टि से क्षति

332. श्री हरिबल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गई साल उन्हालू की फसल में ओलावृष्टि के कारण जिला सवाई माधोपुर की किस किस तहसील के किन-किन ग्रामों में लगान माफ किया गया तथा किन-किन ग्रामों में उस साल लगान वसूली स्थगित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या सरकार ने इस क्षति की फाइनल रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस निर्णय की अधिसूचना राज-पत्र में कब प्रकाशित की है ?

उत्तर

(1) गई साल उन्हालू की फसल में ओलावृष्टि के कारण जिला सवाई माधोपुर ने निम्न तहसील के ग्रामों में जिलाधीश द्वारा लगान में छूट दी जा चुकी है:—

वामनवास	5 ग्राम
गंगापुर	12 ग्राम

इसके अतिरिक्त निम्न तहसीलों के ग्रामों में लगान की वसूली स्थगित की गई है। तहसील सवाई माधोपुर के 67 ग्राम

नाथोती	17 ग्राम
बोंली	42 ग्राम

सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) जी हां । लगान स्थगित कर

Page No 31

(अकाल सहायता मंत्री)
दिये जाने के बाद अभाव स्थिति की घोषणा करना आवश्यक नहीं समझा गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है।)

दोसा–लालसोट सड़क पर लगे बिजली के लट्ठे

333. **श्री किशनलाल वर्मा** (सिकराय): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे––

(1) दौसा से लालसोट जाने वाली सड़क पर जो बिना तार खींचे बिजली लगाने के लट्ठे लगे हुए हैं वे कितने रुपये की लागत के हैं।

(2) ये बिजली लगाने के लट्ठे वहां कब से बेकार लगे हुए हैं ?

(3) क्या इनका कोई उपयोग न होने से सरकार का व जनता का नुकसान नहीं हो रहा है?

(4) क्या सरकार इन बेकार लट्ठों पर बिजली के तार खेंचकर व क्षेत्र का विद्युतिकरण कर इनका कोई सदुपयोग करने की योजना रखती है ? यदि इस प्रकार की कोई योजना है, तो वह कब से चालू होगी ?

उत्तर

(1) लगभग 25,000) रु. के।

(2) करीब 18–19 वर्षों से।

(3) जी हां, कुछ खम्भों का उपयोग अभी तक नहीं किया जा सका है।

(4) अभी तक इस क्षेत्र के और गांवों के विद्युतिकरण की योजना नहीं बनी है तथापि, इन खम्भों के उपयोग की सम्भावनाओं की खोज की जा रही है।

रायपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान विषय की पढाई

335. **श्री बद्री प्रसाद गुप्ता** (बानसूर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे––

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के डिप्टी मिनिस्टर पिछले साल तारीख 28-2-1970 को दौरे पर अलवर जिले के रायपुर कस्बे में गये और वहां के हायर सेकेन्डरी स्कूल में साइन्स क्लास खोलने का आश्वासन दिया ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या सरकार इस साल इस स्कूल में विज्ञान की कक्षा खोलने का कष्ट करेगी?

उत्तर

(1) जी हां, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामपुर में साइन्स क्लास खोलने की मांग पर विचार करने के लिए कहा।

(2) अन्य ऐसे प्रस्तावों के साथ गुणाव गुण के आधार पर इस पर भी विचार किया जावेगा।

रोडवाल बस स्टेण्ड पर रुकने वाली बसें

338. **श्री अमीलाल यादव** (बहरोड़): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे––

(श्री अमीलाल यादव)

(1) क्या यह सही है कि रोढवाल ग्राम बाजरीकला एवं ग्राम कान्हावास माजरी के बीच में बहरोड से कुंड रोड पर स्थित है। और इन दोनों स्थानों से तीन मील से अधिक की दूरी पर है ?

(2) क्या यह सही है कि वहां की जनता की तकलीफ को दृष्टि कोण में रखते हुए बहरोड से कुछ रैवाड़ी इटेली जाने वाली बसों का बस स्टेण्ड होने की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या बस रोडवाल स्टेण्ड पर रुकती है ? यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

(3) क्या स्टेण्ड जरूरी नहीं है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम रोडवाल, बहरोड कुण्ड रैवाडी बस का मार्ग पर स्थित नहीं है। यह गांव सड़क से करीब 2–3 मील की दूरी पर स्थित है। यह सही है कि यह ग्राम माजरीकलां व कान्हावास के बीच में करीब 3–4 मील की दूरी पर स्थित है।

(2) जी नहीं। रोडवाल ग्राम पर बस स्टेण्ड कायम करने की कोई स्वीकृति नहीं हुई है क्योंकि ग्राम रोडवाल बस मार्ग पर स्थित नहीं है।

(3) रोडवाल ग्राम की सड़क जिस स्थान पर बहरोड-कुण्ड-रेवाडी बस मार्ग पर मिलती है, वहां पर इस मार्ग की बसों के यात्रियों की सुविधा के लिए रोकने के आदेश दिए गये हैं, जिससे कि वहां की जनता को असुविधा न हों।

स्थगित प्रश्न

(29–3–11 व 12–4–71)

पंचायत समिति, छबडा की बकाया राशि

134. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छाबडा): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि छबडा पंचायत समिति की बहुत बड़ी रकम तकावी लोन पंपिंग सेट्स के लोन व खाद के बीज के लोन के रूप में बकाया है ? यदि हां, तो कुल कितनी रकम बाकी है तथा किन किन लोगों पर कितने समय से बाकी चली आ रही है ?

(स्थगित किया गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

फसलों को जंगली जानवरों से क्षति

322. श्री बृजबल्लभ बोहरा (दीगोद): क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे—

(1) गेम सेंचुरी में ग्राम बनाकर रहने वाले लोगों को क्या क्या सुविधाएं सरकार ने दे रखी हैं ?

(2) क्या यह सही है कि गेम सेंचुरी में रहने वाले किसानों की फसल को जंगली जानवर बरबाद कर देते हैं और किसान उन्हें आवाज करके भगा नहीं सकता ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) चराई तथा वन उपज प्राप्त करने की जो सुविधाएं सेंचुरी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को उपलब्ध होती हैं वे सेंचुरी में स्थित ग्रामवासियों को भी दी जाती हैं।

(वन मंत्री)

(2) फसल बरबाद होने की सूचना नहीं है। किसान वन्य पशुओं को आवाज करके भगा सकता है। चूंकि संतुरी क्षेत्र में किसान अपने खेतों की बाड लगाकर रक्षा कर लेते हैं अतः अन्य व्यवस्था की अभी आवश्यकता नहीं है।

वन विभाग की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

323. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि अलवर के बाला किले के पीछे माच (निनाणी) में वन विभाग की करीब 50–30 बीघा भूमि पर श्री मोहनलाल पुत्र श्री जयराम गूजर अलवर ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो वन अधिकारियों द्वारा अभी तक इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। अन्य प्रश्न नहीं उठते।

मुआवजे की बकाया

334. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व इस्तमरारदार अजमेर के वन सम्बन्धी मुआवजे देने बाकी हैं? यदि हां, तो किन किन के और कितनी धनराशि बाकी है?

(2) क्या यह सही है कि कुछ भूतपूर्व इस्तमरारदारों को यह मुआवजा दे दिया गया है? यदि हां, तो वे कौन कौन हैं व कितना कितना मुआवजा दिया गया है?

(3) जिनके अभी तक मुआवजे नहीं दिये गए हैं उनको नहीं चुकाने के क्या कारण हैं और जिन्हें चुका दिये गये हैं उनके क्या आधार रहे हैं?

(4) क्या सरकार बाकी के इस्तमरारदारों को वन का मुआवजा देने का विचार नहीं रखती है? यदि हां, तो क्यों नहीं? यदि देना चाहती है तो कब तक तय कर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। खरवा, गोयला, भिनाय, अरयड, सावर तथा पिसांगन के इस्तमरारदारों को वन संबंधी मुआवजा नहीं दिया जा सका है। मुआवजे की कितनी राशि बाकी है यह बताना संभव नहीं है चूंकि मुआवजे की राशि किस आधार पर चुकाई जावे यह निश्चित नहीं हुआ है।

(2) जी हां। भूतपूर्व इस्तमरारदार बांदनवाड़ा को 13411/- रु. 58 पैसे तथा मसूदा को 9934/-रु. 75 पैसे मुआवजा चुकाया गया है।

(3) मुआवजे का वितरण करते समय वन प्रबन्ध का क्या क्या व्यय काटा जावे इस संबंध में स्पष्ट निर्णय नहीं होने के कारण शेष इस्तमरारदारों को मुआवजा वितरण नहीं हो सका। जिनको चुकाया गया है वह अजमेर फोरेस्ट रेग्युलेशन 1874 के प्रावधान के अनुसार स्टाफ व्यय काट कर चुकाया गया है।

(4) मुआवजा वितरण करने के लिए स्पष्ट आधार का निर्णय हो जाने पर

(वन मंत्री)

बाकी इस्तमरारदारों को तदनुसार मुआवजा वितरण किया जा सकेगा। इस संबंध में महालेखाकार तथा राज्य सरकार के बीच पत्र व्यवहार चल रहा है तथा शीघ्र ही निर्णय लिया जावेगा।

परिवार नियोजन केन्द्रों पर कर्मचारियों को सुविधाएं

325. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कठूमर पंचायत समिति क्षेत्र में कितने परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये हैं और कहां कहां पर खोले गये हैं ?

(2) क्या परिवार नियोजन केन्द्रों के कर्मचारियों के लिये अपने केन्द्र चलाने के व रहने के लिए भवनों की व्यवस्था करदी गई है ?

(3) परिवार नियोजन में लगे चिकित्सकों व अन्य सहयोगी कर्मचारियों को ग्रामों में जाने के लिये वाहनों की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समिति कठूमर में निम्न स्थानों पर चार उप केन्द्र खोले गए हैं:–

(1) खेड़ली (2) तसाई (3) बड़ोदखान (4) कठूमर में ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र खोले गए।

(2) जी नहीं। कठूमर में ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र किराये के भवन में स्थित है। बाकी तीनों परिवार नियोजन उप केन्द्र जहां ए. एन. एम. तथा परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायक निवास करते हैं उन भवनों में चल रहे हैं। (1) खेड़ली, तसई व बड़ोदखान उप केन्द्रों के लिये भवन बनाने का कार्य चालू हैं।

(3) परिवार नियोजन केन्द्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सकों व अन्य सहयोगी कर्मचारियों को ग्रामों में कैम्पों के अवसर पर तथा आ. यू. सी. डी. के कार्य हेतु जिला परिवार नियोजन अधिकारी द्वारा वाहनों की व्यवस्था की जाती है। साधारणतया ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्रों के चिकित्सक सुविधानुसार वहां पर उपलब्ध वाहनों द्वारा ही ग्रामों में जाते हैं।

प्राइवेट उद्योगों में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार

326. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर)– **श्री रामकिशन** (बैर) :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

गत 5 वर्षों में नियोजन कार्यालयों द्वारा भिन्न भिन्न जिलों में कितने बेरोजगार व्यक्तियों को प्राइवेट उद्योगों में लगाया गया है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

गत 5 वर्षों में भिन्न भिन्न जिलों में 7848 बेरोजगार व्यक्तियों को नियोजन

(श्रम मंत्री)
कार्यालयों द्वारा प्राइवेट उद्योगों में लगाया गया है। जिलेवार सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

मेड़ता शहर का अस्पताल

327. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—:

(1) क्या यह सही है कि मेड़ता शहर का अस्पताल एक महत्वपूर्ण अस्पताल है एवं वहां रोगियों की दैनिक संख्या करीब 400 प्रतिदिन है ? कृपया गत 3 वर्ष की रोगी संख्या के प्रति साल के आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि करीब 3 वर्ष पूर्व एक सेठ द्वारा यहां जच्चा खाना बनवा दिया गया था ?

(3) क्या अस्पताल का महत्व समझते हुए सरकार वहां एक लेडी डाक्टर शीघ्र ही नियुक्त करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) मेड़ता शहर का अस्पताल साधारण अस्पताल है वहां पर प्रतिदिन करीबन 200 रोगी आते हैं। चाही गई सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) जच्चाखाने में लेडी डाक्टर का होना अनिवार्य नहीं है और न कोई स्वीकृत पद सृजन किया हुआ है। फिलहाल बगैर लेडी डाक्टर के काम चल रहा है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

जैसलमेर अस्पताल में शैय्या वृद्धि

328. श्री बालसिंह सोडा (जैसलमेर): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर अस्पताल में शैय्या वृद्धि करने की स्वीकृति होते हुए भी नहीं की गई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है पोकरण प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र को डिस्पेन्सरी में परिवर्तित करने के लिए विभाग ने अपनी राय दी है ? अगर हां, तो भविष्य में कब तक डिस्पेन्सरी की स्वीकृति दी जायेगी ?

(3) क्या यह सही है कि सांकड़ा पंचायत समिति में एक भी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र नहीं है ? अगर हां, तो सांकड़ा व फलूसुन्ड को राज्य सरकार चिकित्सा की क्यों नहीं व्यवस्था कर रही है ?

(4) क्या यह सही है कि सांगड़ प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र की स्वीकृति होने पर भी आज तक भवन निर्माण नहीं किया है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण है ? और चिकित्सा केन्द्र व झिझनियाली खुड़ी उपकेन्द्र कब तक बनाए जायेंगे ?

उत्तर

(1). केबीनेट निर्णय के अनुसार जैसलमेर के अस्पताल में 75 रोगी शैय्याओं की वृद्धि की जायेगी। अभी भवन निर्माण की स्वीकृति हुई है। भवन निर्माण कार्य पूरा होने पर अक्तूबर 1971 से शैय्याओं की वृद्धि की जाने का प्रावधान बजट 1971-72 में रखा गया है।

(चिकित्सा मंत्री)

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं। सांकड़ा पंचायत समिति का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पोकरण में कार्यरत है और इसके उप केन्द्र क्रमश: भिनयाना, फलुसूण्ड व खानुलाई है इसके अतिरिक्त भिनयाना में राजकीय डिस्पेन्सरी भी कार्यरत है।

(4) जी हां। राज्य सरकार की संशोधित स्वीकृति के अभाव में अब सरकार की स्वीकृति उनके पत्र क्रमांक एफ. 18 (47) चि. स्वा. 68 ग्रुप. 2, दिनांक 15-4-71 को प्रसारित हुई है। भवन निर्माण की कार्यवाही शीघ्र शुरू की जाकर इस वर्ष के अन्त तक समाप्त हो जावेगी। जिझनियावली खुड़ी उप केन्द्र का भवन पंचायत समिति द्वारा ही निर्माण करवाया जायेगा।

क्वार्टर्स की मरम्मत

329. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि बारां अस्पताल के पास जो कम्पाउन्डर्स व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के क्वार्टर्स हैं उनकी हालत बड़ी खराब है और उनमें बिजली व पानी के नलों की भी व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो इन क्वार्टर्स की मरम्मत कराने एवं बिजली व पानी की व्यवस्था कराने में कितना रुपया खर्च होगा और कब तक ठीक हो जायेगा ?

उत्तर

चिकित्सालय के कम्पाउण्डर्स की हालत सन्तोषजनक है। इनमें बिजली व पानी की व्यवस्था है, केवल चार क्वार्टर्स में बिजली उपलब्ध नहीं है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के क्वार्टर्स की मरम्मत हो चुकी है। इन क्वार्टर्स में पानी के लिए एक कामन नल लगा हुआ है। इनमें बिजली की व्यवस्था नहीं है। इनमें अलग से बिजली व पानी के कनेक्शन की व्यवस्था के लिए एस्टीमेट सार्वजनिक विभाग द्वारा तैयार किये जा रहे हैं। एस्टीमेट प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही करना सम्भव होगा।

निरीक्षकों एवं सहायक निरीक्षकों के नियुक्ति संबंधी नियम

330. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या आबकारी एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. वाणिज्य कर विभाग तथा आबकारी विभाग में निरीक्षकों एवं सहायक निरीक्षकों की नियुक्ति सम्बन्धी नियम क्या हैं ?

2. उक्त पदों पर किन किन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है और अब तक किन किन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को उक्त पदों पर नियुक्त किया गया है ?

3. क्या पदोन्नतियों से भी उक्त पद भरे जा सकते हैं ? यदि हां, तो उक्त पदों पर किस किस पद वाले व्यक्तियों को पदोन्नत किया जा सकता है ?

(आबकारी एवं कर मंत्री)

उत्तर

1. वाणिज्यिक कर विभाग तथा आबकारी विभाग में निरीक्षकों की नियुक्ति संबंधी पृथक् नियम नहीं हैं, अपितु निरीक्षकों के पद पर राजस्थान सबोर्डिनेट सर्विसेज (रिक्रूटमेन्ट एण्ड अदर कन्डीशन्स) नियम, 1960 के अन्तर्गत नियुक्तियां की जाती हैं। उक्त विभागों में सहायक निरीक्षकों के कोई पद नहीं हैं।

2. उक्त पदों पर निम्न तरीकों से नियुक्ति की जा सकती है :-

क. वाणिज्यिक कर विभाग एवं आबकारी विभाग के आयुक्तों द्वारा निर्मित विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा चयन करें।

ख. दूसरे विभागों के समकक्ष पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को ट्रान्सफर करके।

ग. किसी संस्था, जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया है, के कर्मचारियों को विलय करके बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी की सेवा 3 वर्ष से अधिक हो।

घ. सबोर्डिनेट सर्विस के जूनियर पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को सीनियर पदों पर पदोन्नति देकर।

ङ. (1) वाणिज्यिक कर विभाग में अब तक खाद्य व रसद विभाग, चुनाव विभाग, भेड़ व उन विभाग, कृषि विभाग, के सुपरवाइजर, ग्रेन प्रोक्यूरमेन्ट आफिसर, सांख्यिकी एवं आर्थिक विभाग के इन्वेस्टीगेटर्स, उद्योग, एवं नागरिक रसद विभाग के उद्योग प्रसार आबकारी, विभिन्न विभागों के निरीक्षक जैसे-निरीक्षक बाट एवं माप, नगरपालिका, जागीर विभाग, श्रम एवं रोजगार विभाग, उद्योग एवं रसद, सहकारी विभाग, राजस्व मंडल के टेक्नीकल सहायक, सहकारी विभाग के फील्ड पब्लीसिटी आफिसर, स्वास्थ्य सेवायें विभाग, (परिवार नियोजन) के ब्लाक एक्सटेन्शन एज्यूकेटर, शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय प्रसार अधिकारी, सहायक अध्यापक व जांच सहायक के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को उक्त पदों पर नियुक्त किया गया है।

(2) आबकारी विभाग में अब तक सहकारी विभाग, खाद्य विभाग एवं कृषि विभाग के निरीक्षकों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को उक्त पदों पर नियुक्त किया गया है।

(3) जी हां, प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी के निरीक्षकों के पदों पर क्रमशः द्वितीय श्रेणी व तृतीय श्रेणी के निरीक्षकों को पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उक्त नियमों के नियम 19 के अन्तर्गत नियुक्तिकर्ता अधिकारी निरीक्षक के रिक्त पद पर (जो सीधी भर्ती से भरा जाना है।) एक वर्ष के लिये नियमों के अधीन निर्धारित अर्हता (eligibility) प्राप्त कर्मचारी को नियुक्त कर सकता है।

गंग कैनाल से भूमि को पानी

331. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

Page No 38

(श्री हंसराज आर्य)

1. गंग कैनाल में 2720 क्यूसेक के स्थान पर कितना पानी चल रहा है और उसकी किस शाखा में कितने प्रतिशत भूमि कमाण्ड हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

2. भाखरा में कुल 1000 क्यूसेक के बजाय कितना पानी चल रहा है और उसकी शाखाओं पर कितने प्रतिशत सिंचाई हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

3. राजस्थान कैनाल में कितना पानी चल रहा है और उसकी शाखाओं में कितने प्रतिशत सिंचाई हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

4. गंग कैनाल, भाखरा, राजस्थान नहर और घग्घर फ्लड के पानी से कुल कितनी भूमि की दोनों फसलों में सिंचाई हुई है ? फसलवार सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

1. औसतन 1956 क्यूसेक्स चालू रबी में रोजाना अब तक चलता रहा है। इस समय 1100 क्यूसेक्स ले रहा है। सूची 'अ' संलग्न है।

2. औसतन 1250 क्यूसेक्स चालू रबी में चलता रहा है। इस समय 1450 क्यूसेक्स चल रहा है। सूची 'ब' संलग्न है।

3. राजस्थान नहर में इस समय करीब 1900 क्यूसेक्स पानी चल रहा है राजस्थान कैनाल की दो शाखाओं के निम्नांकित प्रतिशत सिंचाई हुई।

(1) अनूपगढ़ शाखा 25 प्रतिशत

(2) सूरतगढ़ शाखा 70 प्रतिशत

4. सूची 'स' एवं 'द' संलग्न हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

राजस्थान कैनाल से हरियाना को पानी

332. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर): क्या राजस्थान कैनाल परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

1. क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल का पानी हरियाना को दिये जाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कुल कितना क्यूसेक पानी हरियाना को दिया जावेगा ?

2. क्या यह सही है कि राजस्थान के हिस्से का सतलज नदी का पानी पाकिस्तान में जा रहा है ? यदि हां, तो कुल कितना पानी पाकिस्तान में जाता है और कब तक जाता रहेगा ?

उत्तर

1. जी नहीं।

2. जी नहीं।

बारां पावर हाउस

333. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

1. क्या यह सही है कि राजस्थान विद्युत मण्डल ने जब से बारां के पाव

(श्री देवीदत्त गाडिया)
हाउस को नगरपालिका से अपने हाथ में लिया है तब से लेकर अब तक बारां नगरपालिका को पावर हाउस से सम्बन्धित उसकी बकाया धनराशि नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

2. बारां नगरपालिका को किस किस प्रकार से कितनी कितनी रकम देनी है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

3. क्या यह सही है कि बारां नगरपालिका ने राजस्थान विद्युत् मण्डल को इस सम्बन्धी धनराशि जमा कराने हेतु कई बार पत्र आदि भेजे हैं? यदि हां, तो उस पर क्या-क्या कार्यवाही की?

उत्तर

1. जी नहीं, बारां पावर हाऊस की सम्पत्ति के पेटे, बारां नगरपालिका की सहमति से 2 लाख रुपये का तदर्थ भुगतान मई 1965 में राज्य सरकार को, पालिका को दिये गये ऋण के समायोजन हेतु, कर दिया गया था।

जिलाधीश, कोटा द्वारा किया गया भूमि का मूल्यांकन देर से प्राप्त होने तथा भवनों के सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं विद्युत् मण्डल द्वारा किये गये मूल्यांकनों में मतैक्य देर से होने के कारण, अन्तिम भुगतान अभी तक नहीं किया जा सका।

2. बारां नगरपालिका की सम्पत्ति के मूल्यांकन से कुल देय राशि 2,77,919.70 रुपये होती है जिसमें से 2 लाख रुपये का भुगतान किये जाने के बाद शेष रकम का भुगतान करना है। ब्योरा सूची 'ए' पर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

3. जी हां, राज्य सरकार के बकाया ऋण व उस पर ब्याज की रकमों की नवीनतम सूचना देने हेतु विद्युत् मण्डल ने सरकार व नगरपालिका को पत्र लिखा है तथा वांछित सूचना प्राप्त होने पर बकाया रकम का समायोजन करके शेष राशि का भुगतान शीघ्र कर दिया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

विद्युत् से वंचित तहसीलें

334. श्री नन्दलाल (किशनगंज): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. राजस्थान में कौन कौन से ऐसे तहसील क्षेत्र हैं जिनमें आज तक बिजली नहीं पहुंची है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

2. क्या यह सही है कि कोटा जिले की किशनगढ व शाहबाद तहसील क्षेत्र भी बिजली से वंचित हैं? यदि हां, तो क्या कारण है? स्पष्ट बताने का कष्ट करें।

3. क्या यह सही है कि किशनगंज क्षेत्र से 1 मील दूरी तक अटरू में राजस्थान की बिजली पहुच चुकी है?

4. क्या यह भी सही है कि शाहाबाद तहसील क्षेत्र से 4 मील दूरी कस्बा थाने के पास मध्य प्रदेश की बिजली गांवों में दी जा चुकी है? यदि हां, तो उक्त दो तहसील क्षेत्रों में बिजली नहीं देने का क्या कारण है?

(श्री नन्दलाल)

5. क्या यह क्षेत्र डाकू ग्रसित क्षेत्र है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस क्षेत्र को बिजली देने हेतु कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र को कब तक बिजली दी जा सकेगी ?

6. क्या यह सही है कि इस क्षेत्र का सर्वे कराया जा चुका है ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

1. जिन तहसील क्षेत्रों में आज तक बिजली नहीं पहुंची उनकी सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. जी हां। तकनीकी कारणों से ऐसा नहीं किया जा सका।

3. जी हां, ग्राम अटरू का विद्युतिकरण किया जा चुका है जो किशनगंज तहसील की सीमा के पास ही है ।

4. मध्य प्रदेश के ग्रामों के विद्युतिकरण के सम्बन्ध में विद्युत् मण्डल को जानकारी नहीं हैं। अतः प्रश्न नहीं उठता ।

5. डाकू ग्रसित क्षेत्र होने की जानकारी विद्युत् मण्डल को नहीं है। जी हां, ग्राम किशनगंज के विद्युतिकरण की सर्वे कराई गई है । अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

6. ग्राम किशनगंज तहसील किशनगंज के विद्युतिकरण के लिए सर्वे कराई जा चुकी है और स्कीम रिपोर्ट बनाई जा रही है ।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

भगवतगढ़ तहसील का विद्युतिकरन

335. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि भगवतगढ़ तहसील सवाई माधोपुर का एक बड़ा कस्बा है एवं कृषि उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है ? यदि हां, तो इस कस्बे में कृषि उत्पादन हेतु किस वर्ष विद्युत् लाइन डाली गई और अब तक कितने नल कूपों पर बिजली के कनेक्शन दिए जा चुके हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस कस्बे में रोशनी हेतु भी इस वर्ष लाइन डालना शुरू किया गया किन्तु चुनावों में इसे यकायक बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) इस कस्बे के कितने व्यक्तियों ने अपने मकानों में कनेक्शन लेने हेतु आवेदन-पत्र दिए और कितनों की रकम किस किस वर्ष जमा हो चुकी है ?

(4) इस कस्बे में विद्युतिकरण कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां–कृषि उत्पादन की जानकारी इस विभाग को नहीं है। भगवतगढ़ का विद्युतिकरण 30–3–66 को किया गया। अब तक इस ग्राम में 32 कुओं पर विद्युत् कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

(2) रोशनी हेतु विद्युत् का कार्य, जिन उपभोक्ताओं ने रकम जमा करा दी तथा अन्य विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर दी, उनके लिए चालू किया गया है। चुनावों

Page No 41

(विद्युत् मन्त्री)
के दरमियान इस कार्य को स्थगित नहीं किया गया।

(3) 101 व्यक्तियों ने तथा उनमें से 69 व्यक्तियों ने मांग पत्र की राशि वर्ष 70-71 में जमा करवाई।

(4) कस्बे का विद्युतिकरण तो 30-3-66 को ही कर दिया गया था। रोशनी हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने व नियमानुसार विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने पर कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है व की जाती रहेगी।

विद्युत् कनेक्शन हेतु सिक्योरिटी की राशि

336. **श्री फूलचन्द बाफणा** (सुमेरपुर): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) घरेलू विद्युत् कनेक्शन के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के मांग पत्र द्वारा सिक्योरिटी की राशि जमा कराते समय एल फार्म का साथ होना जरूरी है? क्या बिना एल फार्म के सिक्योरिटी जमा नहीं होती है? क्या फालना सहायक अभियन्ता श्री के. एल. नारंग के फालना आने से पूर्व बिना एल फार्म के सिक्योरिटी ली जाती थी? यदि हां, तो इन दोनों प्रणालियों में कौन सी प्रणाली नियमानुसार है? व कौनसी नियम के प्रतिकूल है?

(2) घरेलू स्थाई विद्युत् कनेक्शन में सिक्योरिटी के साथ क्या कोई मजदूरी ली जाती है? यह मजदूरी किस कार्य की ली जाती है? सर्विस लाइन खड़ी कर मीटर लगाने का कार्य बोर्ड द्वारा होता है या स्वयं उपभोक्ता को कराना होता है? क्या श्री रमणीक लाल शोभाचन्द जी सादड़ी (पाली) से मजदूरी के चार्जेज रु. 18 रसीद नं. 68 बुक नं. 5705 दिनांक 21-11-70 द्वारा वसूल किये गये? परन्तु फिर भी विद्युत् मण्डल ने सर्विस लाइन बनाने व मीटर लगाने का कार्य नहीं किया लेकिन स्वयं उपभोक्ता को अपने खर्चे से कराना पड़ा? क्या यह सब नियमानुसार हुआ?

उत्तर

(1) जी नहीं। बिना "एल" फार्म के सिक्योरिटी जमा हो सकती है। श्री नारंग के आने से पूर्व भी फालना सब डिवीजन में सिक्योरिटी के साथ में "एल" फार्म मांगा जाता था। "एल" फार्म सिक्योरिटी के साथ जमा कराना नियमों के अनुसार आवश्यक नहीं है फिर भी यदि जमा करा लिया जाय तो वह नियमों के प्रतिकूल भी नहीं है।

(2) जी हां। मजदूरी सर्विस लाइन खींचने के लिए व मीटर लगाने के लिये ली जाती है। सर्विस लाइन खड़ी करना व मीटर लगाने का कार्य बोर्ड करता है। श्री रमणीकलाल शोभाचन्द से सर्विस कनेक्शन चार्जेज व सिक्योरिटी ली गई थी और इनके यहां सर्विस लाइन व मीटर लगाने का कार्य मण्डल कर्मचारियों ने किया है। यह कार्य नियमानुसार हुआ है।

सिक्योरिटी की राशि लौटाने हेतु आवेदन-पत्र

337. **श्री फूलचन्द बाफणा** (सुमेरपुर): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा

(श्री फूलचन्द बाफणा)
करेंगे:–

(1) क्या सादड़ी (पाली) निवासी श्री सेरमल देवीचन्द जी ने अपने यहां जनवरी, 1968 में घरेलू टेम्परेरी विद्युत् कनेक्शन लिया था? क्या उसकी सिक्योरिटी वापस लौटाने हेतु एक आवेदन-पत्र मय सिक्योरिटी की असली रसीदों के साथ दिनांक 21-3-1970 को फालना आफिस में दिया था? क्या उसके बाद उन्होंने क्रमशः दिनांक 6-4-1970, 4-7-1970, 15-12-1970 व 23-1-1971 को पत्र देकर सिक्योरिटी लौटाने की मांग की थी? क्या यह सही है कि प्रार्थी को उसके किसी पत्र का प्रत्युत्तर नहीं दिया गया? उस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? ऐसा क्यों हुआ व अब उस पर कार्यवाही कब की जायगी?

(2) सादड़ी (पाली) निवासी विद्युत् उपभोक्ता श्री मिश्रीमल बागमल खाता नं. 2-1-37 ने अपना घरेलू विद्युत् कनेक्शन विच्छेद कराने का प्रार्थना-पत्र देकर विच्छेद फीस के 51/- रुपये कब जमा कराये थे? कनेक्शन काटने का आर्डर कब जारी किया गया? कनेक्शन काटकर मीटर कब हटाया गया? क्या मीटर हटाये जाने के बाद भी अभी तक उसका बिल बनता है? यदि हां, तो इन बिलों का क्या होगा?

उत्तर

(1) जी हां। जी हां। जी नहीं–उपभोक्ता को उनके 15-12-70 के पत्र के उत्तर में 16-1-71 को एक पत्र लिखा गया था। बची हुई धनराशि रिफन्ड करने के कागजात बनाकर लेखाधिकारी उदयपुर को भेजे जा चुके हैं। शीघ्र ही बची हुई सिक्योरिटी रिफण्ड करदी जावेगी।

(2) जी हां। 20-1-70 को कनेक्शन काटने का एक आर्डर 30-9-70 को जारी किया हुआ रिकार्ड में उपलब्ध होता है। लेजर के खाते में जुलाई 1970 में कनेक्शन काटने का रिमार्क उपलब्ध है। मीटर 4-10-70 को हटाया गया। मीटर हटाने के बाद में मार्च 1971 तक गल्ती से इनको मीटर के किराये का बिल जाता रहा है। यह राशि कन्जुमर ने भुगतान नहीं की है तथा विभाग अब इसे कन्जुमर से नहीं लेगा।

राज्य विद्युत् विकास योजना

338. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों में कितने नगरों एवं ग्रामों में विद्युतिकरण किया गया? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त नगरों एवं गांवों में विद्युत् को दृढ़ और प्रतिस्थापित क्षमता कितनी है? अलग अलग गांवों एवं नगरों का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि विद्युत् विकास की दृष्टि से बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले सब जिलों में पिछड़े हुये हैं?

Page No 43

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(4) यदि हां, तो उन क्षेत्रों को विद्युत् की दृष्टि से विकसित करने के लिये राज्य सरकार क्या योजना बना रही है? प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) फरवरी 71 के अन्त तक 2892 ग्रामों में। सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ग्रामवार दृढ़ और प्रतिष्ठापित क्षमता नहीं होती है, क्योंकि यह टर्मिनालाजी पावर हाउस की क्षमता के सम्बन्ध में ही काम में ली जाती है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी हां।

(4) इस सम्बन्ध में अभी कोई विशिष्ठ योजना नहीं बनाई गई है। प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

कंचननेर माइनर खेड़ली पर पुलिया का निर्माण

339. **श्री मजलिस खां (कामां)** : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि कंचननेर माइनर खेड़ली अलीमुद्दीन के बिलकुल मकानों के पास से निकाली गई है? क्या यह सही है कि उक्त ग्राम से कंचननेर को जो रास्ता जाता है वह माइनर को क्रास करता है?

2. क्या यह भी सही है कि ग्रामवासी उसी स्थान पर पुलिया का निर्माण चाहते हैं? क्या यह भी सही है कि उक्त स्थान पर निर्माण कार्य नहीं कराया जाकर पुलिया के लिये खाली छोड़ रखा है?

3. क्या यह भी सही है कि उक्त क्रास के दूसरी ओर पशुओं को पानी पिलाने का कच्चा तालाब है? यदि हां, तो क्या कारण है कि अब तक पुल का निर्माण नहीं कराया गया है?

4. क्या यह सही है कि यदि वर्षा-काल से पहले पुल का निर्माण नहीं कराया गया तो आबादी में पानी भर जाने का खतरा है? यदि हां, तो उक्त पुल को कब तक बनवा दिया जावेगा?

5. क्या यह सही है कि उक्त माइनर ग्राम कठोल के भी निकट से ही पास होती है और इसी प्रकार की कठिनाई वहां की ग्रामीण जनता को बगैर पुल के निर्माण के उत्पन्न हो गई है? यदि हां, तो वहां पर भी पुल का निर्माण वर्षा-काल से पूर्व ही करा दिया जावेगा?

उत्तर

1. जी हां।

2. जी हां।

3. जी हां, माइनर का कार्य चालू है तथा पुल का निर्माण जल्दी करा दिया जायेगा।

4. जी नहीं।

5. जी नहीं।

नगर परिषद् अजमेर के कल्याणीपुरा वार्ड नं. 29 को बिजली

340. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि नगर परिषद् अजमेर के कल्याणीपुरा वार्ड नं 29 में घर एवं कुओं पर बिजली की आवश्यकता है ? यदि हां, तो आज तक बिजली क्यों नहीं दी गई है ?

2. क्या यह सही है कि ग्रामवासियों ने 25 अथवा 30 कुओं एवं घरू बिजली के लिए प्रार्थना-पत्र भेजे हैं ? यदि हां, तो उन पर कब तक कार्यवाही होगी ?

उत्तर

1. जी हां, बिजली की आवश्यकता तो सब ही जगह होती है। कल्याणीपुरा के विद्युतिकरण की एक योजना वर्ष 1969–70 में बनाई थी जो लाभप्रद नहीं पाई गई।

2. विद्युत् मण्डल के अजमेर स्थित कार्यालय में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए। प्रश्न नहीं उठता।

खारी बांध तहसील आसीन्द

341. **श्री बलसिंह संढा** (जैसलमेर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि खारी बांध तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा एक पुराना बांध है और उसके पानी के आव बीच में छोटे छोटे बांध बंधने से कम हुई है ?

2. क्या यह भी सही है कि कई वर्षों से उपरोक्त बांध पूरा नहीं भरता है जिसके कारण किसान खेती से वंचित रहते हैं ? अगर हां, तो सरकार खारी बांध केच-मेन्ट एरिया में छोटे छोटे धोरे क्यों बंधवा रही है ? क्या भविष्य में सरकार अब नये बांध नहीं बनवायेगी और जो बांध पानी रोकने का काम करते हैं उनको हटायेगी ? अगर नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

1. जी, हां।

2. जी हां, परन्तु यह बांध पहिले से ही बने हुए हैं इसलिये तोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भीमसागर बांध झालावाड़

342. **श्री राम प्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भीमसागर बांध जिला झालावाड़ का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो अब तक कितना कार्य हो चुका है और यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

(2) इस बांध में कितने ग्राम डूब में आते हैं ? ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। इन गांवों

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
को पुनः कहां बसाया जावेगा व राज्य सरकार इस कार्य को कब शुरू करेगी ?

(3) क्या यह सही है कि असनावर ग्राम को नहीं हटाया जा रहा है जब कि यह ग्राम डूब में आता है ?

(4) डूब में आने वाले ग्रामों की जमीन का मुआवजा आदि देने का कार्य कब शुरू होगा और राज्य सरकार के पास इसकी योजना क्या है ?

उत्तर

(1) जी हां, अब तक इस पर लगभग 20 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं, इस बांध का निर्माण आवश्यक धनराशि की उपलब्धि पर आर्थिक वर्ष 1973-74 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

(2) इस बांध में कुल बारह ग्राम डूब में आते हैं जिनकी सूची संलग्न है। इस गांव के विस्थापितों को गांव कालिया खेडी, मदन पूरिया तथा तहसील अकलेरा की भूमि में बसाया जायेगा। इस कार्य को इसी वर्ष चालू किये जाने की सम्भावना है।

(3) जी नहीं।

(4) डूब में आने वाले ग्रामों की जमीन का मुआवजा आदि देने का कार्य चालू वित्तीय वर्ष 1971-72 में शुरू कर दिया जायेगा। डूब में आने वाले ग्रामों को दूसरी जगह बसाया जायेगा तथा उचित मुआवजा दिया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

केकडी पंचायत समिति के ग्रामों का विद्युतिकरण

343. श्री देवीलाल बुरासिया (केकडी) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) केकडी पंचायत समिति के कितने ग्रामों का विद्युतिकरण किया गया है ?

(2) कितने ग्रामों में बिजली पहुँचा दी गई है और बाकी में नहीं पहुँचाने का क्या कारण है ?

(3) केकडी पंचायत समिति के कितने ग्रामों का और विद्युतिकरण करने बाबत विद्युत बोर्ड के समक्ष जिला परिषद् एवं पंचायत समिति से प्रस्ताव प्राप्त हुए और उन पर क्या विचार किया गया है ?

उत्तर

(1) पांच ग्रामों का।

(2) उपरोक्त सभी ग्रामों में बिजली पहुँचा दी गई है। प्रश्न नहीं उठता।

(3) सितम्बर 1970 में 19 ग्रामों के विद्युतिकरण हेतु जिला कृषि उत्पादन समिति ने सिफारिश की हैं। इनमें से अब तक छः ग्रामों का सर्वे किया जाकर स्कीम रिपोर्ट बनाई जा चुकी है जो लाभप्रद नहीं पाई गई।

यात्री बसें चलाने हेतु मांग

344. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम ग्राम करडा कूड़ा मांग धानेरा तक यात्री बसें

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

शीघ्र चलाने हेतु यात्रियों की मांग काफी अर्से से की जा रही है ? अगर हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा यात्री बसें चलाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि अभी तक उक्त मार्ग पर यात्री बसें चलाने के परमिट नहीं दिये गये हैं ? अगर हां, तो क्यों ? अब उक्त मार्ग पर एस. टी. ए. द्वारा कब तक परमिट्स दिए जाकर यात्री बसें यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू करा दी जावेंगी ?

(3) इन्टर-स्टेट मार्गों पर यात्री बसें चलाने के लिए सरकार की क्या नीति है ? इस नीति के तहत अब तक अन्तर्राज्यीय कहां यात्री बसें चलाई जाती हैं ? इस सुविधा को ज्यादा बढाने के बारे में सरकार क्या सोच रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य परिवहन प्राधिकरण को ग्राम आवकंड–कूडा मांग धानेरा तक यात्री बसें चलाने के लिए कोई सुझाव-प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) जी हां। आवेदन पत्र नहीं होने के कारण राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा इस हेतु आवेदन प्राप्त होने पर परमिट दिये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) अन्तर्राज्यीय मार्गों पर सम्बन्धित राज्यों से हुए पारस्परिक समझौते के अनुसरण में अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाते हैं। समय-समय पर मार्गों का सर्वेक्षण कराया जाता है व पारस्परिक समझौते संशोधित किये जाते हैं। वर्तमान में राजस्थान पंजाब, राजस्थान–हरियाणा, राजस्थान–दिल्ली, राजस्थान–उत्तरप्रदेश राजस्थान–मध्यप्रदेश एवं राजस्थान–गुजरात के बीच पडने वाले कुल 183 अन्तर्राज्यीय मार्गों पर बसें चल रही है। अन्तर्राज्य मार्ग खोलने के लिए सुझाव आने पर रूट का पहले सर्वे करवाया जाता है और सम्बन्धित राज्य से सहमति प्राप्त करने के बाद उसको खोलने के लिए कार्यवाही की जाती है।

दौसा से सिकन्दरा विद्युत् लाइन

345. श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) दौसा सिकन्दरा जाने वाली बिजली की लाइन के पास गांव रेटा, दुब्बी कैलाई, भोजपुरिया व गिरधरपुरा को जो बिल्कुल नजदीक पड़ते हैं, क्या राज्य सरकार बिजली देने की कोई योजना रखती है ?

(2) क्या इन गांवों को सिकन्दरा में बने इलेक्ट्रीसिटी सब-स्टेशन से बिजली दी जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या इन गांवों को जो बिजली की लाइन दौसा से करीब गांव कालाखो तक गई है उसे और पूर्व की ओर बढ़ाया जाकर बिजली देने का सरकार का कोई विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) अभी कोई योजना नहीं बनाई गई है। इनमें से ग्राम रेटा, दुब्बी, केलाई

(विद्युत् मंत्री)
व गिरधरपुरा को जिला उत्पादन समिति ने प्रस्तावित किया है जिनका अभी तक सर्वे नहीं कराया जा सका है।

(2) सर्वे करने के पश्चात् ही बताया जा सकता है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

(3) अभी इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम रावतगढ़ के रेस्ट हाउस के पास की भूमि की पैदावार

346. श्री केशरी सिंह हाडा (हिन्डौली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सिंचाई विभाग बून्दी के अधीन ग्राम रावतगढ़ के रेस्ट हाउस के आस-पास 7 बीघा काबिल काश्त भूमि है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में उपरोक्त भूमि पर कौन कौनसी फसलें पैदा की गईं और किसके द्वारा? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त पैदावार की नीलामी हर वर्ष की गई? अगर की गई तो पिछले पांच वर्षों में विभाग को कितनी आय हर वर्ष हुई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अगर पैदावार की नीलामी नहीं की गई तो इसका अब तक कौन उपभोग करता रहा?

उत्तर

(1) जी हां, रेस्ट हाउस के लिए 6½ बीघा जमीन आवंटित की गई थी। जिसमें से रेस्ट हाउस आदि बनने के बाद चार बीघा 10 बिस्वा जमीन बची। अब पांच वर्षों में हुई फसल का ब्यौरा संलग्न है। फसल सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा की गई।

(2) वर्ष 66–67, 68–69 एवं 70–71 में नीलामी की गई एवं क्रमशः 265 रुपया, 141 रुपया, 302 रुपया की विभाग को आय हुई।

(3) तीन वर्ष नीलामी की गई है एवं अन्य वर्षों की नीलामी न करने एवं उपभोग के लिए प्रारम्भिक तहकीकात करने के बाद अधिकांश से इस बारे में जवाब तलब किया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

बाईं मुख्य नहर (चम्बल) की चेन नम्बर 184

347. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाईं मुख्य नहर (चम्बल) की चेन नम्बर 184 के पास से पानी की रसन के कारण एक नाला निकलता है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त नाले के बहने के कारण एक स्थायी सा पानी का नाला बन गया है जिसे उतावली खाल कहते हैं?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम बड़गांव के मवेशियों को जंगल में चरने जाने व वापस आने के लिए इस उतावली खाल को पार करना पड़ता है?

Page No 48

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

(4) क्या यह सही है कि उक्त खाल के कारण कई मवेशियों की पानी में फंस जाने के कारण मृत्यु हो चुकी है ?

(5) क्या सरकार उक्त खाल पर पुल बनवाना चाहती है ?

उत्तर

(1) चैन 184 के पास रसने के कारण पानी बहता है।

(2) जी हां।

(3) जंगल में सीधा जाने के लिए खाल को पार करना पड़ता है।

(4) जी नहीं, ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(5) जी नहीं।

अलवर नगर की शिक्षण संस्थाओं को ग्रान्ट-इन-एड

348. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर नगर में किस किस शिक्षण संस्था को ग्रान्ट-इन-एड मिलती है, व कितने कितने प्रतिशत मिलती है ? और कुल रकम कितनी और कब से मिलती है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अलवर नगर में ऐसी भी कोई शिक्षण संस्थाएं है जिन्हें शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है लेकिन उन्हें ग्रान्ट-इन-एड नहीं दी जाती है ? ऐसी शिक्षण संस्थाओं की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) ग्रान्ट-इन-एड देने का राज्य सरकार का माप दण्ड क्या है ? अलवर नगर की इन सब शिक्षण संस्थाओं को ग्रान्ट-इन-एड देने या न देने में इस माप दण्ड की पालना की गई है ?

उत्तर

(1) अलवर नगर में 22 संस्थाओं को ग्रान्ट-इन-एड मिलती है। प्रतिशत व रकम की सूचना संलग्न है।

(2) जी हां। सूची संलग्न है।

(3) राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान नियम सन् 1963 में प्रकाशित किये जा चुके हैं। इन्हीं के आधार पर शिक्षण संस्थाओं को सहायता अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जैसलमेर कालेज में विज्ञान विषय खोलना

349. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर कालेज में विज्ञान विषय नहीं होने के कारण कई छात्रों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है ? अगर हां तो राज्य सरकार इस वर्ष जैसलमेर कालेज में विज्ञान विषय क्यों नहीं खोल रही है ?

(2) क्या यह सही है कि जैसलमेर कालेज में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के

(श्री बालसिंह सोढा)

लिए छात्रावास का भी अभाव है ? अगर हां, तो छात्रावास के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ? अगर नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जैसलमेर कालेज कला व वाणिज्य विषयों में सन् 1970-71 में खोला गया था और वहां कुल 20 लड़के भर्ती हुये। जिन पर करीब 1,30,000) रुपये खर्च हुये हैं। अब 1971-72 में यह खर्चा 1,75,000) हो जायेगा। लड़कों की संख्या को देखते हुये वहां विज्ञान की कक्षायें खोलना उचित प्रतीत नहीं होता। विद्यार्थियों की कम संख्या होने के कारण सन् 1971-72 में जो विषय खोलने हैं उसमें जैसलमेर कालेज के लिये कोई नया विषय खोलने का प्रावधान नहीं रखा है।

(2) छात्रों की संख्या को देखते हुए नया छात्रावास बनाना उपयुक्त नहीं है फिर भी छात्रों की मांग होने पर आचार्य महोदय अगर कोई इमारत किराये पर लेकर छात्रावास चलाना चाहें तो किराये का प्रावधान निदेशालय द्वारा कर दिया जावेगा।

प्राथमिक पाठशालाओं की मिडिल स्कूलों में क्रमोन्नति

350. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील शिव के ग्राम भीयाण, हरसाणी एवं जैसिघर में अभी तक प्राथमिक पाठशालाएं ही हैं ? क्या यह सत्य है कि उन पाठशालाओं को मिडिल स्कूलों में क्रमोन्नत करने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हो चुके हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या उनको उच्च प्राथमिक पाठशालाओं को जुलाई, 1971 तक क्रमोन्नत कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) भविष्य में शिक्षा के प्रसार के समय इस प्रश्न पर भी विचार किया जावेगा।

अलवर जिले में अस्थाई या स्थानापन्न के रूप में नियुक्त अध्यापक

351. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) अलवर जिले में 1970-71 में कितने अध्यापक, निरीक्षक, शालायें अलवर द्वारा 31-8-70 के पूर्व अस्थायी अथवा स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि एज्यूकेशन कोड के अनुसार जो अध्यापक 31 अगस्त के पूर्व नियुक्ति पाता है वह स्वतः ही यदि स्पष्ट रिक्त स्थान पर नियुक्ति पाता है तो अस्थाई समझा जाता है और उसे ग्रीष्मावकाश का वेतन भी दिया जाता है चाहे उसकी नियुक्ति स्थानापन्न के रूप में की गई हो ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में 1970-71 में विज्ञान अध्यापकों के अतिरिक्त 43 अध्यापक

(श्री शिक्षा मंत्री)
निरीक्षक, शालाएँ, अलवर द्वारा 31-8-70 के पूर्व स्थानापन्न के रूप में 30-4-70 तक के लिये नियुक्त किये गये हैं।

(2) जी नहीं, यह सही नहीं है, बल्कि जिले में जितने भी स्पष्ट पद रिक्त रहते हैं उन पर वरिष्ठता के अनुसार उतने ही स्थानापन्न अध्यापकों को अस्थायी नियुक्त किया जाता है और उन्हें ग्रीष्मावकाश का वेतन भी मिलता है।

पंचायत समिति हिंडोली द्वारा पेच की बावड़ी से लकड़ेश्वर महादेव तक सड़क निर्माण कार्य

352. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डौली): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सत्य है कि सन् 1967 के चुनाव से पहले पंचायत समिति हिन्डौली द्वारा पेच की बावड़ी से लकड़ेश्वर महादेव के स्थान तक सड़क बनाने का कार्य शुरू किया गया था ?

(2) यदि हां, तो सड़क का काम कितने दिन चला ? उस पर कितने मजदूरों ने काम किया और मजदूरी कुल कितनी चुकाई गई ?

(3) इस अधूरी सड़क की क्या उपयोगिता है और इसका कार्य क्यों और कब किस की आज्ञा से बन्द किया गया ?

उत्तर

(1) कच्ची सड़क की मरम्मत का कार्य किया गया था।

(2) कार्य दिनांक 15-2-67 से 10-3-67 तक 25 दिन चला व ठेकेदार को 331-48 पैसे की राशि चुकाई गई। कार्य ठेके पर चला इस लिए कितने मजदूरों ने कार्य किया यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(3) कार्य केवल कच्ची सड़क की मरम्मत का था जो उपलब्ध धनराशि के अनुसार करवाया जाकर बन्द कर दिया गया।

सुमेरपुर ग्राम में बन्द रोड लाइटें व नल

353. श्री प्रतापसिंह चौहान (बाली): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: --

(1) क्या यह सही है कि गत काफी लम्बे अर्से से सुमेरपुर ग्राम में रोड लाइटें एवं सार्वजनिक नल बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(2) क्या रोड लाइटों के अभाव में गांव में चोरियों की वारदातों में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो रोड लाइट के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(स्थगित किया गया)

पंचायत समितियों के ग्रुप सचिव

354. श्री लक्ष्मण तांगोबाल (डग): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों में ग्रुप सचिव योजना सफल नहीं

(श्री लक्ष्मण तांनीवाल)

हुई है और कई पंचायतों ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव भी पास किये हैं ? यदि हां, तो सरकार का इस योजना के सम्बन्ध में क्या विचार है ?

(2) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले की पाटन पंचायत समिति ने भी इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया है ?

उत्तर

(1) ग्रुप पंचायत सचिव योजना को वापिस लेने के सम्बन्ध में कुछ पंचायत समितियों द्वारा प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को भेजे गये हैं। इस योजना का भावी स्वरूप का मामला विचाराधीन है।

(2) जी हां।

पंचायत समिति छबड़ा व छीपा बड़ौद की प्राथमिक स्कूलें

355. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) पंचायत समिति छबड़ा व छीपा बड़ौद में प्राइमरी स्कूल कितने हैं व किन-किन गांवों में हैं ? प्रत्येक गांव के स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि इन दोनों पंचायत समितियों के एरिया में जितने गांव हैं उन सभी गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले हुए हैं ? यदि नहीं, तो अब कितने ऐसे गांव शेष हैं जहां पर स्कूल नहीं खोले गये हैं ?

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी नहीं। पंचायत समिति छबड़ा के 116 व छीपा बड़ौद के 112 गांवों में स्कूल नहीं हैं। छीपा बड़ौद पंचायत समिति में दस गांव बेचिराग है।

[सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई--]

ग्राम पंचायतों के सचिवों एवं सहायक सचिवों की योग्यताएं।

356. **श्री फूलचंद बाफणा** (सुमेरपुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायतों के सचिवों एवं सहायक सचिवों की क्या-क्या योग्यताएं होनी अनिवार्य हैं ?

(2) ग्राम पंचायतों के सचिवों और सहायक सचिवों को किस-किस योग्यतानुसार क्या-क्या प्रारम्भिक वेतन शृंखला देना अनिवार्य है ?

(3) ग्राम पंचायतों व सहायक सचिवों को पाली जिले की पंचायत समितियों (सुमेरपुर, वाली, रानी, और देसूरी समितियों) की किस किस ग्राम पंचायत में किस किस सचिव व सहायक सचिव को क्या क्या वेतन व क्या क्या मंहगाई भत्ता इस समय मिल रहा है और कौन कौन सचिव तथा सहायक सचिव किस किस वेतन शृंखला में नियुक्त हैं ?

(4) पाली जिले की सुमेरपुर, वाली रानी एवं देसूरी पंचायत समितियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के सचिवों व सहायक सचिवों को पिछले तीन वर्षों में किस किस

Page No 52

(श्री फूलचन्द बाफणा)
सचिव व सहायक सचिव को क्या क्या वेतन वृद्धि कब कब दी गई है ?

(5) ग्राम पंचायतों तथा सहायक सचिवों को वेतन के अलावा क्या क्या सुविधायें (उपचार आदि आदि की) दी जाने की सरकारी आज्ञाएं हैं ?

(6) ग्राम पंचायतों के सचिवों की तरह सहायक सचिवों को अनिवार्य प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया जाता है ? क्या इन्हें प्रशिक्षण अनिवार्यतः देने का कोई विचार है ?

उत्तर

(1) न्यूनतम योग्यता मिडिल निर्धारित है। सहायक सचिव के पद का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(2) पंचायत सचिवों के लिए नियमों में नीचे लिखे अनुसार प्रावधान है :-

1. मैट्रिक पास	60-4-100
2. मिडिल पास	40-2-60
3. नोन मिडिल	25-1-40

(3) पंचायत समिति सुमेरपुर, बाली, रानी, देसूरी की ग्राम पंचायतों के लिये हुए पंचायत सचिव नियुक्त हैं व उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन श्रृंखला में वेतन व मंहगाई भत्ता मिलता है। इन पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों में नियुक्त सहायक सचिवों की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) पंचायत समिति सुमेरपुर की ग्राम पचायत सुमेरपुर के श्री भागीरथसिंह सहायक सचिव को वर्ष 1970 में 10 रु० की वेतन वृद्धि दी गई है।

(5) पंचायत सचिवों को उपचार आदि की कोई सुविधा दिये जाने के कोई आदेश प्रसारित नहीं किये गये हैं।

(6) ग्राम पंचायतों में जो व्यक्ति बतौर सहायक सचिव नियुक्त हैं, उनके लिये प्रशिक्षण अनिवार्य करने का इस समय राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

अकाल सहायता कार्यों पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक खर्च।

357. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : -क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने अकाल सहायता कार्यों पर वर्ष 1970-71 में केन्द्रीय सरकार से निर्धारित सीमा से अधिक खर्च किया था ? यदि हां, तो कितना और किन परिस्थितियों में, तथा केन्द्र द्वारा क्या सीमा निर्धारित की थी ?

(2) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक खर्च जो किया गया है उसको राज्य सरकार को स्वयं को वहन करना पड़ा ?

(3) राजस्थान निर्माण के बाद अब तक अकाल सहायता पर कितना कितना खर्चा किया गया जिसमें केन्द्र व राज्य सरकार का कितना-कितना खर्चा हुआ ? वर्ष वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि अकाल सहायता खर्च के बारे में केन्द्र व राज्य सरकार के बीच किसी विषय पर विवाद

(श्री हरजीराम बुरडक)
हुआ है ? यदि हां, तो क्या और उसका निपटारा कैसे किया गया ?

(5) क्या केन्द्र सरकार के किसी अध्ययन दल ने राज्य में किये गये अकाल सहायता के कार्य को गलत तरीके से करवाने तथा स्वीकृतियां गलत ढंग से देने की रिपोर्ट की है ? यदि हां, तो कब ? उक्त रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां, रुपये 33·73 करोड का व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक किया गया था। अकाल की विभिषिका से लोगों को बचाने के लिए जिस व्यापक पैमाने पर सहायता तथा पशु धन को बचाने के लिए व्यवस्था की गई उसके लिए यह व्यय आवश्यक था। केन्द्रीय सरकार द्वारा 13-86 करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित की गई थी।

(2) मूलत: सहायता व्यवस्था के लिए खर्चा राज्य सरकार को ही करना पड़ता है। उसके बाद केन्द्रीय सरकार समय समय पर खर्चे को देखते हुए पुनराभरण करती है।

(3) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

ट्रकों के किराये का भुगतान

358. **श्री देवीदत्त गाडिया (बारां)** : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

1. क्या यह सही है कि सन् 69-70 एवं 70-71 में बारां उप-जिलाधीश ने अकाल राहत कार्य के लिए बारां नगर के कुछ ट्रक वालों से तहसील किशनगंज क्षेत्र से बारां एवं मांगरोल तहसील के ग्राम पलायथा में एवं कोटा में घास आदि सामान किराए पर ट्रकों द्वारा भिजवाया था ? यदि हां, तो किस किस ट्रक से किस किराए पर घास आदि की ढुलाई की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

2. क्या उन ट्रकों के किराए का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक चुका दिया जावेगा ?

उत्तर

1. जी हां। वर्ष 69-70 व 70-71 में अकाल राहत कार्यों के लिए घास बारां नगर से ट्रक सं. आर. जे. आर. 3491 व आर. जे. आर. 6526 द्वारा तहसील किशनगंज के बांसथूनी डिपो से बांरा व पलायथा डिपो पर भिजवाया गया था। कोटा डिपो पर कोई घास आदि नहीं भेजा गया। किराये की दर की सूची निम्न प्रकार हैं :--

ट्रक मालिक श्री उत्तमचन्द खत्री ट्रक नं. आर. जे. आर. 3451 बांसथूनी से बांरा-ढुलाई की दर-डीजल पेट्रोल आदि राज्य सरकार द्वारा दिए जाने की अवस्था में डीजल ट्रक का 65) रु. व पेट्रोल ट्रक

(अकाल राहत मंत्री)

का 65) रु. प्रतिदिन। श्री रमाशंकर बारां ट्रक नं. आर. जे. आर 6536 ढुलाई की दर बांसधूनी से बारां व पलायथा 9 पैसे प्रति मील प्रति क्विटल।

2. भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। श्री उत्तमचन्द खत्री द्वारा लाग मांग बुक व मांग पत्र (वित्त) प्रेषित नहीं किया गया है। श्री रमाशंकर द्वारा परिवहन चार्जेज के भुगतान प्राप्त करने हेतु जो विवरण प्रस्तुत किया गया है उसमें भेजे गये एवं प्राप्तशुदा ट्रिपों में दो ट्रिप घास का अन्तर होने के कारण उतने का भुगतान उप जिलाधीश द्वारा काट लेने के कारण पार्टी ने भुगतान नहीं लेना चाहा और सभी प्रमाणीकरण के लिए पार्टी ने कागजात वापिस दस्ती ले जाने हेतु प्राप्त किये। जो कागजात उसके द्वारा अभी तक पेश नहीं किये गये हैं। प्रमाणीकरण के अभाव में चुकारा नहीं किया गया है।

बीकानेर, बाडमेर व जैसलमेर जिलों के अकालग्रस्त क्षेत्र

359. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि फरवरी 1971 में बीकानेर, बाडमेर व जैसलमेर जिलों के क्षेत्रों को अकालग्रस्त घोषित किया गया था?

(2) यदि हां, तो किस किस जिले को अकाल सहायता कार्यों के लिये कितनी कितनी राशि प्रदान की गई है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, बीकानेर, बाडमेर एवं जैसलमेर जिलों में निम्न प्रकार अभाव-स्थिति की घोषणा की गई है:-

नाम जिला	अभावग्रस्त ग्रामों की सं.
1. बीकानेर	83
2. बाड़मेर	133
3. जैसलमेर	131

(2) किसी जिले को अकाल राहत कार्यों के लिये कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई। अतः जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मेडता तहसील में अधूरे अकाल राहत कार्य

360. **श्री गोरधन सोनी** (मेडता): क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मेड़ता तहसील में अकाल राहत के तहत सभी विभागों द्वारा क्या क्या कार्य कराये गये उनमें कुल कितना खर्च हुआ? विगतवार अलग-अलग काम एवं उसके खर्च की सूचना संलग्न करें।

(2) मेड़ता तहसील में अकाल राहत के तहत कितने कार्य अधूरे पड़े हैं? उनकी सूची संलग्न करें व बतावें कि कब तक पूरे हो जावेंगे?

उत्तर

(1) मेड़ता तहसील में अकाल राहत के तहत विभिन्न विभागों द्वारा जो कार्य

(अकाल राहत मंत्री)
करवाये गये एवं उन पर जो खर्चा हुआ उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) उपरोक्त सूची में ही जो कार्य अधूरे हैं उनकी सूचना दे दी गई है। इन कार्यों के लिए जब कभी प्रावधान उपलब्ध होगा तब इन्हें पूरा करवाया जा सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

स्थगित-प्रश्न

(29-3-71)

देवस्थान विभाग के अधीन मन्दिर

126. श्री जय नारायण सलोदिया (निवाई) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में देवस्थान विभाग के अधीन कितने मन्दिर हैं तथा उनमें पूजा आदि की क्या व्यवस्था है ?

(2) उक्त मन्दिर की अचल सम्पत्ति क्या क्या है और उनसे किराये में हर साल क्या आमदनी होती है ?

(3) देवस्थान विभाग की कितनी बकाया कब से किन लोगों में है ? और इसकी वसूली की क्या कार्यवाही चल रही है ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) विभाग के द्वारा किन किन लोगों व संस्थाओं को कितनी सहायता दी जाती है ? हर जिले की व्यक्तिवार व संस्थावार सूचियां मेज पर रखें।

5. मन्दिरों की मरम्मत आदि पर हर साल क्या खर्चा होता है ?

6. विभाग के कर्मचारियों पर कितने गबन के केस चल रहे हैं, कब से किस प्रकार के हैं ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:

1. श्री मनोहर सिंह मेहता, सदस्य विधान सभा ने गेहूं के भाव गिर जाने से किसानों में असंतोष के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री रामकिशन : अलग डिस्कशन रखें साहब पूरे दिन।

श्री अध्यक्ष : (2) श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा ने कस्बा नोहर में दिनांक 16-4-71 को कृषि उपज मण्डी समिति, नोहर के कार्यालय पर गुण्डों द्वारा हमला किए जाने तथा समिति के सदस्यों व सचिव को पीटे जाने आदि के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त दोनों मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिए जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

(श्री अध्यक्ष)

इनके अतिरिक्त श्री हरलालसिंह खर्रा, सदस्य विधान सभा से एक स्थगन प्रस्ताव को सूचना प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया है कि ग्राम थोई तहसील श्री माधोपुर-जिला सीकर में चिकित्सा भवन बनाए जाने पर भी वहां डिस्पेन्सरी नहीं खोले जाने से वहां की जनता को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है। यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है तथा इसको चिकित्सा की मांग पर विचार करते समय कटौती प्रस्ताव के जरिये उठाया जा सकता है। मैं इसको सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

कुछ पैंडिंग स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है। ये प्रस्ताव इस प्रकार हैं--

1. जैसलमेर जिले में अकाल से प्रभावित गांवों को अकालग्रस्त घोषित नहीं किए जाने के सम्बन्ध में श्री बालसिंह सोढा, श्री पृथ्वीसिंह चौहान, श्री विजयसिंह व श्री डूंगाराम राजोरिया, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

2. रायसिंह नगर की समेजा नहर में पानी नहीं छोड़ने से 100 ग्रामों में पेय जल संकट के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

3. मनोहर थाना कस्बे की वाटर सप्लाई व्यवस्था ठप्प होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

उपरोक्त मामले इतने 'अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जावे। अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स कम्पनी के मालिकों द्वारा 16-4-71 से तालाबन्दी कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई थी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए चाहूंगा कि माननीय श्रम मंत्री जी स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य देने की कृपा करें। मैं इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक पैंडिंग स्थगन प्रस्ताव था जो बिजली से सम्बन्धित था, जिसमें ग्राम मोड़ के कृषकों ने 19 हजार सीक्योरिटी के जमा करवा दिये हैं......

श्री अध्यक्ष : अभी जानकारी ले रहा हूं।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : और करीब डेढ लाख का माल खरीद कर कुओं में फिटिंग करवा दिया है....

श्री अध्यक्ष : आप जानकारी चाह रहे हैं, उस पैंडिंग स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में? जानकारी चाह रहे हैं?

श्री हरलाल सिंह खर्रा : जी !

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। अभी जानकारी प्राप्त कर रहा हूं। अभी नहीं

Page No 57

(श्री अध्यक्ष)
आई है।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे स्थगन प्रस्ताव पर जो व्यवस्था दी वह शिरोधार्य है। यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का है। कई गांव ऐसे हैं जहां एक दाना भी नहीं हुआ है, सिनावड़ा ग्राम है, जिसके बारे में पटवारी की रिपोर्ट होते हुए, तहसीलदार की रिपोर्ट होते हुए भी उसको अकालग्रस्त ग्रामों की लिस्ट में नहीं लिया है। वहां पर वसूली शुरू हो गई है और वहां के मवेशी अकाल के कारण मर गये हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को मैं सूचित करूं, इसका उत्तर राज्य सरकार का आ चुका है, उत्तर में सारा उल्लेख है। फिर भी मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य को संतोष नहीं हो, तो उनसे मिलकर बात कर लें। मैंने यहां इसका निर्णय दे दिया है।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहूंगा। आपके द्वारा जिन स्थगन प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया जाता है उनके ऊपर जानकारी ली जा सकती है दुबारा ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न के निरस्त होने पर, मेरा कर्तव्य होता है कि माननीय सदस्य को संतोष हो। अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है और इसलिये यह नहीं उठाया जा सकता।

श्री दिग्विजयसिंह : वह प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : फिर भी विस्तृत जानकारी से संतुष्ट कराने के लिये यह कर दिया जाता है।

श्री दिग्विजयसिंह : जो स्थगन प्रस्ताव नामंजूर हो जाते हैं, या आपके द्वारा अस्वीकृत कर दिये जाते हैं, क्या उन पर जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : जानकारी, मंत्री महोदय को कह कर जानकारी दिलाता हूं।

श्री दिग्विजयसिंह : उस पर इस हाउस में डिस्कशन नहीं हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष : चर्चा का विषय नहीं होता है।

श्री दिग्विजयसिंह : जानकारी नहीं आ सकती है ?

श्री अध्यक्ष : नहीं।

श्री विजयसिंह (मकराना) अध्यक्ष : महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव माननीय जसराज जी के खिलाफ दिया था, उसके ऊपर आपने फर्माया कि मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं। फिर पता नहीं कि आपने क्या जानकारी प्राप्त की। उसके बाद उसको नामंजूर कर दिया और नामंजूर करने के बाद आपके आफिस द्वारा यह बताया गया कि अध्यक्ष महोदय को कुछ जानकारी चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि स्थगन प्रस्ताव नामंजूर हो गया तो क्या जानकारी चाहिये....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य, मैं समझ गया !

श्री विजयसिंह : मेरा कहने का मतलब यह है कि आप स्थगन प्रस्ताव स्वीकार

Page No 58

(श्री विजयसिंह)
फर्माते और फिर जानकारीके लिये फर्माते। लेकिन स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार फर्माते हैं और सदन में चर्चा करते हैं तो उसे अंकित नहीं होने देते हैं। फिर जानकारी आप को किस बात की चाहिये ?

श्री **बाल सिंह जोधा** : आप इसको री/ओपन कर दीजिये। ऐसी आसन से व्यवस्था दे दीजिये।

श्री **विजयसिंह** : जानकारी किसकी ? आप कहें तो जो नाचने वाली हैं उनको लाकर यहां सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य, एक प्रश्न आ गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, रायसिंहनगर में समेजा नहर से सौ गांवों को पानी नहीं मिलने की वजह से जो मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था इस सम्बन्ध में उस प्रस्ताव को आपने अस्वीकार कर दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सौ गांवों की जनता प्यासी मर रही है, क्योंकि समेजा नहर में पानी नहीं है, ऐसी स्थिति में फिर हम किस तरह से इस मामले को उठायें, आप यह बतलाइये, क्या किया जाय। सौ गावों की जनता प्यासी मर रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आप सिंचाई मंत्री महोदय से स्टेटमेंट दिलवाइये, उनसे यह जानकारी दिलवाई जाय कि वहां पानी मिला या नहीं, क्या हालत है ? वहां के लोगों को गर्मियों के दिनों में पानी नहीं मिले पीने के लिए तो यह उनके लिए बड़ी मुसीबत की बात है। इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था, अध्यक्ष महोदय, आप जानकारी तो देवें कि क्या जानकारी आई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यदि आप बुरा न मानें, अध्यक्ष महोदय, तो मैं एक सुझाव दे दूं कि स्थगन प्रस्ताव आपके द्वारा सरकार को जानकारी के लिए भेजे जाते हैं और सरकार की ओर से आपको उसकी जानकारी दे दी जाती है और उस पर आप उनको अस्वीकार कर देते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि उनको जानकारी नहीं है कि सरकार ने उनके द्वारा उठाये गये मुद्दों पर क्या कहा। इसलिए अस्वीकार किए हुए स्थागन प्रस्ताव की सूचना सम्बन्धित माननीय सदस्यों को भी दे दी जाय तो उनको मालूम हो जायगा कि सरकार ने क्या कार्यवाही की है। यदि आपके द्वारा यह सहूलियत कर दी जायगी तो यहां पर हाउस में जो स्थिति पैदा होती है वह नहीं होगी और उनका निराकरण हो सकता है।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : मैंने एक प्रस्ताव भी रखा था और आसन ने उसको स्वीकार किया है और आसन ने हो सुझाव दिया था...

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी बात को समझ गया हूं। पहले भी इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाये गये थे और मैंने यह कहा था कि यह सुझाव विचाराधीन है। यह सुझाव अच्छा है कि जो स्थगन प्रस्ताव जानकारी के बाद निरस्त कर दिये जाते हैं उन पर जो राज्य सरकार से स्पष्टीकरण आते हैं उन्हें सदस्य को भेज दिया जाय।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ) : अध्यक्ष महोदय, खाद्य मन्त्री जी जवाब कब

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
देंगे। गेहूं के भाव बराबर गिरते जा रहे हैं। लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : जसराजजी वाले मामले में यह पत्र मेरे पास आया है . .

श्री अध्यक्ष : यह कौन सा प्रश्न है ? मुझे नहीं पता है।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : आपने इसको अस्वीकार किया है। माननीय जसराजजी वाला यह मामला है।

श्री अध्यक्ष : मैं स्वयं जानकारी करूंगा।

श्री विजयसिंह : हमसे कर लीजिये, उनसे क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : मैं जानकारी स्वयं कर रहा हूं। मैं आपके मन्तव्य को समझ गया हूं। मैं स्वयं जानकारी करके अवगत करूंगा।

याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री रामनारायण चौधरी।

श्री पृथ्वीसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं जानकारी करके अवगत करूंगा।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय खाद्य मन्त्रीजी ने इसी सदन में एक वक्तव्य दिया था और उस सम्बन्ध में यह कहा था कि खाद्य मन्त्रियों का दिल्ली में सम्मेलन हो रहा है वहां से आने के बाद में सदन के अन्दर एक वक्तव्य दूंगा। गेहूं के भाव निरन्तर गिरते जा रहे हैं और पचास, साठ के भाव गेहूं बिक रहा है। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार और खाद्य मंत्री बतायें कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार कब से गेहूं खरीदेगी ? खरीदना चाहती है या नहीं और खरीदना चाहती है, तो कब ? बाजरे की जैसी गेहूं की भी हालत न हो जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया हूं। बात-चीत करके सदन को अवगत किया जायगा।

श्री रामनारायण चौधरी।

याचिका का उपस्थापन

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं जल प्रदाय योजना ग्राम नूआ और महनसर को पाइप्ड वाटर सप्लाई स्कीम में परिवर्तित कराने के लिये याचिका में देने वाले पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं मण्डावा से बिसाऊ वाया पाटोदा सड़क को पूरा कराने से सम्बन्धित पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री अध्यक्ष : यातायात मंत्री।

(क) अधिसूचनायें।

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा (यातायात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं गृह (ख) विभाग की अधिसूचना संख्या प. 1(3) 3/ परिवहन 71, दिनांक 1 अप्रेल, 1971 को सदन की मेज पर रखता हूं जिसके द्वारा राजस्थान

(श्री रामप्रसाद लड्ढा).
मोटर गाड़ी (तृतीय संशोधन); नियम, 1971 जारी किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : सामुदायिक विकास मंत्री।

श्री परसराम मदेरणा (सामुदायिक विकास एवं पंचायत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 4 एल./पी. एस./आर/ 2/69/1516-25/ दिनांक 12 अप्रेल, 1971 को सदन की मेज पर रखता हूं जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा (नये वेतन क्रम) (संशोधन) नियम, 1971 जारी किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन, लेखे आदि।.

माननीय मुख्य मंत्री।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम 2956 की धारा 619 (क) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट होटल्स कोर्पोरेशन लि. का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन एवं 31 मार्च, 1970 को समाप्त वर्ष के लिये बेलेन्स शीट सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : कृषि मंत्री।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर विश्व विद्यालय अधिनियम, 1962 की धारा 39 के अन्तर्गत उदयपुर विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, 1968-69 को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : 1969-70 के तैयार नहीं हुए ?

श्री मथुरादास माथुर : अभी नहीं आये हैं।

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 35 वें प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूं जो इस प्रकार है :

कार्य सलाहकार समिति की बैठक शुक्रवार, दिनांक 16 अप्रेल, 1971 को हुई।

समिति ने कतिपय सदस्यों के लिखित प्रार्थना-पत्र पर यह निर्णय लिया है कि इस सत्र की शेष अवधि में सदन की बैठकें शुक्रवार को न रखी जायें। तदनुसार समिति ने 19 अप्रेल से लिए जाने वाले कार्य के लिए संशोधित कार्यक्रम तैयार किया है।

समिति सिफारिश करती है कि संशोधित कार्यक्रम के लिए समय का बंटवारा इस प्रकार किया जावे :--

सोमवार दिनांक 19 अप्रेल, 1971		आयव्ययक 1970-71 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद
मंगलवार दिनांक 20 अप्रेल, 1971	(1)	आय-व्ययक 1971-72 पर सामान्य वाद-विवाद का राज्य सरकार की ओर से उत्तर।

(श्री दामोदरलाल व्यास)	(2) राजस्थान विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों पर विचार।
बुधवार व गुरुवार दिनांक 21 व 22 अप्रेल, 1971 सोमवार, मंगलवार व बुधवार दिनांक 26, 27 व 28 अप्रेल, 71 सोमवार, मंगलवार, बुधवार व गुरुवार दिनांक 3, 4, 5 व 6 मई, 1971 सोमवार व गुरुवार दिनांक 10 व 13 मई, 1971 सोमवार व मंगलवार दिनांक 17 व 18 मई, 1971	आयव्ययक 1971-72 से संबंधित अनुदानों की मांगों पर विचार तथा उन पर मतदान।
	(1) मंगलवार, दिनांक 18 मई, 1971 को शेष मांगों पर मुखबन्द के प्रयोग के पश्चात् आय-व्ययक 1971-72 से सम्बन्धित विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन।
	(2) अनुदानों की मांगें उस क्रम में प्रस्तुत की जायेंगी जो सदन के नेता महोदय द्वारा जन-लेखा समिति की सलाह पर निश्चित किया गया है।
गुरुवार, दिनांक 29 अप्रेल, 1971	गैर सरकारी सदस्य कार्य।
मंगलवार व बुधवार दिनांक 11 व 12 मई, 1971	कार्य जो माननीय अध्यक्ष द्वारा निश्चित किया जावे।
बुधवार व गुरुवार दिनांक 19 व 20 मई, 71	आय-व्ययक 1971-72 से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार तथा उसका पारण।
सोमवार व मंगलवार दिनांक 24 व 25 मई, 1971	राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, 1971 पर विचार तथा उसका पारण

नोटः—उपरोक्त कार्य के बंटवारे में श्री अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-सलाहकार समिति के 35वें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में जल प्रदाय विभाग द्वारा नल कूपों को चालू न किये जाने सम्बन्धी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मंत्री द्वारा वक्तव्य पहले हो जाय।

श्री अध्यक्ष : बाद में लेंगे।

श्रीमती सुमित्रा (राज्य मंत्री, जल प्रदाय विभाग) : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर, जैसलमेर और जयपुर से आने वाले . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस लिस्ट में तो एक वक्तव्य है।

श्रीमती सुमित्रा : 15 का बिजनेस देखिये।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : आज 15 वाले बिजनेस के लिये बाध्य नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री भैरोंसिंह। ध्यानाकर्षण कर लिया।

[विराम]

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये करेंगे। करने वाले करेंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : मैं यह ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले वक्तव्य दे दें। फिर उसके बाद कुछ कहना हो तो कहें।

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर से, जैसलमेर से और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने बाड़मेर और जैसलमेर में जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत जो नलकुप हैं उनको न चलाये जाने के सम्बन्ध में जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है उसके बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि 200 नलकूप खोदने की योजना के अन्तर्गत राजस्थान के पश्चिमी भाग के 7 जिलों में समन्वेसीय नलकूप संस्थान (इ. टी. ओ.) तथा राजस्थान भू-जल मण्डल द्वारा 140 नलकूप और 48 कुओं में बोरिंग का कार्य किया गया था। इन नलकूपों में से 39 नलकूप कृषि कार्य हेतु राजस्थान भू-जल मण्डल के हस्तान्तरित कर दिये। शेष नल कूपों में से कुछ नलकूप विभिन्न शहरों एवं गांवों की जल वितरण योजनाओं में उपयोग में लाये जा रहे हैं तथा कुछ नलकूप मिलिट्री को हस्तान्तरित कर दिये गये।

जन स्वास्थ्य विभाग के अधीन इस समय 45 नल कूप और 23 कूए बोरिंग सहित शेष हैं जिनमें से अधिकतर वर्ष 1970 के ग्रीष्म काल तक अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत पेयजल उपलब्ध कराने

(श्रीमती सुमित्रा)
हेतु चलाये जा रहे थे। वर्षा काल के कारण बहुत से स्थानों में पानी इकट्ठा हो जाने के कारण उक्त नलकूपों एवं कुओं को बन्द करना पड़ा।

बाड़मेर जिले में विभाग के पास इस समय नलकूप 8, तथा 9 कुए बोरिंग सहित हैं। जिनकी सूची संलग्न है। उक्त 17 में से 3 नलकूप पंचायतों के तथा एक नलकूप वन विभाग के खर्च पर चलाये जा रहे हैं। इसी प्रकार जैसलमेर जिले में विभाग के पास 12 नलकूप व 2 कुए बोरिंग सहित हैं जिनमें से एक पंचायत के खर्च पर और 4 अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत चलाये जा रहे हैं। शेष नलकूप व कुए इस समय बन्द हैं।

अब चूंकि गर्मी का मौसम आरम्भ हो गया है, राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राजस्थान के इन सातों जिलों में बनाये गये नलकूपों को जिलाधीश की सिफारिश पर जहां भी पेयजल की कठिनाई हो सरकारी खर्च से चलाये जायें। इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश प्रदान किये जा चुके हैं।

बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बतलाया कि बाड़मेर जिले में बाथिया-बाड़मेर पाइप लाइन पर बने होजों में तथा नीमला-गूंगा पाइप लाइन पर बने होजों से पानी न प्राप्त होने के सम्बन्ध में शिकायत की थी। इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगी कि नीमला-गूंगा और बाथिया-बाड़मेर पाइप लाइन पर बने होजों में भी पेयजल वितरण हेतु आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं और इस पर पानी मिलना भी प्रारम्भ हो चुका है।

मैं समझती हूं कि अब उन स्थानों पर जहां पर पीने के पानी की कठिनाई मनुष्यों को और पशुओं के लिये थी वह काफी हद तक दूर हो जावेगी।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस पर्पज से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया था मुझे इस बात का सन्तोष है कि सरकार ने इस पर विचार कर उन सारे नलकूपों को जारी करने का आदेश दिया है। पर एक बात समझ में नहीं आई, जैसे यह कहा गया कि जिलाधीशों की सिफारिशों के आधार पर जहां आवश्यकता होगी वहां चालू करने का आदेश दे दिया जावेगा।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी जानकारी के अनुसार बाड़मेर और जैसलमेर इन दोनों जिलों के कलेक्टरों ने राज्य सरकार को बहुत पहले ही इस बात की सूचना दी थी कि पीने के पानी की यहां बड़ी कठिनाई है और ये नलकूप जल्दी से जल्दी चालू करवाये जाने चाहिये।

जहां तक मेरी जानकारी का प्रश्न है जैसलमेर जिलाधीश ने तो बिना सरकार की इस पूर्वानुमति के ही आवश्यकता के अनुसार कुछ नलकूपों पर काम चालू भी करवा दिया था। बदकिस्मती यह रही कि जिलाधीश को इस काम के लिये एप्रीसियेशन देने के बजाय उनसे इस बात के लिये एक्सप्लेनेशन काल किया गया है कि बिना सरकार की मर्जी के ये कुए किस प्रकार चालू किये हैं।

बाड़मेर के जिलाधीश ने भी आज से एक माह पूर्व राजस्थान सरकार को इस

(श्री भैरोंसिंह)

बात की सूचना दी है कि बाड़मेर जिले के अधिकांश नलकूपों को जहां-जहां भी हैं चालू किया जाय ताकि पानी का जो बहुत बड़ा संकट सामने दिख रहा है उसे दूर किया जा सके। इसकी जल्दी से जल्दी स्वीकृति दिये जाने के लिये राज्य सरकार को लिखा है।

अब मैं जानना चाहूंगा कि बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में कौन-कौन से कुए चालू हो गये हैं, किन-किन कुओं को चालू करने की जिलाधीशों ने अनुमति मांगी है और किन-किन कुओं को चालू करने की अनुमति सरकार ने दी है। ये कुए कितने दिनों तक चालू रहेंगे ? इस बात की जानकारी साथ-साथ दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा। यह भी जानकारी इसलिये लेना चाहता हूं कि मैंने यह सारा बजट देखा है। इसमें बाड़मेर, जैसलमेर के नलकूप जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाये जावेंगे-इसका कोई प्रावधान नहीं है। इसकी एबसेन्स में जब तक राज्य सरकार विशेष प्रावधान न रखे या विशेष आदेश जारी न करे तब तक राज्य सरकार की यह मर्जी की बात रहेगी कि जितने दिन चलाना चाहे, चला दे और जिस दिन इनको बन्द करने की इच्छा हो बन्द कर दे। तो यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिये मुद्दा ताकि लोगों को जानकारी हो जावे कि ये कब तक चलेंगे और कब बन्द हो जावेंगे। इसकी जानकारी दे दें उनको तो यह ज्यादा उचित होगा।

(12.25 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया था इस उद्देश्य से कि वहां नलकूप जो भी थोड़े बहुत लगाये गये हैं वे चालू किये जावें क्योंकि इस गर्मी के मौसम में पानी की भयंकर कठिनाई उपस्थित हो गई है।

जहां तक मुझे जानकारी है ये ट्यूब वेल अभी तक बन्द पड़े हैं। नीमला का शुरू कर दिया गया है, परन्तु नीमला से जो रिजर्वेअर शिव और गूंगा में पानी जाता है उसमें अब तक पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है।

भाड़खा बोथिया ट्यूब वैल से भी रिजर्वेअर को पानी नहीं जा रहा है। इसका तो मैंने अपने प्रस्ताव में स्पेसिफिक मेन्शन किया है। अभी तक भी जो सूचना मेरे पास है उसके आधार पर उनमें पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है और न कोई व्यवस्था ही की गई है।

इसी प्रकार तुड़वी का ट्यूब वैल है। वहां से हरसाणी में पानी सप्लाई किया जाता है। वह भी अभी चालू नहीं हुआ है।

भीमड़ा ट्यूब वैल भी तैयार है वहां से भी अभी तक रिजर्वेअर में पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है। बायतू में अभी तक पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है।

जब कि राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री ने विशेष तौर से घोषणा कर दी है अपने बजट भाषण के पेज 31 पर कि "...आगे से सार्वजनिक नलों पर पानी की सप्लाई निःशुल्क कर दी जावेगी। इसी प्रकार सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं में भी सार्वजनिक नलों पर पानी को सप्लाई पर कोई शुल्क नहीं लिया जायगा।"

Page No 65

(श्रीमती सुमित्रा)

यह वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि सार्वजनिक नलों पर पानी निःशुल्क दिया जावेगा तो यह जरूरी हो जाता है कि जितने भी रिजर्वेग्रर हैं उनको पानी की सप्लाई की जानी चाहिए।

पानी की कठिनाई के बारे में मैंने सदन में प्रश्न भी उठाये। उसमें भी काफी क्षेत्रों में तो आज भी अकाल है। जालेपे में अकाल है। बोथिया में पानी का संकट है, हरसाणी में अकाल है। पानी का कष्ट सब जगह है। सारे गांवों में पानी का संकट है और फिर यह पानी का संकट तो हमेशा रहता है। यह प्रबन्ध तो अब आपको स्थायी रूप से करना है।

अब प्रश्न आवेगा कि पानी की यह सप्लाई जब फेमिन की कण्डीशन होगी तभी इन से होगी। तो यह स्थिति नहीं होनी चाहिए क्योंकि रिजर्वेग्रर बन गये हैं। पब्लिक पर्पज के लिए ये बन गये हैं अब शहरों में नल वगैरह फेमिन कण्डीशन नहीं होती है तब यूज होता है तो फिर देहातों में ही यह क्यों? ये भी नलकूप जितने हैं फेमिन कण्डीशन हो या न हो तो भी ये चालू किये जाने चाहिये क्योंकि ये सार्वजनिक पर्पज के हैं। फिर जैसलमेर बाड़मेर में तो हमेशा ही फेमिन कण्डीशन एक तरह से बनी रहती है पीने के पानी की तो इसलिए वे रिजर्वेग्रर भी पानी बराबर देते रहने चाहिए और जितने भी ट्यूब वेल हैं जारी रहने चाहिये। आज तो सभी बन्द हैं, धनाऊ का बन्द है। आलमसर का बन्द है। जितने हैं बन्द पड़े हैं। तो सब को चालू किया जाकर जनता के हितार्थ पानी का सदुपयोग किया-जाना चाहिये यही मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है।

श्री बालसिंह सोढा : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम तो इसमें नहीं है।

श्री बालसिंह सोढा : है, मेरा नाम है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो सूची दी गई है उसके अन्दर जैसलमेर के अन्दर 30 सफल ट्यूब वेल बताये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, चार गांवों के चार नलकूप चा साल से अकाल राहत द्वारा चलाये जा रहे हैं वे सफलतापूर्वक चल रहे हैं। उन सफल ट्यूब वेल का नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि जो ट्यूब वेल, सफल ट्यूब वेल की लिस्ट में नहीं है और आज भी चलाये जा रहे हैं और आपने घोषणा भी की है कि उन्हें चलाया जावेगा तो मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इनका नाम तो सफल ट्यूब वेल की लिस्ट में नहीं है और आपने चलाने की घोषणा की है तो इन चार-पांच ट्यूब वेल का नाम भी सफल ट्यूब वेल की लिस्ट में लेकर इनको चलाने की व्यवस्था कर दें।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि डाबला गांव से जैसलमेर के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है किन्तु डाबला गांव के लोगों को उससे पीने का पानी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए इस को भी आप नोट कर लें और अपने

(श्री बालसिंह सोढा)
विभाग को आदेश दे कि डाबला गांव वालों को भी पानी पिलाने की व्यवस्था करें।

तीसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ ट्यूब वेल को कृषि विभाग ने अपनी सूची से हटा कर जलप्रदाय विभाग को देने की प्रार्थना की है और आज तक आपके विभाग ने इस पर निर्णय नहीं लिया है और वे ट्यूब वैल आप चलायें इसमें दोनों विभागों के विवाद के करण बाधा उठ खड़ी हुई है और ये बन्द हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस सूची को पहले करेक्ट कर लें और लोगों को समुचित रूप से पानी पिलाने की व्यवस्था करें। इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्रीमती सुमित्रा (राज्य मंत्री, जल प्रदाय विभाग) : उपाध्यक्ष जी, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा कि इस बार के बजट में नये ट्यूब वैल चलाने के लिये कोई प्रावधान नहीं है। इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि बजट के प्रावधान तो आवश्यकता होने पर और कर दिये जायेंगे।

बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो गांवों का नाम लेकर कहा कि वहां पर पानी नहीं मिल रहा है। मैं इस बात की उनको सूचना देना चाहूंगी कि दिनांक 18–4–71 से इन दोनों ट्यूब वैल्स को चला कर पानी वितरण का काम शुरु कर दिया गया गया है।

जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा कि सफल नलकूपों की सूची के अन्दर जो नलकूप नहीं हैं, उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे विभाग के पास–मैंने जो 200 ई0 टी0 ओ0 द्वारा खोदे गये नलकूपों की सूची दी है उसमें में 140 सफल ट्यूब वेल बताये हैं और इन 140 में से जैसलमेर में हमारे पास में 31 ट्यूब वेल का होना पाया जाता है उसमें से 11 एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास में है और 16 हमारे पास में हैं और इन 16 के साथ 4 डिग कम बोर में शामिल कर दिये गये है। इस प्रकार करीब 20 है। माननीय सदस्य को शायद यह गलतफहमी हो गई कि पिछली बार नलकूप फेमिन के मद से बनाये गये थे और वे शायद उन्हें ही प्रारम्भ कराने की बात कहना चाहते हैं। यदि मैं यह गलत समझी हूं तो वे मुझे बीच में करेक्ट कर दें।

श्री बालसिंह सोढा : अड़ोदा का नलकूप ई0 टी0 ओ0 द्वारा खोदा गया है, फेमिन के द्वारा नहीं खोदा गया है।

श्रीमती सुमित्रा : जो सूची है वह मैं आपको बता देती हूं। जोरायत, मरेन्द्र-11, थानासर, खुलानिया, बाणकूपा-11, झूंझनूयाणु, बाकरा, मिलाना, बादरिया, ओगाता, बोलाना और ये है ट्यूब वेल और कोई हों तो मुझे बता दें।

श्री बालसिंह सोढा : इसके अलावा हैं। कृषि विभाग ने जलप्रदाय विभाग को इनके लिये लिखा है वे हैं, रोणाऊ, दुदारा कूकड़ी, बड़ोदा और एक है एकजीरा। इनकी क्षमता इतनी नहीं है कि इनसे खेती की जा सके। इसलिए ये ड्रिंकिंग वाटर के लिये काम में लिये जाने के लिए कृषि

(श्री बालसिंह सोढा)
विभाग ने आपके विभाग को आज ने एक साल पहले लिखा है और इस पर आपके विभाग ने क्या निर्णय लिया है यह आप बता दें।

श्रीमती सुमित्रा : उपाध्यक्ष जी, इन चार गांवों के बारे में, जो अभी बताया गया है, उन्हें यह निवेदन करना चाहूंगी कि उनको आज तक हमारे विभाग में हस्तान्तरित नहीं किया गया है। वैसे पालिसी के बतौर यह तय किया गया है कि जिन नलकूपों की डिस्चार्ज क्षमता एक घंटे में 15 हजार से ज्यादा हो उनको तो कृषि विभाग को दिया जाये और इससे कम हो तो उनको ड्रिंकिंग वाटर के लिये पी. एच. इ. डी. डिपार्टमेंट को सौंप दिये जायें। आज तक कृषि विभाग से हमको कोई नलकूप हस्तांतरित नहीं किये गये हैं।

श्री बालसिंह सोढा : कलेक्टर द्वारा और कृषि विभाग के द्वारा एक साल पहले उनकी क्षमता को देखते हुए आपके विभाग को लिखा गया है। एक साल पहले लिखा गया है कि इनकी क्षमता 8 हजार से कम है और कृषि के लिये उपयुक्त नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि अब ये किस विभाग के द्वारा चलाये जायेंगे। कौनसा विभाग इनको चलायेगा? इसके कारण इनको चलाने में डिले हो रही है और गांव वाले परेशानी में पड़ रहे हैं?

श्रीमती सुमित्रा : जिलाधीश को लिख सकते हैं। हम तो हस्तांतरित कराने के बाद ही चलायेंगे। वैसे ये हमारे अन्डर में नहीं आते हैं।

श्री बालसिंह सोढा : कृषि विभाग ने एक साल पहले लिख दिया है। अकाल सहायता समिति के अन्दर उनके ए. ई. एन. ने हमको बताया था।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न का उत्तर मंत्री महोदया से नहीं मिला है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन दोनों जिलों के अन्दर कितने कुए खुदवाये और उनमें से कितने चालू हैं और कितनों के सम्बन्ध में जिलाधीश ने सिफारिश की है और कितनों को चालू करने का आपने आदेश दे दिया है?

दूसरी जानकारी यह करना चाहूंगा खास तौर से अकाल सहायता मंत्री से कि जो नलकूप अकाल सहायता विभाग द्वारा खुदवाये गये हैं और जिनका अभी तक निर्णय नहीं हो सका है कि इनको एग्रीकल्चर या जलप्रदाय विभाग चलायेगा, जबकि उन कुओं से पीने का पानी मिल रहा है उनके बारे में आपने क्या निर्णय किया है और क्या उनको भी चालू करवाया जायेगा? करोड़ों रुपये खर्च करके आपने इनको खुदवाया है और निर्णय के अभाव में ये बन्द पड़े हैं तो इसका भी स्पष्टीकरण मैं जानना चाहूंगा ताकि लोगों को जलसंकट से राहत मिले। इस आधार पर यह जानकारी करना चाहूंगा।

श्रीमती सुमित्रा : उपाध्यक्ष जी, मेरे पास में जो सूची है, उसमें बाड़मेर जिले के अन्दर 8 ट्यूबवेल हैं। इन सब में से एक को डिपार्टमेन्ट चला रहा है बाकी 7 बंद थे। परन्तु इनके सम्बन्ध में भी जिलाधीश को आदेश दे दिये गये हैं और हमारे एक्स. ई. एन.

Page No 68

(श्रीमती सुमित्रा)

को भी आदेश दे दिये गये हैं कि जिलाधीश जिस किसी भी कूप को चलाने की सिफारिश करे उनको चालू कर दिया जाये और जो पानी की कठिनाई है उसको तत्काल हल किया जाये। जिलाधीश जहां भी कठिनाई देखेंगे इनको चालू कराने का आदेश दे सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : कितने चालू हैं ? यह जानकारी करना चाहता हूं।

श्रीमती सुमित्रा : निश्चित तौर पर तो नहीं बता सकती परन्तु हमने यह आदेश दे दिये हैं कि उन सबको जिलाधीश जैसा आदेश देंगे चालू कर दिया जायेगा। वैसे एक दो दिन में वैसे ही चालू हो जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : फेमिन के कुओं के बारे में तो आप क्या कह सकेंगी। अकाल राहत मंत्रीजी अपने मुख से कहने की कृपा करेंगे ताकि जनता को राहत मिल सके।

श्री परसराम मदेरणा (अकाल राहत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, फेमिन के जो 89 कुए खोदे गये थे उनमें से 62 सक्सेसफुल रहे हैं और 62 में से एक कुआ ऐसा है जिसका पानी पहले तो पीने के लायक था परन्तु उसके बाद कड़वा हो गया है। अब इस तरह से 61 नलकूप सक्सेसफुल हैं। अब इनको कृषि विभाग को सौंपा जाये या जलप्रदाय विभाग को इसके बारेमें एक मीटिंग एग्रीकल्चर प्रोड्क्शन कमेटी की सचिवालय में हो रही है और उसके निर्णय के बाद इन नलकूपों को जिनका पानी का डिस्चार्ज ज्यादा हैं उनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट को और बाकी को जलप्रदाय विभाग को दे दिया जायेगा। इनको चलाने का जो प्रश्न है उसके बारे में वित्त मंत्रीजी ने यहां पर एक पोलिसी का स्टेटमेन्ट दे दिया है इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता चाहे फेमिन डिपार्टमेन्ट हो या और दूसरा विभाग हो, पानी की जहां किल्लत होगी वहां जलप्रदाय विभाग इनको चलायेगा। इस प्रकार मैं समझता हूं कि कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए और यह आवश्यकता महसूस की गई कि पानी की दिक्कत है और पी. एच. डी. को हस्तांतरित नहीं किये गये हैं तो वह नहीं चलायेगी तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थिति नहीं रहेगी।

श्री भैरोंसिंह : इन 61 कुओं में से कितने बंद पड़े हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : सब तो बंद नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : कितने चालू हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : जैसलमेर में फेमिन के कुए चल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : एक भी कुआ नहीं चल रहा है। पानी के संकट निवारण के लिये राज्य सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च किये हैं और इनको खुदवाया है और अब राज्य सरकार यह फैसला नहीं कर सकी है कि इन कुओं के बारे में कि कौनसा विभाग इनको चालू करेगा। बाड़मेर, जैसलमेर जिले में लोग पानी के लिये त्राहि त्राहि कर रहे थे और राजस्थान का मंत्रिमण्डल इस बात पर विचार करेगा कि ये कुए कौनसे विभाग के अन्तर्गत चलाये जायें। उस समय तक बरसात भी हो जायेगी। आपने ये कुए

(श्री भैरोंसिंह)

केवल डेकोरेशन के लिये खुदवाये हैं ? भारत सरकार से कर्ज लेकर खर्च किया है और लोगों को प्यासा मारने की योजना है, तब तो ठीक है । आपके 60 कुओं में से 56 कुए बन्द हैं । जहां लोग पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और आपको एग्रीकल्चर प्राडक्शन कमेटी की मीटिंग होगी तब कहीं विचार किया जायेगा-यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है । माननीय सदस्य जो वाड़मेर से आये हैं, ने कई बार ध्यान आकर्षण प्रस्ताव द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि जिले में पानी के लिये लोग त्राहि त्राहि करते रहे और इधर आप कमेटी का इन्तजार करते रहे । पानी की समस्या को हल करने के लिये हम एक तरफ नल कूप खुदवा रहे हैं । दुर्भाग्य से नल कूप तो खुद गये लेकिन गांव वालों को आज तक पानी नहीं मिल रहा है और यह उसी का परिणाम है कि गांवों में पानी के लिए त्राहि त्राहि मची हुई है ।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इजाजत हो तो मैं कुछ कह दूं–राजस्थान में जितने सक्सेसफुल ट्यूब वेल्स हैं चाहे वे किसी जिले में हों उन सब ट्यूब वेल्स को पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट आपरेट करेगा-एक बात ।

श्री भैरोंसिंह : तब तक के लिए····

श्री मथुरादास माथुर : उसके लिए आज से तीन दिन पहले पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर की एक मीटिंग हुई थी । मैंने बजट स्पीच में जो बातें कही हैं उसको इन्क्लूड करने के लिए मीटिंग बुलाई थी । कुए खोदने के लिए एजेन्सी कोई भी हो वह माइनर बात है–फेमिन डिपार्टमेंट के बजट से खुदे या किसी भी डिपार्टमेंट से खुदे । ट्यूब वेल खुदने चाहियें । उसमें अगर पानी ज्यादा हो तो उसका पानी इरिगेशन के पर्पज के लिये भी दे दिया जाय बाकी कुए·····

श्री भैरोंसिंह : 15 हजार से अधिक को निजी खेती···

श्री मथुरादास माथुर : पहले सुन लें। जो इरिगेशन के लिये काम में आ सकता है गांवों में कुछ कुए ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट ने अपने पर्पज के लिये खोदे हैं जैसे एनीमल हस्बेन्डरी डिपार्टमेंट है–बी. एण्ड आर. ने खोदे हैं, उन कुओं के अन्दर कई कुए ऐसे हैं जिनमें केवल पीने का पानी है उसको पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट आपरेट करेगा और गांवों को पानी देगा । एक समस्या जो है वह तो यह है । दूसरे फेमिन डिपार्टमेंट के कुओं के पानी की बात है । जहां सोर्सेज अवेलेबल हैं पानी के वहां कुछ गांवों ने पानी लेने से मना भी किया है···

श्री भैरोंसिंह : एक गांव भी ऐसा बता दें जो कुओं से पानी नहीं लेना चाहता है···

श्री मथुरादास माथुर : इस वक्त तो मेरे पास में नाम वगैरह नहीं हैं···

श्री भैरोंसिंह : फिर आप यह कहें भी मत कि गांव पानी नहीं लेना चाहता है।

श्री मथुरादास माथुर : जहां पर ट्यूब वेल खुद गये हैं और उनमें पीने के लिये पानी मीठा है वहां इमीजियेटली स्टार्ट करवा दें—ऐसा पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट एक पैटर्न बनाकर तीन दिन के अन्दर मीटिंग करके कर रहा है। मेरे ख्याल से सब कुएं आपरेशन में आ जाने चाहिये···

श्री दौलतराम सारण : मैं एक जानकारी चाहता हूं। किसी गांव में एक ही कुआं है और वह कुआं धंस गया, पीने के पानी का वहां कोई दूसरा स्रोत नहीं है और ऐसे गांवों के लिये जहां का पानी सूख गया है—पीने के पानी का कोई जरिया नही है उन गांवों के लोगों के लिये पानी की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं वह भी निवेदन कर दूंगा। विशेष कोई समस्या आपके सामने है तो उसके लिये सर्वे करा कर पानी···

श्री दौलतराम सारण : नालमदेसर की समस्या है।

श्री मथुरादास माथुर : इसको देखा जायेगा।

श्री दौलतराम सारण: इस सम्बन्ध में ऐडजोर्नमेंट मोशन भी आया है। बीकानेर के पास में है। मैंने पंचायत मन्त्रीजी को चिट्ठी लिखी है। 200 घरों की आबादी के लिये पानी पीने की समस्या है। कुआ धंस गया है। उस गांव के लोग प्यासे भटक रहे हैं। कलेक्टर को चिट्ठी लिखी, तार दिया, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी रखा। ऐसी स्थिति है। राज्य सरकार को अविलम्ब कदम उठाना चाहिये वरना गर्मी के अन्दर बड़ी हालत खराब हो जायेगी। गांव वाले कहां जायेंगे, पशुओं के पीने का भी पानी नहीं है, वे कहां जायेंगे···

श्री मथुरादास माथुर : मैं पूछ कर वहां पर क्या इन्तजाम हो सकता है—कुआं धंस गया है तो आस-पास के गांवों में कहीं पर कुआं है तो वहां से कुछ इन्तजाम हो सकेगा तो किया जायेगा। समय लगेगा लेकिन इमीजियेट रिलीफ की जरूरत होगी तो कुछ···

श्री दौलतराम सारण : 200 घरों की आबादी में एक कुआं था वह भी धंस गया अब वहां कोई पानी पीने का साधन ही नहीं रहा है। टैंकर से हो सके तो टैंकर से व्यवस्था कराई जाय।

श्री देवीदत्त गाडिया : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले चिड़ावा के अन्दर ट्यूब वेल खोदा गया····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाडिया : बन्द पड़ा है। आज तक उसका कोई उपयोग नहीं हुआ है। न खेती के लिये पानी दिया जा रहा है और न पीने के पानी के लिये काम आ रहा है···

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। माननीय सदस्य। चर्चा समाप्त हुई।

श्री बालसिंह सोढा : उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति स्पष्ट कर दी जाय। कलेक्टर को लिखा जाय या नहीं लिखा जाय लेकिन ट्यूब वेल साल भर चलेगा या नहीं बरसात हो गई तो यह डिले हो जायगा। उपाध्यक्ष

(श्री बालसिंह सोढ़ा)
महोदय, जितने सक्सेसफुल ट्यूब वैल्स हैं वे चलाये जायेंगे। यह स्थिति स्पष्ट कर दी जाय।

श्रीमती सुमित्रा : मैंने निवेदन किया है स्पष्ट आदेश दे दिये गये हैं--एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को। जिन जिन जिलाधीशों को कहा गया है वहां पर चला दें। अब यहां के आदेश की आवश्यकता नहीं है। ऐसे स्पष्ट आदेश एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को दे दिये गये हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव नालमदेसर गांव का था···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इस पर चर्चा नहीं होगी। माननीय दौलतरामजी ने इस प्रश्न को उठा दिया है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : गांव में एक ही कुआं था। सारा का सारा गांव खाली होने जा रहा है। हालत बड़ी अजीब है इसलिये मैं चाहूंगा इस पर आप थोड़ी शान्ति से विचार करें और उस गांव के लिये पीने के पानी की व्यवस्था करवाई जाय। हालत बहुत बुरी है···

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं एक जानकारी चाहता हूं शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राईब्स के लोग थे उनको पन्द्रह सौ या एक हजार रुपया कुआं लगवाने की व्यवस्था के लिये दिया था। मगर आज पोजीशन क्या है। वे कूएं अधूरे पड़े हुये हैं। सब कुएं गिर गये हैं ऐसी हालत में···

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था पहले···

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन ध्यान आकर्षण प्रस्ताव से मेल खाता है···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह पीने के पानी के अभाव के बारे में नहीं है नल कूपों से पानी देने के सम्बन्ध में है। आप विषयान्तर हो गये हैं। वित्त मन्त्रीजी द्वारा वक्तव्य।

शासकीय वक्तव्य

राजस्थान राज्य बीमा विभाग के विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व जयपुर राज्य में अनिवार्य राज्य बीमा योजना लागू थी। वर्ष 1954 से यह धीरे धीरे राजस्थान राज्य के सरकारी कर्मचारियों पर लागू की गई। इस समय इस योजना के अन्तर्गत करीब 2,40,000 बीमा शुदा व्यक्ति हैं। इस विभाग में करीब 600 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक जिले में इस विभाग के न्यूक्लियस कार्यालय हैं जो जिला कोषागारों के सहयोग से कार्य कर रहे हैं। 8 महत्वपूर्ण कोषागारों में ये कार्यालय, पर्यवेक्षकों की निगरानी में कार्य कर रहे हैं, जो वरिष्ठ लिपिक और कनिष्ठ लिपिक हैं।

बीमा विभाग का विकेन्द्रीकरण करने का प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है। सरकार चाहती है कि जिला कार्यालयों का पर्यवेक्षण प्रभावशाली ढंग

(श्री मथुरादास माथुर)

से हो, कार्यक्षमता में सुधार हो तथा पालिसीधारकों को अधिक अच्छी सेवा दी जाये। यह महसूस किया जाता है कि क्षेत्रीय स्तर पर एक छोटे मध्यवर्ती कार्यालय से जिलों में पदस्थापित कर्मचारियों का पर्यवेक्षण भलीभांति किया जा सकता है। क्षेत्रीय स्तर का अधिकारी बीमा शुदा सरकारी कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित कर इस योजना को और अधिक लोकप्रिय बना सकता है। इस योजना में की गई व्यवस्था के अनुसार न्यूनतम मासिक प्रिमीयम का अशंदान के रूप में भुगतान किया जाना अनिवार्य है। योजना में यह भी प्रावधान है कि कोई भी बीमा-शुदा व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार निहित न्यूनतम प्रीमियम की दुगुनी राशि तक का अंशदान जमा करा सकता है। ऐसी आशा है कि क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना के साथ ही क्षेत्रीय अधिकारी अधिकाधिक सरकारी कर्मचारियों से सम्पर्क स्थापित करेंगे और उन्हें समझायेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत पूरे लाभ उठाने से क्या क्या सुविधायें प्राप्त हो सकती हैं।

यह भी विचार था कि ये अधिकारी स्वयं व्यक्तिगत रूप से भी पालिसीधारियों की अधिक अच्छी सेवा कर सकेंगे। मृत्यु होने अथवा पालिसी परिपक्व होने की दशा में दावों का स्टेटमेन्ट तैयार कराना और शीघ्र ही उन्हें अन्तिम रूप देने के लिये पेश करना पहले की अपेक्षा अधिक आसान होगा। उन मामलों में जिनमें भूतकाल में की गई कटौतियां कटौती अनुसूची में पालिसी की संख्या गलत दिये जाने के कारण अथवा कर्मचारी के किसी पर-नियोजन के यहां प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से संबंधित बीमाशुदा व्यक्ति के खाते में दर्ज नहीं की गई हों तो आहरण और वितरण अधिकारी से सम्पर्क साथ कर प्रविष्टियों दर्ज कराना आसान होगा और दावे और ऋण संबंधी मामले भी शीघ्र सुविधापूर्वक निपटाये जा सकेंगे।

अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का विचार है। 2,40,000 बीमाशुदा कर्मचारियों में से करीब 50 प्रतिशत कर्मचारी इन्हीं जिलों में पदस्थापित हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना से इन कर्मचारियों को सीधा लाभ पहुंचेगा। इसके साथ ही पड़ौसी जिलों के कर्मचारियों को भी पर्याप्त राहत मिलेगी।

2,40,000 बीमाशुदा कर्मचारियों में से 16 प्रतिशत अर्थात् 41,500 जयपुर जिले में पदस्थापित हैं। वर्ष 1969-70 में बीमा विभाग ने 12,500 लोगो को ऋण दिया था। इनमें से 4900 कर्मचारी जयपुर जिले में पदस्थापित हैं। इसका तात्पर्य यह है कि 16 प्रतिशत बीमाशुदा कर्मचारियों ने 40 प्रतिशत ऋण प्राप्त किया। इस प्रकार बीमा कार्यालय के नजदीक रहने एवं व्यक्तिगत सम्पर्क की सहूलियत के कारण ही इन कर्मचारियों ने अन्य कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक लाभ उठाया है। अब दूसरे क्षेत्रों के लोगों के लिये भी अपनी पालिसी के प्रति ऋण लेना पहले की अपेक्षा अधिक आसान होगा।

(श्री मथुरादास माथुर)

क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना के बाद पालिसीधारियों अथवा उनके वैध प्रतिनिधियों के लिये यह आसान होगा कि वे कम से कम समय एवं रुपया खर्च कर अपने निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय में जायें और मृत्यु अथवा परिपक्वता दावों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिला सकें। इस समय पालिसीधारियों को मुख्य कार्यालय तक जाने में जो दूरी तय करनी पड़ती है वह अत्यधिक है एवं इसके लिये खर्च भी बहुत अधिक करना पड़ता और इस कारण पालिसीधारी मुख्य कार्यालय तक नहीं पहुंच पाते।

छः क्षेत्रीय कार्यालयों में से एक जयपुर में होगा। अन्य पांच कार्यालय भूतपूर्व डिविजनल मुख्यालयों में होंगे। करीब 200 कर्मचारियों को क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थानांतरित करना पड़ेगा। शैक्षणिक सत्र के दौरान में स्थानान्तरण नहीं हो इसके लिये यह निश्चय किया गया था कि इन क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना 1 जून, 1971 से की जाय। विकेन्द्रीकरण के परिणामस्वरूप कर्मचारियों को न तो कानूनी परिलब्धियों से ही वंचित होना पड़ेगा और न ही उन्हें कोई विशेष कठिनाई उठानी पड़ेगी। यह ठीक है कि जयपुर से बाहर स्थानांतरित किये जाने वाले कर्मचारियों को नगर क्षतिपूर्ति भत्ता नहीं मिलेगा परन्तु यह ध्यान में रखा जाना चाहिये कि यह भत्ता जयपुर में इसलिए दिया जाता है कि यहां जीवनयापन का खर्च अपेक्षाकृत अधिक है। दूसरे स्थानों पर जीवनयापन का खर्च इतना नहीं है जितना कि जयपुर में है और इसलिये अन्य स्थानों पर पदस्थापित कर्मचारियों को नगर क्षतिपूरक भत्ता नहीं दिया जाता। जब कभी भी लोगों का जयपुर से अन्य स्थानों पर स्थानान्तरण होता है तो उनको नगर क्षतिपूरक भत्ता मिलना बन्द हो जाता है। सामान्यतः सभी विभागों में ऐसा ही होता है। बीमा विभाग में भी सेवा की वर्तमान शर्तों के अनुसार मुख्यालय के कर्मचारियों को जिलों में स्थानांतरित किया जा सकता है तथा इसी प्रकार जिला कार्यालयों में स्थित कर्मचारियों का स्थानान्तरण मुख्यालय में किया जा सकता है। इस प्रकार जब यहां से स्थानान्तरण होता है तो उस व्यक्ति को जिसका स्थानान्तरण किया जाता है नगर क्षतिपूरक भत्ता मिलना बन्द हो जाता है।

पहले भी सरकार ने बहुत से कार्यालयों का इधर से उधर स्थानान्तरण किया है, जैसे रेवेन्यू बोर्ड, डिविजनल कमिश्नर, राजस्थान लोक सेवा आयोग और आयुर्वेदिक विभाग के मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किये गये थे। आबकारी एवं कर विभाग का विभाजन कर, कर आयुक्त के कार्यालय का स्थानान्तरण उदयपुर से जयपुर में किया गया था। अभी हाल ही राजस्थान नहर परियोजना के मुख्य अभियन्ता के मुख्यालय को जयपुर से हटाकर बीकानेर स्थानान्तरित किया गया है।

राज्य सरकार ने बीमा विभाग के छः कार्यालयों की स्थापना के लिये 1971-72 के बजट में 60,000 रुपयों का उपबन्ध रखने के लिये प्रस्ताव किया है। राज्य विधान सभा से 10,000 रुपयों तक का लेखानुदान प्राप्त भी कर लिया गया है। यह कहना ठीक नहीं है कि यदि इन क्षेत्रीय

(श्री मथुरादास माथुर)

कार्यालयों की स्थापना की गई तो 4 लाख रुपयों का अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा और न ही यह कहना भी ठीक है कि क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना से बीमाशुदा व्यक्तियों का रिकार्ड ग्रस्त व्यस्त हो जायेगा और उनके सम्बन्ध में अनावश्यक समस्यायें उत्पन्न करेगा। पालिसियां बीमाशुदा व्यक्तियों के पास ही रहती हैं सिवाय उन मामलों के जब कि कोई व्यक्ति अपनी पालिसी, उसमें अगले बीमों की प्रविष्टियां कराने के लिये, इस विभाग को भेजे। प्रत्येक कर्मचारी के लिये रखे जाने वाले "बीमा पालिसी थैलों" के अतिरिक्त राजकीय बीमा विभाग के 'मूल्यांकन अनुभाग' (वेल्युएशन सेक्शन) में भी पूर्ण सूचना रहती है जहां से जीवनांक अनुसंधान के लिये पूर्ण सूचना उपलब्ध की जाती है। इस प्रकार रिकार्ड हटाने सम्बन्धी कोई समस्यायें उत्पन्न नहीं हो सकतीं। भूतकाल में दूसरे विभाग के रिकार्ड भी इधर से उधर ले जाये गये हैं और इसके कारण कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं हुई हैं। अतः बीमा विभाग के रिकार्ड के सम्बन्ध में भी कोई विशेष भय नहीं होना चाहिये।

राज्य बीमा विभाग के कर्मचारी संघ ने सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें बीमा विभाग की कार्य व्यवस्था से संबंधित विभिन्न कमियां बताई गई हैं। सरकार ने इस प्रतिवेदन पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और उसके विचार में इस प्रतिवेदन में कोई सार नहीं है। विभाग के निदेशक से ऋण आवेदन-पत्रों, और आगे बीमा (फरदर एशोरेन्स) किये जाने या जोखिम नोट (रिस्क नोट) जारी किये और पालिसी परिपक्व होने या अन्य कारणों से प्रस्तुत दावों के निपटारे के सम्बन्ध में नियतकालिक सूचनाएं प्राप्त की जाती रही हैं और इस प्रकार विभाग के कार्य पर भलीभांति निगरानी रखी जाती है। बेशक, यह ठीक है कि कुछ मामलों में कटौती अनुसूचियों में गलत पालिसी संख्या दिये जाने के कारण कटौती संबंधी प्रविष्टियां खाते में नहीं की गई हैं। फिर भी, 1961-62 से वसूली समायोजन रजिस्टरों (रिकवरी एडजस्टमेन्ट रजिस्टर्स) में ये प्रविष्टियां कर ली गई हैं। पालिसी की गलत संख्या दिये जाने के कारण प्रविष्टियां 'वसूली अनुसूची' (रिकवरी शिड्यूल) या 'वसूली समायोजन रजिस्टरों' से 'खातों' (लेजर) में नहीं ले जाई जा सकीं। बीमा के अभिलेखों की आवश्यक जांच पड़ताल के पश्चात् तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों से पत्र व्यवहार करने के बाद, आवश्यक प्रविष्टियां की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 1968 से स्लेब (स्लेब) प्रणाली चालू की है। इसके कारण करीब करीब सभी बीमाशुदा व्यक्तियों के प्रीमियम का पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक हो गया। इसके परिणामस्वरूप प्रायः सभी कर्मचारियों के और आगे बीमा (फरदर एशोरेन्स) जारी करने पड़े हैं। मार्च, 1970 से प्रीमियम की दरों में फिर संशोधन किया गया। इस संशोधन का भी यही प्रभाव हुआ। इसके परिणामस्वरूप बीमा विभाग का कार्य सामान्य वर्षों की अपेक्षा 5–6 गुना अधिक हो गया। इसके अतिरिक्त 1967 में अधिवार्षिकी आयु 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष कर दी गई है। इसके परिणामस्वरूप भी करीब करीब सभी कर्मचारियों के बीमा सम्बन्धी विव-

Page No 75

(श्री मथुरादास माथुर)

रणों में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। इतना बड़ा हुआ कार्य एक ही वर्ष में समाप्त नहीं किया जा सकता। इस अतिरिक्त कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है। इसका जो परिणाम निकला है वह उत्साहवर्द्धक है। विभाग की वर्तमान परिस्थितियों का इस पृष्ठभूमि में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। संघ ने भी एक पेम्पलेट प्रकाशित किया है जिसमें यह मांग की गई है कि विभाग के विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय वापिस लिया जाये, निदेशक को हटाया जाये और एक कमेटी की नियुक्ति की जाये। सम्मानीय सदस्यगण मुझसे इस बात से सहमत होंगे कि विभाग के लिपिकवर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कहने मात्र से ही विभाग के निदेशक को नहीं हटाया जा सकता और न ही विभाग की कार्य प्रणाली की जांच के लिए किसी समिति की स्थापना की जा सकती है। यह सरकार के सोचने की बात है और सरकार निदेशक के कार्य से प्रसन्न है। क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना सम्बन्धी विनिश्चय का सामान्यतः सभी कर्मचारियों ने स्वागत किया है और खास तौर से जयपुर से बाहर पदस्थापित कर्मचारी तो इस विनिश्चय से अत्यधिक प्रसन्न हैं। करीब 200 कर्मचारियों ने जिनका जयपुर से बाहर स्थानान्तरण होने की सम्भावना है अपने संघ को यह बताकर गुमराह करने की कोशिश की है कि यह विनिश्चय कर्मचारियों को तंग करने के विचार से लिया गया है। स्पष्टतः यह विचारXXXएवंXXXहै। इन 200 व्यक्तियों के अपने स्थानान्तरणों को रोकने के प्रयत्नों के कारण 2,00,000 बीमा शुदा कर्मचारियों के हितों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। . . . .

श्री भैरोंसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर सर, उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो मन्त्री महोदय ने यह कहा कि मैं समझता हूं कि अनपार्लियामेन्टरी है और मन्त्री महोदय के लिए शोभा की बात नहीं है कि वे अपने कर्मचारियों के किसी एक्शन को कहें इसलिए ये शब्द प्रासीडिंग्स से एक्सपन्ज किये जायें।

श्री मथुरादास माथुर : मेरे शब्द हैं, "यह विचार XXXXX एवं XXXX है इन 200 व्यक्तियों के अपने स्थानान्तरणों को रोकने के प्रयत्नों के कारण . .

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसका क्या हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं खत्म कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : सरकार का लिखित वक्तव्य है। अगर कोई एक्सटेम्पोर बोल रहे हैं और XXX शब्द का प्रयोग कर लें तो आपने कई बार रूलिंग दी है किXXX शब्द का प्रयोग नहीं किया जाय, लेकिन मन्त्री महोदय उसका प्रयोग अपने वक्तव्य में कर रहे हैं वह XXXXX कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या कहना है माथुर साहब ?

XXXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

Page No 76

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कई माननीय सदस्यों के वर्ड्स को एक्सपन्ज करवाया है। मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मन्त्री जी ने जो इन दो शब्दों का यहां प्रयोग किया है उनको एक्सपन्ज किया जाय। XXXX तो ऐसा शब्द है · ·

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपन्ज।

श्री भैरोंसिंह : डाइरेक्टर का लिखा हुआ स्टेटमेंट लाकर पढ़ रहे हैं। अगर अपनी अक्ल से काम लिया होता तो यह बात नहीं होती।

श्री मथुरादास माथुर : अक्ल का दावा तो, माननीय उपाध्यक्ष, किसी एक माननीय सदस्य का ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : बिल्कुल सही है।

श्री मथुरादास माथुर : यह बाजार में किराये से तो मिलती नहीं है कि माननीय सदस्य लेकर आ जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : आप डाइरेक्टर से किराये पर लेकर आ गये हैं बिना पढ़े हुए।

श्री मथुरादास माथुर : गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है डाइरेक्टर को भी भेजते हैं। आप सुनिये तो सही।

श्री भैरोंसिंह : आप खुद बनाते तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते।

श्री मथुरादास माथुर : लॉ डिपार्टमेंट ने ट्रान्सलेशन किया है।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने माननीय मंत्री जी के लिए जो इन शब्दों "अक्ल से काम लिया होता तो यह बात नहीं होती" का प्रयोग किया है मैं समझता हूं कि ये अपमानजनक और आपत्तिजनक और अनुचित शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है जो कि अनपार्लियामेंट्री हैं। इस सम्बन्ध में कई बार विधान सभाओं और पालियामेंट में निर्णय हुआ है कि किसी भी सदस्य या किसी भी मन्त्री के लिए अक्ल से काम नहीं लेना, कहना यह सीधा अटेक है जो कि नहीं किया जाना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : सब आदमी अपेक्षा करते हैं अकल से काम लेने की।

श्री मथुरादास माथुर : अकल मेरे पास भी है · · ·

श्री भैरोंसिंह : हम कहते हैं · ·

श्री मथुरादास माथुर : इङ्गलिश में स्टेटमेंट था उसमें 'फाल्स' था तो मैंने कह दिया · · ·

श्री रामकिशन : तभी तो हम कहते हैं कि अंग्रेजी को हटाओ।

श्री मथुरादास माथुर : यह हटा देते तो यह नहीं होता।

श्री रामकिशन : आप त्रुटिपूर्ण रख सकते हैं। अंग्रेजी के मोह में यह होता है।

श्रीमथुरादास माथुर : हिन्दी में XXX आ जाता है तो यह करते हैं और अंग्रेजी

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री मथुरादास माथुर)

में 'फाल्स' आ जाता है तो उसको अच्छा मानते है । XXX तो अनपार्लियामेंट्री है और अंग्रेजी में पढ़ता तो ठीक होता, लेकिन आपके डर से मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता यह स्टेटमेंट तो पूरा करने दें।

यदि जयपुर से बाहर स्थानान्तर किये जाने वाले कर्मचारियों को कोई वास्तविक कठिनाई होगी तो सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए सदैव तैयार है खास तौर से ऐसे विभाग के कर्मचारियों के बारे में जिनके मुख्यालय एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाये गये हैं ऐसे कर्मचारियों की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया है ।

राज्य कर्मचारी संघ (बीमा विभाग) का प्रतिनिधिमण्डल मुख्य मन्त्रीजी से मिला है और मैंने भी उन्हें समय दिया है । उनसे मिलने के बाद में कोई नया मुद्दा ध्यान में लायेंगे तो उस पर मैं पुनः विचार करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें निवेदन करना यह है कि स्टेटमेंट माननीय मन्त्रीजी ने दिया है वह काफी लम्बा चौड़ा है और उस स्टेटमेंट में इस बात का प्रयत्न किया है कि बीमा विभाग के कर्मचारी संघ की मांगों, बीमा विभाग के निदेशक के खिलाफ जो आरोप पत्र हैं और एडजोर्नमेंट मोशन है इन तीनों चीजों का उत्तर देने के चेष्टा की है। यह मामला बड़ा महत्वपूर्ण है इस बात को माननीय मन्त्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है उनके कहने का अर्थ यह है कि पालिसी होल्डर्स के हित में यह सारा काम किया जा रहा है और हमारे लोगों की मान्यता यह है कि पालिसी होल्डर्स के हितों के विपरीत यह सारा काम हो रहा है तथा और भी इसके कारण हैं । इस सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा हो । इसके बारे में मै निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्टेटमेंट के ऊपर डिबेट हो इस प्रकार की अनुमति दी जाय, वह चाहे आज नहीं, कल हो, परसों हों, उसके लिए समय निर्धारित करें। रूल्स के अनुसार भी इस पर डिबेट और डिस्कशन उठाया जा सकता है। उस आधार पर मैं मूव करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको डिस्कशन के लिए ले लिया जाय. . .

श्री रामकिशन : लम्बा भी बहुत है।

श्री मथुरादास माथुर : ज्ञापन भी लम्बा है।

श्री भैरोंसिंह : यह भी चाहते हैं कि कर्मचारी संघ के साथ बात करने पर कई बातें सामने आयेंगी तो सरकार उन पर पुनर्विचार करने को तैयार हैं तो ऐसी स्थिति में सहानुभूति तो इनके दिल में भी है ।

श्री सतोशचन्द्र अग्रवाल : डेप्यूटेशन कब मिला है ?

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय, इसमें...

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कहा है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी से डेप्युटेशन शायद कल मिला था और मुझसे भी मिलने के लिए आया था, लेकिन मैं अवेलेबल नहीं था तो मैंने उनको समय दिया है 21 तारीख

XXXअध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री मथुरादास माथुर)

को वे मेरे से मिलेंगे। उन्होंने पत्र भी दिया था और मिलने भी आये थे। वे चाहते हैं कि जो कुछ लिखकर उन्होंने दिया है उसको सप्लिमेंट करना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। मैंने समय दे दिया है। उनके मिलने के बाद सरकार निर्णय लेगी। सरकार हमेशा लाजीकल और रेशनल चलती है और ओपन माइन्डेड है। वे अगर उचित बात कहेंगे तो उस पर विचार करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डेप्युटेशन आपको मिलने वाला है और डेप्युटेशन मिलने से कोई हल निकल जाय तो इस चर्चा को उठाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। The matter ends as the problem is solved

श्री मथुरादास माथुर : 21 तारीख का टाईम दिया है।

श्री भैरोंसिंह : 21 तारीख के बाद कोई समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमारा दुराग्रह नहीं है चर्चा उठाने का। एक इम्पार्टेन्ट प्राब्लम है एक तरफ तो राजस्थान के ढाई लाख पोलिसी होल्डर्स का सवाल है और दूसरी तरफ कर्मचारियों के स्थानान्तरण का सवाल है। उसके बारे में उनको एसोसियेशन ने रिप्रेजेन्टेशन किया है। जनरल फीलिंग यह है कि यहां पर जो स्ट्राइक हुआ था तो स्ट्राइक के कारण लोगों को विक्टेमाइज करने के लिए यह किया जा रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : स्ट्राइक का तो मेरे दिमाग में निर्णय लेने के समय रत्ती भर भी नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : हम कन्विन्स करायेंगे कि यह प्रेजेन्ट प्रोब्लम कहां से क्रूट आउट हुआ है और इसके पीछे विक्टेमाइजेशन का है...

श्री मथुरादास माथुर : पालिसी होल्डर्स जो राजस्थान भर में करीब दो लाख से ज्यादा है मुख्तलिफ हिस्सों में और खास तौर से डिविजन हैड क्वार्टर्स पर 40–50 हजार पर्सन्स हैं उनको सहूलियत नहीं थी और कठिनाई पड़ती थी तो उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह किया है और बजट बनाते वक्त ध्यान में रखा है और 60 हजार रुपये का प्रोवीजन किया है ताकि वहां के लोगों को आराम मिल जायेगा इस पाइंट आफ व्यू से निर्णय लिया गया है। उसके बाद में ज्ञापन आया है तो उस पर जब यह मोशन आया तब सोचा है और यह स्टेटमेंट दिया है। आप मिल लें और समझा दें। मैं हमेशा ओपन माइन्ड हूं और मेरे लिए जिद् की बात नहीं है और प्रेस्टीज की भी बात नहीं है, पालिसी होल्डर्स का इन्ट्रेस्ट मेरे लिए सुप्रीम है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमारी अपनी मान्यता है एट दी मूमेन्ट कि यह जो डिसीजन आपने लिया है कि राज्य कर्मचारी जो इस विभाग के हैं उन्होंने हड़ताल में...

श्री मथुरादास माथुर : हड़ताल में तो सभी विभागों ने भाग लिया था। हमने हड़ताल का कारण ही नहीं रखा है। हमने सबको माफ कर दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हड़ताल सबसे अधिक सकसेसफुल यदि कहीं हुई है तो इस डिपार्टमेंट में हुई है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो बीमा विभाग की एक मांग है और वह यह है कि विभाग का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है वह अलग चीज है। उसमें पोलिटिक्स क्यों इन्ट्राड्यूस कर रहे हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : विकेन्द्रीकरण के बारे में भी वे एकमत हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जो ढाई लाख कर्मचारियों की एसोसियेशन है जो कि उनकी एसोसियेशन से बड़ी है उनसे भी पूछा है कि नहीं? जो राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ है उसकी राय लेनी चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : इसके बारे में पूछा है अन आफिसियली बहुत सों से और उनकी राय यह है। आफिसियली ऐसोसियेशन से नहीं पूछा है। मेरा निवेदन यह है कि हाउस सुप्रीम है उसमें इसको डिस्कस करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। यहां बैठकर चर्चा कर लेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी एडेमेन्सी तो नहीं इस मामले पर?

श्री मथुरादास माथुर : मेरी एडेमेन्सी तो नहीं होती है किसी मामले पर। हाउस सुप्रीम है और उसका फैसला हमें मन्जूर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 21 तारीख को डेप्युटेशन तो आपसे मिलने वाला है और उसके बाद में आप किसी नतीजे पर पहुंचे उसके बाद में स्टेटमेंट पर, स्थिति के अनुसार उसके आधार पर चर्चा का समय निर्धारित कर लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रस्ताव दे दें तो रेग्युलर वे में अध्यक्ष महोदय निर्णय कर लेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह 600 कर्मचारियों के ट्रांसफर का प्रश्न है। लेकिन राज्य में ढाई लाख कर्मचारी हैं। उनके ट्रांसफर्स होते रहते हैं अभी यह बताया गया है कि इससे काफी फायदा होने वाला है तो मैं ऐसी स्थिति में जानकारी चाहता हूं कि क्या यह मंशा पूरी हो सकेगी या नहीं जब कि एक व्यक्ति बीकानेर से कोटा चला जाता है लेकिन इसका रिकार्ड अप-टू-डेट नहीं है? रिकार्ड लेकर बाहर आफिसेज खोले जायें तो ज्यादा अच्छा हो। एक आदमी जोधपुर का है, जोधपुर से कोटा ट्रांसफर हो जाता है तो कहां कहां फाइल घुमाते फिरेंगे। जैसा कि मन्त्री महोदय ने वक्तव्य में कहा है इससे फायदा हो सकता है।

श्री रामकिशन : व्यक्तित्व नहीं वक्तव्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वक्तव्य, स्टेटमेंट?

श्री रामकिशन : हां।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, मैं वही कह रहा हूं।

यह फायदा हो सकता है या नहीं–इस पर गम्भीरता से विचार कर लिया जाये। कर्मचारी एक जगह रहने वाले नहीं हैं।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)
कभी जोधपुर से कोटा, कभी कोटा से बीकानेर। जगह जगह रहना होगा।

आय-व्ययक 1971–72 पर सामान्य वाद विवाद

(1.12 म. प.)

श्री उपाध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद।

श्री भैरोंसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहूंगा। मैंने वित्त मंत्री महोदय के सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया है। बजट पर सामान्य वाद विवाद चल रहा है। जिस प्रकार की स्थिति हो सदन को इस बात की जानकारी दे दी जाये कि वास्तव में स्थिति क्या है? प्रिविलेज मोशन पर क्या निर्णय लिया जा रहा है?

श्री उपाध्यक्ष: वह माननीय अध्यक्ष के पास है। उन्हीं से सूचना प्राप्त हो सकती है।

श्री मथुरादास माथुर: मैंने दे दिया है।

श्री रामकिशन: एक दो पेजेज में है।

श्री भैरोंसिंह: इस बजट में बहुत सी गलतियां हैं।

श्री मथुरादास माथुर मेन बजट में कोई गलती नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: मेजर फतेहसिंह।

श्री फतेहसिंह (ब्यावर): उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर सामान्य वाद-विवाद चल रहा है। इसमें भी अपने विचार प्रकट करना अपना कर्तव्य समझता हूं। माननीय वित्तमंत्री महोदय ने और उनके दल के दूसरे सदस्यों ने भी कांग्रेस के पिछले मध्यावधि चुनावों पर बड़ा अहंकार प्रकट किया है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि उनको जो सफलता मिली है उसको वे नम्रता के भाव से स्वीकार करें और अपने को जनता की सेवा में लगायें। श्रीमान, सही बात तो यह है कि यह चुनाव का एक तूफान था, एक आंधी आयी, और, उस तूफान और आंधी ने कांग्रेस को सफलता की चरम सीमा पर बैठा दिया है।

श्री दौलतराम सारण: लेकिन अब भूकम्प आने वाला है।

श्री फतेहसिंह: जनता ने यह सफलता दिलाई है। आपको यह नहीं भूलना चाहिए। 'गरीबी हटाओ' इस नारे ने जनता में एक मनोकामना पैदा की है। अपने उज्ज्वल भविष्य के लिये उसने यह सफलता दिलाई है। अगर उनकी आकांक्षा पूरी नहीं हुई तो असन्तोष पैदा होगा। और जनता के असन्तोष का क्या परिणाम होता है, उस सम्बन्ध में मैं इस सदन का ध्यान विशेष कर बंगला देश में होने वाली घटनाओं की ओर दिलाना चाहता हूं। जब जनता में असन्तोष होता है तो जनता विद्रोह करती है। श्रीमान, मैं जो जनता के असन्तोष की कल्पना करता हूं, उसका यही कारण है कि यदि जनता की मनोकामना पूरी नहीं हो सकी तो एक दिन वह होगा जब इस देश में इन्कलाब आएगा, क्रान्ति होगी। वह क्रान्ति हिंसा का रूप भी धारण कर सकती है। लेकिन यह सबका कर्तव्य है कि हिंसा से देश को

(श्री फतेहसिंह)

बचाए। इसका ज्यादा उत्तरदायित्व उस तरफ के लोगों का है जो उस ओर बैठे हैं। जो शासन चलाने की नीति का निर्धारण करते हैं और सरकार के मूर्धन्य स्थान पर बैठे हैं। मैं जनता के असन्तोष का ध्यान करता हूं तो उस दिन की घटना ध्यान आती है जब दर्शक दीर्घा से रेजगारी और घासलेट तेल की समस्या को लेकर पर्चे फेंके गये थे। यह एक साधारण बात थी लेकिन मैं इस बात की कल्पना करके चलता हूं, जब कि जनता का असन्तोष उग्र हो जाएगा तब जनता में से कोई भगतसिंह पैदा हो सकता है और एक दिन वह दर्शक दीर्घा से हम लोगों पर बम भी फेंक सकता है। आप जनता को सन्तोष दीजिए ताकि यह स्थिति पैदा नहीं हो। श्री वित्तमन्त्री महोदय ने और कई माननीय सदस्यों ने, जो उस ओर बैठे हुए हैं, अपने भाषणों के द्वारा समाजवाद की बात कही है। लेकिन आखिरकार समाजवाद आयेगा कैसे? समाजवाद कोरी बातें करने से नहीं आएगा। समाजवाद लाने के लिए कठिन परिश्रम करके देश का उत्पादन बढ़ाना होगा और फिर उसका न्यायोचित वितरण करना होगा। तब तो समाजवाद आ सकता है। जहां तक मेरे दल का सम्बन्ध है, वह इसमें विश्वास नहीं करता है। वह तो मानता है:—For forms of Govt. let the fools contest, what is best administered, is best. जो शासन अच्छा होता है, वह जनता के कल्याण की भावनाओं को लेकर चलता है। हम उसको अच्छा शासन मानते हैं। लेकिन कांग्रेस आज क्या कर रही है। कांग्रेस प्रयत्न कर रही है गरीबी को बांटने का। जब कि समाजवाद में समृद्धि बांटी जाती है। मैं कह रहा था कि हम को कठिन परिश्रम करके उत्पादन को बढ़ाना होगा। लेकिन श्रीमान् हमारी गवर्नमेण्ट की इस प्रोडक्शन और कंजम्पशन की जो नीति है, वह दोषपूर्ण है। उत्पादन होता है, जनता उसका कंजम्पशन करती है। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां सरकार की नीति में दोष आता है। सरकार उस व्यवस्था पर हैवी टैक्स लगाती है, कर भार बढ़ाती है तो कंजम्पशन सीमित हो जायेगा। कन्जम्पशन सीमित हो जाने की वजह से प्रोडक्शन कम होगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो इसका उत्पादन करने वालों के ऊपर असर पड़ेगा। बेरोजगारी भी इसमें आयेगी। तो हमारी गवर्नमेण्ट की, मैं यह कह रहा था, प्रोडक्शन कन्जम्प्शन के सम्बन्ध में नीति बड़ी दोषपूर्ण है। आखिर प्रोडक्शन किया जाता है कन्जम्प्शन के लिये और जितना अधिक कन्जम्प्शन होगा वही हमारे लिविंग स्टेण्डर्ड का एक इन्डैक्स होगा। यह जो शासन चलाते हैं, उनको इस बात को समझना चाहिये।

आज हम लोग समाजवाद की बात करते हैं। समाजवाद में, आप लोग कहते हैं कि गरीब और अमीर की आमदनी के अन्तर को कम किया जाय, लेकिन क्या हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है? अगर हम देखेंगे तो हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी को ढाई हजार रुपये महीने के मिलते हैं; जब कि यहां जो मामूली चपरासी हैं उनको सौ, सवा सौ रुपये मिलते हैं। समाजवाद की बात करने वालों को मैं कहना चाहता हूं, जैसा दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा, उसी

Page No 82

(श्री फतेहसिंह)

बात को दोहराता हूं, क्या हमने कभी सोचा है कि हाथी जैसे मंत्रि-मण्डल के आकार को कम किया जाय, मन्त्रि-मण्डल के सदस्य और यहां तक कि विधान सभा के सभी सदस्यों को मिलने वाली तनख्वाह, सुविधायें वगैरह को कम करके जनता की सुख सुविधा में वह पैसा लगाया जाय ? तब ही तो समाजवाद आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। आज दरअसल क्या यह समाजवाद है ? मैं तो कहता हूं कि यह स्वार्थवाद है। आज इस तरीके के बहुत सारे व्यक्ति हैं, खास करके यह व्यक्ति जिनका इस मन्त्रि-मण्डल से सम्बन्ध है, जिनका शासक दल से सम्बन्ध है, उन्होंने अपनी आय के अनुपात से कही अधिक सम्पत्ति का संचय किया है। श्रीमान्, यह कैसे हुआ होगा ? यह सब भ्रष्टाचार के तरीके में पड़ कर हुआ होगा। इसलिये मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। वह पर्याप्त होगा। एक व्यक्ति था, जब वह सेल्स टैक्स का मामूली इन्सपेक्टर था, वह दो सौ रुपये रिश्वत लेने में पकड़ा गया। सैशन कोर्ट में उस पर मुकदमा लगा, डेढ़ साल की उसको सजा हुई। हाई कोर्ट में अपील में गया। हाई कोर्ट ने उसके कन्विक्शन को तो मेन्टेन किया लेकिन यह कहा कि इनकी आयु और जवानी को देखते हुये जो कुछ सजा भुगतली है वह पर्याप्त है। वह माननीय सदस्य··

श्री श्रवणलाल : क्या नाम है ? क्या नाम है बताइये ?

श्री फतेहसिंह : मेरे ख्याल में अगर पिछले चार वर्ष की कार्यवाही देखी होती तो यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं होती।

हां, तो मैं कह रहा था, उन्होंने विधान सभा का चुनाव लड़ा, लेकिन विपक्ष में बैठ कर उनका स्वार्थ पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए उन्होंने शासक दल में शामिल होना स्वीकार किया। मंत्रि मन्डल के सदस्य भी बने···

श्री मोहनलाल मोदी : इसलिए ही उनके खिलाफ कहते हैं। जब आपके पक्ष में बैठे थे तब नहीं कहते थे।

श्री फतेह सिंह : मैं आपसे कह रहा था आपके दल में हैं, यह मैं नहीं कहता, हमारे दल में नहीं थे, यह मैं नहीं कहता, जनता में ऐसे आदमी नहीं है। ऐसे बहुत सारे आदमी हैं, जिन्होंने अपनी आमदनी के अनुपात से कहीं अधिक धन संचय किया है और यह सब भ्रष्टाचार के तरीके से किया होगा। लेकिन क्योंकि आप शासन का संचालन करते हैं इसलिए मैं कहता हूं, आपके वहां पर ऐसे आदमी बैठे हुए हैं, मंत्रि-मन्डल के सदस्य हैं, उन्होंने अपनी आमदनी से कहीं अधिक सम्पत्ति बनाई है। उनके पास एक फिएट गाड़ी है, उनके पास जीप गाड़ी है, उनके पास कम्प्रेसर मशीन है और पचासों बीघा सिंचित भूमि भी उन्होंने बनाई है। तो आपकी कथनी और करनी में फर्क है। जब तक आप ऐसा उपाय नहीं करेंगे जिससे भ्रष्टाचार बन्द हो, तब तक आप समाजवाद नहीं ला सकते हैं···

श्री श्रवणलाल : आज कल रंडियां और नचाने लगे हैं।

Page No 83

श्री फतेह सिंह : श्रीमान्, बेरोजगारी की समस्या के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहूंगा । बेरोजगारी की समस्या चरम सीमा पर पहुँच चुकी है और यह ऐसी समस्या है जिसके समाधान को हमें प्राथमिकता देनी होगी । अगर हमने समय रहते इसका समाधान नहीं किया तो मुझे डर है कि हमारे प्रशासन की स्थिरता को और इस गणतन्त्र की सुरक्षा को भी नुकसान नहीं पहुँचे । श्रीमान् एक गरीब आदमी काम चाहता है, उस काम चाहने वाले को काम नहीं मिले-इससे अधिक उसके लिए निराशाजनक बात और कोई नहीं हो सकती है, और शासन के लिए भी इससे अधिक शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती है कि शासन उसको काम नहीं दे सकता है । इसलिए हमको इस समस्या को बहुत प्राथमिकता देनी है । श्रीमान्, बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस सरकार ने कुछ घोषणायें की हैं । जहां तक शिक्षित लोगों की बेरोजगारी को दूर करने की घोषणा की है, मैं उसका स्वागत करता हूं । वित्तमंत्री महोदय ने कहा कि कालेजेज से निकलने के बाद अगर कोई इन्जीनियर ऐसा है जिसको एम्प्लायमेंट नहीं मिलता है तो उसको दो वर्ष तक ढाई सौ रुपये महीना मिलेगा । इसी तरह से डिप्लोमा होल्डर को भी 150 रु. महीने मिलेंगे । और इसी तरह से मेडिकल कालेजेज से निकलने वाले डाक्टरों को पहले वर्ष ढाई सौ रुपये, दूसरे साल दो सौ रुपये और फिर चिकित्सा के इन्स्ट्रूमेन्ट खरीदने के लिए दो हजार रुपये का अनुदान मिलेगा । यह घोषणा अपने आपमें अच्छी है, मैं इसका स्वागत करता हूं । लेकिन मुझे इस बात का दुःख है कि शहरों में अनस्किल्ड लेबर है, उसको किस तरह से रोजगार मिलेगा-वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में इस ओर कोई संकेत नहीं किया । मैं उनसे जानना चाहूंगा । श्रीमान्, ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक योजना की घोषणा की गई है और उसके अनुसार यह कहा गया है कि केन्द्र प्रतिवर्ष पचास करोड़ रुपये खर्च करेगी और इसके अन्तर्गत प्रति जिले में एक हजार व्यक्तियों को दस महीने के लिए काम दिया जायेगा । श्रीमान्, हम इस योजना के ऊपर सोचें इसका मतलब क्या है ? हिन्दुस्तान में कुल 337 जिले हैं, तो इस घोषणा का मतलब हुआ कि कुल 3 लाख 37 हजार व्यक्तियों को रोजगार दिया जायेगा । दस महीने के लिए सौ रुपया प्रति आदमी के लिए । जहां लाखों और करोड़ों लोग बेकार हैं गांवों में, वहां 3 लाख 37 हजार को रोजगार देना यह केवल आटे में नमक डालने के बराबर होता है । मैं यह भी कहना चाहता हूं, जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, श्रीमान्, इस घोषणा के अनुसार एक हजार व्यक्तियों को प्रत्येक जिले में रोजगार दिया जायेगा । कहने का मतलब यह हुआ कि 26 जिलों में 26 हजार आदमी रखे जायेंगे । लेकिन जहां लाखों आदमी बेरोजगार हैं, वहां छब्बीस हजार आदमियों को रोजगार देना वह भी पर्याप्त नहीं है । और इन छब्बीस हजार का भी चयन कैसे होगा, इनकी छटनी कैसे होगी ? जहां लाखों आदमी बेरोजगार हैं, वहां कौन और कैसे छंटनी करेगा ? मैं तो यह सोचता हूं और मुझे इस बात का डर है, जो मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं कि इन एक हजार आदमियों का प्रत्येक जिले के हिसाब

(श्री फतेसिंह)

से चयन करने में कहीं दलगत राजनीति तो नहीं आवेगी ? अगर यह आयेगी और उसके आधार पर ही इन एक हजार आदमियों को प्रत्येक जिले में अगर काम पर लगाया जायेगा तो यह तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। तो यह समस्या बड़ी गम्भीर है। बेरोजगारी की इस समस्या को हल करने के लिए मेरे कुछ सुझाव हैं। पहिला सुझाव तो यह है कि हमारा आर्थिक विकास करें और तेज किया जाय। मेरा दूसरा सुझाव है, जिसके ऊपर मैं चाहता हूं, यह सदन गम्भीरता से विचार करे। हर व्यक्ति को रोजगार मिले यह उसका अधिकार हो और इस अधिकार का समावेश हमारे संविधान में फण्डामेंटल राइट में हो। इसके लिए मैं चाहूंगा कि यह सदन एक प्रस्ताव पास करके केन्द्रीय सरकार और पार्लियामेंट को भेजे··· कि हमारे संविधान में इस प्रकार का संशोधन होना आवश्यक है। तीसरा मेरा सुझाव है कि देश के लिए एम्प्लायमेंट फंड, नियोजन कोष, कायम किया जाए और उस फंड में केन्द्र और समस्त राज्य अपनी समस्त राजस्व आय का शुरू में 5 प्रतिशत जमा करायें और उसके बाद प्रति वर्ष आधा पर्सेंट से लगाकर एक पर्सेंट की बढ़ोतरी करें। इस तरह से 5 वर्ष का हम हिसाब लगायें और सारे केंद्र और समस्त राज्यों की राजस्व आय को 5,000 करोड़ लेकर चलें तो हम इस कोष में 200 करोड़ से 500 करोड़ तक की राशि जमा करा सकेंगे। प्रधानमंत्री और केन्द्र ने 50 करोड़ की योजना बनाई है, वह बहुत अपर्याप्त है लेकिन जब हमारे फंड में 200 करोड़ से 500 करोड़ तक धनराशि उपलब्ध होगी···

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक सूचना देना चाहूंगा। आज डिबेट का आखिरी दिन है। सिवाय दो पार्टियों, बी. के. डी. और कम्युनिस्ट पार्टी के सभी दलों के सदस्यों ने हिस्सा लिया है····

श्री रामकिशन : एक एक ने लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी लिया है। इसलिए अभी जिन दलों के सदस्यों ने पहले हिस्सा लिया है उन दलों के जो सदस्य वाद-विवाद में हिस्सा लेंगे उनको समय 15 मिनट का दिया जाएगा और बी. के. डी. और कम्युनिस्ट पार्टी उनका जो समय बचता है वह पूरा का पूरा दिया जाएगा। आप 10 मिनट में समाप्त करें।

श्री फतेहसिंह : मैं सिपाही रहा हूं हमेशा अनुशासन में रहता हूं। I shall be grateful if I am given 15 minutes more. तो मैं कह रहा था उसका मतलब है कि हमारे केंद्र और समस्त राज्यों की राजस्व आय को अगर 5 हजार करोड़ लेकर चलें तो इस तरह से इस फंड में शुरू में 200 करोड़ और 5 वर्ष के बाद में 500 करोड़ तक धनराशि जमा हो जाएगी। इससे हम देश में बेरोजगारों की समस्या को हल करने के लिए एक विस्तृत योजना बना सकेंगे। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार इस पर ध्यान दें और एक विस्तृत योजना बनाएं और अगर विस्तृत योजना राज्य सरकार बनाने को तैयार नहीं है तो मैं समझता हूं कि बेरोजगारों के प्रति जो राज्य सरकार और सत्ताधारी दल चिंता प्रकट करता है, आंसू

Page No 85

(मेजर श्री फतेहसिंह)

बहाता है, वह केवल पोलिटिकल हिपाक्रेसी है, राजनैतिक पाखंड है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता।

अब मैं पेयजल के संबंध में कहना चाहता हूं। वित्त मंत्री-महोदय ने कई नगरों और कस्बों के पेयजल की योजना का जिक्र किया है। मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन इस बात का मुझे दुख है कि ब्यावर नगर, जिसकी आबादी करीब 70 हजार है, जहां पानी की कठिनाई है, पेय जल उपलब्ध नहीं हो रहा है, उस संबंध में राज्य सरकार बिल्कुल मौन है। मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि 22 अगस्त 1970 को एक पेय जल योजना भोमादेह जो जवाजा पंचायत समिति में है वहां बांध का शिलान्यास मुख्य मंत्री, श्री मोहनलाल सुखाड़िया, ने किया। अकाल सहायता से वहां पर दो तीन लाख रुपये लगाए लेकिन ज्यों ही अकाल खतम हो गया, उस बांध का बनना भी अधूरा रह गया। ब्यावर नगर में इस समय भी पीने के पानी की कठिनाई है इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस समस्या को प्राथमिकता दे और ब्यावर नगर में किस तरह से पानी उपलब्ध कराया जाएगा, उसके लिए विस्तृत योजना बनाये। क्या भोमादेह योजना चालू करेंगे या नहीं और करेंगे तो कब करेंगे और करेंगे तो उस पर कितना रुपया लगाने की योजना है और वह योजना कब तक पूरी हो जाएगी और ब्यावर नगर को कब से पानी मिलना शुरू हो जाएगा ?

एक बात जो बेरोजगारी के संबंध में मैं कह रहा था, उस समय कहना भूल गया वह है कि एक तरफ हमारी सरकार हरेक जिले में एक हजार व्यक्तियों को रोजगार देने की बात कर रही है लेकिन आप सब को मालूम होगा कि ब्यावर का एडवर्ड मिल 26 अगस्त 1969 से बंद पड़ा है यानि 20 महीने से करीब डेढ़ हजार मजदूर बेरोजगार बैठे हुए हैं और शहर, बाजारों व गांवों में भूखे नंगे फिरते हैं और यहां तक देखा गया कि कई मजदूरों की तो भीख मांगने की नौबत भी आई है। लेकिन राज्य सरकार ने इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। 3-4 महीने पहले नगर परिषद् के चुनाव हो रहे थे, उस समय भी सत्ताधारी दल की ओर से लोगों ने मिल मजदूरों से कहा कि उनको वोट दो। मिल मजदूरों ने कहा कि हम वोट उसी हालत में देंगे जब कि हमारी मिल चालू की जाएगी। तो कांग्रेसी नेताओं की तरफ से और उन लोगों की तरफ से जो सरकार के प्रमुख स्थानों पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा, पहले कांग्रेस को म्यूनिसिपल सौंप दो, उसके बाद में सब कुछ हो जाएगा। वह भी हो गया। उसके बाद लोकसभा चुनाव आए और उसमें भी मजदूरों ने यही बात कही। अपनी कठिनाइयां बताईं। उस समय भी झांसा दिया गया और कहा गया कि अगर वोट दो तो तुम्हारा मिल चालू हो जाएगा लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है। अभी तक मिल मजदूरों ने शांति का रुख अपनाया है लेकिन अब उनमें असंतोष व्याप्त हो रहा है। करीब 20 दिन पहले उन्होंने एक संघर्ष समिति का निर्माण किया है और वह लोग चाहते हैं कि इस मिल को वापस चालू कराने के लिए हर प्रकार का संघर्ष करें। एक बात और कहना चाहता हूं कि मिल के एक कर्मचारी, श्री दिवाकर, ने यहां तक घोषणा की

(मेजर श्री फतेहसिंह)

पहली मई तक अगर राज्य सरकार की तरफ से मिल को दुबारा चलाने की योजना नहीं बनाई गई तो वह डिग्मन छत्री पर आत्मदाह करेंगे। रोजगार न मिलने से लोगों को मजबूर होकर आत्मदाह करना पड़ेगा। मैं समाजवाद के ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं कि यही है समाजवाद आपका जब कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है? एक अजमेर जिले में एक हजार आदमियों को रोजगार देने की बात करते हैं और ये डेढ़ हजार मजदूर 20 महीने से बेरोजगार बैठे हुए हैं, उस संबंध में आपने क्या सोचा है? भगवान को समझें और इस ओर ध्यान दें नहीं तो ब्यावर की लॉ एण्ड आर्डर सिचूएशन खराब होगी। जब जनता में असंतोष होता है तो फिर उनके सामने एक ही चारा होता है कि संघर्ष किया जाए और संघर्ष कभी अच्छा नहीं होता, यह आप सब जानते हैं।

वित्तमंत्री महोदय ने शिक्षा के संबंध में कुछ घोषणायें की हैं। उन्होंने घोषणा की है कि 300 प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल बनाया जाएगा। मैं उस घोषणा का तो स्वागत करता हूं लेकिन उनसे यही निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र में असन नाम का एक स्थान है, वहां मिडिल स्कूल के लिए इमारत खड़ी कर दी गई है, तो अब इन प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों में परिवर्तित करने का प्रश्न उठायें तो असन को भी प्राथमिकता दी जाए।

श्रीमन, इसी तरह से यह घोषणा हुई है कि पचास मिडिल स्कूल हाई स्कूल में क्रमोन्नत किये जावेंगे। यह भी अपने आप एक घोषणा है-इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय ने बड़ा खेड़ा में 2 जून 1969 को घोषणा की थी उसके लिए निवेदन करना चाहता हूं। 2 जून 1969 को मुख्य मंत्री महोदय ने, जो 40 हजार रुपया लगा कर इमारत लोगों ने बनायी, इसका उद्घाटन किया था और कहा था कि राज्य में कहीं हाई स्कूल बनावेंगे तो बड़ा खेड़ा को प्राथमिकता दी जावेगी। मुख्य मंत्रीजी के उस वायदे पर सरकार नहीं चली। कई मिडिल स्कूल हाई स्कूल बन गये लेकिन बड़ा खेड़ा को अवसर नहीं मिला। मैं चाहूंगा कि बड़ा खेड़ा को प्राथमिकता दें और अपने वायदे को अब तो पूरा करें।

मेरे पडौस के भीम क्षेत्र के लिए निवेदन करना चाहता हूं, काछबली मिडिल स्कूल चल रहा है। वहां पर जनता ने हजारों रुपया लगा कर बिल्डिंग तैयार की। इसी प्रकार कूकड़े में भी मिडिल स्कूल चल रहा है। वहां पर इमारत बनी हुई खड़ी है। इसलिए इन काछबली और कूकड़े मिडिल स्कूलों को भी क्रमोन्नत किया जाय।

इसी प्रकार यह घोषणा भी की गई कि विभिन्न कालेजों में 9 पोस्ट डिग्री कोर्सेज खोले जावेंगे। यह भी अपने आप में अच्छी घोषणा है। मैं सदन का ध्यान मेरे प्रश्न की की ओर दिलाना चाहता हूं जो मैंने इसी विधान सभा के सत्र में पूछा था। गये साल दिसम्बर के महीने में एक हड़ताल हुई ब्यावर के गवर्नमेंट कालेज में जो 9 जनवरी तक चली और उन विद्यार्थियों की यह मांग थी कि उस कालेज में एम. एस. सी. में केमिस्ट्री की, एम. ए. हिन्दी और एल. एल. बी. क्लासेज खोली जायं। राज्य सरकार

(मेजर श्री फतेसिंह)

ने यह घोषणा की है कि 9 पोस्ट ग्रेजुएट सबजेक्ट्स विभिन्न कालेजेज में खोले जावेंगे। इसलिए ब्यावर में एम. एस. सी. में कमिस्ट्री की क्लासेज, इसी प्रकार राष्ट्र भाषा हिन्दी में भी एम. ए. की क्लासेज और एल. एल. बी. की क्लासेज भी वहां खोली जायं। वहां की जनता की और विद्यार्थियों की मांग है कि एल. एल. बी. क्लासेज भी वहां खोली जायं। इस संबंध में कहना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री महोदय को मैं 7 जनवरी 71 को मिला था और एक डेपुटेशन 4 फरवरी को केन्द्रीय मंत्री से भी मिला था। और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि राजस्थान में भी एल एल. बी क्लासेज खोलेंगे तो ब्यावर को प्राथमिकता दी जावेगी। इसलिए अवसर आया है अब उन वायदों को पूरा करने का। इसलिए, श्रीमन, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं ब्यावर में कमिस्ट्री एम. एस. सी. में, एम. ए. हिन्दी में और एल. एल. बी. की क्लासेज खोलने की कृपा करें।

लड़कियों के लिये सरकार ने जो घोषणा की है उसके लिये वह बधाई की पात्र है। भरतपुर और भीलवाड़ा में लड़कियों के लिये डिग्री कालेजेज खोलने की बात कही गयी है। उसका मैं स्वागत करता हूं। जब भरतपुर और भीलवाड़ा में लड़कियों के लिये डिग्री कालेजेज खोले जाते हैं तो ब्यावर में क्यों नहीं खोला जाता है? जब ब्यावर डिग्री कालेज खोलने की बात करते हैं तो कहते हैं कि धनाभाव है। ब्यावर सब डिविजन है और 70 हजार की जन संख्या है।

एक माननीय सदस्य: ब्यावर ने भूल की आपको चुन कर भेजा।

श्री फतेहसिंह: यह तो समय ही आवेगा जब जनता समझेगी कि आपको चुन कर भेजा इसलिये भूल की। यदि जनता की यही इच्छा है और सरकार वह कहती है तो मैं उसमें बाधक नहीं बनूंगा। भरतपुर और भीलवाड़ा में खोले जा रहे हैं उसका तो मैं स्वागत करता हूं। किन्तु ब्यावर का भी महत्व है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

I will take only two minutes, Sir.

श्रीमन्, गवर्नमेंट का महत्वपूर्ण नीति की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। हाफ फ्रीशिप और फ्रीशिप दी जाती है और उसके लिये विद्यार्थियों को अपने संरक्षक या माता पिता की आमदनी का सर्टिफिकेट देना पड़ता है और वह सर्टिफिकेट इस बात का होता है कि उसको दस हजार की आमदनी है या पन्द्रह हजार की आमदनी है, वह इन्कम टैक्स देता है या नहीं देता है। यह बात है कि एक विधान सभा सदस्य के लिये ऐसा सर्टिफिकेट देना आसान नहीं है। उसके पास ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि जो सब सूचना एकत्रित करके सर्टिफिकेट दें। जब मेरे पास ये बातें आयीं। मेरी आदत है कि मैं झूठा सर्टिफिकेट नहीं देता। ऐसे ऐसे लोग आये जिनको मैं जानता हूं कि उनके पचास हजार की आमदनी है, दस हजार की आमदनी, बीस हजार की आमदनी का सर्टिफिकेट मैंने नहीं दिया। मैंने इन कठिनाइयों के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री महोदय को एक पत्र लिखा

(मेजर श्री फतेहसिंह)

और एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स को पत्र लिखे। 20 जुलाई, 70 के पत्र द्वारा इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि कोई नीति निर्धारित करें। किन्तु मुझे बड़ा दुख है कि शिक्षा मंत्री महोदय में इतना शिष्टाचार नहीं कि मेरे पत्र का उत्तर तक देते।

श्री उपाध्यक्ष: (कई माननीय सदस्यों द्वारा आपस में बात करने पर) आर्डर प्लीज। आपस में बात न करें।

मेजर श्री फतेहसिंह: शिष्टाचार तो एक सामाजिक परम्परा होती है जो हर एक आदमी में नहीं होती है।

श्रीमन्, मेरे स्थान ग्रहण करने से पूर्व मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान में लॉ एण्ड ऑर्डर, ऐसा मालूम होता है, प्राय: समाप्त हो गया है।

एक माननीय सदस्य: यह गलत है।

मेजर श्री फतहसिंह: What is food for you, that is poison for me.

श्रीमन्, यहीं पर छोटी खाटू का काण्ड सामने है, किशनगढ़ महाराज की हत्या हुई वह भी आप सब जानते हैं, बिजय सिंह जी की हत्या किस प्रकार हुई यह भी सब जानते हैं, शीशराम जी पूनिया किस प्रकार मारे गये यह भी सब जानते हैं, श्रीमान् इस ओर कोई सक्रिय कदम नहीं उठाये गये। ऐसा मालूम पड़ता है कि इस शासन में बेईमान, लुच्चे लफंगे की इज्जत होती है और भले आदमी को जान सुरक्षित नहीं और उसका रहना तो बड़ा मुश्किल हो गया है।

मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करने से पहले इस वक्त कानून व्यवस्था क्या हो रही है और जनता किस प्रकार पीडित है, इस सम्बन्ध में एक कहानी मुझे याद आती है वह बताना चाहता हूँ। चीन का एक महात्मा और पोलिटिकल फिलोसफर कन्फ्यूशियस था चीन का शासन इतना खराब हो गया था। कि उससे तंग आकर अपने प्रांत को शिष्यों सहित छोड़कर जा रहा था। वह एक जंगल में पहुँचा अपने शिष्यों सहित तो उसको एक महिला रोती हुई मिली जो एक कब्र के पास बैठ कर रो रही थी। उन महात्मा ने पूछा क्यों रो रही है? उसने कहा कि थोड़े समय पहले मेरे पति के पिता को यानी श्वसुर को, एक शेर खा गया जिसकी यह कब्र बनी है; और उसने मेरे पति को भी खा लिया और अब मेरे पुत्र को भी। तो उस महात्मा ने कहा कि तो फिर इस जगह को क्यों नहीं छोड़ देती है।

तो उस स्त्री ने कहा कि इस जंगल के इन पहाड़ों में कोई आततायी, अयोग्य और खराब गवर्नमेन्ट नहीं है। यानि उस जंगल से भी भयानक शासन था। तो उस महात्मा ने कहा: "ठीक है। एक खराब सरकार जनता के लिये एक शेर की अपेक्षा भी खराब होती है।"

तो यह आज का हाल है। जनता का जीवन दूभर हो रहा है, आतंक बढ़ रहा है और जनता बड़ी परेशान है। मैं और भी कहना चाह रहा था पर चूंकि समय नहीं है और श्रीमान के आदेश की पालना करना चाहूंगा इसलिए इतना ही कहकर समाप्त करूंगा कि जो मुद्दे मैंने उठाये हैं विशेषतः एम्पलायमेन्ट फण्ड की व्यवस्था, न्याय

(मेजर श्री फतेसिंह)

नगर की पेय जल योजना और शिक्षा के बारे में, उनकी ओर सरकार ध्यान देगी, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण ! समय 15 मिनिट।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : समय के सम्बन्ध में मैं आपके आदेश का पालन करूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह सारी सरकार तो आपकी है ही, फिर आप क्या बोलेंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष जी, वित्त मन्त्री महोदय ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं स्वागत करते हुए आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ नीति सम्बन्धी ऐसे प्रश्न हैं कि जिन की तरफ वित्त मन्त्री महोदय ध्यान दें। यह मैं चाहूंगा।

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि आजादी के 25 साल बाद भी हम अपने प्रदेश में आज यह व्यवस्था नहीं कर पाये हैं कि सभी वर्गों के बालकों को समान स्तर पर शिक्षा मिले। आज उच्च वर्ग के साधन सम्पन्न लोग व ऊंचे बड़े सरकारी नौकर अपने बच्चों को अच्छी बेहतरीन शिक्षा पब्लिक स्कूलों की मारफत दिलवाते हैं और साधारण नागरिक, जो साधन हीन हैं, सम्पन्न नहीं हैं, जिनकी आर्थिक दृष्टि से हालत अच्छी नहीं है, वे अपने बच्चों को गांवों की छोटी मोटी सरकारी स्कूलों में या शहरों में भी सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा दिलवाते हैं। यह असमानता समाजवादी नीति के अत्यन्त विपरीत है और यह स्थिति समाजवादी शासन में अधिक दिन तक बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिये। यह जो शिक्षा के क्षेत्र में बचपन से ही भेदभाव बच्चों में पैदा किया जाता रहा है वह आगे चलकर आने वाले होनहार नागरिकों के जीवन में भी परिलक्षित होगा जिससे वर्ग संघर्ष और भयंकर कटुता का वातावरण समाज में बन गया है वह आगे भीषण रूप धारण कर लेगा जिसको बाद में जाकर मिटाना सम्भव नहीं होगा। जिसके परिणाम देश और समाज के लिये अत्यन्त हानिकारक साबित होंगे।

आज एक वर्ग के लिये पब्लिक स्कूलों में अच्छी और ऊंची शिक्षा मिले और दूसरी तरफ साधारण लोगों को साधारण प्राइमरी पाठशालाओं में भी शिक्षा लेने की व्यवस्था न हो यह भेद मिटना चाहिये।

सबको समान शिक्षा मिले इसके लिये राजस्थान सरकार को यह करना चाहिये कि राजस्थान के अन्दर कोई पब्लिक स्कूल न रहे। केवल सरकारी स्कूल रहें जो शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एक समाज पाठ्यक्रम के अन्तर्गत चलाये जावें।

श्री उपाध्यक्ष : कोई भी अच्छी शिक्षा नहीं पा सकता, इससे आपका क्या मतलब ?

श्री रामनारायण चौधरी : सबकी शिक्षा समान होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : समान और अच्छी भी होनी चाहिये।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो है ही।

श्री रामकिशन : यह पब्लिक स्कूल की शिक्षा सामन्ती शिक्षा है। यह समाप्त होनी चाहिये सामन्तों के साथ साथ।

श्री उपाध्यक्ष : पर शिक्षा तो अच्छी होनी चाहिये।

श्री रामनारायण चौधरी : एक सरीखा क्रम हो। सब साथ साथ रहें, बच्चों के शिक्षा क्रम में भेदभाव न हो कतई न हो। आज जो पब्लिक स्कूलों और सामान्य नागरिक प्राइमरी स्कूलों में भंयकर असमानता है, भेदभाव है, वह निश्चित रूप से समाप्त की जानी चाहिये। इस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

दूसरी बात या तो यह शिक्षा पब्लिक स्कूलों की मिले तो सबको समान रूप से मिले, वरना किसी को न मिले। कुछ लोगों को इस तरह की भेदभाव भरी शिक्षा मिले और कुछ को अत्यन्त सामान्य प्राइमरी स्कूलों में बैठकर मिले, यह व्यवस्था निश्चित रूप से समाप्त की जानी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम भी इसका समर्थन करते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप शिक्षा विभाग की तरफ से लाखों करोड़ों रुपया अनुदान के रूप में प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को देते हैं जिसकी व्यवस्था के बारे में आज सब जगह आलोचना होती है, वह गलत स्टाफ बनाकर लाखों करोड़ों का घोटाला करते रहते हैं तो यह अनुदान एक दम बन्द कर दिया जाना चाहिए और इन ऐसी सारी संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिये और यह रोक लगा दी जानी चाहिये कि राजस्थान में कोई भी प्राइवेट या निजी संस्था सैकण्डरी स्तर तक नहीं चला सकती। ये तमाम स्कूलें सरकारी ही होनी चाहिये, पूरी तरह से सरकार के नियन्त्रण और सीधी देख रेख में चलनी चाहिये। अगर सरकार इस दिशा में कदम उठावेगी तो इसमें पचास लाख से अधिक खर्चा सरकार को नहीं करना पड़ेगा।

न्याय सस्ता और सर्वसुलभ हो, जल्दी प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। आज हमारे गांवों में और कस्बों में लोग इतने परेशान है कि आज न्याय प्रणाली से वर्षों तक उनके मुकद्मों का फैसला नहीं हो पाता है। सरकार को यह करना चाहिये कि विवादों के फैसले एक निश्चित अवधि में कर दिये जायेंगे। यह तो कोई व्यवस्था और तरीका नहीं है कि बीस, बीस साल तक लोगों के मुकद्में चलते रहें और तब भी निर्णय न हो।

राजस्व अदालतों में तो और भी अधिक देरी होती है, हाई कोर्ट में मुकद्में वर्षों चलते रहते हैं। तो इन सबके लिये कोई रास्ता निश्चित रूप से सरकार को निकालना चाहिये कि जिस से लोगों को सस्ता और शीघ्र न्याय मिले। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान सरकार की घोषणाओं में पढ़ा कि राजस्थान में विद्युतिकरण का काम शीघ्रातिशीघ्र होगा। आज का जो कार्य-क्रम है और जिस क्रम से विद्युतिकरण हो रहा है उससे तो अधिक आशा नहीं बनती। आज एक किलोमीटर की दूरी के गांव को बिजली देने का प्रावधान है। आज

(श्री रामनारायण चौधरी)

किसी स्थान पर बिजली है, उसके इर्द गिर्द एक किलोमीटर के दायरे में यह कार्यक्रम है तो आप अन्दाज लगाइये कि जो 20 किलोमीटर की दूरी पर है उसको दस साल से पहले बिजली मिलनी सम्भव नहीं है। तो जिस गति से आज यह काम चल रहा है और जैसा कहा जा रहा है, घोषणाएं की जा रही हैं कि इस साल भर में 600 गांवों को बिजली दी जावेगी। तो इस हिसाब से राजस्थान के तेंतीस हजार गांवों तक बिजली पहुंचाने के लिये पचास साल कम से कम लगेंगे।

मैं दूसरा यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अपने बजट भाषण में खण्ड 35 में यह घोषणा की है कि,

"राजस्थान में कई तहसील, सब-तहसील और पंचायत समिति मुख्यालयों तथा म्यूनिसिपल कस्बों में अभी तक बिजली की सुविधा नहीं है। अतः राज्य सरकार ने बिजली बोर्ड को निर्देश दिया है कि ऐसे सभी स्थानों पर बिजली पहुंचा दी जावे। आशा है कि इनमें से अधिकांश स्थानों पर बिजली लगाने का काम अगले वित्तीय वर्ष तक पूरा हो जावेगा।"

अब यह जो आपने घोषणा की है इससे यह प्रतीत नहीं होता कि राजस्थान में किस जगह ऐसे कौनसे कस्बे या तहसीलें हैं या पंचायत समितियां हैं या उनके हैड क्वार्टर हैं जिनको आप बिजली दे पाये हैं।

यह ऐसी घोषणा है उपाध्यक्ष महोदय कि यदि इस घोषणा को कार्यान्वित किया गया और राजस्थान सरकार ने ईमानदारी के साथ इसका पालन किया तो राजस्थान के बिजली बोर्ड का दिवाला निकल जायेगा और राजस्थान सरकार इस घोषणा को कभी भी पूरा नहीं कर सकती है। आज कुछ कस्बे और जिले के गांव तो ऐसे हैं जिनको कि बिजली देने से कतई फायदा नहीं है और राजस्थान की जनता के ऊपर बेकार का बोझ है टैक्स का। आप बाड़मेर, चूरू डिस्ट्रिक्ट और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट को लीजिये, जालौर और जोधपुर जिले हैं, इन जिलों के अन्दर कहीं कहीं तो खारा पानी है और कहीं तो 300/300 मील तक पानी ही नहीं है वहां पर म्युनिसिपल बोर्ड के कस्बों को, पंचायत समिति के हैडक्वार्टर्स को और तहसील हैडक्वार्टर को आप बिजली से जोड़ना चाहते हैं तो इस पर कितना खर्चा हो, करोड़ों रुपयों का खर्चा होगा और जिसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मेरे नजदीक के चूरू जिले को देख लीजिये। वहां पर बिजली जिन गांवों को मिली है वहां पर काश्तकारों को आज भी एग्रीकल्चर कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं। इसका कारण साफ है वहां पर पानी खारा है....

श्री दौलतराम सारण : सिंचाई के कुए बने हैं और आपकी सरकार ने उनको कनेक्शन नहीं दिया है।

श्री रामनारायण चौधरी : कुए हैं कहां?

श्री दौलतराम सारण : मैंने प्रश्न पूछा है और आपके मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया है।

श्री रामनारायण चौधरी : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि बिजली देने का कार्यक्रम इस आधार पर होना चाहिये कि जिन जिलों के अन्दर पानी की बहुतायत है, जिन जिलों की जमीन ऐसी है जो सिंचाई के काबिल है उन जिलों को प्राथमिकता देनी चाहिये, ऐसे जिले कौनसे होते हैं वह राजस्थान सरकार और माननीय सदस्यों से छिपे हुए नहीं है। मेरा निवेदन है कि उन जिलों को प्राथमिकता देनी चाहिये। और राजनैतिक आधार के ऊपर और राजनैतिक घोषणा इस बिजली जैसे मामले में जहां देश के उत्पादन का प्रश्न हो, नहीं होना चाहिये।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री महोदय ने खण्ड 34 में सिंचाई के सम्बन्ध में जिक्र किया है। सिंचाई के मामले में राजस्थान के झुंझुनूं, सीकर और जयपुर और अलवर ये 55 लाख की आबादी के जिले हैं जिनके अन्दर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है सिवाय कुओं के। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि झुंझुनूं, सीकर, अलवर और जयपुर ये 55 लाख की आबादी के जिले हैं और इन जिलों की जमीन सिंचाई के काबिल है और यहां के काश्तकार मेहनती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बात पर सोचा जाना चाहिये कि यमुना से पानी लाकर इन जिलों के अन्दर पानी दिया जाना चाहिये। सन् 1952 में जब स्वर्गीय जवाहरलालजी पिलानी आये थे तो उन्होंने उस वक्त भी यह कहा था कि झुंझुनूं, सीकर और जयपुर, इन जिलों को किस प्रकार से यमुना से पानी लाकर सिंचाई के लिये दिया जा सकता है ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर सोचा जाना चाहिये। आज तक हमारी सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं गया है। मैं, उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि ऐसे प्रोजेक्ट को किस तरह से बनाया जा सकता है, सोचा जाना चाहिये।

खण्ड 28 में वित्त मन्त्री महोदय ने सूखा-ग्रस्त इलाकों को चौथी पंचवर्षीय योजना के शेष काल में 2 करोड़ रुपया खर्च करने की घोषणा की है। इस खण्ड 28 में जिन जिलों के नाम माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने सुझाये हैं, उसमें उनने यह भी सुझाया है कि केन्द्रीय सरकार ने सूखाग्रस्त इलाकों के लिये एक और महत्वपूर्ण योजना, रूरल वर्क्स प्रोग्राम को स्वीकार किया गया है और जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालौर, नागौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर इस योजना के अन्तर्गत लिये गये हैं। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य बार बार सूखे की समस्याओं का हल ढूंढना है। मुझे इन जिलों के बारे में कोई आपत्ति नहीं है कि इनको ही इस योजना के अन्दर क्यों लिया गया है लेकिन जिन आधारों पर इन जिलों का चयन किया गया है, तो क्या सीकर और झुंझुनूं जिले अकाल से कम प्रभावित हैं? आज तक जब से राजस्थान बना है और जब बीकानेर, जयपुर और जोधपुर स्टेट थी, उस जमाने से लेकर आज तक अकाल का प्रभाव झुंझुनूं और सीकर पर बराबर रहा है और आज भी झुंझुनूं में ऐसे 100 गांव है जहां पर कि पिछले चार साल से बराबर अकाल है और अभावग्रस्त हैं। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि सीकर और झुंझुनूं को भी इस योजना के अन्दर शामिल किया जाना चाहिये

(श्री रामनारायण चौधरी)

और अकाल के प्रभाव से जिस प्रकार से और दूसरे जिलों को बचाने के लिये सोचा गया है, उसी तरह ने इस योजना के अन्दर सीकर और झुंझुनूं को शामिल किया जाना चाहिये। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि पाली जिला जिसको कि सघन खेती के लिये घोषित किया गया, और जहां पर सघन खेती का काम किया भी गया है, जहां नहरें हैं उसको भी अकाल के प्रभाव से बचाने के लिये इस योजना में शामिल किया गया है और सीकर और झुंझुनूं में जहां कि कोई नहर नहीं है जहां पर कि बराबर अकाल पड़ता रहता है, उन जिलों की तरफ राजस्थान की सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मैं इस योजना का.......

श्री शंकरलाल (जैतारण) : माननीय सदस्य पाली की क्या बात कर रहे हैं। पाली जिले की क्या हालत है? पाली, जैतारण, रायपुर में क्या हालत है, वहां पर लोग कितने पीड़ित हैं, आपको मालूम होना चाहिये......

श्री रामचन्द्र आर्य : और नोहर की क्या हालत है.....

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने किसी भी जिले का विरोध नहीं किया है।

श्री मदनसिंह : अकालग्रस्त होने में इनको क्या फायदा है....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

(शोरगुल)

श्री रामचन्द्र आर्य : कांग्रेस वालों को फायदा है और ज्यादा बेईमानी करने का मौका मिलेगा।

श्री मदनसिंह : यह तो पाली में हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : डिबेट चल रही है माननीय सदस्य,

आर्डर प्लीज ! विषयान्तर नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी, 15 मिनिट का समय समाप्त हो चुका है।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : महत्वपूर्ण बात सब से पहिले कहनी चाहिये।

श्री रामनारायण चौधरी : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे, इन जिलों को क्यों शामिल किया गया है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो कम्परेटिवली यह बता रहा था कि सीकर और झुंझुनूं ऐसे जिले हैं जिनको भी इस योजना के अन्दर लिया जाना चाहिये।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत यह भी निवेदन करूंगा कि सीकर और झुंझुनूं जिलों में पिछले दो अकालों के वक्त करोड़ों रुपया सड़कों पर खर्च किया गया है और आपने बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और जालोर और जोधपुर जहां पर भी सड़कों के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया गया है उसका सदुपयोग इस योजना के द्वारा, उनको पूरा करने की व्यवस्था करके कर दिया है। लेकिन सीकर और झुंझुनूं

(श्री रामनारायण चौधरी)

जिले के अन्दर जो सड़कों पर खर्च किया गया है वह सारा का सारा बेकार जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वित्त मंत्री महोदय को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि सीकर और झुंझुनूं में फेमीन के वक्त में जो करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, उन सड़कों को अब किस प्रकार से पूरा करवाया जाना चाहिये और करोड़ों रुपया खर्च किया गया है वह बेकार न चला जाये, ऐसी योजना यहां पर प्रस्तुत करनी चाहिये, इस हाउस के अन्दर और बजट में भी इसका संकेत होना चाहिये, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं है इसलिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसके लिये प्रावधान करें कि करोड़ों रुपये जो खर्च हुए हैं वह बेकार न चले जायें।

दूसरा, उपाध्याक्ष महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में यह निवेदन करता हुआ अपना स्थान लेता हूं कि शिक्षा के मामले में राजस्थान सरकार का और वित्त मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि गांव के एक स्कूल के अन्दर 70 लड़के हैं और वहां आपने एक अध्यापक दे रखा है। और शहरों के अन्दर, कस्बों के अन्दर एक प्राइमरी स्कूल के अन्दर 50-50, 60-60 छात्रों पर 5-5 अध्यापक दे रखे हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक है लेकिन देहातों में पांच कक्षाओं के लिए एक अध्यापक। प्राइमरी पाठशालाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए। शिक्षा के स्तर को किस प्रकार ऊंचा किया जा सकता है इस पर आपको एक कमेटी बिठानी चाहिए शिक्षा सुविज्ञों की। प्राथमिक शिक्षा राजस्थान में जो आज गिर रही है उसको किस प्रकार ऊंचा उठाकर और बच्चों को ठीक शिक्षा दी जा सकती है, इस बारे में आपको प्राइमरी पाठशालाओं की शिक्षा को सुधारने के लिए उपाय करने चाहिए। चूंकि, उपाध्यक्ष महोदय, आपने बार बार बीच में यह कहकर कि समय समाप्त हो गया है, मैं अपनी बात को समाप्त करूं, इस कथन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि झुंझुनूं, सीकर, जयपुर और अलवर...

श्री रामचन्द्र आर्य : पांच मिनिट पहले भी कहा था स्थान ग्रहण करता हूं और फिर....

श्री रामनारायण चौधरी : इन चारों जिलों को यमुना नदी से पानी लेकर...

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ) : सीकर की बात कह रहे हैं इसलिए कहने दो।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इन चारों जिलों में 53 लाख जनता को यमुना से पानी दिया जा सकता है। यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी चाहिए। और राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

नं. 2 सीकर, झुंझुनूं, अलवर और जयपुर के अन्दर बिजली की प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि सिचाई के दूसरे साधन यहां के किसानों के पास नहीं हैं। इन दो बातों को दोहराते हुए मैं अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण!

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : उपाध्यक्ष जी 71 72 के आय-व्ययक अनुमानों पर जो वाद विवाद चल रहा है उस संबंध में मैं भी अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं.किसी भी सरकार की आर्थिक स्थिति और आर्थिक नीतियों को मालूम करने के लिए आय-व्ययक अनुमान एक प्रतिबन्धित आधार होता है। राजस्थान सरकार की आर्थिक नीतियों के सम्बन्ध में जब हम देखते हैं तो यह पाते हैं कि सरकार की घोषणायें कुछ हैं, इरादों का इजहार कुछ है और क्रियान्विति और प्रस्ताव कुछ है। इसलिए उपाध्यक्ष जी, जो नारे लगाये जाते हैं जो समाजवाद की घोषणा की जाती है, मध्यावदि चुनावों के सम्बन्ध में जनता के अरमानों का इजहार किया जाता है उस प्रकार के इरादे, उस प्रकार के कदम इस बजट में नजर नहीं आते हैं। यद्यपि कुछ फटों पर कारी लगाने का प्रयास किया गया है। कुछ छोटी-मोटी घोषणायें करके कुछ यह दिखाने की चेष्टा की गई है कि हम जागरूक हैं। उन समस्याओं की तरफ जो आज इस राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को झकझोर रही हैं, बेचैन किए हुए हैं, घोषणायें की है वह नगण्य हैं- वह बहुत मामूली हैं। जैसा कहा गया है कि बेकारी का कुछ टैक्निकल शिक्षितों को भत्ता दिया जायगा। परन्तु वह भत्ता और वे लोग कितने हैं, वह भत्ता किस प्रकार दिया जायगा उसकी अभी तक कोई रूपरेखा नहीं है, कोई योजना नहीं है। गांवों में ग्रामीण बेकारी के लिए एक हजार प्रति जिले में रोजगार देने की बात कही गई है मुझे मालूम हुआ कि चूरू जिले में मीटिंग कर रहे हैं, परंतु जब उनसे पूछा गया तो उन अधिकारियों को कोई पता नहीं है यहां क्या क्या योजनायें चलाई जा सकती हैं। जब उनसे कहा जाता है अधूरी सडक का काम किया जाय तो यह कहते हैं यह नहीं लिया जा सकता है, जब सिंचाई के कुओं के निर्माण के लिए सहयोग दिये जाने की बात होती है तो कहते हैं यह भी नहीं हो सकता है। पीने के पानी के लिए कुन्ड तालाब बनाने की बात आती है तो वह भी उसमें नहीं आती है तो फिर जब छोटे उद्योगों को काम में लिये जाने की बात कहते हैं तो भी इस योजना में नहीं आती है तो फिर मैं पूछना चाहता हूं इस योजना में क्या आता है। उसका कोई स्पष्ट चित्र नहीं है। अभी अप्रैल गुजर रहा है। थोड़े दिन बाद बरसात होने वाली है लेकिन सरकार के सामने कोई स्पष्ट चित्र नहीं है। यह सरकार के बौद्धिक दिवालियेपन की निशानी है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बार बार इस सरकार पर आरोप लगाया है इस सरकार की योजनाबद्ध विकास की ओर सही दिशा नहीं है। वे योजनायें केवल ऊपर से आती हैं, योजनायें केवल पैसों के आधार पर बनती हैं। जब अमेरिका, रूस, जर्मनी से किसी भी चीज के लिए पैसे दिये जाते हैं तो बिना आवश्यकताओं के और बिना अपनी क्षमता के और बिना स्थिति को विचार किए मान लेते हैं और उस पैसे का कोई सही उपयोग नहीं होता है। जब दिल्ली की सरकार पैसे देने की बात कहती है तो राज्य सरकार घोषणा कर देती है लेकिन उसके सम्बन्ध में कोई स्पष्ट चित्र नहीं है। आज तक सरकार को पता नहीं है कितने पढ़े लिखे लोग बेकार हैं और कितने अन पढ़े लोग बेकार हैं। कितनी शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी है और कितनी ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी है—यह सरकार को मालूम नहीं है। सरकार को यह भी मालूम नहीं है कि उनको रोजगार देने के

(श्री दौलतराम सारण)

लिए क्या क्या धन्धे खोले जा सकते है और किस प्रकार का रोजगार देंगे। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इस उद्घोषणा के साथ, इस योजना के साथ उस योजना की रूपरेखा स्पष्ट बताई जाय। मेरी जहां तक जानकारी है आज तक कोई स्पष्ट योजना नहीं है। इसके अलावा उपाध्यक्ष जी मैं कह रहा हूं किसी भी सरकार के लिए यह आवश्यक होता है कि वह अपने नागरिकों के लिए उत्पादन बढाये, उनके लिए प्रासपेरैटि पैदा करे और उत्पादित वस्तुओं को आम नागरिकों में ठीक तरह पहुंचाये। ठीक मोल पर मिल सके और उपभोक्ताओं को ठीक सुविधा के साथ वस्तुएं मिल सकें इस प्रकार की योजना राज्य सरकार को देनी चाहिये लेकिन राजस्थान में यह स्थिति नहीं है। राजस्थान में जो उत्पादन के श्रोत हैं--खेती, पशु, खाना, वन और कारखाने या छोटे उद्योग इन सबकी हालत चिन्ता जनक है। खेती का जहां तक सवाल है राजस्थान के अन्दर 13 हजार दो सौ वर्ग मील क्षेत्र में 6 करोड़ 60 लाख एकड़ भूमि कृषि योग्य है जो सारे देश की कृषि योग्य भूमि का 13.8 प्रतिशत है लेकिन इसमें राजस्थान में 3.77 करोड़ एकड़ अर्थात 56.5 प्रतिशत भाग में ही खेती होती है। बाकी जमीन राजस्थान में 43.5 प्रतिशत जो धरती है वह कृषि योग्य तो नहीं है लेकिन उसको राज्य सरकार आज तक कृषि के लिए उपयोगी नहीं बना सकती--वह बेकार है वह किसानों को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। वर्षा की कमी के कारण से या सिंचाई के अभाव से वह सोना उगलने वाली भूमि काम में नहीं ली जा रही है। यह सरकार की नीति का दिवालियापन है और फिर यहां हरित क्रान्ति की बात कही जाती है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हरित क्रान्ति कितने लोगों में है –चन्द लोगों तक यह सीमित है, चन्द अफसरों तक यह सीमित हैं और चन्द उन लोगों तक जो दो नम्बर के खातों का पैसा फारमिंग के द्वारा रिम्यू करना चाहते हैं--एक नम्बर में कनवर्ट करना चाहते हैं--उनके लिए हरित क्रान्ति आई है। साधारण किसान के लिए यह हरित क्रान्ति नहीं आई है। हरित क्रान्ति के लिए आपने उन्नत बीज, सुधरे हुए औजार और कीट नाशक औषधियों की बात कही परन्तु मैं कहना चाहता हूं कितने प्रतिशत तक आप पहुंचा पाये हैं। आपने राजस्थान बना तब 30 लाख एकड़ धरती पर पानी की बात कही और अब 59 लाख 23 हजार एकड़ को पानी पहुंचा पाये हैं। इतना सारा धन खर्च करने पर इतनी सी भूमि को आप पानी पहुंचा पाये हैं और फिर आप कहते हैं उन्नत बीज, सुधरे हुए औजार और कीट नाशक औषधि पहुंचाई है। मैं पूछना चाहता हूं, उपाध्यक्ष जी, यह कितने लोगों तक पहुंचा पाये है। थोड़े प्रतिशत तक यह हरित क्रान्ति और उन्नत वैज्ञानिक विधि विधान पहुंचा पाये हैं। इससे क्रान्ति नहीं होती है। इस प्रकार क्रान्ति शब्द को आप लज्जित न करें। क्रान्ति आमूल-चूल परिवर्तन को लेकर आती है। आज जयपुर का किसान भी बीज छिड़क कर खेती करता है—इसलिए हरित क्रांति के सपने तो बहुत दूर हैं क्रांति की बात मत कीजिए और प्रयत्न कीजिए कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें मिलें और ज्यादा से ज्यादा साधन मिलें

(श्री दौलतराम सारण)

जिससे कि वे खेती में अधिक उत्पादन बढ़ा सकें तथा देश की धरती को वे हरी हरी बना सकें। लेकिन जैसा मेरे से पहले मन्डावा से आने वाले माननीय सदस्य श्री रामनारायण जी ने कहा कि जिन जगहों पर खेतों को पानी चाहिए वहां बिजली नहीं है और जहां और और साधन चाहिए वहां वे साधन उपलब्ध नहीं हैं। आज बिजली पहुंचाते हैं तो मिनिमम गारन्टी किसानों से मांगते हैं और वह गारन्टी पहले वर्ष से ही शुरू हो जाती है जब कि एक वर्ष में तो किसान कुआ ही नहीं बना सकता और उसके बाद से 12 या 13 गुना उससे वसूल करते हैं गारन्टी का पैसा। सारी लाइनों का खर्चा और उससे आशा करते हैं कि वह मिनिमम गारन्टी भी पहले वर्ष से ही देने लग जाये और दूसरी तरफ बिड़ला, टाटा और डालमिया के कारखाने लगते हैं तो औद्योगीकरण के नाम से उनको बिजली में कन्सेशन देते हैं, जमीन में कन्सेशन देते हैं, पानी में कन्सेशन देते हैं और ब्याज की दरों में कन्सेशन देते हैं लेकिन यहां 15 पैसे यूनिट का चार्ज करते हैं किसानों से और वहां डी. सी. एम. से 3 पैसे यूनिट के चार्ज किये जाते हैं और यहां बिडला की नेशनल बालबियरिंग कंपनी से 3 पैसे लिए जाते हैं जब कि बिजली का उत्पादन व्यय आता है 6 पैसे से 8 पैसे तक और बिजली की लाइन कारखानों की चार दीवारी में लेजाकर राज्य के खर्चे से बिजली देते है और वहां मिनिमम गारन्टी नहीं है लेकिन यहां साधनहीन किसानों को मिनिमम गारन्टी देनी होती है और कुआ खुदता नहीं उससे पहले ही पेनल्टी के साथ वह वसूल होना शुरू हो जाता है। उधर आपने बैंक राष्ट्रीयकरण की बात कही लेकिन उसकी स्थिति क्या है? वहां बैंक से चार हजार रुपया भी कर्ज नहीं मिलता है कुए के लिए और कुआ जाकर बनता है दस-बारह हजार में। चार हजार में से आधा तो हजार रुपया बैंक में ही रख लेते हैं और जब दूसरी किश्त आ जाती है तो उसमें एडजस्ट कर लेते हैं और वहां भी पेनल्टी पहले वर्ष से ही चालू हो जाती है। यह आपकी नीतियां बाधक हैं कि राजस्थान हराभरा बने। इसलिए मेरा कहना है कि आप इस मामले में व्यवहारिक दृष्टि से योजनायें बनायें जिससे किसानों को राहत मिले और फिर दूसरी तरफ उत्पादन बढ़ाया है तो उत्पादक को उसका पूरा मोल मिलना चाहिये, उसको श्रम और साधन की उपयोगिता का लाभ मिलना चाहिये. लेकिन यहां क्या होता है। यहां पर मध्यावधि चुनाव में तो जीत का बड़ा भारी ढिंढोरा पीटा गया, गरीबी दूर करने की भी दुहाई दी गई लेकिन परिणाम क्या आया कि जो किसान 100 और 110 रुपये के अन्दर अनाज लेकर खेती करता था, चार, पांच और सात वर्षों से अकाल से पीड़ित किसान के खेत से जब अनाज निकला और उसके जब अब पुराने कर्जों के चुकाने की बात आई तो उसका अनाज 20 से 50 के भाव में बिक रहा है। आज उसके रुपये के 8 आना और 6 आना हो गया है लेकिन इधर बाजार में जाता था तो धोती जोड़ा 15 रुपये में मिलता था वह आज 25 और 26 रुपये में मिल रहा है। तो आज उन कारखानेदारों के माल की कीमत

(श्री दौलतराम सारण)

तो रुपये की डेढ रुपया हो गई है। और उधर किसान जो कि राज्य के एक्सचेकर में 50 प्रतिशत कन्ट्रीब्यूट करता है उसको तो आज रुपये का आठ आना और 6 आना मिल रहा हैं और जो केवल 4 प्रतिशत से कम कन्ट्रीब्यूट करते हैं उनको आज रुपये का डेढ रुपया मिल रहा है, यह है आपकी अर्थ-व्यवस्था का नंगा चित्र। आप इन 83 प्रतिशत की हिफाजत के लिये कोई व्यवस्था कर रहे हैं ?

मैं आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूँ कि आपने किस प्रकार से उपेक्षा की है हर क्षेत्र के अन्दर। यह मैंने खेती की बात बताई। इसही तरह से दूसरी बातें भी बताना चाहता हूँ कि आपका बजटिंग और आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण कितना गलत और कितना गैर वाजिब है।

उपाध्यक्ष जी, राजस्थान बड़ा साधन सम्पन्न राज्य है। इसकी धरती में बहुमूल्य खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, इसकी हरी भरी वन सम्पदा, वन औषधियां, कीमती लकड़ियों से भरे जंगल हैं और इसके अन्दर हिन्दुस्तान की सर्वश्रेष्ठ सब प्रकार के पशुओं की नस्ल मौजूद है और इस राजस्थान की धरती में वह सारी क्षमता है जो इसको धनी बनाने के लिए और सम्पत्तिशाली बनाने के लिए आवश्यक है। लेकिन यह निकम्मी सरकार उस तरफ कतई गौर नहीं कर रही है और आज सब क्षेत्रों में उपेक्षा बढ़ रही है। जंगल स्वाहा हो रहे है, जंगलों से प्राप्त होने वाली आमदनी प्रतिवर्ष गिरती गई है। अगर आप बजट के आंकड़े देखें तो बजट स्टेडी में दिया गया है कि आय कम होती गयी है और आज वह 04 प्रतिशत रह गयी है। यह जंगलों की हालत है और होना यह चाहिये था कि इसका व्यापक रूप से विकास होता। इस तरह से खनिज सम्पत्ति की आय बढ़नी चाहिये और उसका व्यापक रूप से धन्धा बढ़ना चाहिये था लेकिन इसकी तरफ जितना ध्यान देना चाहिये था वह नहीं दे सकी यह सरकार। हां थोड़े से पैसे की आमदनी बढ़ी है लेकिन उसमें जो लीकेज है, उसमें जो खराबियां हैं वे भयंकर है और अनापशनाप पैसा पैसे वालों में बाकी है, रायल्टी के गलत तरीके से फैसले होते हैं और गलत तरीके मे खाने दी जाती हैं। खनिज सम्पदा के प्रति इस राज्य सरकार की कोई व्यवस्थित नीति और व्यवस्था उचित नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े खनिजों और छोटे खनिजों के मामले में पूरी सावधानी और अधिक अच्छी व्यवस्था के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। राजस्थान का यह बहुत बड़ा खजाना है, इससे अपार सम्पत्ति पैदा की जा सकती है लेकिन इस तरफ राजस्थान का ध्यान नहीं है।

इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की सरकार का दृष्टिकोण समाजवादी नहीं है। समाजवादी सरकार होती और अगर यह समाजवादी ढंग से चलती तो निश्चित रूप से कर राजस्व की अपेक्षा अकर राजस्व अधिक बढ़ता लेकिन यहां कर राजस्व बढ़ता गया है। अकर राजस्व की स्थिति सामान्य है। वह बढ़ता नहीं गया है। वह साधारण रूप से बढ़ा है।

(श्री दौलतराम सारण)

इसी तरह से यह विकास व्यय को कम होता गया है लेकिन अविकास व्यय बढ़ता गया है। मैं थोड़े में ही आपको बताना चाहता हूं कि कुल विकास का प्रतिशत क्या है। विकास व्यय 1951-52 में 42.49 प्रतिशत था आज विकास व्यय 1960-61 में 58.86 प्रतिशत हुआ और उसके बाद फिर 48.86 प्रतिशत हुआ और उसके बाद में फिर 55.13 हुआ, फिर 42.92 प्रतिशत हुआ और फिर 48.80 प्रतिशत हुआ। इस प्रकार से कम होता जा रहा है। इसी प्रकार से अविकास व्यय सन् 1960-61 में 41.14 प्रतिशत था वह आगे सन् 1965-66 में 41.87 प्रतिशत हुआ और 1969-70 में जाकर 57.8 प्रतिशत हो गया और 1970-71 के रिवाइज्ड एस्टीमेटस में 51.20 प्रतिशत हो गया। यह स्थिति है। तो विकास व्यय तो कम हो रहा है और अविकास व्यय बढ़ रहा है। यह विकास की स्थिति है। उधर समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष कर ज्यादा लगने चाहिये लेकिन यहां इन्डाईरैक्ट करों पर ज्यादा जोर है।

1955-56 में 57.83 था, वहां 60.61 में 50.1 हो गया और फिर 65-66 में 28.07, 69-70 में 28.83 और फिर 70-71 में रिवाइज्ड एस्टीमेट 30.31 हो गया। इस प्रकार की स्थिति है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं इस सरकार का दृष्टिकोण सब तरह से रिएक्शनरी है, प्रतिक्रियावादी है, यह आज की इकोनामी के खिलाफ है यह मैं कह सकता हूं। यह आर्थिक विकास की प्रतिकूल दिशा में लेकर चल रहे हैं।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा यह देखकर कि जहां राजस्थान के आर्थिक विकास में हमको अधिक खर्च करना चाहिए वहां आर्थिक विकास में खर्च होने वाला व्यय भी कम होता जा रहा है। आर्थिक विकास में इनके व्यय का प्रतिशत भी कम हो रहा है। आर्थिक विकास में 8 आइटम्स हैं कृषि, पशुपालन, सहकारिता, सिंचन, बहु-प्रयोजन नदी घाटी योजनाएं, सार्वजनिक निर्माण कार्य, सामुदायिक विकास कार्य, वन तो इनमें भी इसकी स्थिति यह है कि जहां 65-66 में 44.85 हैं वहां अब 38.89, 38.59 और 38.24, तक इसकी स्थिति आ गई है। तो विकास में होने वाला व्यय तो मैंने आइटम्स बताये हैं, इनमें होने वाला व्यय भी कम होता जा रहा है, जो कि बढ़ना चाहिये। मैं कहना यह चाहता हूं कि राजस्थान सरकार का जो समाजवाद का नारा है वह महज ढोंग है, महज दिखावा है, महज प्रचार है और वह असलियत से दूर है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वास्तव में यह सरकार समाजवाद लाना चाहती है तो उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास करे, उत्पादित वस्तुओं का समान वितरण करने की ओर ध्यान दे, और उत्पादकों को संरक्षण दे। उसके उत्पादन का, श्रम का ठीक मूल्य उसको मिल सके और कीमत ठीक मिल सके इस तरफ ध्यान दे, लेकिन यह सरकार नहीं देती है। घोषणाएं तो रोज करती है लेकिन घोषणाओं पर अमल का इरादा नजर नहीं आता है।

दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भू-राजस्व बढ़ता जा रहा है। रिसेटलमेंट होता

Page No 100

(श्री दौलतराम सारण)

है और उस रिसेटलमेंट में इस साल 38 लाख और बढ़ जायेंगे, 53 तहसीलों में 38 लाख रुपये इस साल राजस्थान में बढ़ जायेंगे किसानों पर भू-राजस्व के, और यह भू-राजस्व सबसे ज्यादा आसाम के टी गार्डेन्स को छोड़ कर इस राज्य में है और इतना बेतरतीब है, उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी होगी कि एक तरह, एक किस्म की जमीन का एक जगह 9 रुपये मिलता है और एक जगह आठ आना मिलता है एक जगह डेढ़ रुपया लगाते हैं तो एक जगह 6 आने लगाते हैं, क्वालिटी सेम हैं, उसमें कोई अन्तर नहीं है। सेटलमेंट का कानून वही है। जो जागीरदारों के समय में व्यवस्था थी, राजाओं के समय में व्यवस्था थी वही व्यवस्था अभी भी लागू है, वही व्यवस्था आज भी कायम है। यह अपने आपको प्रगतिशील कहते हैं, लेकिन साथ ही आप अकाली सरकार को देखिये जो कि आपके पड़ौस में है। यहां गंगानगर के 20 हजार किसानों को जेल जाना पड़ता है विकास कर को माफ कराने के लिए, न्याय लेने के लिए, सरकारी भूमि की नीलामी का रोककर भूखे और बेरोजगार किसानों को खिलाने के लिए, ऐसी यह निकम्मी सरकार है। सरकार तो वह अकाली सरकार है जिसने लगान माफ कर दिया, विकास कर माफ कर दिया और अनाज का व्यापार भी अपने हाथ में ले लिया। ये कहते हैं कि बिचोलियों के शोषण को मुक्त करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन यह हमारी सरकार टुकरटुकर देख रही है, यह किसानों को लूट रही है। उसके उत्पादन की कीमत रुपये की 6 आना हो चुकी है, लेकिन रोज घोषणा करते हैं कि हम हिफाजत कर रहे हैं किसानों की और इन भावों के नीचे बिल्कुल भाव नहीं जाने देंगे और अनाज खरीद लेंगे लेकिन लोगों का धान खरीदने को तैयार नहीं है।

(2.34 म. प.)

(श्री विजयसिंह, सभापति, पदासीन)

यह समाजवाद का नङ्गापन है। समाजवाद लाना चाहते हैं तो समता और समृद्धि का आधार लेकर, उस तरफ कदम बढ़ाकर, लेकिन थोथा नारा समाजवाद का नहीं लगायें। आपने उत्पादन की उपेक्षा की, वितरण की उपेक्षा की, आपने विनिमय की उपेक्षा की। इनमें अगर कोई सन्तुलन नहीं किया तो समाजवाद कैसा ?

श्री रामचन्द्र आर्य : असमाजवाद लाना चाहते हैं . . .

श्री दौलतराम सारण : मैं जानना चाहता हूं कि समाजवाद लाने वाली सरकार . .

श्री रामचन्द्र आर्य : आचरण भी तो रखते हैं समाजवाद का।

श्री दौलतराम सारण : सामाजिक रूढ़ियों को रोकने की तरफ कदम नहीं बढ़ा रही है, सामाजिक विषमताओं को रोकने के लिए कोई कदम बढ़ाने को तैयार नहीं है। समाज के दुर्बल वर्ग को जगह जगह सताया जाता है। आज उनकी हालत खस्ता है। आज भी समाज के अन्दर खराब रीति-रिवाज प्रचलित हैं। आज भी पुलिस बैण्ड 10-10, 12-12 वर्ष के बच्चों की शादी में आगे बाजे बजते ए मैं रोज यहां जयपुर

(श्री दौलतराम सारण)

में देखता हूं, इस तरह की असामाजिक प्रवृत्तियां चल रही हैं . .

श्री रामकिशन : आपकी शादी किस उम्र में हुई थी ?

श्री दौलतराम सारण : उस समय आपसे परिचय नहीं था वरना उसको हटाने के लिए आपको बुलाता।

सभापति जी, सवाल यह है कि न तो यह सरकार सामाजिक विषमताओं को रोकने में समर्थ हुई है और न आर्थिक शोषण को रोकने में समर्थ हुई है। सामाजिक असमानताओं को प्रोत्साहन मिल रहा है तो फिर किस बात का समाजवाद है। आज सामाजिक विषमताओं और आर्थिक विषमताओं को रोकने के लिए इस सरकार ने कार्यकारी कदम नहीं उठाया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह समाजवाद वोट लेने और नोट देने का है।

श्री दौलतराम सारण : यह है तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

लेकिन मैं अपनी मुद्दे की बातें कहना चाहता हूं। सभापतिजी, आज राज्य की बकाया 20 करोड़ 2 लाख और 69 हजार की तो राजस्व की बकाया है और ऋण की बकाया जिसका कि महालेखाकार हिसाब रखता है वह 2,26,43,000 रु. की और उस ऋण की बकाया जिसका हिसाब विभाग रखता है 47 करोड़ 67 लाख की है। कुल इस प्रकार से इस सरकार का जो पैसा बकाया पड़ा है बड़े बड़े आसामियों में और वर्षों से बकाया चलता आ रहा है उसकी वसूली की तरफ कोई खयाल नहीं है। लेकिन गत वर्ष माननीय अकाल मंत्रीजी आपने जिन लोगों को 12-12 रुपये की सहायता अकाल के अन्दर ऋण एवं अनुदान की सहायता दी और कुछ ऋण के रूप में दी उसकी वसूली के लिए क्या हो रहा है ? भीमसेन जी नहीं उनके क्षेत्र से मेरे पास पत्र और तार आये हैं कि उनकी गायों की कुर्की हो रही है। ऊंटों की कुर्की हो रही है, उनके नाज की कुर्की हो रही है, उनके कपड़ों की कुर्की हो रही है। एक तरफ उनकी वह स्थिति है और दूसरी तरफ धन्ना सेठों की तरफ करोड़ों रुपया राज्य का बकाया है उसकी वसूली का कोई ठिकाना नहीं है। दूसरी तरफ गरीबों पर एक पैसा भी बकाया है तो तुरन्त कुर्की आ जाती है और पैसा वसूल कर लेते हैं। उन्हें राहत देने का सवाल नहीं है। कई प्यासे मर जाते हैं पानी पिलाने का सवाल नहीं और दूसरी तरफ सौन्दर्य के साधनों को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। एक तरफ तो प्यासा पानी मांग रहा है और दूसरी तरफ 11-12 लाख का एयर कन्डीशन्ड हाउस आपके पास में है। इसके बिना काम चल सकता था और उसके एवज में कितने ही प्यासों को पानी दिया जा सकता था इस धन से। आप को रंगमंच चाहिए नाचने और थिरकने के लिये लेकिन प्यासों को पानी देने के लिए पैसा नहीं है। रंगमंच बन रहे हैं। डांस और किलोल चल रहे हैं। यह सब आदर्शों की बात है। अगर आपको गरीब के प्रति मुहब्बत होती तो यह काम नही होते। जब पेट भर जाये, तब नाचने का काम होता है। आज 34 करोड़ जनता को रोटी नहीं है। राजस्थान के 2

Page No 102

(श्री दौलतराम सारण)

करोड़ 57 लाख में से लाखों भूखे पड़े रहते हैं। रोजगार या आवास का कोई साधन नहीं है। उनके लिए कहीं कुछ नहीं है। आपके पास एयर कण्डीशण्ड है। गलीचा है। मैं पूछता हूं क्या आप 5 साल के लिए रोक नहीं सकते थे। आपके आलीशान बंगले बनते हैं। उनकी सजावट करते हैं। यह गरीबों की सरकार नहीं है। यह निहित स्वार्थों वाली सरकार है। अगर गरीबों की सरकार होती तो उनकी योजना में प्रायरिटी होती। यह एयर कण्डीशण्ड सदन है....

श्री सभापति: आर्डर प्लीज। (कुछ व्यवधान उपस्थित होने पर)

श्री दौलतराम सारण: राजस्थान के 32 हजार गांवों में 14 हजार गांव ऐसे हैं जिनमें पानी नहीं है। या तो पानी बिराइया है या खारा पानी है। उनके लिए सरकार के पास धनाभाव है। आज तक लगभग 16 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। केवल 300 जल प्रदाय योजनायें पूरी की गई हैं। उधर 146 शहरों के लिए जिनकी आबादी 45 लाख है। नयी जन गणना के हिसाब से राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या 2 करोड़ 12 लाख है, उनके लिए 16 करोड़ 18 लाख 57 हजार कर दिया है। राजस्थान बनने से आज तक। इन जल प्रदाय योजनाओं के स्थानों पर अधिकांश जगह मीठा पानी उपलब्ध था। लेकिन वह 14 करोड़ निवासी जो 10-10 मील से पीने का पानी लाते हैं उनके लिए कोई पानी की व्यवस्था आज तक नहीं है। ये 300 जल प्रदाय योजनायें कौन से गांवों में बना दी हैं, जहां पहले से पानी उपलब्ध था।

श्री मदनसिंह: सभापति महोदय, मंत्री गण सभी उठ गये हैं। कई बार इस पर व्यवस्था हो गई है। समाजवाद पर कितना शानदार भाषण हो रहा है।

एक माननीय सदस्य: उनको सर्दी लगती है।

श्री दौलतराम सारण: मगर उद्देश्य स्पष्ट है। इरादा नहीं किया है। सही इरादे वाले लोग परिणाम ला सकते हैं। यह सुन नहीं सकते हैं। नजरें बदली हुई हैं। जिनके पिताजी आज भी बैलगाड़ी चलाते हैं, उनको आज कारें पसन्द आती हैं। बंगले बने हुए हैं। सुखाड़ियाजी के खानदान को पता नहीं होगा कि गेहूं किधर से उगता है। पर राजस्थान की सैंकड़ों बीघा भूमि के मालिक हैं। जोशी जी (श्री विश्वम्भरनाथ जोशी) मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। आप ने तो भूमि खरीदी है।

श्री देवीदत्त गाड़िया: उन्होंने तो फर्जी कार्यवाही करके ली है। एस. डी. ओ. पर दबाव डालकर जबर्दस्ती ली है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी: वह सब बकवास है। आप इसको साबित करदें।

श्री दौलतराम सारण: सभापति महोदय मैं आरोप की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। मैं दृष्टिकोण की बात कह रहा हूं। जो लोग जनता के प्रतिनिधि होने की बात कहते हैं, जनता की सेवा की बात कहते हैं, जो जनता के संयम की बात करते हैं-मैंने अखबारों में मुख्य मंत्री का महावीर जयन्ती का भाषण पढ़ा था। जो लोग यह कहते हैं कि पेट पर

(श्री दौलतराम सारण)

पट्टी बांधकर गरीबी के खिलाफ जिहाद करना है। वह युद्ध में स्वयं जाते हैं। वह एयर कण्डीशण्ड में बैठकर केवल भाषण नहीं करते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह पहले अपनी गरीबी दूर कर लें।

एक माननीय सदस्य : आप भी तो उन्हीं में थे।

श्री दौलतराम सारण : सभापति महोदय, पार्टियां हों। 10-10 हजार आदमी इकट्ठे हों। लोगों से कहें कि त्याग कीजिए। जब वह आपको संग्रह करते हुए देखते हैं। कार और बंगले बढ़ाते हुए देखते हैं। आप जनता की चर्चा करते है। आप अपना आदर्श उपस्थित करें। तो मैं कह रहा था मुझे इरादे नेक नहीं लगते हैं। इन पर भरोसा नहीं लगता है।

श्री मोहनलाल मोदी : (अश्रव्य)

श्री दौलतराम सारण : जिनके अरमान जल चुके हैं। वित मंत्री जी, लेकिन रास्ता कठिन है। इरादे की दृढ़ता रखने वाला मंजिल छोड़ नहीं देता है। लेकिन आपके कदम प्रतिगामी है। आप को जनता की हमदर्दी नहीं है। आप में त्याग नहीं है। आप जो कह रहे हैं और कर रहे हैं उसमें कोई तालमेल नहीं है। (व्यवधान करने पर) कितनी ही तेल मालिश करो आप की तरफ नजर होने वाली नहीं है। चिलम भरो और कलेक्टर साहब का बस्ता लिये फिरो। इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह तमाचा लगाया आप ने।

श्री दौलतराम सारण : उधर सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : (कुछ व्यवधान उत्पन्न होने पर) माननीय सदस्य, बोलने दीजिये।

श्री दौलतराम सारण : राज्य के विभागों में राजकीय सम्पत्ति की कोई सुरक्षा नहीं है। यातायात विभाग में पता ही नहीं है कितनी गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं। कृषि विभाग में खरीद के कागज ही नहीं मिल रहे हैं। राज्य का करोड़ों रुपया संदिग्ध अवस्था में है। इन्होंने पंचायत समितियों में और दूसरी जगहों पर राज्य का जो पैसा खर्च हुआ है उस पैसे की उपयोगिता प्रमाण-पत्र लेने का जो फायदा था, जो पाबन्दी थी, उसको हटा दिया। अब उपयोगिता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। 65 करोड़ 41 लाख 14 हजार रुपये के प्रमाण-पत्र अब पेश नहीं होंगे, कि यह रुपया किसने लिया, काम हुआ या नहीं। जैसे कुचेरे के अन्दर एक समाज कल्याण बस्ती का सवाल आया था। पैसा ले लिया। बस्ती बन गई। यह बात आई। यह मन्त्री जी ने उत्तर दिया। लेकिन दूसरी तरफ माननीय सदस्य ने बताया कि बस्ती न बनी, न बाढ़ में बही, न वहां कुछ हुआ। वह पैसा कृष्णार्पण हो गया। न मालूम कितने करोड़ों रुपये कृष्णार्पण हुए हैं। कुए का पैसा कृष्णार्पण हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : कृष्णार्पण नहीं हुआ, जेब में गया।

श्री दौलतराम सारण : और कितना पैसा, पता नहीं, लिया होगा लोगों ने, लेकिन मौके पर वह चीज बनी या नहीं इसका पता

(श्री दौलतराम सारण)

नहीं। सभापति महोदय, आप स्वयं जानते होंगे, पंचायत समितियों के लिये राज्य सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, पहले नक्शे बनेंगे, फिर एस्टीमेट बनेंगे, फिर मंजूरी होगी और उसके बाद में काम शुरू होगा। मै पूछना चाहता हूँ, सरकार से, नक्शा बनाने वाले, एस्टीमेट बनाने वाले भी हैं किसी पंचायत समिति के पास ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : ओवरसियर है।

श्री जयनारायण सालोदिया : कहां है ?

श्री दौलतराम सारण : नहीं है, ओवरसियर नहीं है।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : तीन के बीच में एक है।

श्री दौलतराम सारण : मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या क्या पंचायत समितियों में काम करने हैं-इसको देखने वाला कोई आदमी इस सरकार के अन्दर नहीं है, जो इस प्रश्न को देखे। जिला परिषदों ने, पंचायत समितियों ने सैकड़ों प्रस्ताव भेजे हैं, सैंकड़ों एस्टीमेट भेजे हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है और दस पन्द्रह साल से पड़े हुए हैं कुए, दुबारा फूट गये हैं, वह मरम्मत तलब पड़े हुए हैं। लेकिन उनको देखने वाला नहीं है। यह सरकार की ढिलाई है। यह सरकार अपनी असमर्थता, अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए अब प्रमाण-पत्र लेने की विधि को समाप्त करती है। यह इनका नजरिया है...

श्री रामचन्द्र आर्य : सरकार सिमट कर एक मे बैठ गई है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह कौन सरकार है।

श्री दौलतराम सारण : मैं कह रहा हूँ, सरकार का अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार की तरफ, सरकार का अपनी आमदनी को बढ़ाने की तरफ, सरकार का अपनी आय पर नियंत्रण करने की तरफ, सरकार का अपनी आय का सदुपयोग करने की तरफ और सरकार का अपनी योजनाओं की क्रियान्विति की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अन्धी पीसे, कुत्ता खाय। यह राजस्थानी कहावत है। यह अन्धी पीस रही है और कुत्ते खा रहे हैं। इन्हें कोई पता नहीं है, क्या हो रहा है। बहुत से विभागाध्यक्षों को, सभापति महोदय, यह पता नहीं है, विभाग का बजट क्या है, विभाग की योजनायें क्या हैं। और इन योजनाओं का भी अजीब हाल है। 'न लाभ न हानि' सिद्धांत पर हानि की योजना बन गई, लेकिन इन योजनाओं में करोड़ों रुपये का घाटा ही रहा है। 'न लाभ न हानि' की कोई ऐसी योजना नहीं है, जो इस प्रकार से चल रही हो यह योजना का आधार नहीं है। इसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई जांच करने वाला नहीं है कि यह योजना ठीक बनी है या नहीं। इसमें लक्ष्य क्या था, प्रावधान क्या था, उस खर्च का ढंग क्या था, क्यों यह फैल हो रही है। इसको ठीक तरह से चलाने में असमर्थ क्यों हैं ? यह जांच करने का तरीका नहीं। यहां तो योजना शुरू कर दी जाती है और उस योजना के लिए प्रावधान नहीं भी हो तो भी राजनैतिक आधार पर योजनाओं का काम शुरू कर दिया जाता है।

(श्री दौलतराम सारण)

वर्षा तक काम अधूरा पड़ा रहता है और लगाया गया पैसा व्यर्थ चला जाता है और इस प्रकार चौगुना खर्च उसमें लगता है। यह सिंचाई योजनाओं का हाल है, यह जलप्रदाय योजना का हाल है, यह अन्य योजनाओं का हाल है। योजनायें अपने साधनों के अनुरूप नहीं बनाई जाती हैं, योजना पूरी करने के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है, फिर योजना अधर में लटकी रहती है। इसका नतीजा यह होता है कि लगी हुई रकम आइडल रहती है, और बाकी रकम मिलती नहीं है। इस प्रकार खर्च बढ़ता जाता है। इस प्रकार व्यय भार बढ़ता जाता है। यह सरकार की स्थिति है। दूसरी तरफ सभापति जी, अभी मैंने सुबह मेरे प्रश्न के अन्दर पूछा था, 1951 में क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है। आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में सवाल था। उत्तर में सरकार ने बताया छः अरब, सैंतालीस करोड़ रुपये का कर्ज है, और जो इनके असेट्स हैं, वह इससे कहीं कम हैं, छः अरब से कम हैं, तो यह आर्थिक स्थिति का द्योतक है कि असेट्स कम हैं और अर्ज इनके ऊपर ज्यादा है। कर्ज इन्होंने उत्पादन कार्य के लिए कम किया है, लेकिन कर्ज कर्ज चुकाने के लिए लिया है, व्याज चुकाने के लिए कर्ज लिया है। जो व्यक्ति या फर्म, या सरकार उत्पादक कार्यों के लिए कर्ज न लेकर व्याज चुकाने के लिए, ऋण चुकाने के लिए कर्ज लेती है उसका भगवान ही रक्षक है। अगर उत्पादक कार्यों के लिए कर्ज लेकर, उत्पादन को बढ़ाने के लिए कर्ज लेकर उससे पूंजी बनायें, या उससे पुर्ननियोजन की क्षमता पूंजी की पैदा हो तो हम उसका स्वागत करेंगे, हम उस कर्ज के विरोधी नहीं हैं। लेकिन इस तरह से कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज, व्याज को चुकाने के लिए कर्ज, ओवर ड्राफ्ट चुकाने के लिए कर्ज लेकर इस प्रकार से राजस्थान को दिवालिया बनाने का तरीका अख्तियार किया है वह खतरनाक है, आप मेहरबानी करो, और राजस्थान की जनता पर दया करो, आप अपने कदम पर लगाम लगाओ, नहीं तो राजस्थान की स्थिति खराब हो जायगी...

श्री रामनारायण चौधरी : कदम बढ़ रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : कदम बढ़ रहे हैं, कदम बढ़ने का किस्सा बताऊं।

श्री मदनसिंह : इनके मुंह पर लगाम लगाओ। इस तरह का प्रचार मत करो।

श्री सभापति : आप मत बोलें।

श्री दौलतराम सारण : मथुरादास माथुर, वित्त मंत्री हैं, उन्होंने अपने तमाम सगे सम्बन्धियों को दूसरे विभाग से ला लाकर अपने विभाग में लगाया है, इधर से लाये हैं, उधर से लाये हैं, कोई सब इन्सपेक्टर था, लेकिन अपने विभाग में लाकर इन्चार्ज बना दिया, ऑफिसर बना दिया, माल का, खजाने का, लेन देन का अधिकारी बना दिया। इस तरह से विभिन्न विभागों से लाकर लगाये हैं। मेरे पास लिस्ट है। उनको लगा कर यह इन्तजाम किया है, सब रिश्तेदार हैं-यह इन्तजाम कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी हां।

श्री दौलतराम सारण : यह आपके इन्तजाम का नक्शा है। मैं नहीं बोलता

(श्री दौलतराम सारण)
चाहता था, आपके इन्तजाम पर, लेकिन आपने टोक दिया, तो आपका पूरा लेखा जोखा मेरे पास है। हम बोलते नहीं हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास पूरा लेखा जोखा नहीं है। हम नीति के मसलों पर बोलना चाहते हैं, कार्य-क्रम की बात कहना चाहते हैं। क्योंकि रामनारायण जी ने कहा, इसलिए थोड़ी सी बात कह दी। बाकी मेरा इरादा नहीं था। बाकी बात अभी नहीं कहूँगा, घोटालों की...

श्री शंकर लाल : आपके पास कुछ है नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सब कह दीजिये और फिर यह कह दीजिये कि मैं नहीं कहूंगा।

श्री सभापति : आप बैठे बैठे क्यों बोल रहे हैं।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : आदत से लाचार हैं।

श्री दौलतराम सारण : तो सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि राजस्थान के विकास के लिए आप अपनी आर्थिक नीतियों को सांगोपांग ढंग से संतुलित कीजिये। उनके उत्पादन को सही दिशा में, जनता के हित की सही दिशा में मोड़िये। अगर आपको राजस्थान के भविष्य का जरा सा भी ख्याल है, अगर जनता के अरमानों की जरा सी फिक्र है, जनता की जागृति की और जनता की अपेक्षाओं की पहचान है तो आपको सही दिशा में अपने कदम मोड़ने चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं...

श्री जयनारायण सालोदिया : टूट जायेंगे इनके कदम अगर मोड़ेंगे तो।

श्री दौलतराम सारण : कइयों ने कहा, ऐतिहासिक बजट है, समाजवादी बजट है। मैंने इसकी ऐतिहासिक और समाजवाद के खोखलेपन को आपके सामने रख दिया। इस बजट में, जो बजट प्रक्रिया रही है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। यह केवल प्रचारात्मक बजट है। यह बजट केवल शाब्दिक संतोष दिलाने का प्रयास मात्र है। मैं पूछना चाहता हूं, गत वर्ष हरिजनों के आवास की व्यवस्था करने की घोषणा की थी, दूसरी घोषणायें की थीं--उनका क्या हुआ? मैंने अभी प्रशासनिक रिपोर्ट में पढ़ा कि स्वायत्त संस्थाओं को आवास के लिये पैसा दिया गया, और वह लाखों का पैसा लेप्स हो गया, उन हरिजनों तक नहीं पहुँचा। इस बार भी हरिजनों की दुहाई दी गई है, लेकिन हरिजनों के पास न जल पहुंचा है, न बिजली पहुंची है, न उनके मकान बने हैं...

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : हरिजनों के मकान का कौनसा पैसा लेप्स हो गया। आप चल कर देखिये।

श्री मदनसिंह : बीस हजार के लिए तो मैं कह सकता हूं, दांता रामगढ़ का बीस हजार रुपया लेप्स हो गया, केवल सात को मिला है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बारां हरिजन कालोनी...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज!

श्री दौलतराम सारण : मैं कह रहा था कि आपने और तो सब बातें कही हैं उस

(श्री दौलतराम सारण)
सम्बन्ध में मैंने कहा। लेकिन आपने इस बजट में बचत करने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिलाया। शासन में कितनी फिजूलखर्ची है, उसको कम करने की तरफ आपने प्रयास नहीं किया...

श्री बी. एन. जोशी : आप लैप्स होने की बात कर रहे थे..

श्री देवीदत्त गाड़िया : बारां क्षेत्र में हरिजन कालोनी के लिये 20 हजार स्वीकृत हुए थे और दो साल पहले वह राशि लैप्स हो गई, आज तक पैसा नहीं दिया।

श्री बी. एन. जोशी : कौनसे साल में ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : बारां नगरपालिका को हरिजन कालोनी के लिये 1963-64 में..

श्री सभापति : माननीय सदस्य!

श्री देवीदत्त गाड़िया : तीन साल पहले लैप्स होगा। आज तक..

श्री बी. एन. जोशी : आप तो 1963 की बात कर रहे थे।

श्री देवीदत्त गाडिया : तीन साल पहले लैप्स हो गया।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज !

श्री दौलतराम सारण : राज्यमंत्री को उत्सुकता है तो मैं बता देता हूं। 1969-70 में हरिजनों की बस्तियां निर्माण कराने हेतु 7,50,190) की राशि समाज कल्याण विभाग को आवंटित हुई थी। वह सांभर, फुलेरा, बान्दीकुई, देवली, दौसा, नगरपालिकाओं को आवंटित की गई लेकिन वह इसमें खर्च नहीं हुई; कहां गई ?

श्री बी. एन. जोशी : बिल्कुल लैप्स नहीं हुई है। जहां पर भी हमें मेटीरियल मिल गया काम में आ गया, जहां पर पूरे नहीं हुए, अब करवाए जा रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य सरकार का जो प्रशासनिक प्रतिवेदन सदन में रखा जाता है, वह झूंठा है। उन प्रशासनिक प्रतिवेदनों में यह बात अंकित की गई है कि 1969-70 में 7,50,190) आवंटित की गई और इन नगरपालिकाओं, जिनके नाम मैंने बताए, को पैसा दिया गया और उनके द्वारा खर्च नहीं किया गया, काम में नहीं लिया गया। यह इस प्रशासनिक रिपोर्ट में अंकित है। अगर आप कहते हैं ऐसा नहीं है तो यह दूसरा सवाल पैदा होता है प्रिविलेज का, आपने गलत सूचना दी है सदन को..

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री मदनसिंह दांता : सभापति जी मंत्रीजी को तो कुछ पता ही नहीं है।

श्री बी. एन. जोशी : आइ नो एवरीथिंग। आप कोई बात कहें तो जिम्मेदारी से कहें।

श्री दौलतराम सारण : आप जब उत्तर दें तो मैंने जो आरोप लगाये हैं उनका खण्डन करें। मैं जो बात कही है सरकारी रेकार्ड से कही है। आपकी पत्रावलियों में अंकित है जो हमें सबमिट की गई है उनके आधार पर मैंने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।

(3.3. म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसके अलावा राज्य सरकार ने इस बजट में बचत करने का कोई प्रयास नहीं किया। इतने बड़े मंत्रि-मण्डल की आवश्यकता नहीं। इससे आधे से अधिक मंत्री ऐसे हैं जिनको अपने विभाग का भी ज्ञान नहीं है, जिनको अपने विभाग के बजट का भी ज्ञान नहीं है, विभाग की योजनाओं का ज्ञान नहीं है और विभाग के कार्य-क्रम और सरकार की रीतियों नीतियों का ज्ञान नहीं है ..

श्री उपाध्यक्ष : हरेक मंत्री के पास विभाग कितने हैं, यह ज्ञान है ?

श्री दौलतराम सारण : यह फिजूलखर्ची है। मंत्रि-मण्डल पर जो टेलीफोन, बिजली, पानी, फर्नीचर, स्टाफ और डी. ए., टी. ए., रूम कूलर्स, हीटर्स, रेफ्रीजरेटर्स आदि पर जो फिजूलखर्ची होती है, उसमें बहुत बचत की जा सकती है। स्टाफ को कम करने की सम्भावनायें हैं और मैंने जो आईटम्स बतायें हैं उनमें बहुत कुछ बचत करने की सम्भावना है। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल आवश्यकता नहीं है लेकिन इन मदों में बहुत कुछ पैसा बचाया जा सकता है।

इसी प्रकार समय-समय पर राजकीय भोज स्वल्पाहार का आयोजन किया जाता है उद्घाटन और शिलान्यास, के जो राजकीय फंक्शन्स किए जाते हैं उनमें भी बचत की जा सकती है। राज्यपाल पर भी जो खर्चा किया जा रहा है, राज्यपाल कार्यालय पर, राज भवन पर जो खर्चा किया जा रहा है, उसमें भी बहुत कुछ बचत करने की सम्भावनायें हैं, राज्य सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

तीसरी बात, जो विभागों को गाड़ियां दे रखी हैं, जीपें दे रखी हैं या दूसरे प्रकार की गाड़ियां दे रखी हैं उनमें पेट्रोल और दूसरे कामों में बहुत फिजूलखर्ची होती है, उसमें काफी मात्रा में रुपया बचाया जा सकता है। इसके अलावा यात्रा भत्ता, फर्नीचर, शान शौकत के दूसरे आइटम्स को कम करने मे काफी रुपया बचाया जा सकता है।

चौथी बात कई विभाग व्यर्थ हैं, उनका कोई काम नहीं, वह केवल पोस्ट ऑफिस का काम करते हैं। उन विभागों को खतम करके भी काफी पैसा बचाया जा सकता है। मैं गत बजट के समय में और दूसरे कई अफसरों पर इस संबंध में प्रकाश डाल चुका हूं कि कौन कौन से विभाग व्यर्थ हैं, जिनका उपयोग नहीं, प्रशासनिक अधिकार नहीं अपनी बात को इम्पलीमेंट कराने की शक्ति नहीं। ऐसे व्यर्थ विभागों को खतम करना चाहिए वह न एक्शन ले सकते हैं, न काम कर सकते हैं। केवल कागजों का काम, डाक का काम बढ़ाते हैं, फिजूलखर्ची पैदा करते हैं। ऐसे जो बिचौले विभाग हैं, जिन्हें एग्जीक्यूशन की पावर्स नहीं हैं, सब को खतम करना चाहिए।

श्री विजयसिंह : कोई काम नहीं है, इसलिए तो डाक का काम करते हैं।

श्री दौलतराम सारण : पांचवीं बात आप योजनायें बनायें उनके प्रावधान करने से पहले वह स्पष्टतः सोच समझ कर बनानी चाहिए और उनके सारे पहलुओं को, सारे मुद्दों को पहले जांचना चाहिये तब समय पर क्रियान्वयन हो सकता है। उस सम्बन्ध में स्पष्टतः निर्देश नहीं होते, रूपरेखा नहीं होती इसलिए विभागाध्यक्षों को कठिनाई होती है कि किस प्रकार से उनका उपयोग करें इसलिए मैंने संकेत के रूप में इतनी बात कही है।

इस बजट के संबंध में जो कुछ मुख्य मुख्य मुद्दे थे और मैंने व अन्य माननीय सदस्यों ने अपने अपने भाषणों में बहुत से मुद्दे उठाए हैं। मेरी दृष्टि में मुझे जो कहना था मुख्य तौर पर, आपके सामने रखा है और मैं आशा करता हूं राज्य सरकार इस सम्बन्ध में गौर करेगी तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को बल मिलेगा, प्रशासन में सुधार होगा, अर्थ में बचत होगी, योजनाओं को गति व राज्य सरकार को यश मिले ग लेकिन इस सरकार का दृष्टिकोण ऐसा नहीं है कि किसी की बात को सुन कर उससे लाभ उठा सके। यह सरकार केवल अपना डिफेंस करती है। अगर कोई कमी बताई जाती है उसको हेल्दी स्पिरिट में नहीं लेती, निराकरण नहीं करती। इस सेंस में लेती हैं जैसे कोई इनकी शिकायत कर रहा है। यह जन कल्याणकारी व्यवस्था के प्रतिकूल सरकार उसका डिफेंस करती है। डिफेंस की मनोवृत्ति लोकतंत्र के खिलाफ है। इसलिए प्रसासन से और मंत्रि-मंडल में से इस डिफेंस प्रवृत्ति को निकाल कर शिकायत को अपने लिये आपत्ति की बात मत महसूस करें। कोई आवश्यकता और कमी दर्शाए तो उसमें सुधार हो, उससे आपका कल्याण होगा और जनता का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल समय 15 मिनट।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री रामकिशन : शरीर और आकार की दृष्टि से समय देना चाहिये। दौलतराम को तो एक घंटा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह जो बजट विधान सभा में पेश किया गया है उस सब के अन्दर मध्यावधि चुनाव व मध्यावधि चुनावों में दिये गये नारे अचानक, अनायास जिसकी आशा तो नहीं की जा सकती है, ये सारे विचार प्रकट होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज केन्द्र के प्रशासन और राज्य के प्रशासन के द्वारा गरीब और शोषित समुदाय के लिये मगर-मच्छ के आंसू बहाये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है और अचानक एक नारा दिया जा रहा है गरीबी मिटाने, गरीबी और अमीर का भेद मिटाने, पिछड़े और दबे हुए लोगों को ऊपर उठाना। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि देश की आजादी के बाद से लेकर आज तक चुना हुआ प्रशासन केन्द्र और राज्य दोनों ही स्थानों पर कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ है। आपको आज तक किसने इनकार किया है कि गरीब और अमीर का भेद न मिटायें या जो लोग पददलित हैं, पिछड़े हुए हैं उनको ऊपर उठाये। किसने

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

इनकार किया है आपको ? गरीब और अमीर का भेद तो आपकी देन है। पिछड़े हुए व्यक्तियों का विकास नहीं हो पाया उसके कारण हैं। इस प्रकार की बातें करने की आवश्यकता अब नहीं है। बजट जैसी चीजों को जो कि गंम्भीरता से लिया जाना चाहिये था उसको गम्भीरता से न लिया जाकर केवल आगामी आने वाले चुनावों के दृष्टि-कोण से लिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्षेत्र के सामने जो समस्यायें हैं, वे भूमि की हैं, आवास की हैं, जिनको कि ये मुहय्या करानी हैं जिसका कि उनको हक है। जहां एक ओर ये भयंकर समस्यायें हैं, दूसरी ओर आपका प्रशासन है जो कि फिजूल खर्ची से भरा हुआ है, भ्रष्ट है, विलम्बकारी है और अकर्मण्य है। एक ओर तो ये समस्यायें हैं और उनके निदान के लिये जिस प्रकार का प्रशासन होना चाहिये आज का आपका यह भ्रष्ट प्रशासन उन समस्याओं का निदान नहीं कर सकता। आज लोगों का पेट नारों से नहीं भरेगा। मनुष्य को पेट भरने के लिये दो टाइम रोटी चाहिये। आज चाहें समाजवाद का नारा दें, साम्य-वाद का नारा दें या मानवता का नारा दें, उन नारों से मनुष्य को कुछ समझ नहीं है, उसको लेना-देना नहीं है, उसको रोटी चाहिये खाने को, रहने को मकान चाहिये और पहिनने को कपड़ा चाहियें और अगर आप यह नहीं दे पायेंगे, तो निश्चित मान कर चलिये कि लोकतन्त्र के नारों से उसका पेट नहीं भरेगा। मनुष्य स्वयं नंगा है और जब पेड की छाया में बैठा है तो महलों में बैठे हुओं को देख कर संतोष कर ले। ऐसी स्थिति पैदा न हो इसलिये जो समस्यायें हैं उनका निदान करने के लिये सरकार प्रयास करे और ईमानदारी से प्रयास करे।

उपाध्यक्ष महोदय, लगता है ऐसा कि राजस्थान की इस सरकार को इसकी चिन्ता नहीं है। उसके वे ही नारे चले आ रहे हैं। आप यह कहेंगे कि राजस्थान जब रजवाड़ों से बन कर बना था तो बहुत ही पिछड़ा हुआ था और जब राजस्थान बना तो इसकी क्या स्थिति थी। आप यही आंकड़े देंगे कि पहले इतनी नहरें थीं, हमने इतनी बना दीं, इतनी पहले सड़कें थीं, हमने इतनी सड़कें बना दीं, पहले इतने स्कूल थे हमने इतने स्कूल बना दिये। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इन आंकड़ों से समस्याओं का निदान नहीं होगा। जहां एक ओर विकास के आंकड़े देते हैं, दूसरी ओर आप भूल जाते हैं 51-52 में राजस्थान लैंड रैवेन्यू 3.17 लाख 96 हजार थी आज राजस्थान में लैंड रैवेन्यू 136 करोड़ दस हजार हो गई है। इसी प्रकार 51-52 में सेल्स टैक्स 419 लाख 47 हजार था आज वही सैल्स टैक्स 325 करोड़ 24 लाख हो गया यह बढोतरी लगान में, सैल्स टैक्स में हुई। 51-52 में 1163.6 लाख थी 71-72 में 10450.10 लाख हो गयी।

श्री विश्म्भर नाथ जोशी: ये राज्य की सम्पन्नता की घोतक हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल: मुझे आप पर और आपकी बुद्धि पर तरस आता है कि आप राज्य की सम्पन्नता टैक्स के बढने से मानते हैं।

श्री विश्म्भर नाथ जोशी: टैक्स पे करने की केपैसिटी है वह बढ गयी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसीलिये आप की बुद्धि पर और आप पर तरस आता है कि आप यह कहते हैं कि राजस्थान में इन्सान की टैक्स पे करने की कैपेसिटी बढ गई है और यही मान कर चलते हैं तो आपकी बुद्धि पर तरस आवेगा ही।

श्री रामचन्द्र आर्य : उधर केवल सात व्यक्ति ही बैठे हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने अपनी आय लैंड रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू बढा कर बढाई है यह वे स्वयम् ही मान रहे हैं। दूसरी ओर इस बजट के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि हमने अविकास सेवाओं पर खर्चा कम किया है और दस वर्ष के मुकाबले में विकास सेवाओं पर अधिक किया है। मैं मानता हूँ कि वित्त मंत्रीजी बड़े चतुर हैं। लेकिन वे अपनी चतुराई को छिपा न सके। आप देखेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, आर्थिक विकास का जो व्यय रखा गया है वह 7965. लाख रखा गया है जो 69-70 में 57.01 और 70-71 में 51.21 परसेन्ट और इस वर्ष उन्होंने अपनी काबलियत से उसको 39.1 परसेन्ट कर दिया। मैं वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यदि आपको पता हो तो आप बता दीजिये। यह खर्चा किसी एफिशियेन्सी से नहीं, किसी मितव्ययता से नहीं, फिजूलखर्ची को कम करके नहीं किया गया है। केवल अकाल में रुपया था और उसको दो वर्ष में पूरा करने की बात है। आप बता दीजिये 69-70 में 57.01 खर्च किया वहां 71-72 में 39 परसेन्ट कैसे कम हो गया। वह दुर्भिक्ष का पैसा कम करने की बात होगी। बाद की जितनी मदें हैं, चाहे पुलिस की हों, जी. ए. डी. की हों या दूसरी मदें हों, उन सब में बढोतरी हुई है। केवल कमी हुई है तो दुर्भिक्ष के पैसे में कमी हुई है। 70-71 में दुर्भिक्ष में 4.17 खर्चा हुआ है। वह कम हो गया। अब की बार पैसा नहीं रखा गया। 69-70 में 3307 लाख रुपया नहीं बताया। राज्य सरकार ने कोई मितव्ययता की हो और खर्च में कमी की हो ऐसा नहीं है। किन्तु बढोतरी ही हुई है। अविकास योजना पर खर्चा कम किया है यह केवल धोखा मात्र है। यह तो कम नहीं हुआ है बल्कि यह तो बढा ही है।

जो स्थिति है, इस लाल किताब में वित्त मंत्रीजी ने जो नारा दिया है उसका अपने भाषण में चित्र खींचने की कोशिश की है, इस वर्ष में यह पूरा कर देंगे मानो अलादीन का चिराग लेकर क्या करिश्मा करना चाहते हैं, वे केवल इनका भाषण है प्रचार है और एक धोखा मात्र है। आर्थिक विकास पर जो व्यय किया जा रहा है वह इस साल कुल डेवलपमेंट पर जितना व्यय हुआ है उस पर 39.40 परसेन्ट खर्च किया है गत वर्ष 1969-70 में 38.8 था वह 70-71 में 38.59 और इस वर्ष 39 परसेन्ट। एक परसेन्ट की वृद्धि करके बताना चाहा है कि विकास कर रहे हैं। यह केवल मात्र धोखा है। इस वर्ष भी विकास पर एक परसेन्ट का नोमिनल खर्चा किया जा रहा है।

दूसरी ओर कहते हैं कि सामाजिक सेवाओं का उत्थान करेंगे। न जाने क्या क्या कर देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे इन सामाजिक सेवाओं पर कुल विकास का इस वर्ष 60.66 परसेन्ट खर्च किये जायेंगे जब कि 69.70 में 61.11 परसेन्ट और

(श्रीकृष्णकुमार गोयल)

70-71 में 61.41 परसेन्ट। 70-71 में इस मद में विकास खर्च 61.41 परसेन्ट। इस साल बजट में, जिसको बड़ा प्रगतिशील बजट बता रहे हैं, केवल पिछड़े हुए लोगों को उठाया गया है, अनुसूचित जाति के लाभ के लिये लाया गया है इसके अन्दर केवल 60.06 परसेन्ट खर्च किया गया है तो आर्थिक विकास पर गत वर्ष के मुकाबले में एक परसेन्ट कम ही खर्च किया गया जब कि सामाजिक सुविधाओं पर भी गत वर्ष के मुकाबले में काफी कम खर्च किया गया है। इनको देखते हुए आपने जो अपने बजट भाषण में कई प्रकार की भावनाएं व्यक्त की हैं, उनको कैसे पूरा कर पावेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : शेष को प्रचार से करेंगे पूरा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा निवेदन यही है।

इसके अलावा, केपिटल एक्सपेण्डीचर में जो खर्चा होगा और विकास योजनाओं पर जो खर्चा होगा 70-71 में, उपाध्यक्ष महोदय, 3119 46 लाख था, जो कि 71-72 का जो प्रगतिशील बजट कहा जाता है, जिससे ये नया प्रकाश देने वाले हैं, इसमें 3119.46 से घटा कर केवल 2119.01 लाख रह गया। तो इस तरह से इसके अन्दर दो करोड की कमी आ गई। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो बजट पेश किया गया है कोई विशेष प्रकार का बजट नहीं है बल्कि गत वर्ष के बजट के आंकड़ों को ही हेरा-फेरी करके इसमें रख दिया गया है। न सामाजिक सुविधाओं के विस्तार पर कोई व्यय होने वाला है और न आर्थिक विकास के विस्तार पर कोई व्यय होने वाला है। बल्कि अनुपात में पिछली बार से इस बार कम खर्चा रखा गया है।

इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रश्न पैदा होता है कि देश के सामने जो विशिष्ट प्रकार की समस्याएं हैं उनका निदान कैसे हो ? 'हर खेत को पानी और हर हाथ को काम' इस नारे को देने मात्र से हर खेत में पानी नहीं पहुंच सकता और न समस्याओं का निदान हो सकता है। न आर्थिक विकास देश का होगा न बेकारी की समस्याओं का निदान होगा। ईमानदारी से, महनत से इस नारे को मूर्त रूप देने से ही ये समस्याएं दूर होंगी। इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। पर इस आज के भ्रष्ट तन्त्र से और भ्रष्ट इन तन्त्र को चलाने वालों से यह आशा नहीं की जा सकती। अगर आप आंकड़े उठा कर देखें तो हमारे राजस्थान में पन्द्रह हजार 446 हजार हैक्टर ऐसी भूमि है जिस पर फसल की जाती है। पर राजस्थान में तीन तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी और एक वर्षी योजनाओं की समाप्ति के बाद भी स्थिति यह है कि हम इस 15446 हजार हैक्टर भूमि में से केवल 2141 हजार हैक्टर भूमि को ही पानी दे पा रहे हैं। क्या यह आपके विकास का और प्रगति का चिन्ह है। आप 1 बटे साठवां हिस्सा भी पानी नहीं दे पा रहे हैं।

आज बेकारी का जहां तक प्रश्न है पहली पंचसाला योजना देखी, दूसरी और तीसरी भी निकल गई, वह भी देखी, गत एक साला योजना भी देखी, जो उद्यम आपने बेकारी को मिटाने के बारे में किया जो उद्योगों के बारे में किया, गन्दी बस्तियों को मिटाने के लिये

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

किया गया उसके परिणाम जो हमारे सामने हैं ये इस बात के द्योतक नहीं हैं कि राजस्थान सरकार इन मामलों में प्रारम्भ से लेकर अब तक करीब करीब निष्क्रिय सी रही हैं।

तीन प्रारम्भ की पंचसाला योजनाओं में सरकार का ध्यान किधर था और फिर किधर चला गया। ग्रामीण लघु उद्योग योजनाओं की तरफ भी सरकार का ध्यान गया। राजस्थान में कहने को तो बहुत खर्चा किया पर परिणाम निराशाजनक रहा।

(समय- समाप्ति–सूचक-घंटी)

दस मिनिट में समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनिट माननीय सदस्य।

श्री कृष्णकुमार गोयल : पांच मिनिट में समाप्त करता हूं उपाध्यक्ष महोदय। विद्युत् विस्तार के लिये पहले 45.84 लाख रखा गया, जो घट कर 68-69 में केवल 11.38 लाख रह गया। ग्रामीण लघु उद्योगों के लिये जहां पहली योजना में 139 लाख थी वह घटते घटते 68-69 में दो लाख रह गई।

इसी प्रकार ग्राम पेयजल व्यवस्था में 64 हजार था वहां 68-69 में 29 हजार ही रह गया। गन्दी बस्तियों की योजना के लिये 68 हजार था, अगले साल में 225 हजार हुआ, पर 68-69 में जाकर वह 50 हजार ही रह गया। इसी प्रकार से लघु सिंचाई योजनाओं में भी रकम घटती चली गई

तो मैं निवेदन करूंगा कि राज सरकार का यह कहना है कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं और राजस्थान की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करते जा रहे हैं यह सरासर धोखा है।

इसी प्रकार बेकारी के प्रश्न पर बजट में घोषणाएं की गई। कुछ लोगों को आप रोजी देंगे इसका तो स्वागत किया जा सकता है पर क्या यह इस समस्या का निदान होगा ? बेकारी को दूर कर सकेंगे इस तरह ? कभी नहीं।

मैं कहना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के पास जो आंकड़े हैं पहले तो उनको छिपाने की कोशिश की जाती है, केवल वे ही आंकड़े वे देते हैं, जो उनके एम्पलोयमेन्ट एक्सचेन्ज में बेकार पढ़े लिखे लोग रजिस्टर कराते हैं। बाकी कितने बेकार हैं इसका कोई आंकड़ा इस राज्य सरकार के पास नहीं है। 66 से 69 तक और तीसरी योजना के अन्त तक 512 हजार आदमी बेकार थे सरकारी आंकड़ों के अनुसार। 66 से 69 तक हर साल की योजना में 687 हजार और बढ़े। इस तरह कुल लगभग 12 लाख बेकार उनके ही आंकड़ों के अनुसार हुए। तो 348 हजार और 852 हजार आदमी कुल मिलाकर 69 तक बेकार रहे। 70 में एम्पलोयमेन्ट एक्सचेन्ज के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो जो दरख्वास्तें आई कुल 11 लाख 42 हजार आदमी जिसमें से बेरोजगार हैं राज्य सरकार के स्वयं के आंकडों के अनुसार। अब इनको खपाने के लिये छोटी छोटी योजनाएं आपने बताई, तो इस तरह से इतने बेरोजगारों की समस्या का निदान इससे आप नहीं कर पावेंगे।

Page No 114

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि टैक्निकल यूनीवर्सिटियों से और कालेजों से जो इन्जीनियर्स और दूसरे बी.ए., एम.ए. ग्रेजुएट्स निकलते जा रहे हैं हर साल उनमें टैक्निकलों की तादाद 4068 हर साल है फिर दूसरों की तो आपको जानकारी ही नहीं हैं। इन सबकी तादाद तो लाखों तक पहुंचती है।

तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बेकारी की समस्या गम्भीर है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए डिग्री कालेजों के स्तर से लेकर टैक्निकल कालेजों, आई. टी. आई. स्कूलों तक के लिये आप एक फोलो-अप प्रोग्राम बनावें ताकि लोगों को धन्धा रोजी मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि समय कम है, इसलिये अधिक न कह कर यही निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार और खास कर हमारे वित्त मन्त्रीजी बड़े जोरों से बिक्री-कर के बारे में यह बता कर कि यह कामधेनु है और इससे राज्य की आय बढ़ती जा रही है। इसमें दो राय नहीं कि यह कामधेनु है और इससे जो पैसा राज्य के खजाने में आ रहा है उसका भार सीधा कन्ज्युमर पर पड़ा है और राज्य की आमदनी बढी है।

लेकिन जहां पर बिक्री कर दिया जाता है, वहां यह भी तथ्य है कि आज दो करोड़ से अधिक रुपया बिक्री कर का बकाया चल रहा है। यह जो बिक्री कर है वित्त मन्त्री महोदय आप छोटे व्यक्तियों से तो वसूल कर लेते हैं, उस पर आपके कानून का डंडा पहुंच जाता है लेकिन हमारे प्रदेश के अन्दर जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं और जिनकी आय हजारों, लाखों रुपयों की नहीं बल्कि करोड़ों रुपये तक की है आज आपका यह कानून का डंडा उनके गले तक नहीं पहुँच पाता है बल्कि आप संरक्षण देते चले जा रहे हैं।

कोटा के औद्योगीकरण की बात की जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, कोटा के अन्दर डी. सी. एम. और जे. के. सिन्थेटिक्स दो करोड़पति कन्सर्न हैं। आज हालत क्या है इस राज्य सरकार की और इस समाजवादी कहलाने वाली सरकार की? आक्ट्राय की कोई छूट दी जाती है तो इनको दी जाती है, अगर बिजली के रेटस् में कोई कन्सेशन किया जाता है तो इन कन्सर्न्स् के लिये किया जाता है। जमीन के अन्दर कोई रियायत होगी तो इनको रियायत पहले दी जायगी। लेकिन यह सब कुछ देने के बाद भी मैं वित्त मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि डी. सी. एम. को 3 पैसा यूनिट बिजली आप क्यों देते हैं? इसका एग्रीमेंट सन् 1970 में खत्म हो गया है। 70 के एग्रीमेंट की कोई मियाद नहीं बढ़ाई गई है तो क्या राज्य सरकार ने इससे अधिक का असेसमेंट करके इससे वसूली की है। क्या नया एग्रीमेंट किया है और क्या फिर से पुराने एग्रीमेन्ट की मियाद बढ़ा दी है या उसको कैंसिल कर दिया है। आज तक डी. सी. एम. से 3 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली की वसूली की जा रही है। इसी प्रकार का उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ा भारी स्कैन्डल इस डी. सी. एम. कन्सर्न का है। इस कन्सर्न के अन्दर एक रेयन्स की

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

इन्डस्ट्री है, यह रेयन्स जैसे टाई कवर, जिससे धागा बनता है और जो टायरों के अन्दर काम आता है, बनता है। तो मैं वित्त मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह टाई कार्ड एक्जम्पटेड है सेल्स टैक्स से क्या यह सेल्स टैक्स से मुक्त है। अगर है तो उसका उत्तर मेरे पास में हैं और नहीं है तो मैं जानना चाहूंगा कि इस टाई कार्ड को बिक्री के ऊपर कितने सेल्स टैक्स की वसूली की गई है। उपाध्यक्ष महोदय आप आश्चर्य करेंगे कि डी. सी. एम. के अन्दर जब से इसका प्रोडक्शन हुआ, 6-67 से आज तक इस से बिक्री कर वसूल किया गया है? 66-67 के अन्दर 4 करोड़ 6 लाख 13 हजार 373 रुपयों की इस टाई कार्ड की बिक्री हुई है। इसका असेसमेन्ट हुआ और यह 10 प्रतिशत से होना चाहिये था, क्योंकि सी फार्म के ऊपर इसकी सेल्स नहीं हुई, सी फार्म पर होती तो यह 3 प्रतिशत होता किन्तु वीदाउट सी फार्म इसकी बिक्री की गई है, 10 प्रतिशत के हिसाब से 4 करोड़ 6 लाख 3327 की बिक्री पर कितना सेल्स टैक्स होता है? आपके किसी एक अधिकारी ने एक पैसा इसका वसूल नहीं किया है। इसी प्रकार 67-68 के अन्दर इसकी बिक्री 9 करोड़ तक पहुंची और 68-69 में 70 करोड़, 70-71 तक आते आते यह बिक्री 10 करोड़ के आस-पास चल रही है। पहले साल की बिक्री 4 करोड़ तक की और इसके बाद अन्त तक कुल 40-42 करोड़ की बिक्री हो चुकी है, तो इसके ऊपर कुल सेल्स टैक्स 4 करोड़ 30 लाख रुपया देना पड़ेगा और 40 लाख 61 हजार 327 रुपया सेल्स टैक्स का पहले साल का होता है। क्या राज्य ने किसी एक साल का बिक्री का वसूल किया है? इस डी. सी. एम. कन्सर्न से 66-67 से 70-71 तक 5 करोड़ का सेल्स टैक्स राज्य सरकार के खजाने में जमा होना चाहिए था, उसमें से एक पैसा भी जमा नहीं कराया है। मैं राज्य सरकार के वित्त मन्त्री महोदय को कहना चाहूंगा कि या तो आपके अधिकारी आपको भ्रमित कर रहे हैं या फिर आपका उनके ऊपर हाथ रहा है, आपका इशारा है या आपके मुख्य मंत्री का, यह अलग बात है। आपने स्वयं ने अपने बजट भाषण के अन्दर घोषणायें की हैं और कुछ चीजों के अन्दर आपने सेल्स टैक्स बढ़ाया हैं और इस टाई कार्ड पर इन्टर स्टेट सेल्स टैक्स के लिए 1% वृद्धि की है। अगर यह एक्जम्पटेड होता तो यह 1% इन्टर स्टेट सेल्स टैक्स की आवश्यकता क्यों आपको करनी पड़ती? नहीं तो इसके आधार पर यह अनियमितता हुई है टाई कार्ड पर एक्साईज व ड्यूटी लगती है। एडीशनल एक्साईज वह नहीं देता है। टाई कार्ड के सम्बन्ध में जो कमिश्नर का पत्र आता है उसमें लिखा गया है कि टाई कार्ड के ऊपर एडीशनल ड्यूटी लगाई जाये। आपका स्वयं का अभिभाषण इसका द्योतक है कि यह सेल्स टैक्स से मुक्त नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि आज तक इसकी बिक्री के ऊपर सन् 71 तक जो 4 करोड़ 30 लाख रुपया सेल्स टैक्स का होता है वह क्यों वसूल नहीं किया गया है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो चुका व आपने बहुत समय ले लिया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार जहां

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

एक ओर टैक्स बढाती है, वहां यह आवश्यकता है कि यह ईमानदारी के साथ, इफीसेन्सी के साथ, बिना लोगों पर ज्यादतियां कर के उनसे इस टैक्स की वसूली करें और पूंजीपतियों को इस टैक्स से न छोड़ा जावे और दूसरी ओर आर्थिक विकास की ओर जिस तेजी से कदम रखना चाहिए उस गति से आज रखने की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : समय केवल 16 मिनिट।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 20 मिनिट।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट भाषण पढ़ने के बाद आलोचना की दृष्टि से देखें, मैं विरोधी दलों के माननीय सदस्यों से भी कहूंगा कि वे भी ईमानदारी के साथ इसको देखेंगे तो इस बात को मानना पडेगा कि राजस्थान के वित्त मन्त्री ने राजस्थान के गांवों और उनकी सामाजिक स्थिति को पूर्ण रूप में जानने के पश्चात्....

श्री विजयसिंह : कांग्रेस में ही ईमानदार है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप में भी हैं।

आज देश के अन्दर हालत क्या है ? समय की जो मांग है उसको हमारे वित्त मन्त्री ने पूर्ण रूप से समझा है और उससे हमारे वित्त मन्त्री महोदय पूर्ण रूप से परिचित हैं। माननीय भैरोंसिहजी ने इस भाषण के पहला सफा और आखिरी सफा जिसके अन्दर समाजवाद और दूसरे नारों की चर्चा की है। मैं इस विषय की चर्चा नहीं करना चाहूंगा परन्तु यह तो एक आम बात है। कांग्रेस की तरफ से और दूसरे विरोधी दल के माननीय सदस्यों की ओर से अपने भाषणों में जो इस सदन के अन्दर होते रहते हैं समय समय पर चर्चा की है और चर्चा होती रहती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस भाषण के पेज 14, पैरा 27 की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करूंगा जो उनको समाज और गावों की स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी का द्योतक है उन्होंने कहा है।

'अब तक कृषि के क्षेत्र में उन्नत तकनीक का अधिक लाभ बड़े कृषकों को ही मिला है और जिसके फलस्वरूप हरित क्रांति से कुछ हद तक धनी किसानों और छोटे भूमिहीन किसानों के बीच खाई और भी चौड़ी हो गई है। यह खतरनाक प्रवृत्ति है और अगर इस रुख को यहीं नहीं रोका गया तो स्वाभाविक है कि इससे समाज में तनाव पैदा होगा।'

तो उपाध्यक्ष महोदय, यह पहला कटु सत्य है। जो वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण के अन्दर कहा है और उन्होंने उस बीमारी को पकड़ लिया है कि गांवों के अन्दर आज क्या हो रहा है। आज किसान एक भ्रामक शब्द हो गया है और किसान के नाम पर बड़े लोग फायदा ले रहे हैं। किसान के लिये जो भी लैन्ड रिफार्म्स हुए हैं उससे गांव के पटेलजी और जागीरदार को लाभ मिल रहा है। लैन्ड टिलर्स की तरफ भी माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान गया है, यह खुशी की बात है लेकिन इस बजट भाषण के अन्दर उनके लिये भी कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है

श्री विजयसिंह : मेरे पास जमीन नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप जागीरदार लोग लेने नहीं देते हो, कब्जा नहीं करने देते हैं।

श्री विजयसिंह : जागीरदार तो आप हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हम नये जागीरदार जमीन देते हैं तो आप पुराने जागीरदार कब्जा नहीं करने देते।

उपाध्यक्ष महोदय, लैन्ड टिलर्स की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। जो मजदूर हैं, रामानन्दजी यहां पर नहीं हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की सारी गतिविधि शहरों के अन्दर, कारखानों के अन्दर जो मजदूर हैं उनकी ओर ही आकर्षित है, मैं पूछना चाहता हूँ कि गांवों के अन्दर जिनके पास में जमीन नहीं है, जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है, जो दूसरों की जमीन पर काश्त करते हैं, आधे पर काश्त करते हैं, पैसा लेकर काश्त करते हैं. क्या वे कोई मजदूर नहीं हैं। उनको भी मजदूर माना जाना चाहिये। उनके पास आज और कोई धन्धा नहीं है। उनके बच्चों को आज नौकरी नहीं मिलती है, उनके बच्चों को पूरी शिक्षा नहीं मिलती है और शिक्षा मिलती है तो नौकरी नहीं मिलती। इन सब के लिये आज की समाज व्यवस्था दोषी है। आज शहरों के अन्दर कुछ बात कर सकते हैं। गांव के अन्दर बात करने की हिम्मत इसलिये नहीं हो सकती राजनैतिक चेतना नही है राजनैतिक जागृति नहीं है, वह गरीब मजदूर तबका, वह गरीब किसान बड़े पटेल या बड़े किसान के कहने से देता है। मा. वित्त मंत्रीजी ने छोटे किसानों के लिए लिखा है मैं उसको तब्दील करता हूं और उसको भूमिहीनों से सब्सटीट्यूट करता हूं। तो उपाध्यक्ष महोदय, राजनैतिक जागृति हमने पैदा नहीं की। आज राजनैतिक विचारधारा नौजवानों को सिखाई जाय और किस पार्टी का क्या प्रोग्राम है यहां पर बैठ कर विचार किया जाय—लम्बे चौड़े भाषणों से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। कांग्रेस ने भी एक नारा दिया—देश की आजादी का नारा दिया। इन चुनावों के अन्दर इन्दिरा गांधी ने जनता के सामने एक प्रोग्राम रखा और विरोधी दल ने कोई प्रोग्राम नहीं रखा, कोई आइडियोलोजी नहीं रखी इस कारण उनको बड़ी संख्या में हारना पड़ा। मेरा निवेदन यह है कि आज समाज में कुरीतियां है, समाज में शोषण है, समाज में जो अव्यवस्था है जो शोषण के आधार पर बनी हुई है जब तक नहीं बदलती है तब तक राजनैतिक चेतना नहीं आ सकती है। बच्चों को राजनीति सिखाने की बात कर सकते हैं, छात्रों को राजनीति सिखाने की बात कर सकते हैं, यह मेरी मान्यता है। राज्य सरकार इस तरफ पहल करे इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और मैं इसको कोई बुरी बात नहीं समझता हूं। विरोधी दल के सदस्य आपत्ति कर सकते हैं और यह कह सकते हैं कि कांग्रेस अपनी विचारधारा को फैलाने के के लिये कर रही है . . .

श्री रामचन्द्र आर्य : सरकार को मौत बुलानी है क्या ? (विराम) रहना नहीं क्या ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तविकता यह है कि इस प्रकार आरोप-प्रत्यारोप, चोर और बेईमान कहने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं मा. गोरधन सोनी जो स्वतन्त्र पार्टी के हैं उन्होंने जो भाषण दिया मेरे निजी विचार में वह सबसे अच्छा भाषण था। उन्होंने निर्भयतापूर्वक भाषण दिया कि इस देश को पूंजीपतियों की आवश्यकता है, उद्योगपतियों की आवश्यकता है क्योंकि इन्होंने किसी न किसी रूप में देश की सेवा की है। मैं उनके तर्क से प्रभावित हूं। जन संघ पार्टी के सदस्यों का एटीट्यूड या अन्य स्वतन्त्र पार्टी के व्यक्तियों का एटीट्यूड यह है कि कांग्रेस की समाजवाद की नीतियों की पोल खोल दी जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस समाजवाद नहीं लाना चाहती है, लाना चाहती है यह एक अलग मसला है। समाजवाद को अच्छा नहीं समझते हैं तो वास्तविक स्थिति को क्यों नहीं रखते हैं। आखिर हिन्दुस्तान के अन्दर कोई रास्ता चुनने की बात है तो वह क्यों नहीं रखते, क्यों नहीं रखते कि इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था यहां हो। उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की बात मैंने कही इसके अलावा गरीबी, बेरोजगारी और खास तौर से अनुसूचित जाति और जन जाति की चर्चा इस बजट भाषण में कही गई। बेरोजगारी के विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूं बेरोजगारी दूर करने के लिए कितने लोगों को रोजगार दिया जाय, कितने ही कारखाने खोल दिये जायं तो भी बेरोजगारी दूर होने वाली नहीं है। बेरोजगारी के लिये यहां बैठ कर विचार करना होगा। एक हजार को एक जिले में रोजगार देने की बात कही गई लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी रोज ब रोज छात्रों को निकालती जा रही हैं जब तक मूलभूत समस्याओं को हल नहीं किया जाता, जब तक सोशियल वेल्यूज नहीं बदली जातीं तब तक नौकरशाही की प्रवृत्ति बनी रहेगी जब तक इसको नहीं बदला जायगा तब तक इस देश में कुछ होने वाला नहीं है।

मैं एक बात और निवेदन करूंगा इंजीनियरों की बेरोजगारी की बात कही जाय, डाक्टरों की बेरोजगारी की बात कही जाय, यूनिवर्सिटी के नौजवानों की बेरोजगारी की बात करेंगे लेकिन जो अनपढ है जो पढा लिखा नहीं है क्या वह नौजवान नहीं है लेकिन उसकी बेरोजगारी की बात बजट में नहीं है जिसके पास खाने को नहीं है वह क्या बेरोजगार नहीं है लेकिन वह पढा लिखा नहीं है इसलिए उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इंजीनियरों और डाक्टरों के मैं कोई खिलाफ नहीं हूं—जरूर उनको रोजगार देना चाहिए, डाक्टर को भी देना चाहिए आखिर उनके मां-बाप ने उनको पढाने में पैसा खर्च किया है तो राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि उनको रोजगार दे। लेकिन बहुत बड़ा एक ऐसा तबका जो पढा-लिखा नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं क्या उन लोगों में काम करने की क्षमता नहीं है? क्या वे बेरोजगार नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय उस बेरोजगार की खास समस्या है। मैं निवेदन कर रहा था गरीबी, बेरोजगारी दूर होने का जो सबसे बड़ा उपाय हो सकता है वह हमारी शिक्षा पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन करने से होगा।

मा. वित्त मंत्रीजी ने कह दिया इतने स्कूल खोलने का निश्चय किया है, इतने

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

कालेज खोलने का निश्चय किया है। स्कूल और कालेज खोलने से कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। यूनिवर्सिटी को आटोनोमस बाडी दे रखी है। राज्य सरकार ने कभी विचार किया नहीं। मैं एक मनोरंजन तथ्य सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आज एक लड़के को बी.ए. के बाद एम.ए. में एडमिशन दिया जाय तो जिसके अच्छे मार्क्स हैं हिस्टरी में और पोटेन्शियलिटी इकोनोमिक्स में तो उसका हिस्टरी में एडमिशन नहीं होगा—इकोनोमिक्स में होगा क्योंकि हिस्टरी में कोई जगह खाली नहीं है। उस पर सरकार विचार नहीं करती है। उनकी साइक्लोजी को समझना चाहिये जिसके अन्दर वह योग्य हो उसके अन्दर ही उसको भेजना चाहिये इसके अन्दर ऐसा होता है कि एक आदमी यह समझता है कि मेरे दोस्त ने हिस्टरी ले ली या पालिटिकल साइन्स ले ली तो मैं भी ले लूं। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये। इसमें क्या होता है कि आदमी बी ए कर लें, एम. ए. कर लें और हो सकता है 100 में एक दो आदमी अच्छे निकल जायं बाकी यह राज्य सरकार यह मान कर चलती है कि एम. ए. का लड़का निश्चित रूप से क्लर्क बनने योग्य है क्योंकि उसकी कोई टैक्निकल एज्यूकेशन नहीं है। अगर निश्चित रूप से उसको एम्पलायमेन्ट दे सकते हैं तो फिर उसको आगे पढ़ाने की क्या आवश्यकता है। इस तरह यूनिवर्सिटी और कालेज खोलने की आवश्यकता नहीं है मनोवृत्ति को बदलने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर लोग जब बी.एस.सी. पास करके आते हैं तो वह अपनी जमीन पर माडर्न तरीके से प्रोडक्शन बढाने की बात नहीं सोचता है। उसके दिल में यही रहता है कि ए.ई.ओ. हो जाय—यह उनकी मनोवृत्ति रहती है अपने खेत को सुधारने की ओर उसका कोई ध्यान नहीं जाता है। इसका मूल कारण यह है कि शहर में रहने की प्रवृत्ति बन गई है।

गांवों में जमीन की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं, स्कूल खोलने की बात करते है, औषधालय खोलने की बात करते हैं लेकिन आज गांवों में मनोरंजन के साधन नहीं है। मनोरंजन की बात को अधिकांश सदस्य सीरियस नहीं लेते हैं। आज हमारे हिन्दुस्तान में मनोवृत्ति यह है कि न काम करते हैं और न मनोरंजन करते हैं। एक आदमी 6 दिन काम करे तो उसको एक दिन मनोरंजन भी चाहिये। गांव वालों के पास क्या मनोरंजन है? इसलिए उपाध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है गांवों में मनोरंजन के साधन बनाये जांय।

श्री रामचन्द्र आर्य: मनोरंजन की बात करते है, गांवों में पीने का तो पानी ही नहीं मिलता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास: बस आप तो हाइवमंन करने की बात करते हैं। जनता को पीने का पानी नहीं मिलता है। आप बड़े कृषकों के हिमायती है आप खुद सारी जनता का पानी ले लेते हैं। गरीब हरिजनों के लिये गांव में कुवा नहीं होता है और उपाध्यक्ष महोदय ये बड़े कृषक उनको कुओं से पानी नहीं भरने देते हैं और यहां आकर उनकी वकालत करते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य: 20-20 मील तक पानी नहीं मिलता है।

श्री सुरेंद्र व्यास : जो कुछ थोड़ा बहुत पानी मिलता है। उसको ये लोग दबा लेते है और आज उनके नाम से सदन में हंगामा करते।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप शहर में रहते हैं गांव की तकलीफ आपको मालूम नहीं है और गांव में मनोरंजन की बात करते हैं।

श्री सुरेंद्र व्यास : मैं गांव का ही प्रतिनिधित्व कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि मनोरंजन की बात जब आयेगी तो इसको गम्भीरतापूर्वक कोई नहीं लेगा क्योंकि मनोरंजन ऐसा शब्द है जिससे लोगों को चिढ़ है। काम चाहे नहीं करें लेकिन मनोरंजन के नाम से मजा करते हैं। मैं चाहता हूं कि गांवों में भी मनोरंजन हो ताकि गांव का जीवन रोचक बने और वहां पर मनोरंजन के साधन उपलब्ध हों। यदि गांव में मनोरंजन के साधन होंगे तो निश्चित रूप से लोग गांवों में जाकर रहने लग जायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज क्या कारण है कि डाक्टर गांवों में नहीं जाना चाहते हैं, इसी तरह बड़े बड़े सरकारी अधिकारी भी गांवों में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वहां की लाइफ डल और मोनोटोनस है और हम लोगों के जीवन में मनोरंजन दें तो सभी गांवों में जाने को तैयार हो जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार चलते फिरते सिनेमाओं का प्रबन्ध करे तो कोई फर्क पड़ सकता है ?

श्री सुरेंद्र व्यास : अच्छा सुझाव है।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा सुझाव है क्योंकि गांवों में और कोई दूसरे साधन नहीं हैं मनोरंजन के।

श्री विजयसिंह : और मनोरंजन के मंत्री जसराजजी को बना दें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं समझता हूं कि आसन की तरफ से सुझाव आया है तो राज्य सरकार उसकी तरफ ध्यान देगी।

इसी तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों की समस्यायें हैं। उपाध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम पर जितनी फेसेलिटीज और जितने प्रिवलेजेज सरकार ने दे रखे हैं उनका उपभोग भी शिड्यूल्ड कास्ट्स के अन्दर जो ऊपर का तबका है वह कर रहा है। जो समाज का सबसे गिरा हुआ तबका है वह ऊपर नहीं आ रहा है। इस सदन में पहले भी निवेदन किया था और उस बात पर मैं फिर जोर दे रहा हूं कि आज जितनी भी सरकारी सेवाओं में लोग हैं उनमें आप बतायें कि कितने भंगी हैं, कितने धानके हैं या कितने कोली हैं। अधिकांश उसमें सवर्ण लोग ही हैं। जो उस तबके के प्रतिनिधि हमारे में बैठे हैं यहां पर उनको भी चाहिए कि वे इस ओर विशेष ध्यान दें। बड़े खेद का विषय है कि जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से आ जाते हैं चाहे वे मिनिस्टर बन जायें या कलेक्टर बन जायें उनमें से कोई भी व्यक्ति अपने आपको उस समाज का अंग मान कर नहीं चलता और ब्राह्मण

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

बनियों और सवर्णों में मिक्स-अप होना पसन्द करते हैं। एक तरह से उनका कनवर्शन हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा था कि इस बजट भाषण के अन्दर युवकों के लिए कोई निश्चित रूप से ठोस कार्य-क्रम सामने नहीं रखा गया है। युवकों की पोटेन्शिलिटी कहां यूटीलाइज होनी चाहिए और कहां नहीं होनी चाहिए यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको सरकार और सदन के माननीय सदस्य भी गम्भीरता-पूर्वक नहीं ले रहे हैं। आज ये बेरोज-गारी और गरीबी की समस्याएं समाज के अन्दर पैदा होती हैं जिससे असन्तोष फैलता है और जिससे असामाजिक टेन्डेन्सी युवकों की बढ़ती है और वह ठीक है लेकिन इससे हटकर भी आज युवकों में असन्तोष व्याप्त है, आक्रोश व्याप्त है और उस आक्रोश और असन्तोष के कारण इस समाज के अन्दर अवांछनीय कार्यवाही युवक लोग करते हैं। वही युवक जो बहुत बड़े काम समाज की सेवा के रूप में कर सकते हैं लेकिन उनको सही दिशा और सही रास्ता नहीं दिया जा रहा है। युवकों में कुछ कर गुजरने जी ताकत है, कुव्वत है। लेकिन सही रास्ते से काम नहीं करते तो वे डाइवर्ट होकर गलत रास्ते पर जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इस विषय पर ध्यान दे और युवकों के लिए कोई न कोई प्रोग्राम जरूर रखें।....

श्री विजयसिंह : थोड़े से युवकों के लिए तो मेरे पास प्रोग्राम है मिनिस्टरों की गाड़ियां रोकें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपका स्कूटर भी रोक लेंगे।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि युवकों के लिए कोई प्रोग्राम इसमें विशेष रूप से नहीं है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ उपाध्यक्ष महोदय कि इस बजट के अन्दर कोई खास टैक्स राज्य सरकार ने नहीं लगाये जिनका कि ज्यादातर लोग बहुत स्वागत करते हैं और माननीय भैरोंसिंह जी ने यह बात कही कि चुनावों का पहला वर्ष होने के कारण कोई भी टैक्स नहीं लगाये और चुनावों के बाद ही टैक्स लगा करते हैं। मैं इसका स्वागत नहीं करता हूँ। टैक्स लगाने चाहिए थे और बहुत ज्यादा लगाने चाहिए थे। जो समाज का सक्षम तबका है, जो बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, जागीरदार हैं, पैसे वाले उद्योगपति हैं उनके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए था। साधारण आदमियों पर टैक्स लगे तो वह नाराजगी की बात हो सकती है लेकिन बड़े आदमी के ऊपर टैक्स लगाना मैं बहुत अच्छी बात मानता हूँ। तो टैक्स नहीं लगाने की नीति से बड़े लोगों को रियायत राज्य सरकार की ओर से मिल जाये तो वह स्वागत योग्य बात नहीं है।

श्री विजयसिंह : जागीरदारों के पास तो बड़े बड़े किले हैं उनमें तो कोई माथे ही फोड़े जाकर।

श्री मथुरादास माथुर : इतने वर्ष तक आपने फोड़ लिये....

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े किलों के अलावा हजारों बीघा जमीन भी है . . .

श्री पृथ्वीसिंह : वह तो सीलिंग लागू हो गयी।' वह तो चली गयी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सीलिंग आप पर नहीं लगा। सब पहले हो खा गये। सब ट्रान्सफर कर दी।

श्री मोहनलाल मोदी : सब घर में ही है। कोई चाचा के पास है कोई भतीजे के पास है और कोई भाई के पास है।

श्री जय नारायण खालोदिया : यह नमक का ठेका थोड़े ही है भाई भतीजे के नाम से।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो उपाध्यक्ष महोदय, टैक्स जरूर लगाने चाहिए थे। जहां तक बड़े लोगों की नाराजगी का सवाल है चुनावों के पहले वर्ष में तो अगर यह लोग नाराज होते हैं तो हमसे यह लोग नाराज होंगे उतनी ही साधारण जनता हमारी कांग्रेस से खुश होगी। इन मध्यावधि चुनावों में भी राजा महाराजा और उद्योग-पति हमारे खिलाफ टूट कर पड़े तो साधारण जनता कांग्रेस के साथ में आ गयी। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट अण्डरटेकिंग्स के अन्दर कोई खास लाभ गवर्नमेंट को नहीं हो रहा। समाजवादी व्यवस्था क्या है? समाजवादी सरकार वह है जिसकी नान-टैक्स रेवेन्यू ज्यादा हों और पब्लिक के ऊपर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़े, पब्लिक अण्डरटेकिंग से कमाई ज्यादा हो। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, इस व्यवस्था को दोष देना गलत बात होगी। हमारी कार्यप्रणाली में कुछ दोष हो सकते हैं तो मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कार्य-प्रणाली को राज्य सरकार ठीक करे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, डिस्टरबेन्स बीच में बहुत हुए इसलिए 5 मिनट और दे दें। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इसको गम्भीरता से जांच करके उसको ठीक करने की व्यवस्था राज्य सरकार करे ताकि राज्य सरकार को अच्छी खासी आमदनी पब्लिक अण्डर-टेकिंग से हो।

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता का मामला है। बहुत सुन्दर विचार लेकर सरकार ने यह कोआपरेटिव मूवमेन्ट चलाया। अधिकांश कोआपरेटिव बैंकों की व्यवस्था आज ठप्प है। जितना ऋण दिया जाता है वह ज्यादातर बैड डेट में लिख दिया जाता है। रिकवरी की पोजीशन बड़ी खराब है। तथ्य छिपाने से कोई फायदा नहीं क्योंकि आखिरकार राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। राज्य सरकार ने तो यह मूवमेन्ट अच्छा चलाया और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आये और अधिकांश लोग उसको फेल्योर करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है . . . .

श्री विजयसिंह : भ्रष्टाचार भी तो सहकारिता के द्वारा चलाया जाता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक बात उपाध्यक्ष महोदय माननीय वित्त मंत्री महोदय

(श्री सुरेन्द्र व्यास)
भाषण के अन्दर कुछ ऐसी लगी जो समझ में नहीं आई · ·

श्री विजयसिंह : लाल किताब है वह।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह मजदूरों के पार्टीसिपेशन की बात है। पेज 35 पर उपाध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ने आखिर के अन्दर कहा है 67 पैरा में कि आशा की जाती है कि निजी उद्योग भी हमारे इस कदम का अनुसरण करेंगे। पब्लिक एन्टर-प्राइज के अन्दर लेबर के पार्टीसिपेशन का मामला है, यह बहुत अच्छा सुझाव है और निश्चित रूप से सरकार की सराहना करनी चाहिए कि सरकार ने इतना महत्वपूर्ण और बोल्ड स्टेप लिया है कि लेबर पार्टीसिपेशन की बात कही है। लेकिन मैं सरकार की कमजोरी मानकर चलता हूं कि अनुसरण जो उद्योगपति हैं वे आसानी से और राजी से कैसे कर लेंगे जबकि यह कानून से ही नहीं मानते। तो यह लिख देना कि आशा करते हैं तो इसका तो यह होगा कि पहली साल तो यह होगा कि अनुसरण करने के लिए विचार कर रहे हैं, दो वर्ष बाद कहेंगे कि हम विरोध कर रहे हैं और इस विरोध के अन्दर जाकर 5 वर्ष बाद कानून बनायेंगे कानून बनाते हैं और उसकी अवहेलना करते हैं। जब कानून से मजबूर होकर भी अनुसरण नहीं करते हैं तो राजी खुशी बड़े बड़े ऊद्योगपति क्या अनुसरण करेंगे ?

श्री रामकिशन : यह धमकी दे दें · ·

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग के लिए राज्य सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और बहुत अच्छा सुझाव दिया है। निश्चित रूप से पूरे देश के अन्दर एक स्टेण्डर्ड, एक तरीके से सीलिंग हो तो ज्यादा लाभप्रद रहेगा। मैं माननीय रामकिशन से सहमत नहीं हूं कि इसका ज्यादा प्रचार किया गया तो जो लैण्ड सीलिंग की हालत हुई है वही हालत अरबन सीलिंग की भी हो सकती है। इसके लिए जागरूक रहना आवश्यक है।

अन्त में मैं विशेष निवेदन नहीं करके एक बात संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान के अन्दर रीजनल इम्बेलेन्स जरूर हुआ है, और रीजनल इम्बेलेन्स चलाकर हो रहा है यह मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन किसी एरिया में ज्यादा पैसा खर्च हो और किसी में कम हो, किसी में वाजिब हो और किसी में गैरवाजिब हो · ·

श्री विजयसिंह : इसका कारण यह है कि मन्त्री बहुत कम हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : आपको बीच-बीच में बोलने की आदत हो गई है क्या।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जयपुर डिवीजन के अन्दर विकास कम्पेरेटिवली किसी भी डिवीजन से बहुत कम है। इसका जन-मानस पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं डिटेल्स के अन्दर न जाकर मैं यह कहूंगा कि इस बजट भाषण के अन्दर एक बात और है कि जयपुर जिले के अन्दर एक आन्दोलन कांग्रेस की तरफ से जिले के विकास के कार्यों

(श्री सुरेन्द्र व्यास)
के लिए बिजली लगाने के लिए हुआ था। वह जयपुर जिले का ही आन्दोलन था पर वह प्रतिबिम्बित करता था जयपुर डिवीजन के समस्त इलाकों की भावनाओं को। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर डिवीजन की सम्पूर्ण जनता जिसमें अलवर, सवाई माधोपुर, टोंक आदि सभी आ जाते हैं उनके दिलों में यह बात जरूर है कि हमारे यहां पर विकास का काम कम होता है और दूसरे एरियों में ज्यादा होता है। जयपुर डिवीजन सबसे बड़ा डिवीजन है और जयपुर के लोगों की उपेक्षा करके चला नहीं जा सकता।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान की हाई कोर्ट की बेंच का मसला बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान हाई कोर्ट की बेंच के मसले के नाम पर बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस के अन्दर और उधर बैठने वाली हर पार्टी के अन्दर एक बात हो जाती है जोधपुर और नान जोधपुर यानी पूर्व और पश्चिम की बात हो जाती है। इस पर ठंडे दिमाग से और ठंडे तरीके से सोचने की कोई बात नहीं करता है। राजस्थान सरकार के मन्त्री महोदय जो जोधपुर से आते हैं तो प्रेस्टीज का पाइंट बनाकर चलते हैं, जैसा कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने थोड़े दिन पहले कहा था। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई आज अच्छी स्थिति नहीं अगर एक रीजनेबल बात यहां रखते हैं तो उसको सुना जाना चाहिए। जयपुर डिवीजन के अकेले 70 प्रतिशत केसेज वहां पर रहते हैं। एक वाजिब और औचित्यपूर्ण मांग राज्य सरकार के सामने रखी गई है और रखी जाती है तो जोधपुर वाले उसको नहीं करने देते हैं...

श्री मदनसिंह : यू टेक दी लीड एण्ड वी विल फोलो यू।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पब्लिक मीटिंग में यह क्वेश्चन जाता है तो, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नेता लोग कहते हैं कि यह चेप्टर क्लोज्ड है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस का एक छोटा सिपाही हूं और कहना चाहता हूं कि यह चेप्टर क्लोज नहीं हुआ है और जयपुर के लोग जागरूक हैं और हाई कोर्ट की बेंच लेकर रहेंगे, आज नहीं लेंगे तो 2 वर्ष बाद लेंगे और एक रीजनेबल डिमाण्ड को राज्य सरकार को मानना पड़ेगा।

श्री रामकिशन : जब तक माथुर साहब और सुखाड़ियाजी रहेंगे तब तक तो आयेगी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, भाषण समाप्त हुआ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसको समाप्त तो करने दें।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज मैंने तीन दफा घण्टी बजा दी है।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! भाषण समाप्त हुआ।

श्री दिग्विजयसिंह : आप भी जयपुर-जोधपुर के भ्रामक झगड़े में आ गये। इनको पूरा कर लेने दें।

श्री उपाध्यक्ष : पूरी जो बात कहनी थी वह कह दी।

श्री दिग्विजयसिंह : यहां पर जोधपुर–जयपुर का सवाल क्यों उत्पन्न हो जाता है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह आप कह रहे हैं। भाषण समाप्त हुआ। माननीय सदस्य, आपने आधा घन्टे का टाइम ले लिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, टोंक के अन्दर एक बड़ा चमड़े का कारखाना खोलने की बात माननीय वित्त मन्त्रीजी ने कही है····

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने क्षेत्र की बात से शुरू कर और समाप्त किसी बड़ी बात पर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : टोंक शहर के अन्दर बहुत गरीबी है और टोंक शहर राजस्थान के सब शहरों से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से माननीय गोकुल प्रसाद जी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है उनसे मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूं कि शहरों और गांवों को डिवाइड कर दिया जाय या इस तरह की सेपेरिस्ट टेन्डेन्सी का मैं पक्षपाती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उनकी कान्स्टीयूएन्सी शहरी है और आप गांवों से हैं इसलिए गावों की बात कहते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वहां वे लोग बड़ी मुफलिसी से जीवन यापन करते हैं तो यह कारखाना कितनी निश्चित अवधि में खुल जायगा उसका कार्यक्रम बता दें।

श्री मदनसिंह : जिस प्रकार गङ्गानगर में चुकन्दर से चीनी का कारखाना है उसी प्रकार से टोंक में खरबूजों से चीनी बनाने का कारखाना खोल दें। [हंसी]

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण खत्म करने से पहले एक बात यह कहना चाहता हूं कि बजट-भाषण के पढ़ने से एक बात स्पष्ट रूप से सामने आ गई है कि वित्त मन्त्री जी बीमारी से पूरे परिचित हैं और अब भी इलाज नहीं हो पाया तो फिर कब होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मन्त्री जी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय··

श्री रामकिशन : जयपुर डिवीजन के बाद एकदम उदयपुर डिवीजन को टाइम दिया गया तो इससे क्षेत्रीय भावना उभरेगी, साहब। (हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस साल का जो बजट प्रस्तुत किया गया, उस पर आम तौर से स्वागत की टिप्पणियां हुई हैं, और यह बात काफी स्वागत योग्य है महत्वपूर्ण है, समाजवाद और हमारी नीतियों की दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ाने वाला है, वह तो इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि जिस रोज बजट प्रस्तुत हुआ उसी दिन कई माननीय सदस्यों ने समझा कि शायद मध्यावधि चुनाव जल्दी होने वाले हैं इसलिए इस प्रकार का बजट आया है। तो इस बजट की खूबी, उसका महत्व स्पष्ट तौर से न केवल इस तरफ बैठने वालों के दिमाग में, लेकिन उस तरफ बैठने

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

वालों के दिमाग में भी हुआ। आम तौर से चर्चा में यह भी आया कि यह तो चुनाव के वर्ष का बजट है इस बात के कहने के अन्दर भी जो प्रवृत्ति सामने आती थी वह भी यही जाहिर करती थी कि यह बजट जनता को संतोष देने वाला साबित होगा और इस बजट की वजह से जनता में नाराजगी पैदा नहीं कर पायेंगे। यह भावना तो आम तौर से अनुभव होती थी, पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट के सिलसिले में . . .

श्री भैरोंसिंह : एक जानकारी चाहूंगा, क्या आज आप बजट का जवाब दे रहे हैं? फिर क्या आप के बाद वित्त मन्त्रीजी बोलेंगे? क्योंकि मुख्य मन्त्री के भाषण के बाद . . .

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बजट का जवाब आप (श्री मथुरादास माथुर की ओर संकेत) दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं। तो गवर्नमेण्ट रिप्लाई है। उनके लिये कल का समय रखा गया है। हमें यह बताया गया है कि आप फूड पालिसी, फूड प्रोक्योरमेण्ट पर बोलेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : बोल सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय सदस्यों ने चिंता प्रकट की है कि राजस्थान पर जो डेब्ट्स और लाइबिलिटीज हैं, वह बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। इससे राजस्थान की वित्तीय स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। मैं यह कह कर नहीं चलना चाहता हूं कि डेब्ट्स और लाइबिलिटीज ज्यादा हैं, यह आवश्यक है, होना ही चाहिए। फिर भी मैं संक्षेप में ही अवश्य ही कुछ कहना चाहूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि आज यह प्रश्न केवल राजस्थान का ही नहीं रहा है बल्कि यह एक व्यापक प्रश्न बनता चला जा रहा है। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है 1969 के 31 मार्च तक जो आंकड़े बताये गये हैं उनमें सभी राज्यों को 6950 करोड़ की देनदारियां 31 मार्च तक होती हैं। मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि कुछ स्टेट्स को छोड़ कर अपने रिसोर्सेज के जरिये से योजना में साधन जुटाना ज्यादा से ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। यह एक प्रश्न ऐसा है कि जिस पर अखिल भारतीय आधार पर विचार करना आवश्यक है और इसके साथ स्टेट और सेण्ट्रल के रिलेशन किस प्रकार से इवोल्व होते हैं यह भी देखना है। उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि स्टेट रिसोर्सेज की एक सीमा है। अभी टोंक से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि बड़े बड़े कारखाने वालों पर क्यों नहीं टैक्स लगा दिये जायें। लेकिन वह टैक्स का फीयर है। स्टेट गवर्नमेण्ट के साथ नही आता है। वह रिसोर्सेज सेण्ट्रल के पास ज्यादा होता है। यह स्थिति दिनों दिन ज्यादा पेचीदगी लिये हुये चली जा रही है। तो मैंने यह निवेदन किया कि यह प्रश्न अखिल भारतीय दृष्टिकोण से विचार करने का बन गया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

डेब्ट्स इतने हुये हैं, उस पर मैं एक बार पहले भी जिक्र कर चुका हूं। फिर भी कहूंगा जो प्लानिंग कमीशन की नीति थर्ड प्लान तक, 70-71 तक स्कीम कम्पोनेण्ट ग्राण्ट देने की थी। पर नतीजा यह हुआ कि जिन स्टेट्स की फाइनेंस ज्यादा अच्छी थी वह पिक एण्ड चूज कर सकते थे। उसका ग्रांण्ट कम्पोनेण्ट ज्यादा बनता है। जिनके पास यह इन्फ्रा-स्ट्रक्चर नहीं था जो किसी भी विकास के लिये आवश्यक है। जैसे कि इर्रीगेशन का है, ड्रिंकिंग वाटर का है। पावर का है। यह सब लोन कम्पोनेण्ट में समझ कर चलते थे। राजस्थान में हमने पहली स्कीम पंचवर्षीय योजना में खर्च किया। वह 60% इर्रीगेशन, वाटर सप्लाई, कम्युनिकेशन वगैरह पर खर्च किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, 613 करोड़ में से 340 करोड़ इर्रीगेशन पर खर्च किया गया है। यह लोन कम्पोनेण्ट होना चाहिये। ब्लाक ग्राण्ट का सिद्धान्त नहीं मानने से 23% सेण्ट्रल असिस्टेन्स में हम राजस्थान में 14% ही प्राप्त कर पाये। हम उस पीरियड में जो मैंने निवेदन किया है ऑल ओवर राजस्थान स्टेट के लिए केवल 14% ही हम को मिला। परिणाम यह हुआ है कि कुल सेण्ट्रल असिस्टेंस पीरियड 70-71 में 437 करोड़ मिला। उसमें 69 करोड़ ग्राण्ट कम्पोनेण्ट था बाकी सारा लोन था। अब चौथी योजना में यह सिद्धान्त लिया गया है कि सेण्ट्रल असिस्टेंस का 30% टोटल कम्पोनेण्ट का ग्राण्ट कम्पोनेण्ट होगा। आगे चल कर जो डेब्ट्स और लाइबिलिटीज वाली बात है यह इम्पार्टेण्ट फैक्टर बनी। हम यह चाहते हैं, हम इतना डेब्ट्स क्यों करते चले जा रहे हैं? माननीय सदस्य सभी इस बात से सहमत होंगे कुछ खर्चे जो फिजूल खर्चे बताये हैं, उन खर्चों को भी सामने रख लें तब भी राजस्थान के अन्दर इन्फ्रा-स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिये हमें यह खर्च करना आवश्यक था। स्टेट गवर्नमेण्ट यह तय करती है। हम पर डेब्ट्स नहीं बढ़ने चाहिये। हमने कुछ योजनाओं को हाथ में लिया। जैसे मल्टी परपज रिवर स्कीम्स। दूसरा यह हो सकता है कि स्लो-डाउन प्रोसेज कर लें। जो उस स्लो-डाउन प्रोसेस को कोई व्यक्ति पसन्द नहीं करेंगे। आज हम एम्प्लायमेण्ट का प्रश्न उठाते हैं। देश की कुल इकानामी को इम्प्रूव करते हैं। साधनों को बढ़ाते चले जा रहे हैं, यह उस पर निर्भर करता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान में पहले 29 लाख का प्रोडक्शन था। अब 76 लाख का प्रोडक्शन होगा। आज कई चीजों के एड होने की वजह से जैसे इर्रीगेशन पर होता है। काम करने वाले लोग जानते हैं कि ड्राई-कल्टीवेशन में जितने आदमी लगते हैं, उसी प्रकार इर्रीगेशन में ज्यादा आदमी लगेंगे। इर्रीगेशन के द्वारा ड्राई लैण्ड पर जितना काम कर सकेगा, उतना एडवाण्टेज मिलेगा। यह आवश्यक था। इसी दृष्टि से हमें अपना पोटेंशियल और हमारे यहां की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये हम यह खर्चा करते यह आवश्यक था। लेकिन इसके साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि जो फाइनेंस मुकर्रर किया जाता है, उसके अन्दर इस बात का एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि जो हमारा रेवेन्यू साइड का गेप

Page No 128

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
हैं जो डेफीसिट है, उसको कवर करने के लिये है। उसके अन्दर यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है कि फाइनेंस कमीशन ने जो अवार्ड दिया, उसने गेप को पूरा नहीं किया है। तो वह ग्रान्ट के साथ में आज स्पेशल असिस्टेन्स, अकामोडेशन जो गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है, फिलहाल उसको लोन के तौर पर ट्रीट करके दिया जा रहा है। आज उस लोन को रिफ्यूज करें तो उसका परिणाम राजस्थान की आगे की गति के अन्दर जाकर क्या पड़ता है उसका आज के दिन अन्दाज लगा सकते हैं। इसलिए वह असिस्टेन्स मिला कर वह रेवेन्यू गेप पूरा किया गया है। तो मैं समझता हूं, जहां गेप के प्रश्न, जिस पर अखिल भारतीय आधार पर विचार करने की आवश्यकता मैंने बताई, वहां उससे आगे बढ़ने के अन्दर अवश्य मदद मिलेगी। लेकिन फाइनेन्स कमीशन स्वयं इन प्रश्नों को देख लेता तो इस प्रकार की स्थिति नहीं बनती।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस बात को बतलाया गया, 647 करोड़ को लाइबिलिटी है, यह लाइबिलिटी जबर्दस्ती इधर उधर खर्च होने से हुई-इस सम्बन्ध में पिछली कई बातों को यहां पर दोहराया गया। मैं निवेदन करूंगा, 647 की लाइबिलिटी के बारे में वित्त मंत्रीजी विस्तार में कुछ प्रकाश डालेंगे, लेकिन आप उसको देखेंगे तो जो लोन्स और जो असेट्स अलग अलग रूप के अन्दर हमारे यहां बढ़ाये हुए हैं, वह करीब 541 करोड़ होते हैं 647 करोड़ के मुकाबले में, और इसके बाद इसी राजस्थान के अन्दर यह 647 का डेड लाइबिलिटी वाला कम्पोनेन्ट है, 106 करोड़ का फेमिन का भी इसमें इन्क्लूडेड है, जो लोन का कम्पोनेन्ट आता है, यह 106 करोड़ निकालेंगे तो हमारे असेट्स बमुकाबले जो हमारा दूसरा खर्चा है, उससे ज्यादा है। उपाध्यक्षजी, हमने भारत सरकार, फाइनेन्स कमीशन के सामने इस बात को रखा था कि नेचरल केलेमिटी के अन्दर जो मदद की जाती है उस मदद को करने में जो अभी पैटर्न अपनाया जाता है, वह पैटर्न वाजिब नहीं है। इसके अन्दर सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लोन के बजाय ग्रान्ट दी जानी चाहिए क्योंकि केलेमिटी इन्वाइट नहीं करते हैं, यह नेचरल केलेमिटी है और उसके लिए लोन के बजाय ग्रान्ट देनी चाहिए। आज राजस्थान जैसे दुर्भाग्यशाली प्रदेश में फेमिन का रिकरेन्स ज्यादा होता है, तो सभी माननीय सदस्य इससे अन्दाज कर सकते हैं कि आज लोन का वजन बढ़ता हुआ चलता है तो कई प्रदेश इस मामले में सौभाग्यशाली हैं, जिनको वहां पर आकस्मिक प्राकृतिक विपत्तियों का मुकाबला नहीं करना पड़ता है, वह हमेशा हमसे बेटर पोजीशन में रहेंगे। इसलिए हमारे यहां पर पांच साल में कहीं न कहीं पर हमको इस मुसीबत का सामना करना पड़ता है और इस मुसीबत का सामना करने में खर्च हो, उसको लोन के तौर पर ट्रीट कर लिया जाय, तो और प्रदेशों पर यह लोन कम्पोनेन्ट पड़ेगा नहीं और लाइबिलिटी नहीं आयेगी, तो हमारे साथ में में एक बहुत बड़ा नुकसान पहुँचने वाली बात हो जाती है। इसलिए फाइनेन्स कमीशन के सामने इस प्रश्न को रखा था कि ग्रान्ट कम्पोनेन्ट के तौर पर ट्रीट करने के बारे में सिफारिश करके चलें।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उपाध्यक्ष महोदय, 1963 से 1969 के बीच में 157.24 करोड़ का एक्सपेंडीचर हुआ, उसमें पिछली साल 105 करोड़ का हुआ, उसमें यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि ग्रान्ट मिलेगी, वह 27 करोड़ के करीब होगी। उसके बाद 27 करोड़ की ग्रान्ट है, इसका, लाइबिलिटी का हमारा टोटल फिगर है उस पर क्या इम्पेक्ट हो सकता है-वह ग्रासानी से अन्दाज लगाया जा सकता है। जब स्केअरसिटी कन्डीशन्स होती हैं, उस समय लैंड रेवेन्यू सस्पेन्ड होता है, दूसरी इन्कम में शार्ट फाल होता है। उसके साथ साथ वेज एण्ड मीन्स प्रोवाइड किया जाय वह लोन के तौर पर प्रोवाइड किया जाय, उससे एडवर्सली अफेक्ट होने वाली बात हो जाती है और उससे ज्यादा पेचीदगियां और दूसरी बातें सामने आने लगती हैं।

उपाध्यक्षजी, संक्षेप में मैंने इसलिए कहा, राजस्थान की जहां असेंट्स की दृष्टि से, वह असेंट्स के फिगर्स जो उस वक्त के अनुमान के हिसाब से थे जिस वक्त खर्च हुआ, उस हिसाब से कहा है, फेमिन वाली कन्डीशन्स राजस्थान के अन्दर रहती हैं, जो मुसीबत आती रहती हैं, मैं समझता हूं, राजस्थान की इकानामी के ऊपर उससे काफी परिवर्तन हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अनएम्प्लायमेंट के बारे में यहां पर स्वाभाविक तौर पर काफी चिन्ता प्रकट की गई। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है-इसके बारे में दो राय नहीं हो सकती। एक हजार व्यक्तियों को एक जिले में एम्प्लायमेंट देने के बारे में कहा कि काफी कम है। यह भी कहा गया है, और दूसरा काम क्या क्या किया जायगा। इसके सम्बन्ध में चर्चा की गई है। यह प्रश्न काफी जटिल प्रश्न इस देश के लिए बन गया है। एक हजार व्यक्तियों को एक जिले में, ऐसे व्यक्तियों को, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, सौ रुपये मासिक आमदनी हो-यह निर्णय लिया गया है। यह शुरूआत है इस दिशा में। यह भी कहा गया है, एक कदम है उस दिशा में, जिस तरफ हम जाकर चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लायमेंट दिया जा सके। इसके अलावा राजस्थान के अन्दर, देश के अन्दर और कई योजनायें हैं, जहां भी एम्प्लायमेंट जनरेट होता है। केवल यह योजना सारे एम्प्लायमेंट के लिए है, यह समझ कर चलेंगे तो गलत होगा। प्लान के जरिये एम्प्लायमेंट जनरेट होता है, हमारे सामने इरिगेशन, रोड्स, बिजली का काम है, वहां एम्प्लायमेन्ट है हो, लेकिन इसके अलावा राजस्थान की कन्डीशन्स को देखते हुए जो राजस्थान के क्रानिकली ड्राट एरिया के लिए स्कीम सेंक्शन की गई हैं, उन स्कीम में एम्प्लायमेंट वाली बात सामने आयेगी। राजस्थान के अन्दर एम्प्लायमेंट बढ़े-इसके सम्बन्ध में लगातार कोशिश की गई है, और इस बात का प्रयत्न किया गया है कि हमारी जैसी भी आर्थिक स्थिति है, उसको देखते हुए हम राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की स्थिति पैदा करें कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लायमेंट मिल सके। फिर भी सरकार एम्प्लायमेंट के बारे में सारे प्रश्नों को हल नहीं कर सकती। आज सरकारी एम्प्लायमेंट के अलावा सेल्फ एम्प्लायमेंट की स्कीम भी बैंकों के जरिये से कई निकली हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, यह सदन जानता है कि

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पिछले सालों के अन्दर माइनिंग की साइड में जो हमारा ज्योलोजीकल सर्वे, प्रास्पेक्टिंग वगैरह अलग अलग जगह हुआ, उससे जो होर्टेसियालिटी राजस्थान के सामने आई है, जिसका कि कुछ एक्स्प्लाइट होना शुरू हुआ है, बहुत सी एक्स्प्लाइट करना शेष है, वह भी काफी बड़ा एम्प्लायमेंट की दिशा में कदम है। उन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए हमें निरन्तर प्रयत्नशील होना होगा जहां तक इन्डस्ट्री का सवाल है, पहले जहां पर नाम मात्र को इन्डस्ट्री थी उद्योगों के अन्दर भी पहले का भी काफी अन्तर हुआ है। फिर भी इस सम्बन्ध में और ज्यादा लोग-बागों को काम-काज मिल सके-इस दृष्टि से, और सारे प्लान पर एप्रेजल करने के बारे में जो प्राइम मिनिस्टर और फाइनेन्स मिनिस्टर, गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने इस प्रश्न पर कहा है-उम्मीद करता हूं, सब तरफ से एफर्ट्स कर के इस एम्प्लायमेंट अपूर्चिनिटी को हम ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे....

श्री भैरोंसिंह : यह बता दें राजस्थान में बेकार कितने हैं। आप इन प्राबलम को सोल्व करना चाहते हैं, सदन को यह मालूम हो जाय कि इतने बेकार हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं एक्जेक्ट नहीं कह सकता। कल तक प्लानिंग के अन्दर जो हैं, आई विल लेट यु नो।

श्री मदनसिंह : जनगणना में कालम रखा है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : हां, लेकिन इस वक्त एक्जेक्ट फीगर मेरे पास नहीं है।

श्री विजयसिंह : फिर तो सब बेकार है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : जहां पर स्वाभाविक तौर पर माननीय सदस्यों ने अनाज के बारे में, अनाज के भाव गिरने के बारे में कहा। अनाज के भाव गिरने के सम्बन्ध में, खरीफ के अनाज, बाजरे के भाव के ज्यादा गिरने के बारे में जो 17 तारीख को दिल्ली में मीटिंग हुई, उसके पहले भी इस सदन के अन्दर चर्चा हुई थी, और गेहूं के भाव भी आने वाली फसल के अन्दर गिरने की सम्भावनायें हैं....

श्री देवीदत्त गाडिया : गिर गये हैं, संभावना नहीं है!

श्री भैरोंसिंह : गिर गये हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं प्रीवियस बात कह रहा हूं। इस प्रकार की चर्चायें सामने आई थीं।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो 17 तारीख को कान्फ्रेन्स थी, उस कान्फ्रेंस में जहां तक कि गेहूं के भाव के बारे में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन से पिछले सालों के भावों के मुकाबले में भाव को कम करने वाली बात कही थी उस सम्बन्ध में ज्यादातर जो वहां मुख्य मन्त्री उपस्थित थे, उन्होंने यह ही राय जाहिर की कि पिछले वर्ष से भाव कम नहीं होने चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द जो पिछले वर्ष गेहूं के भाव थे, उन भावों पर भारत सरकार खाद्य निगम के जरिये खरीद करने के आदेश जारी कर देगी। इन भावों के सम्बन्ध में भी मुख्यमन्त्रियों की कान्फ्रेन्स के

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
बाद केबीनेट में या केबीनेट सब-कमेटी में विचार होकर आदेश जल्दी निकालेंगे, ऐसा मैं मान कर चलता हूँ। इन भावों के हिसाब से मेक्सीकन और फार्म गेहूं 76 रुपये के भाव रहेंगे और जो इन्डिजीनस गेहूं पिछली बार 71 से 74 के भाव थे उनको निर्धारित करने की बात तय की गई है, इसके साथ साथ राजस्थान में....

श्री मुकुटबिहारीलाल : व्यापारी खरीद रहे हैं, वह सप्लाई हो जायगी दुकानों पर।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : राजस्थान में 70 हजार टन गेहूं खरीदने का टार्गेट तय किया गया है।

श्री रामकिशन : कम है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : अगर आवश्यक हुआ तो ज्यादा खरीदने पर विचार करेंगे।

श्री रामकिशन : 75 हजार टन उत्पादन बढ़ा है, खुद सोचिए कि यह टार्गेट कितना कम होगा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : दूसरी जगह ज्यादा सरप्लस हैं।

श्री रामकिशन : गेहूं के इलाके बहुत कम हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : पिछले वर्ष से इस साल का उत्पादन, जहां तक राजस्थान का सवाल है, 60-80 हजार टन से ज्यादा नहीं होगा, ऐसा फोरकास्ट में बताया गया है और लास्ट ईअर वहां पर प्रोक्योरमेंट करीब नहीं सा हुआ था। इस साल 70 हजार टन रखा गया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ज्यादा करो।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : आवश्यक होगा तो ज्यादा करेंगे जैसा बाजरे के केस में टार्गेट 40 हजार टन का निर्धारित किया गया था 14-4-70 तक 54 हजार टन पर खरीदा गया। उसके बाद अभी हम दिल्ली गए तब उन्होंने खास तौर से कहा कि बाजरे के भाव ज्यादा से ज्यादा गिरे हैं। कई इलाकों में उस कारण से लोगों को काफी परेशानियां हुई हैं, खास तौर से इस वजह से भी उनको पुराने एरियर्स चुकाने के लिए हजार से ज्यादा परेशानियां सामने आती हैं तो वहां पर अलग अलग क्वालिटीज हैं। सैकिण्ड नम्बर जो 52 तक खरीदा जाता है, उस सम्बन्ध में भी बीच में खरीद रोकने के आदेश दे दिए थे उस सम्बन्ध में खाद्य निगम को किन क्वालिटीज का कितना बाजरा अवेलेबल होगा, वह राजस्थान में खरीद करेंगे भाव ठीक करने के लिये, इस बात का हमें पूरी तरह से आश्वासन दिया है। साथ ही कुछ क्वालिटीज जो पिछले वर्ष के कहने अनुसार कमजोर समझी जाती हैं, उसके लिये राज्य सरकार ने 10 हजार टन खरीदने के लिए जो तय किया, वह जो पहले बेचा जा चुका है, यह उसके अलावा होगा। हमने उनसे यह भी कहा कि डाक्टर पिंगले की रिपोर्ट पर सारा फैसला नहीं करना चाहिए और एक एक्सपर्ट कमेटी को यह मामला सौंपना चाहिये, जो सारे प्रश्न को देख कर इस संबंध में निर्णय कर सके।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक जानकारी चाहता हूं। मैंने पेपर्स में पढ़ा है। आपने चीफ

(श्री भैरोंसिंह)
मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस में खाद्य निगम की आलोचना की और उनको सुझाव दिया कि एजेन्ट्स के थ्रू खरीद न की जाए, यह बात आपकी मानी गई या नहीं ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : मैं निवेदन करूं कि खाद्य निगम के वर्किंग के बारे में इस सदन में बात सामने आई थी तो हमने इस बात को कहा और उसके लिए मेरा मुख्य पाइंट था कि खाद्य निगम एक तरह से आइसोलेशन में वर्क करता है और राज्य सरकार की आथोरिटीज का पूरी तरह से सहयोग न लेकर निगम काम करती है । उसके कारण से हमारे सामने बहुत सी समस्यायें खड़ी होती हैं, दोनों के बीच में एक्टिव लिएजन होना चाहिये जिससे समस्या खड़ी न हो। साथ साथ ट्रेडर्स के वाली बात भी कही गई जिसके लिये सभी ने माना कि यह खाद्य निगम ट्रेडर्स के जरिये पर्चेज करने की एजेंसी नहीं है, डाईरैक्टली कल्टीवेटर से खरीद करने के लिये इस एजेन्सी को एस्टेब्लिश किया गया है। उस दृष्टि से बातें हमने कही हैं, उसको फर्मर एग्जैमिन करके एक दूसरे के बीच में ज्यादा से ज्यादा एक्टिव लिएजन हो। अभी भी कुछ जगह स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजन्टेटिव्ज रखने वाले सिद्धांत को हमने माना है आशा करते हैं कि ये शिकायतें कम होंगी ।

श्री **भैरोंसिंह** : एजेन्सी और होगी या नहीं ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : बीच में एजेन्सी का सवाल नहीं आता। एजेन्सी वह स्वीकार नहीं करते। कई जगह शिकायतें मिली हैं कि व्यापारी कल्टीवेटर को साथ में लेकर कल्टीवेटर का नाम लिखवाता है और एक्चुअली बैंक ग्राउन्ड में व्यापारी फंक्शन करता है। जब चैकिंग करने जाते हैं तो रसीद कल्टीवेटर की बताते हैं। इस समस्या को ज्यादा डीपर तरीके से हल करने के लिए अलग अलग जगह अधिकारी इसका हल निकालें, इस संबंध में भी तय किया जा रहा है। यहां अर्बन सम्पत्ति सीलिंग के बारे में जिक्र किया गया कि इस सवाल को हम केन्द्र पर डालने वाली बात कह कर शायद टालने का प्रयत्न करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि इस बात को जो वित्त मंत्री के भाषण में रखा है उसमें बहुत साफ तौर से कहा है कि किसी एक व्यक्ति की सम्पत्ति यहां भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। यही एक फैक्टर खुद में काफी महत्वपूर्ण है।

दूसरी बात यूनीफार्मिटी के लिहाज से यह बात सामने आती है शायद भरतपुर वाले माननीय सदस्य मानेंगे कि हर राज्य में अगर मान लीजिए सीलिंग हो और दो लाख या चार लाख या पांच लाख सीलिंग कायम की जाए तो वह व्यक्ति हिन्दुस्तान के 25 राज्यों में उतनी उतनी सम्पत्ति तो ओन कर सकता है। उसके मुकाबले में वह तय किया गया इसी वजह से भारत सरकार ने दो आल्टरनेटिव्स की बात कही थी। उसमें हमने कहा कि हम इस आल्टरनेटिव को प्रेफर करते हैं कि आल इंडिया लेविल पर इस कानून को बनाया जाय और मेरी अपनी मान्यता है कि अर्बन प्रापर्टी सीलिंग के लिए शायद संविधान में संशोधन करना पड़ेगा तब जाकर यह हो सकेगा वरना आज के दिन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अगर किसी की सम्पत्ति को एक्वायर करते हैं तो मार्केट प्राइस पर 10 प्रतिशत देने की बात आएगी। तो उस सम्पत्ति को एक्वायर करके किसी गरीब को फायदा दे पायेंगे वह इम्पलीकेशन्स हमारे साथ में है। यह नहीं है कि ला पास करके कल जिस रेट पर चाहे हम एक्वायर कर दें। दूसरे संवैधानिक और कानूनी इम्पलीकेशन्स है सबको प्रापरली थ्रेश आउट करके सेंट्रल ला बने तो वह ज्यादा से ज्यादा हितकर हो सकता है।

यहां पर मकानों के बारे में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हाऊसिंग बोर्ड और कुछ संस्थाओं से जो मकानों की कमी है वह पूरी नहीं हुई। कुछ हद तक इस प्रश्न को हल करने के अन्दर ये चीजें मददगार हो सकती हैं लेकिन लोगों को खुद अपनी एफर्ट और उसमें एल. आई. सी. के जरिए या लो इन्कम ग्रुप स्कीम जरिए इस प्रश्न को हल करने वाली बात को इसमें कोशिश करनी होगी और उसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता यह है कि लोगों को प्लाट्स मिलें जिसमें अपनी एफर्ट्स कर सकें तो रूरल एरियाज के अ [illegible] सरकार की नीति है कि यह जह [illegible] आवश्यकता हो एक्वायर भी की जाए और वहां के शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब, भूमिहीन, आर्टीजन्स वगैरह के लिए जमीन प्रोवाइड की जाए लेकिन इसके साथ साथ शहरों के अन्दर जो कच्ची बस्तियों का कन्जेस्शन हो रहा है, उसमें दोनों तरह के लोग हैं। कुछ कुछ को पता चला है कि कच्ची बस्तियों की वजह से प्लाट्स मिल जायेंगे तो एक-एक व्यक्ति कई जगह 7–7 जगह कब्जा करके किराये पर देने का सिलसिला कर रखा है कई जगह हैं जहां काफी समय से रह रहे हैं। इस सम्बन्ध में हमने खुद ने कहा है और मैं निश्चित रूप से चाहता हूं कि कच्ची झोंपड़ियों में रहने वाले लोग जो काफी सम[illegible] से रह रहे हैं उनके प्रश्न को जल्दी से जल्दी हल किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ खास तौर से जयपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने और दूसरे शहरों में रहने वाले माननीय सदस्यों से मैं यह अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि शायद इसमें सोचने की आवश्यकता है कि आज हरेक के पास प्लाट हो उस चीज को हम चला सकते हैं या उनके कोआपरेटिव्ज बना कर और ओन दी फ्लेट रादर देन ओन दी प्लाट की बात को वर्क-आउट करें। क्योंकि प्लाट्स को देने की स्कीम वहां आवेगी जहां आप दे सकेंगे। एमीनिटीज को प्रोवाइड करने में जो खर्चा आता है अलग अलग टुकडों में वह बहुत बंट जाता है। उस पर बैठ कर चिन्तन करके रास्ता ढूंढा जाय। होरिजेन्टल बनाने के बजाय वर्टिकल होकर बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े फ्लेट्स के ओनर होते हैं, सारी [illegible] ल्डिंग्स के ओनर नहीं होते हैं. इन [illegible] ों का समन्वय बैठाया जाय इस दृष्टि से [illegible] भप्रद हो सकता है हम भी चाहते हैं कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी हल करना चाहिये।

सांभर साल्ट के बारे में प्रश्न आया कि उन्होंने एग्रीमेन्ट के मुताबिक इण्डस्ट्री शुरू नहीं की। यह ठीक बात है। हमने कई बार उनसे कहा लेकिन यदि वह इण्डस्ट्री हम ले लेंगे तो पब्लिक सेक्टर में चलाने के लिये आगे रिसोर्सेज क सवा[illegible] खड़ा होने वाला है। वे ही खोलें इसके लिये ज्यादा से

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

ज्यादा एफर्ट्स किये जावेंगे। यह निवेदन करना है।

उपाध्यक्ष जी, टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि नोन-टैक्स रेवेन्यू पब्लिक सैक्टर के जरिये बढायें और टैक्सेशन की तरफ हमारा ध्यान न जाय। सिद्धान्ततः यह बात ठीक मालूम होती है। लेकिन हमें यह ध्यान में रख कर चलना पड़ेगा कि राजस्थान जैसे प्रदेश में, जहां सोशियल एमिनिटीज के लिये ड्रिंकिंग वाटर जैसी चीज के लिये, स्कूल्स और मेडिकल फेसिलिटीज के लिये, इरीगेशन और इलेक्ट्रिसिटी के लिये जहां फण्ड्स का जबरदस्त प्रेशर है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये फन्ड्स, पब्लिक सैक्टर इण्डस्ट्री के जरिये किस तरफ से ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज कर सकेंगे किस तरफ से काट करके यह एक गम्भीर प्रश्न है। उसको सोच कर चलना पड़ेगा। असेट्स के बारे में वित्त मंत्रीजी ज्यादा प्रकाश डालेंगे और निवेदन करेंगे। मैं तो इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि राजस्थान में जितने डेट्स हैं लायेबिलिटीज हैं, माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि 6 मेगावाट से शुरू करके बड़ी 9 इण्डस्ट्री और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर पाये डेट की लायेबिलिटी न बढे इस दृष्टिकोण से चलते तो न भाखरा और न ही चम्बल और न दूसरे प्रोजेक्ट्स बना पाते और न ही इलेक्ट्रिफिकेशन हो पाता...

श्री दौलतराम सारण : यह कहा किसने कि ऋण न लें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : थोड़ी देर से तशरीफ लाये। असेट्स और लायेबिलिटीज के बारे में मैंने निवेदन किया कि फेमीन के अलावा जो लायेबिलिटीज हैं और असेट्स हैं उनको ध्यान में रख कर चलना पड़ेगा जो लायेबिलिटीज हैं उन पर प्रकाश डाला है। रिपेमेन्ट करना पड़ता है। कुछ स्टेट्स हैं जिनमें जितनी सेन्ट्रल असिस्टेन्स मिलती है उससे ज्यादा आती हैं। कुछ प्रश्नों पर मैं कहूं इस बीच में मैंने कहा है।

श्री **भैरोंसिंह** : एक जानकारी मैं चाहता हूं।

(4.44 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : एक बात मैं और निवेदन कर दूं कि बाजरे का भाव गिरने से रिकवरी वाला प्रश्न और जुड़ गया। उसके बारे में हमने यह विचार किया है कि रिकवरी को तुरन्त प्रेस न किया जाय, जून के आखीर तक पोस्टपोन करने के लिए आदेश जारी कर देंगे। तुरन्त अभी वसूली न की जाय।

श्री **देवीदत्त गाडिया** : गेहूं की खरीद कब से हो जावेगी ?

श्री **मोहनलाल सुखाडियां** : ज्योंही भारत सरकार का फैसला हो जायेगा।

श्री **देवीदत्त गाडिया** : निश्चित बतायें।

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : मेरे खयाल से भारत सरकार का फैसला दो तीन दिन में हो जावेगा इस पर।

Page No 135

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: कार्पोरेशन के कर्मचारी पांच हजार बोरी मंडी में आयी तो वे पांच सात सौ ही उठाते हैं और फिर कह दिया कि अभी पैसा नहीं है। इस के बाद अनाज व्योपारी खरीद लेते हैं। दस हजार बोरी व्योपारियों ने खरीद लिया और तीसरे दिन आये तो रातों रात गोदाम में लेंगे ...

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इसके संबंध में जैसा मैंने कहा कि खरीद के लिये अलग अलग मंडियों में कमेटियां बनायी जा रही हैं, नान-ओफिशियल को ओफिशियल के साथ एसोशियेट किया जावेगा ।

श्री भैंरोंसिंह : डेट के लिए जानकारी चाहूंगा कि आपने बताया कि डेट के अगेंस्ट इतने असेट्स बनाये। राजस्थान सरकार ने अब तक असेस्मेन्ट किया है कि इतने तो प्रोडक्टिव हैं और इतने नोन-प्रोडक्टिव असेट्स हैं ? दूसरा आपने कहा कि स्कीम वाइज योजना के अन्तर्गत लोन मिलता है उसमें लोन कम्पोनेन्ट ज्यादा है और हमने कोशिश की है कि कम हो तो चौथी पंच-वर्षीय योजना में आप जिस प्रकार से चाहते हैं उस प्रकार से सहायता मिलती है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : दूसरे प्रश्न के बारे में कहूंगा कि अभी पब्लिक ग्रान्ट का प्रश्न फोर्थ फाइव इयर प्लान पीरियड में लगा कर दिया गया है उस हिसाब से मिलेगा पहले प्रश्न के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि असेट्स वही होंगे कि जो व्यय हुआ कन्ज्युमर्स पर उनके हिसाब से अकाउन्ट किये जावेंगे।

(4. 45 म.प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री भैंरोंसिंह : उसमें डेप्रिशियेशन वगैरा सब असेट्स के लिये ओर्गन तैयार कर रखा है कि जो एक्सपेन्डीचर हुआ है उसको असेट्स में मान कर चलते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : अभी तो एक्सपेण्डीचर को लेकर चलते हैं। आज मार्केट वेल्यू के लिहाज से मान कर चलते हैं तो भाखरा और चम्बल आदि की कीमतें बढ़ी हैं। जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसी को मान कर चलते हैं।

श्री मदनसिंह दाता : मुख्यमन्त्रीजी ने फरमाया कि जागीरें समाप्त हुई, हजारों लाखों टिनेन्ट्स थे, कर्जे की रकम पहले के भाव के माफिक है तो उनको मालिक नहीं बना सकते थे उसके लिये क्या विचार है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : यह बात बहुत खुशी की है कि इन्दिराजी की जीत के बाद समाजवाद काफी फैल गया है और बजट के दौरान काफी भाषण आये हैं यह तो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कहते रहे हैं कि टिनेन्ट जिस मकान में रहता है उसको मालिक बना दें तो आपकी बात को ध्यान में रखा जायेगा।

श्री भैंरोंसिंह : किसने कह दिया था ?

एक माननीय सदस्य : श्री सतीशचन्द्रजी अग्रवाल ने।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : आपने नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री डूंगाराम राजोरिया।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्रीजी के भाषण पर वाद-विवाद का आज चौथा रोज चल रहा है जो बजट भाषण 71-72 के वर्ष के लिये दिया गया है उसको वित्त मन्त्रीजी ने बहुत ही सराहनीय बताया है और साथ ही साथ मुख्यमन्त्री महोदय ने भी बीच में इन्टरवीन करते हुए बहुत ही सराहनीय बताया है। अपने आप में खुशी भी बहुत जाहिर की है और इसके साथ ही यह भी कहा है कि कई लोगों ने सराहनीय बताया है।

जहां तक इसका सम्बन्ध है, इस बजट भाषण में जो बातें समाजवाद लाने के लिए कहीं, जो बात बजट भाषण में गरीबों को रोजगार देने की बात कही, चुनाव लड़ा गया उसमें कांग्रेस की ओर से वादे किये गये, जहां तक मैं समझता हूं ये ही सब बातें है। कुछ बातें ऐसी हैं कि जैसे इंजीनियर बेरोजगार हैं उनके बारे में बताया। पहले बजट भाषण में भी बताया गया था, इसमें उन लोगों को कुछ और वजीफा देने की बात कही गयी है।

मगर मैं तो यह कहूंगा कि उन लोगों को वजीफा देने की जो बात कही गई है, वह गलत है। अगर वजीफा देकर सारे देश के बेकारों को पालने की बात आप कहते हैं तो इसको अच्छा नहीं समझता इससे अच्छा तो आपने पहले कहा था कि हम इन बेकार इन्जीनियरों को सरकारी कामों में या प्राइवेट संस्थानों में रखवा कर इनकी समस्या को हल करेंगे तो यह तो कोई अच्छी बात थी, पर सरकारी पैसे पर पालने वाली बात कहना गलत है। तो किसी को राहत देने वाली बात कही गई है, या गरीबों को राहत देने वाली बात इसमें हो ऐसा मैं तो नहीं समझ पाया हूं।

इसके साथ ही वित्त मन्त्री महोदय ने चुनावों के बारे में जिक्र किया। चुनाव चार बार हो चुके हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। मेरे ख्याल से वित्त मन्त्री को भी काफी अरसा हो गया है। केवल बनावटी भाषण देते रहे हैं। वास्तव में बजट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई कि जिससे विकास में कोई विशेषता आई हो या कोई उन्होंने चमत्कार किया हो। यह तो अगर वो बजट भाषण भी देते तो इतनी प्रगति तो वक्त के अनुसार अपने आप भी होती।

एक शब्द यह कहा गया कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। क्या दूरगामी बात उन्होंने बताई? मैं जहां तक समझ पाया हूं कोई ऐसी बात नहीं कही उन्होंने जिससे किसी गरीब को राहत मिली हो या मिलने की आशा की जा सकती हो या कि देश की भुखमरी दूर हुई हो या होने की आशा हो। तो तरक्की वाली कोई बात इनके बजट भाषण में नहीं दिखाई दी।

माली तरक्की की बात भी कही। माली तरक्की तो उस जमाने में अधिक हुई थी, जिन दिनों देश ने आजादी भी हासिल नहीं की थी। कई गुना टैक्स लगा लगा कर बजट तो बहुत बड़ा बना लिया गया है और करीब 600 करोड़ रुपये का कर्जा लेकर भी रुपया इकट्ठा कर लिया है। इतना कर्जा और टैक्स लगाने के बाद भी ये तरक्की की डींग हांकें तो यह तरक्की नहीं यह तो उल्टे उनकी अयोग्यता की बात है। बिना कर्जा लिये बिना अधिक

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

टैक्स लगाये अगर वे तरक्की करते, रुपया इकट्ठा करते अपने उद्यम से, मेहनत से और ईमानदारी से तब तो बात समझ में आती कि तरक्की की पर कर्जा लेकर और टैक्स लगा कर क्या तरक्की की आपने ? जो भी इन 23 सालों में आपने इस तरह से, कर्जे से और टैक्सों से पैसा इकट्ठा किया, उल्टा उसका दुरुपयोग ही अधिक किया। सदुपयोग कुछ नहीं किया। सारा पैसा आपने इकट्ठा किया, अधिकतर अपनी अयोग्यता के कारण भ्रष्टाचार और बुरे बुरे कामों में, रिश्वतों में और ऐसे ऐसे कामों में खर्च किया जहां कोई रिटर्न नहीं मिला। उल्टे कर्जा बढ़ता गया।

मैंने पुराने स्टेटों के बजट भी देखे हैं। वे सीधे सादे होते थे। बिना टैक्स और कर्जे के उन्होंने उन्नति की। पर आपने पैसा तो इकट्ठा किया पर पैसे का सदुप-नहीं किया। पैसा इकट्ठा करने की दृष्टि से हमारा बजट बहुत अच्छा है, पर अगर सही तरीके में उस को आप काम में लेते तो इससे राज्य का बहुत कुछ विकास कर सकते थे।

उपाध्यक्ष जी, वित्त-मन्त्री महोदय ने बताया एक कही उचित बटवारा करने के बारे में। पर जब तक सही लोगों के पास राज की पूंजी के इस बंटवारे का काम नहीं रहेगा, तब तक राज का विकास नहीं हो सकेगा, न समान वितरण ही होगा। आपने सही लोगों के पास वित्त का वितरण पहुँचाने में इतनी अव-हेलना क्यों की ? चार साल से तो आप स्वयं वित्त मन्त्री बने हुए हैं। पिछड़े लोगों तक यह धन पहुँचाने में आपने कोताई क्यों की ? इससे साबित है कि आप में अक्ल और योग्यता की कमी है। उपेक्षित वर्ग के पास तक आपने पैसा नहीं पहुँचाया अब पहुँचाने की बात करते हैं। तो अब तक नहीं पहुँचा पाये तो कब पहुँचायेंगे इस पर कौन भरोसा करेगा ? तो आप लोगों के हाथों तो यह समान वितरण होने वाला नहीं और न इस प्रदेश का विकास होने वाला है।

उपाध्यक्षजी, इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि बात आप जरूर करते हैं पिछड़े वर्ग और उपेक्षितों के पास तक इस बजट का लाभ पहुँचाने की, पर पहुँचाते क्यों नहीं हैं ? इसलिये नहीं कि आपका स्वयं का पेट इतना खाली है और बड़ा है कि लगातार भरने से भी नहीं भर रहा है। यह भर भी नहीं सकता राज्य में जितने मन्त्री हैं उन सबके पेट इतने बड़े बड़े हो गये हैं कि वे अपने पेट में ही राज्य के सारे साधन उंडेलते जाते हैं। अपने स्वयं के ऐशो-इशरत के साधन जुटाने में सारा पैसा खर्च करा देते हैं। गरीबों की और पिछड़े लोगों की बारी ही नहीं आने देते। ये उनके मन की लालसाएं मिटती नहीं हैं। यही नहीं, अपना पेट ही भरने कि चिन्ता उनको नहीं सताती, अपने अपने भाई भतीजे रिश्तेदारों के पेट भरने की भी कोशिश में बराबर डूबे रहते हैं। फिर पिछड़े लोगों की कौन सोचे, कौन परवाह करे ? तो यह उपेक्षित लोगों के पास पैसा पहुंचे तो कैसे पहुंचे। जब तक आप अपने पेट छोटे नहीं करेंगे अपने सगे

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

सम्बन्धी परिवार वालों के पेट छोटे नहीं करेंगे तब तक उपेक्षित वर्ग जो समाज का है, उस तक वह लाभ नहीं पहुंचेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपका तो पेट ठीक है, पर सालोदियाजी का भी काफी बड़ा पेट है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : ये अपना शरीर ही बढ़ाते हैं, पर वे तो पूंजी बढ़ाते जा रहे हैं। अपने अपने रिश्तेदारों के अपने भाई भतीजों के साधन बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिये सालोदियाजी में और इनमें काफी फर्क है। ये तो ईमानदारी से पेट भरते हैं और बढ़ाते हैं। पर वे तो बेईमानी के सिवाय कोई काम नहीं करते। पूंजी में, भूमि में, प्लाट दिलाने करने में किसी भी बात में पीछे नहीं हैं। सरकार के खजाने को चारों तरफ से दोनों हाथों से लूटते जा रहे हैं, रात दिन। इतना अपना घर बनाने में सोच रखी है मानो ये चार सौ पांच सौ या आठ सौ हजार वर्षों तक जीवित रहेंगे। क्यों गरीबों की उपेक्षा करते हो ? क्यों किसके लिये इतना पैसा इकट्ठा करते जा रहे हो।

तो मैं निवेदन करना चाहता था कि जब तक ये अपना पेट भरने से बाज नहीं आवेंगे, उपेक्षित लोगों को कोई लाभ इनके हाथों से नहीं होने वाला है। आप अपने आपको कन्ट्रोल करने की कोशिश करें सारा पैसा आज फैक्ट्रियों को लोन के रूप में, प्लाटों के रूप में जो जाता है वह उनके ही भाई भतीजों और रिश्तेदारों में जा रहा है। पिछड़े लोगों को कभी नहीं जाता। कुछ राज के अधिकारी हैं, बड़े बड़े अफसर हैं उनको जाता है, उनके रिश्तेदारों को जाता है। शहरों में जमीनों के प्लाट बंटते हैं तो वे भी उनमें ही बंट जाते हैं। पिछड़ी बस्तियों वालों को एक भी प्लाट नहीं मिलता। कच्ची बस्तियों वालों को प्लाट नहीं मिल सकते। मन्त्री लोगों के अफसरों को, उनके सगे सम्बन्धियों को, रिश्तेदारों को पांच-पांच सात-सात प्लाट मिले हुए हैं। सब पर उनका कब्जा हो गया है। कच्ची बस्तियों वालों को कुछ नहीं मिला। यह बात जरूर है कि चार पांच साल पहले जो शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के जो विधायक थे और जिन्होंने शहरों में प्लाट लेने चाहे उनको जरूर मिले हैं बाकी साधारण शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों या साधारण वर्ग के लोगों को नहीं मिले। न मिलने वाले हैं। इसलिए कहना चाहता हूँ कि शहरों में जो जमीन है वह भी बड़े लोगों के कब्जे में जायेगी।

गांवों की भी यही हालत है। गांवों में जितना रुपया विकास के नाम पर दिया गया विकास अधिकारी की मार्फत या पंचायत समितियों की मार्फत वह भी पिछड़े लोगों के हाथ नहीं लगा। वे भी वे ही खा गये हैं जिनके कि यूटीलाइजेशन के सर्टीफिकेट अभी तक नहीं मिल रहे हैं। अगर गरीब लोगों को पैसा मिलता तो कभी के प्रमाण-पत्र मिल जाते। विकास के नाम पर खर्च किया गया पैसा भी इस तरह से, गरीबों के हाथ नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा समय बढ़ाना है। सदन के कुछ माननीय सदस्य इस बहस में हिस्सा लेना चाहते हैं तो क्या यह सदन की अनुमति है कि आधा पौन घण्टा के लिये समय बढ़ाया जाय ?

Page No 139

(श्री उपाध्यक्ष)

सदन की अनुमति से पौन घण्टा समय और बढ़ाया जाता है।

आप अपना भाषण दस मिनट में समाप्त कर दें।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जारी) : उपाध्यक्षजी मैंने यह कहा है कि···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके दल के सदस्य बोलना चाहते हैं। आप समय लेंगे तो उनको समय नहीं मिलेगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि गांवों के लिए जो सामुदायिक विकास का कार्य किया गया है वह भी उपेक्षित लोगों के लिए उपयोग में नहीं आया है। उपेक्षित लोगों के लिए वित्त मन्त्रीजी ने कहा है उसकी ओर भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

एक बात और कहना चाहता हूं, जैसा वित्त मन्त्रीजी ने कहा और अभी मुख्य मन्त्री ने कहा, आप इन्दिराजी का नाम लेकर चुनाव जीते हैं, लोग उससे प्रभावित हुए हैं। जिस समाजवाद को लाने की बात आपने कही है, उनमें एक बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपने किया है और मैं इसको सब से महत्वपूर्ण मानता हूँ।

श्री रामचन्द्र आर्य : कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सबसे महत्वपूर्ण मैं इसको मानता हूं लेकिन उपेक्षित लोगों तक इसका उपयोग नहीं हो रहा है।

(गणपूरक घण्टी)

उपाध्यक्षजी, मैं यह कह रहा था कि समाजवाद के लिए सब से बड़ा काम इन्दिराजी ने किया वह बैंकों का राष्ट्रीयकरण का किया। मगर इस राष्ट्रीयकरण में भी उपेक्षित लोगों को किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ है। इससे बड़े किसानों को लाभ हुआ है या बड़े उद्योगपतियों को लाभ हुआ है और छोटे किसानों और गरीब तबके के लोगों को को किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ है जो समाजवाद का नाम लेकर कहते हैं।

(5.02 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

आपने चुनाव नीतियों के ऊपर लड़ा है। मैं कहता हूँ आपकी कोई नीति नहीं है। एक आपने राष्ट्रीयकरण किया है और उससे कोई गरीब तबके के मजदूरों को किसी प्रकार की राहत मिली हो, ऐसी बात नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि यह खाली चुनाव जीतने का ढोंग था और कोई नीति नहीं है। अगर ऐसा ही है तो मैं वित्त मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद कितने गरीब मजदूरों को पैसा मिला, रोजगार मिला है। ऐसी कोई बात है तो आप अपने भाषण में इसका स्पष्टीकरण करने की कृपा करें।

मैं यह कहना चाहता हूं कि उपेक्षित लोगों का जब ही भला होता है जब सही आदमी को सहायता मिले। सही आदमी को सहायता नहीं मिलेगी तब तक उपेक्षित लोगों का भला नहीं हो सकता। आबादी की जो जमीन है उन्हीं लोगों को मिलनी

(श्री डूंगाराम राजोरिया)
चाहिये। यह देखना चाहिये कि जिसके पास जमीन नहीं है, तो जो बची खुची जमीन है वह बची खुची जमीन उन्हीं के पास जानी चाहिये। आप समाजवाद की बात कहते हैं तो उसकी पूर्ति के लिए यह बात करनी चाहिये। इसके अलावा जो खेती की जमीन है वह जमीन भी उन लोगों को मिलनी चाहिये जिनके पास जमीन नहीं है। इसी बीच एक बात और कहना चाहता हूं जो खेती की जमीन शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को दी गई उसमें भी उपेक्षा बरती गई है। जो लोन सुविधा है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से भी सुविधा नहीं मिली, गवर्नमेंट से भी कोई सुविधा नहीं मिली। मजदूर वर्ग को लोन की सुविधा मिलनी चाहिये। उनकी कोई कोआपरेटिव सोसाइटी बननी चाहिये और सही रूप से सहायता इन लोगों के पास पहुँचनी चाहिये। तब यह समाजवाद की बात पूरी हो सकती है।

सीलिंग के बारे में भी एक बात कहना चाहूंगा। आपने लोगों को यह कहा कि सीलिंग कानून के आने के बाद जमीन निकलेगी। सीलिंग से जमीन कितनी निकली? सीलिंग कानून से निकलने वाली जमीन भी खतम हो गई। वित्त मन्त्रीजी ने अपने बजट भाषण में 70-71 तक की जमीन को रेगुलराइज करने की बात कही है। यह कहना चाहता हूं कि यह रेगुलराइजेशन है क्या? शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को गांधी शताब्दी वर्ष में जमीन देने की बात है। आपने पहले तो सारी जमीन पर कब्जा करवा लिया और आज उसको रेगुलराइज कर दिया तो मैं समझता हूं कि यह उन लोगों के साथ कुठाराघात है। आप कैसे कह रहे हैं कि समाजवाद आ रहा है। उन लोगों की जमीनें आप ने छीन लीं।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : सभापतिजी, एक व्यवस्था का सवाल है। कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य संक्षेप में कहें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सभापतिजी, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से जो भी समाजवाद की बात कही गई है वह बात तभी पूरी हो सकती है जब तक कि उपेक्षित लोगों को पूरे साधन मिल जायें। वित्त मन्त्रीजी ने औद्योगिकरण के बारे में भी कहा है। मैं इसको अच्छा समझता हूं। औद्योगींकरण इस प्रदेश में हो जाये तो बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती है। इस समस्या के समाधान करने के लिये मैं राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि सारे यहां उद्योग ज्यादा से ज्यादा खुलने चाहिये और उद्योग हमारे यहां होंगे तो हमारे इस प्रदेश की बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। वित्त मन्त्रीजी ने टोंक में एक उद्योग की बात कही है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। आपने टोंक में एक कारखाना जिसे आप टेनरी कहते हैं, इसको चार साल से आप अपने बजट भाषण में रिपोट कर रहे हैं और बार-बार औद्योगीकरण का नाम ले रहे हैं। इस एक टेनरी

श्री डूंगाराम राजोरिया को चार साल में आप पूरा नहीं कर पाये हैं तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप इसी प्रकार उद्योग खोल कर रोजगार दिला सकेंगे। यह स्थिति राज्य सरकार की है। एक स्कीम के लिये चार चार साल से पुकार रही है टौंक में टेनेरी के बारे में। यह हो रहा है, बार बार कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार कार्य करके समाजवाद लायेंगे। यह तो मैंने एक उद्योग के बारे में कहा है और चार साल से कह रहे हैं मगर वह भी पूरा नही कर रहे हैं। और उद्योग की बात है, औद्योगीकरण की बात है, उद्योग नहीं लगावेंगे तो कैसे उद्योग पनपेंगे और उद्योग नहीं पनपेंगे तो रोजगार कैसे दिला सकेंगे। आपके पास जमीन का साधन नहीं है, फिर कौनसा साधन बाकी रह गया है ताकि लोगों को रोजगार का साधन आप दिला सकेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आपने बहुत समय ले लिया है। आपके दल के सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री सुरेन्द्रसिंह जो बोलेंगे।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जब तक किसी प्रकार का उद्योग नहीं खुलेगा तब तक हमारे प्रदेश के गरीब लोगों को, पिछड़े हुए लोगों को किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिल सकता। मैं राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि बेरोजगारी की समस्या तभी दूर होगी जबकि हमारे यहां पर उद्योग खुलेंगे।

वित्त मंत्री महोदय ने खनिज पदार्थ के बारे में भी कहा है। जितनी भी खनिज सम्पदा हमारे यहां पर है, वह कच्चा माल निकाल कर दूसरे प्रदेशों को भेजा जा रहा है, वह दूसरे प्रदेशों के काम आता है। दूसरे प्रदेश उसकी चीज बनाते हैं। वे कारखाने खोलते हैं और लोगों को रोजगार देते हैं। यहां का कच्चा माल भेजते हैं। उस खनिज सम्पदा का हम ही अपने राज्य में उपयोग करें। उसका उपयोग करने से बेरोजगार लोग भी काम पर लग जायेंगे और हमारे यहां औद्योगीकरण भी ज्यादा तादाद में होगा इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं जितनी खनिज सम्पदा है उसको हमारे यहां ही काम में लिया जाना चाहिये और उस खनिज सम्पदा से हमारे यहां ही काम में लिया जाना चाहिये और उस खनिज सम्पदा से हमारे यहां उद्योग कायम करने चाहिये और बेरोजगारी दूर करनी चाहिये।

जिस गांव के पास जैसी खनिज सम्पदा है वहां वैसा ही उद्योग खोलना चाहिये ताकि गांवों में उद्योग खुल सकें जिससे गांव वाले लोग शहर में नहीं आयेंगे और शहर वाले गांवों में नहीं जायेंगे। इसलिये मैं कहना चाहता हूं जो जहां की खनिज सम्पदा है उसको वहीं उपयोग करना चाहिये तभी हमारी बेरोजगारी दूर होगी वरना तो बजट में न लेना एक न देना दो। इससे कुछ होने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उद्योग खोलने चाहिये।

श्री सभापति : समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सभापति जी मैं निवेदन करना चाहता हूं गांधी शताब्दी में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स वालों को कोई जमीन नहीं मिली है। मेरा कहना है उसका नियमन उन्हीं लोगों में बांटा जाना चाहिये। मैं इसका विरोध करता हूँ। इसका अन्य जगह नियमन न करके उन्हीं लोगों में नियमन करना चाहिये जिसकी राज्य सरकार ने घोषणा की हैं। दूसरी बात अकाल के बारे में कहना चाहता हूं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपके लिये 15 मिनट का समय रखा गया था आपने 27 मिनिट ले लिये हैं। आप भाषण को समाप्त करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : करेंगे। अकाल के सम्बन्ध में, हमारे यहां अकाल की स्थिति अच्छी है इसलिये बजट प्रावधान रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं जहां तक समझता हूँ अकाल का इन्तजार करें, यह दूसरी बात है जहां अकाल होता है वहां हरियाली पैदा की जाय तो आगे के लिये अकाल नहीं पडेंगे नहीं तो दुबारा फिर अकाल की छाया आयेगी। इसलिये जहां अकाल पड़ता है वहां भी कुछ न कुछ करना चाहिये।

सिचाई के बारे में वित्त मंत्री जी ने यह कहा सिचाई के बारे में बहुत कुछ कर रहे हैं। दो स्कीमें आपने 23 सालों में की है एक तो चान्दना बान्ध और दूसरा काला बांध। चांदना बांध की आज तक नींव नहीं लगी उसका कोई मुहूर्त नहीं हुआ है। यह जो स्कीम है, वह गलत है। जो स्कीम सरकार हाथ में ले उसको पूरा करना चाहिये। यह गलत है बजट में पैसा रख दें और वह लैप्स हो जाय। इसके साथ ही दूसरी बात कहना चाहता हूं सिचाई के मामले में मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं जहां बड़ी सिंचाई योजना है वह तो है ही लेकिन छोटी सिचाई योजनाओं के लिये तालाब, कुण्ड, कुयें आदि कायम करना चाहिये। इसके साथ बिजली के बारे में कहना चाहता हूं। सबसे पहले उन इलाकों में बिजली दी जाय जहां कुए ज्यादा हों और कुइयें ज्यादा होने के अलावा सिचाई के साधन नहीं हो, उनको बिजली पहले मिलनी चाहिये। हमारे जयपुर जिले के लिये बहुत उदासीनता रही है इसलिये सबसे पहले बिजली मिलनी चाहिये। मैं जहां तक समझता हूं 40 किलोमीटर एक पंचायत समिति में राज्य सरकार का देने का आदेश था लेकिन आज तक 40 किलोमीटर किसी पंचायत समिति में बिजली उपलब्ध नहीं हुई है। राज्य सरकार जो काम हाथ में लेती है वह पूरा नहीं करें तो मैं समझता हूँ यह बहुत ही गलत है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। मा. सदस्य आपका भाषण समाप्त हुआ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : पूरा तो कर लेने दीजिये।

श्री सभापति : नहीं। श्री सुरेन्द्रसिंह।

श्री डूंगाराम राजोरिया : तो सभापति महोदय मैं कह रहा था....

श्री सभापति : आपने 0 मिनिट ले लिए हैं। अब आपका भाषण समाप्त हुआ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सभापति महोदय, 15 मिनिट से ज्यादा नहीं हुये हैं। मैं कोई बात आपके सामने रख ही नहीं सकता हूँ। सभापति महोदय, मुझे 5 मिनिट और दिये जायें। तो मैं यह कहना चाहता हूँ जो भी स्कीमें हाथ में ली जायें वह सारी स्कीमें सरकार को पूरी कर देनी चाहिये और सभी काम करने वालों की होशियारी है। स्कूल और कालेज खोलने की बात कही मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कालेज, स्कूल की बिल्डिंग तैयार हैं और हाई स्कूल, मिडिल स्कूल के लिये बढ़िया बढ़िया जगह पड़ी हुई हैं, तो मैं सरकार को यह कहना चाहता हूँ जो मिडिल स्कूल, हाई स्कूल खोले जायं तो पहले गांवों को देखा जाय सर्वे करने के बाद बिल्डिंग तैयार होते ही देखकर स्कूल खोलने वाली बात सरकार को करनी चाहिये। राजनीतिक स्तर नहीं बनाना चाहिये।

श्री सभापति - आर्डर प्लीज। मा. सदस्य आप समय का ख्याल नहीं रख रहे हैं। कोरम बार बार गिर रहा है...

एक मा. सदस्य : सभापति महोदय कोरम पूरा नहीं है।

(गणपूर्ति घण्टी)

श्री सभापति : श्री सुरेन्द्रसिंह। मा. सदस्य बहुत कम बोलते हैं।

श्री सुरेन्द्रसिंह (खारची) : सभापति महोदय, जो 71-72 का बजट पेश हुआ है उसमें और पिछले वाले सालों में कोई समाजवाद की चीज देखने में नहीं आई है। मैं इस बजट में खास एक चीज के लिये निवेदन करना चाहता हूँ-हमारे वित्त मंत्री जी से कि यह जो बजट इटसेल्फ है वह पुराने ढंग का है। जो बजट चल रहा है उसको चेन्ज करके परफोरमेन्स बजट में लाना चाहिये। परफोरमेन्स बजट के लिये जरूर गई साल से रखा है पर पूरा बजट अभी तक परफोरमेन्स बजट के रूप में नहीं लाये। परफोरमेन्स बजट से जिन जिन विभागों में और डिपार्टमेंट्स में काम होता है उसका डिटेल में ढांचा सामने आता है। जो पैसा लगेगा वह उसी काम के लिये काम में लिया जायगा। डिपार्टमेंट में एक धनराशि मुकर्रर होने के बाद वह किस काम में ली जायगी इसके डिपार्टमेंट वाले इधर-उधर कर सकते हैं लेकिन परफोरमेन्स बजट होने से सूक्ष्म खर्चे के बारे में आ जाती है और उसमें इधर-उधर करने के लिये अधिकारियों को और सरकार को बहुत कम गुंजाइश रहती है। जो प्रशासनिक सुधार कमेटी बनी थी उसने भी इसके लिए बहुत कहा है कि यह बजट परफोरमेन्स बजट के तरीके से बनाना चाहिए। पार्लियामेन्ट में भी दो साल से बजट ऐसे ही बनते हैं और पुराने बजट के साथ ही परफोरमेन्स बजट कई विभागों के पेश होते हैं। आपने यहां गई साल रखा था और अब की बार भी कहा गया था कि परफोरमेन्स बजट सदस्यों को देंगे लेकिन वह नहीं मिला। जिन सात विभागों के लिए रखा है, दो चार दिन में कट मोशन्स के ऊपर चर्चा चलेगी तो उसके पहले ही विभागों का परफोरमेन्स बजट मिल जाना चाहिए ताकि सदस्य उसको देखकर कुछ बोलें। इसके अन्दर मैं चाहूँगा कि इसकी जरूरत के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग की राय हैं उसको

(श्री सुरेन्द्रसिंह))
कोट करना चाहूँगा कि इसकी क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है ।

"Although the concept of Performance Budgeting as flexible enough to be applicable is widely different institutional and organisational background, one of its prime pre-requisites is the integration of budgetary and accounting classifications which should reflect the various programmes and activities of Government as well as their relative costs in an intelligible manner. The process of installation of a performance budget thus calls for a meaningful analysis of the programmes, activities and projects being undertaken by Government and a review and re-organisation of the general structure of accounts, including major and minor heads, in order properly to reflect these programmes, activities and projects."

इसके अन्दर क्या कार्य करने हैं, क्या कार्य होंगे खास करके डवलप्मेन्ट के कार्य हैं और जिस काम के लिए धनराशि निर्धारित होती है उतनी ही काम में आनी चाहिए और सालभर के बाद विधानसभा को पता पड़ सके और सरकार को पता चल सके कि कहां खर्चा हुआ है, कितना खर्चा हुआ है और जिस चीज के लिए पैसा रखा गया था उसी के लिए खर्च हुआ है। इसलिए परफोरमेन्स बजट का होना अति-आवश्यक है । 1970-71 के 7 विभागों के परफारमेन्स बजट है उसके लिए फाइनेन्स कमिश्नर ने भी प्रिफेस में लिखा है :

"Performance Budget is essentially a prosess, which by an organised pattean of display of exhibition, brings out the total governmental operations through a classification of functions, programmes and activities, through suitable nerrative statements and work load that forms an integral part of the presentation, it indicates the work done, proposed to be done and the cost of carrying them out i. e. perfromance in both physical and financial forms."

पुराने बजट के अन्दर इसका फिजिकल टर्म में पता पड़ना मुश्किल था इसलिए यह परफोर्मेन्स बजट का प्रावधान रखा गया है, यह अच्छा है और मध्य प्रदेश में गयी साल बजट के साथ पेश किया था, आंध्रप्रदेश अब की बार करने वाला था । परफार्मेन्स बजट साथ में पेश होता है विधान सभा में 'ओनली एज ए सप्लीमेन्टरी डाकुमेन्ट' । उससे सिर्फ विधायकों को देखने में मदद मिलती है । यह बात इससे जरूर है कि इससे परफोर्मेन्स बजट को पेश करने से सेंक्टिटी खतम होती है जबकि विधान सभा वोट नहीं करती है । सप्लीमेन्टरी डाकुमेन्ट होने की वजह से इसका महत्व नहीं रहता, यह तो सिर्फ मदद के लिए है । इसलिए मैं चाहूंगा कि राज्य वित्त मंत्री इसका ध्यान रखें और कोशिश करें कि आइन्दा हमेशा बजट पूरा का पूरा ही परफार्मेन्स बजट के रूप में पेश हो और पुराना जो तरीका है इसको खत्म कर दिया जाये और खत्म कर दिया जाये ।

अब बजट के बारे में बहुत कुछ तो माननीय सदस्यों ने कह दिया है । औद्योगिक

(श्री सुरेन्द्रसिंह)

विकास के लिए जो बजट में कहा है उसके लिए ऐसा है कि बहुत से ऐसे इलाके हैं राजस्थान के अन्दर कि जहां बिलकुल ही कम उद्योग है। तो मैं चाहूंगा कि सरकार जब समाजवाद की बात करती है तो कोशिश करके और ध्यान करके जिन इलाकों में उद्योग कम है उन इलाकों में उद्योग लगाये और यह नहीं हो कि एक ही इलाके में और उद्योग लगाये और दूसरे इलाके पिछड़े ही रहें।

अकाल राहत के बारे में यह कहना चाहता हूं कि दो साल में बहुत अकाल पड़ा और राज्य को बहुत ही खर्चा करना पड़ा था लेकिन कई जगह ऐसी थी।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सभापति जी कोरम का अभाव है।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, शेष भाषण कल हो जायेगा ताकि उस समय प्रेस वाले भी हों और माननीय सदस्य भी हों।

श्री जयनारायण सालोदिया : कल कन्टीन्यू रहे तो अच्छा है।

श्री चुन्नीलाल इन्दिलया : सभापति महोदय या तो कोरम पूरा कीजिए या फिर असेम्बली को कल के लिए रखें।

(गण-पूरक घण्टी)

श्री सुरेन्द्रसिंह : सभापति महोदय, अकाल राहत कार्यों के लिए मैं कह रहा था बहुत सी ऐसी जगह थी वेस्टर्न राजस्थान में जहां कि अकाल के कार्य जरूर किये गये लेकिन कई कई जगह कम किए गए। जैसे कि मेरे क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। खारची में वहां पर सिर्फ 6-7 हजार से ऊपर लोगों को कोई काम नहीं मिला.....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सभापति महोदय, बार बार कहने के बावजूद भी कोरम नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : नहीं है।

एक माननीय सदस्य : अब हो गया है।

श्री सुरेन्द्रसिंह : सभापति महोदय, खारची के अन्दर 6-7 हजार से ज्यादा व्यक्तियों को कार्य नहीं मिला और राहत नहीं मिली और आसपास के इलाकों में कई जगह 30-35 हजार आदमी काम कर रहे थे। यह डिस्पेरिटी रखकर जो राज्य सरकार कार्य करती है और वह भी जबकि लोगों पर मुसीबत आई हुई होती है और अकाल होता है और यह कोई आदमियों की तरफ से मुसीबत नहीं आती है यह तो कुदरती आती है तो लोगों के लिये काम मिलना चाहिए था-यह कमी रही। वाटर लागिंग केनाल में हो रहा है तो वाटर लागिंग की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए इस जमीन को नहीं बिगड़ने देने के लिए। इसको पूरी कोशिश करके ठीक करने की कोशिश करेंगे। जवाहर सागर और कोटा बैराज वगैरह निकाले हैं तो इनके पानी से आगे केनाल में वाटर लागिंग बिगड़ रही है तो इन पर जो खर्चा हुआ है उसका वापिस मिलना मुश्किल हो

(श्री सुरेन्द्रसिंह)
जायगा। जमीन बिगड़ रही है और वाटर लागिंग की पोजीशन हो रही है।

विद्युत् के बारे में, बिजली के बारे में यह कहना चाहता हूं कि इसमें भी जो डिस्पेरिटी है उसको समाप्त करना चाहिए। इसके बारे में ध्यान देकर इसको ठीक करना चाहिए। मेरे क्षेत्र में मारवाड़ जंक्शन, कुचेरा आदि हैं उसमें सिर्फ चार गांवों से बिजली है और बड़े बड़े गांव भी बिजली नहीं है। न मेरे क्षेत्र में म्यूनिसिपल टाउन हैं सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र ही हैं। बड़े गांव हैं तो क्या उनकी 7-10 हजार की आबादी हो जायगी तब बिजली पहुंचेगी? जहां पर पंचायत समिति के हैडक्वार्टर्स हैं वहां पर भी बिजली नहीं है। वहां पर मारवाड़ जंक्शन में रेल्वे प्राइवेट तौर से पैसा देकर पंचायत समिति ने बिजली ले रखी है। यह बड़े शर्म की बात है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से अपने को बिजली लेनी पड़े और खुद की बिजली नहो है। आप कहते हैं। आप कहते हैं कि बड़ी दूर है तो क्या हुआ पहुंचना चाहिए वहां पर....

श्री शंकरलाल : तब तो राजस्थान ने कह दिया है कि जहां पर तहसील हैडक्वार्टर्स हैं वहां पर बिजली दी जायगी। इसलिए उम्मीद करते हैं। मे भी कहता हूं कि हमारो खारची तहसील के हैडक्वार्टर में बिजली आये।

श्री विजयसिंह : आपका जो एरिया है वह शहरी नहीं इसलिए गांधीजी के गांव ही है। राजस्थान सरकार के कहने की कोई गारन्टी नहीं होती है।

श्री सुरेन्द्रसिंह: आप क्या उस मीटिंग में नहीं थे जो कि 21 जनवरी को हुई थी। उसमें कलेक्टर साहब ने कहा था कि सरकार का यह आदेश है कि 3 मील से ज्यादा दूर पर जो गांव है वहां पर बिजली नहीं जायगी सरकार एक तरफ तो यह कहती है कि सब जगह बिजली पहुंचाई जायगी और कलेक्टर साहब कहते हैं कि दो मील से ज्यादा दूरी का अन्तर हैं तो नहीं पहुंचाई जायगी। यह बात सही है हैं कि मेरे गांव से 6 मील दूर पर बिजली है उसके लिए ऐसा नहीं है वहां घनला गांव में बिजली है उसके 2-3 गांव पास में है उनके लिए कहना चाहता हूं उसके लिए 22 तारीख को कहा था मीटिंग में। इसके बारे में सरकार को चाहिए कि गांवों की दूरी का सवाल न रहे। वैसे मुझे मालूम है कि मन्त्रियों की छोटी छोटी ढाणियों में जो 8-10 किलोमीटर दूर हैं वहां पर बिजली पहुंचाई गई है। वहां पर दो मील का प्रावधान लागू नहीं होता है जहां पर मंत्रियों का सवाल होता है। 5000 की आबादी के गांव हैं जैसे माहुआ मारवाड जंक्शन के बाद बड़ा गांव है उसमें बिजली नहीं है। वहां पर तो बिजली नहीं हैं। कंटालिया बड़ा गांव है वहां पर बिजली नहीं है। मंत्रियों के छोटे छोटे गांवों में बिजली है।

श्री रामकिशन : कंटालिया है वहां पर बिजली नहीं होनी चाहिए। उसका नाम आप संत-निवास कर दें।

श्री सुरेन्द्रसिंह : शिक्षा के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि वे ग्रामीण क्षेत्र हैं कम्प्लीटली तो वहां पर बड़े स्कूल सिवाय पाली और सोजत के नहीं हैं। इसलिए बड़े बड़े गांवों में जहां पर मिडिल

(सुरेन्द्रसिंह)

स्कूल्स हैं उनको सेकेन्डरी स्कूल कर दिया जाय और जहां पर सेकेन्डरी स्कूल्स हैं वहां पर हायर सेकेण्डरी स्कूल कर दिया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

3-4 स्कूल बिल्डिगें बनी हुई पड़ी हैं मिडिल स्कूल के लिए तो वहां पर जोजावर और गुढ़ा रामसिंह में तो आप मिडिल स्कूल जरूर खोलेंगे नेक्स्ट सेशन से।

श्री रामकिशन: आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे संतों से अर्ज कर रहे हों और आपके कहने से सरकार जैसे फैसला कर ही देगी।

एक माननीय सदस्य: काश्तकार लोग हैं...

श्री जयनारायण सालोदिया: इनकी भाषा में बोलें।

श्री सुरेन्द्रसिंह: चिकित्सा के लिए भी कहना चाहता हूं। हास्पिटल तो उस एरिया में एक ही है मारवाड़ जंकशन पर। बड़े बड़े गांवों में हास्पिटल्स बनाये जायं और छोटे छोटे गांवों में डिस्पेन्सरीज बनाई जायं।

जल-योजना के लिए तो बड़ा मुश्किल है। हमारे यहां एक गांव है वहां पर एक आदमी डिस्पेन्सरी बनाना चाहता है और जल-योजना भी लगाना चाहता है। वह पैसा देने को तैयार है, लेकिन उसके लिए सरकार कहती है कि वहां पर आबादी कम है और इसके 5-8-10 मील एरिया की दूरी पर हास्पिटल है। जहां पर वह करना चाहता है वहां पर नहीं करने देते हैं। इसका क्या फर्क पड़ता है नजदीक हो या दूर, या कम आबादी हो या ज्यादा आबादी हो। पास के गांव वाले उसको काम में ले सकेंगे। वहां पर एक दानदाता है वह हास्पिटल बनाना चाहता है और पानी की योजना बनाना चाहता है, लेकिन उनको नहीं ही करना पड़ती है क्योंकि सरकार कहती है कि आबादी कम है...

श्री बालसिंह सोढ़ा: वे तो दानदाता नहीं है फिर भी खोल रहे हैं।

श्री रामकिशन: दानदाता का नाम मत बता देना नहीं तो वे कांग्रेस की रसीद लेकर पहुंच जायेंगे।

श्री शंकरलाल: वह दानदाता आबादी वाले क्षेत्र में लगा दें जिससे सरकार का नियम भी पूरा हो जाय और विकास का काम भी हो जाय।

श्री सुरेन्द्रसिंह: वह अपने गांव में लगाना चाहता है।

क्रेशप्रोग्राम के बारे में रखा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में 1000 आदमियों को 10 महीने तक देंगे। एक डिस्ट्रिक्ट में 7-8 लाख की आबादी होगी और कम से कम एक हजार व्यक्तियों को 10 महीने के लिए देंगे तो एक गांव से एक आदमी आयेगा।

श्री जयनारायण सालोदिया: वह भी नहीं आयेगा।

श्री सुरेन्द्रसिंह: यह दुनिया को उल्लू बनाने का तमाशा है। यह समाजवाद है? This is no Samajvad कि एक आदमी को एक गांव में नौकरी दें।

श्री रामकिशन : नौकरी नहीं है।

श्री सुरेन्द्रसिंह : 10 महीने तक उसके पालन-पोषण के लिए देंगे। वे मजूरी भी करेंगे बैठे थोड़े ही रहेंगे 100 रुपया देंगे तो यह बात कुछ समझ में नहीं आती है। खाली सरकार इतनी बातें बताती है कि हम यह करेंगे, वह करेंगे, यह समाजवाद लायेंगे, वह समाजवाद लायेंगे। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) एक आदमी को एक गांव में इतना देने से क्या होगा? तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह खाली बातें बताने की हैं। सरकार जो कुछ करती है वह दुनिया को बताने के लिए। यह सब लोगों की आंखों में धूल झोंकना है। रियेलिटी में इस सरकार का काम करने का इरादा मुझे नहीं लगता है। मैं चार साल से इस विधान सभा में यही देख रहा हूं कि इसका कहना और है और करना कुछ और है। इसलिए यह प्रगतिशील बजट नहीं है।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 20 अप्रेल, 1971 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 5-39 बजे दिनांक 20 अप्रेल, 1971 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न सं. 330 की सूची)

वन विभाग की भूमि जो राजस्व विभाग में स्थानान्तरित की गई है।

वर्ष 1	नाम भूमि (जंगल) 2	नाम तहसील 3	रकबा (एकड़ों में) 4
1950–51	मागली	बून्दी तहसील	161
,,	भामपुन	,,	400
,,	लक्ष्मीपुरा	,,	8·0
1951–52	नबंटीवला	,,	127
,,	दयालपुरा	,,	47
1952–53	बून्दी ..	,,	146
1954–55	कुडाल्या	,,	560
1955–56	थनेसर	,,	24
1957–58	पाटया ..	,,	104
,,	गुढा सून्डा	,,	20
1958–59	बालबिया बीड	,,	178
1959–60	–	–	17472
,,	–	,,	1024
1961–62	मण्डी एरिया	,,	173
1962–63	शोपुरया	,,	116
1965–66	बांकी ..	,,	202
,,	पूंट तालाब	,,	18
,,	नीम का खेडा	,,	60
,,	काली का खेल (लक्ष्मीपुरा)	,,	32
1966–67	मम्बा रानी	,,	85
		योग:–	21749 एकड़

1	2	3	4
1951-52	खानपुर	नैनवा तहसील	30 एकड़
1962-63	मोतीपुरा डैम	,,	107 ,,
1963-64	पाइ ब्लोक टौंक	,,	1600 ,,
		योग:-	1737 ,,

51-52	रैन (बीड)	हिण्डोली तहसील	749 एकड़
,,	असकूला	,,	20 ,,
,,	नाल बालाजी वाला	,,	237 ,,
,,	नाल मुई वाला	,,	405 ,,
,,	पाडेरा	,,	381 ,,
,,	भंवर	,	36 ,,
55-56	डोडिया नाला	,,	50 ,,
,,	देवगढ	,,	46 ,,
,,	सारडिया	,,	46 ,,
,,	नारायणपुर	,,	60 ,,
,,	डाट्न्दा	,,	80 ,,
,,	खोजवाला	,,	30 ,,
,,	सटावदा	,,	78 ,,
56-57	छिपडिया	,,	320 ,,
,,	घोवडा	,,	38 ,,
58-59	केशोपुरा	,,	159 ,,
,,	डूब नकबा भीमलत	,,	560 ,,
62-63	जजायर डैम (डूब रकबे)	,,	510 ,,
65-66	रगराजपुरा	,,	94 ,,
,,	बतरंगज	,,	83 ,,
,,	लुहारिया बीड	,,	246 ,,
,,	संबतमढ ,,	,,	[illegible] ,,
,,	गुमरिया ,,	,,	170 ,,
,,	सीप की बीड	,,	264 ,,
66-67	साबंखगढ	,,	66 ,,
		योग-	4695 ,,

Page No 151

नाम तहसील	रकबा एकड़ों में
बूंदी तहसील	21749 एकड़
नैनवा	1737 एकड़
हिण्डोली	4695 एकड़
कुल योग	28181 एकड़

लोकल तथा जिला वन समिति के जनवरी, 1971 में लिये गये निर्णय के अनुसार वन विभाग से राजस्व विभाग को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई भूमि की सूची।

नाम तहसील	नाम ग्राम	किता खसरा सं.	क्षेत्रफल
नैनवा	मानक चौक	1	100) बीघा
	सबलपुरा	1	100) ,,
	पीपल्या	7	419ा) 2 ,,
	मोंडपुरा	3	277) 3 ,,
		12	896ाा)
	दुगारी	29	586ा) 2
	रनलावता	3	49ा) 4
	नया गांव उर्फ रतमगुंज	7	62ाा)
	नैनवा	31	1440ा) 4
	सुंसा	25	592ाा) 3
	देई	65	1916)
योग	10 ग्राम	163	5544ा) 3 बीघा अथवा 2218 एकड़
हिन्डोली	थाना	21	28)) ;
	थाना	6	273ाा) 3
	थाना	2	77)
	थाना	10	370) 2
	4 ग्राम	49	970) 3 बीघा अथवा 388 एकड़
	कुल योग		2606 एकड़

परिशिष्ट 2

सिंचाई विभाग राजस्थान

(तारांकित प्रश्न संख्या 341 की सूची)

टोंक जिले में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण की रिपोर्ट

टोंक जिले में निम्नलिखित लघु सिंचाई योजना का सर्वेक्षण कराया गया है।

1. सूंथड़ा सिंचाई योजना (अलीगढ़ पंचायत समिति) :-यह एक पुराना टूटा हुआ बांध है एवं 1969 में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत इस पर कुछ कार्य कराया गया था। 1969 एवं 1970 पर इस कार्य को पूरा करने एवं नहरें बनाने का सर्वेक्षण किया गया। बांध पर अब 1.50 लाख रुपये खर्च होगा एवं लगभग 350 एकड़ सिंचाई होगी। बांध का तखमीने की कुछ कमियों को पूरा करने हेतु सहायक अभियन्ता टोंक भेजा गया है।

2. आकोडिया सिंचाई योजना (देवली पंचायत समिति):-बांध का सर्वेक्षण 1966 में शुरू किया गया था लेकिन मुख्य सर्वेक्षण 1969 एवं 1970 में किया गया। बांध की अनुमानित लागत 1.66 लाख रुपये है एवं इससे 240 एकड़ सिंचाई होगी। बांध के तखमीने की अजमेर खंड कार्यालय में जांच की जा रही है।

3. राजकोट सिंचाई योजना (देवली पंचायत समिति) :-बांध का सर्वेक्षण 1969 एवं 1970 में कराया गया यह कार्य 1970 में शुरू कराया गया एवं 0.18 लाख रुपये की खर्च किये और बांध के लिये इस वर्ष 1.00 लाख रुपये का वित्तीय प्रावधान है, जिससे यह कार्य इस वर्ष पूरा किया जा सकेगा। बांध की अनुमानित लागत 1.19 लाख रुपये है एवं इससे 174 एकड़ सिंचाई हो सकेगी।

4. काशीर सिंचाई योजना (देवली पंचायत समिति):-काशीर योजना पर 1969 एवं 1970 में सर्वेक्षण कराया गया। बांध का तखमीना सहायक अभियन्ता टोंक को कुछ कमियां दूर करने हेतु भेजा गया है। बांध की अनुमानित लागत 1.90 लाख रुपये होगी एवं इससे 130 एकड़ सिंचाई हो सकेगी।

5. सिरोही सिंचाई योजना (निवाई पंचायत समिति) :-इस बांध का सर्वेक्षण 1969 एवं 1970 सर्वेक्षण कराया गया। बांध का तखमीना सहायक अभियन्ता टोंक को कुछ कमियां दूर करने हेतु भेजा गया है। बांध की अनुमानित लागत 0.866 लाख रुपये है एवं इससे 153 एकड़ सिंचाई हो सकेगी।

6. लाम्बा हरिसिंह फीडर (मालपुरा (पंचायत समिति): -इस कार्य का सर्वेक्षण 1968 में शुरू किया गया एवं इस पर अकाल राहत में 1969 व 1970 में कार्य कराया गया। इस कार्य के लिये 1970-71 में वित्तीय प्रावधान था। इसकी अनुमानित लागत 0.80 लाख रुपये है एवं 57 एकड़ सिंचाई होगी। इसका कार्य 1971 में शुरू किया गया।

7. संहादरा सिंचाई योजना (मालपुरा तहसील) :–इसका सर्वेक्षण 1961 में प्रारम्भ किया गया था प्रोजेक्ट का तखमीना 1970 में राज्य सरकार से मंजूर हुआ और इस पर 1970–71 में कार्य शुरू कर दिया एवं 0.74 लाख रुपये खर्च हुआ। 1971–72 में भी इस बांध पर 1.00 लाख रुपये का वित्तीय प्रावधान है। कार्य की कुल लागत में 10.63 लाख रुपये है एवं इससे 1255 एकड़ सिंचाई हो सकेगी।

शोदानपुरा सिंचाई योजना (अलीगढ़ सिंचाई योजना):–इसका सर्वेक्षण 1965 में शुरू किया एवं इसका तखमीना 1970 में राज्य सरकार से मंजूर हुआ। इस पर कार्य 1970–71 में शुरू किया गया और 0.59 लाख रुपये खर्च किये। 1971–72 में 2 लाख रुपये का प्रावधान है।

बांध की कुल लागत 11.90 लाख रुपये हैं और इससे 1252 एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

(सु0 सि0 भण्डारी)
अधिशासी अभियन्ता सिंचाई,
खण्ड, अजमेर।

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न सं. 342 की सूची)

पंचायत समिति, धोरीमना में चलाये गये फार्म की आय-व्यय का विवरण

क्रमांक	वर्ष	आय	व्यय
1.	1969–70	11,478	10,469.07
2.	1970 71	1,338	438.20

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न सं. 153 की सूची)

इण्डियन मेडिकल कौंसिल के इन्सपेक्टर की 1969 की रिपोर्ट एवं उपसंहार

मैडिकल कौंसिल आफ इन्डिया के निरीक्षक द्वारा दिसम्बर, 1969 में एस. एम. एस. मेडिकल कालेज के सामयिक निरीक्षण की रिपोर्ट में फोरेन्सिक मैडिसिन विभाग के लिए निम्न रिमार्कस् दिये हैं:–

There is only one Reader in Department. Additional Staff in the form of Demonstrators or lecturers may be appointed so that some tutorial classes can be arranged and the teaching programme can be made efficient.

इसके अतिरिक्त निरीक्षक द्वारा निम्न उपसंहार (कन्क्लूजन) किया गया है :–

The teaching programme is satisfactorily organised and facilities except teaching staff and mortuary are adequate. The teaching programme are well organised and conducted by the Reader of the Department, she is well-qualified and is doing his best. He needs more assistance.

उपरोक्त उल्लेख के सम्बन्ध में यह बताना उचित होगा कि फोरेन्सिक मैडिसिन विभाग में इस समय एक रीडर एवं एक डिमान्सट्रेटर का पद सृजित है जिसमें योग्य व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक लेक्चरार भी अजमेर मेडिकल कालेज में स्वीकृत पद के अन्तर्गत जयपुर मेडिकल कालेज में नियुक्त है। एस. एम. एस. मैडिकल कालेज के नवम्बर, 1970 में हुये निरीक्षण में राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निरीक्षकों ने निम्नलिखित टिप्पणी फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग के लिए दी है–:

In forensic medicine, which has a separate University examination, the post of Professor may be created at an early convenience. Till that time, the Reader in the Department should have assess to participate in the faculty meetings.

नवम्बर, 1970 के निरीक्षण की रिपोर्ट के विषय में यह उल्लेखनीय है कि अन्डर-ग्रेज्यूएट विषयों में रीडर स्तर तक सभी विभागाध्यक्ष यूनिवर्सिटी की फेकल्टी आफ मेडिसिन के सदस्य हैं। इसी के अनुसार डाक्टर एस. वी. माथुर भी फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग के यहां के रीडर उक्त फैकल्टी के सदस्य हैं।

परिशिष्ट 5

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

डेंसू की फ्लाईएश पर बिक्रीकर

344. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नियमानुसार डेंसू की फ्लाईएश पर राजस्थान में बिक्री होने पर बिक्री कर देय है ?

(2) क्या यह सही है कि जवाहर सागर बांध के निर्माण हेतु एक. ठेकेदार डेंसू की फ्लाईएश कोटा में बेच रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त फ्लाईएश का चुकारा विभाग कोटा में वजन के आधार पर निश्चित दर से ठेकेदार को करता है ?

(4) क्या यह सही है कि अभी तक वाणिज्य कर विभाग ने कोई बिक्री कर वसूल नहीं किया ? अगर हां, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

मनोहरथाना प्राईमरी हैल्थ सेंन्टर का रोगी वाहन

345. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) मनोहर थाना प्राईमरी हैल्थ सेन्टर को रोगी वाहन कब एलॉट की गई थी ?

(2) क्या यह सत्य है कि आज तक जीप उक्त प्राईमरी हैल्थ सेण्टर पर नहीं है और उसका अन्य स्थानों पर दुरुपयोग हो रहा है ?

(3) उक्त वाहन कब तक उक्त सेंन्टर पर पहुँच जायेगा और आज तक किस अधिकारी की उपेक्षा के कारण यह अव्यवस्था रही है ?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनोहर थाना को रोगी वाहन आर. एस. एल. 1275 दिनांक 10–9–68 को अलॉट की गई थी।

(2) जी हां। अकाल होने के कारण यह गाड़ी अकाल क्षेत्र, बीकानेर में लगा दी गई थी। अब दिनांक 7–4–71 को यह गाड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनोहर थाना में पहुँच गई है।

(3) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

गोवटा तालाब के डूब में आये ग्राम

346. श्री मनोहरसिह मेहता (माण्डलगढ़) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि माण्डलगढ़ क्षेत्र के तालाब गोवटा के डूब में आये हुए गांव रामथली, डामटी, आदि को बसाने की 20 वर्षों के लम्बे समय बाद भी

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
व्यवस्था नहीं हुई है और जनता भारी कष्ट पा रही है ?

(2). यदि यह सही है तो क्या उन्हें जल्दी बसाने की तथा जमीन दिलाने की व्यवस्था की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

जच्चा-बच्चा केन्द्र, खेड़ली मण्डी

347. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि खेड़ली मण्डी में जच्चा-बच्चा केन्द्र तथा महिला डाक्टर न होने के कारण बहुत सी महिलाओं को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है और प्रतिवर्ष बहुत सी महिलाओं को प्राण भी गवाने पड़ते हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने कोई भी जच्चा-बच्चा केन्द्र अथवा महिला डाक्टर का पद खेड़ली के लिये स्वीकृत नहीं किया है। इस विभाग में ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि इस केन्द्र के अभाव में बहुत से महिलाएं प्राण गंवा चुकी हैं।

(2) फिलहाल धनाभाव के कारण विचार करना सम्भव नहीं है।

जगर बांध में आई भूमि का मुआवजा

348. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सच है कि जगर बांध में काम आई हुई जमीनों व नहरों का मुआवजा बकाया चला आ रहा है ?

(2) यदि हां, तो सरकार द्वारा मुआवजा अभी तक नहीं चुकाये जाने के क्या कारण थे और अब कब तक चुकारा किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही सम्पन्न कर एवार्ड प्रसारित नहीं किये जाने के कारण मुआवजा नहीं दिया गया है। जैसे ही एवार्ड प्राप्त होगा मुआवजे का भुगतान कर दिया जावेगा।

जिला बूंदी की पंचायत समितियों के फर्म

349. श्री केसरीसिंह हाडा (हिण्डोली):– क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे––

(1) जिला बूंदी की किस किस पंचायत समितियों में कितने कितने बीघा के फार्म हैं ?

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

(2) इन पंचायत समितियों के फार्म कब शुरू हुए और हर एक पर कितनी कितनी पूंजी लगाई गई है?

(3) क्या हर पंचायत समिति के पास ट्रैक्टर है ? यदि हां, तो किस किस के पास ?

(4) उक्त फार्म जब से शुरू हुए तब से हर साल कितना कितना नफा नुकसान हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) केवल पंचायत समिति, हिन्डोली में 135 बीघा भूमि का एक फार्म है।

(2) फार्म 1965 में शुरू हुआ तथा रु. 16897.59 पै. की पूंजी लगाई गई।

(3) जी नहीं। पंचायत समिति नैनवा, केशवरायपाटन तथा हिन्डोली में ट्रैक्टर हैं।

(4) पंचायत समिति हिन्डोली में चल रहे फार्म की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

पंचायत समिति, हिन्डोली में चल रहे कृषि फार्म की आय-व्यय का विवरण

वर्ष	आय	व्यय	
1965-65	1396.91	974.63	
1966-67	13273.00	7935.49	
1967-68	33988.06	18374.32	
1968-69	13643.31	44272.59	पिछले वर्ष एवं इस वर्ष की खाद एवं मजदूरी की राशि का समायोजन इसी वर्ष में किया गया है।
1969-70	20023.98	14055.32	
1970-71	10686.3.	9945.14	
	92111.59	95537.49	

मुहाना ग्राम में बिजली

350. **श्री सूरजमल (सूरजगढ़)** : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान की सभी 232 पंचायत समिति मुख्यालयों पर बिजली पहुँचा दी गई है ? यदि हां, तो जिला झुन्झुनु की मुहाना ग्राम (जो पंचायत समिति का मुख्यालय भी है) बिजली क्यों नहीं पहुंचाई गई है ?

(श्री सूरजमल)

(2) क्या यह सही है कि मुहाना पंचायत समिति मुख्यालय व ग्राम को जिला कृषि उत्पादन समिति झुन्झुनूं द्वारा कभी का चुना जा चुका है जिसकी सूचना विद्युत् बोर्ड को दी चुकी है ? यदि हां, तो बोर्ड ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) उक्त मुहाना ग्राम का विद्युतिकरण करने का इरादा है और इसकी क्या योजना है ? कब तक इस ग्राम का विद्युतिकरण कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं । अभी तक 175 पंचायत समिति मुख्यालयों को बिजली पहुँचाई जा सकी है ।

(2) जी हां । पर्यवेक्षण प्रतिवेदन बनाया गया । प्रश्न नहीं उठता ।

(3) प्रतिवेदन की जांच पड़ताल की जा रही है जिसे संभवत: रिवाइज करना पड़ेगा । अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

पंचायत समिति लाडनूं की आडिट रिपोर्ट

351. **श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)**: क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति, लाडनूं जिला नागौर के सन् 1966 के बाद अब कब आडिट की गई ? अब तक की आडिट रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त आडिट रिपोर्टों में मुख्यतया कौन कौन से आक्षेप थे और उन पर क्या क्या कार्यवाही की गई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) वर्ष 1966-67 का माह मई, 1967 में, वर्ष 1967-68 का माह मई-जून, 1968 में वर्ष 1968-69 का माह जून-जुलाई, 1969 में व वर्ष 1969-70 का माह जुलाई, 1970 में आडिट किया गया । आडिट रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर नहीं रखी जा रही हैं ।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) अन्तरिम अनुपालना पूरी की गई है । पूर्ण अनुपालना के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है ।)

आलनिया नहर से पानी

352. **श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद)**: क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि आलनियां नहर द्वारा प्रहलादपुरा-जामपुरा के किसानों को पानी समय पर नहीं दिया जिससे उनके गेहूं सूख गये ?

(2) क्या यह सही है कि बांई नहर पर लगे फाल को प्रधान श्री जगदीपसिंह के

(श्री बृजवल्लभ बोहरा)
आदमियों ने तोड़ दिया लेकिन फिर भी कार्यवाही नहीं की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि आलनिया नहर का कलेक्टर, कोटा की मीटिंग द्वारा तय किया हुआ बंटवारा के अनुसार पानी नहीं देने से तथा प्रधान के हस्तक्षेप से रानीपुरा आदि के किसानों ने अपनी जमीन मुनाफे से प्रधान को जुतवा दी है ?

(4) क्या यह भी सही है कि अमेपुरा गांव की टहल को अब तक पानी नहीं दिया है ?

(5) यदि हां, तो क्या इस व्यवस्था को कार्यान्वित करने के कारण सम्बन्धित कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला झालावाड में सरकारी कोटे की चीनी

353. श्री राम प्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

1. जिला झालावाड़ में शक्कर (दानेदार) जो सरकारी कोटा में आती है वह हर माह कितनी बोरी आ रही है ? जनवरी, 70 से दिसम्बर, 70 तक हर माह की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

2. क्या यह सही है कि कोटे की शक्कर गांवों में बिक्री के लिये न जाकर दुकानदार ही खुले तौर पर बेच देता है ? यदि हां, तो किस के आदेश द्वारा इस प्रकार शक्कर थोक दुकानों पर दी जा रही है।

उत्तर

1. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. गांव के कोटे की शक्कर गांवों में बिक्री हेतु आवंटित की जाती है परन्तु जिस शक्कर का भाव बाजार भाव से समानान्तर होता है उसे रिटेलर नहीं उठाते हैं तो केवल मात्र वह शक्कर ही अनुमति से खुले बाजार में बेची जाती है।

सूची प्रश्न भाग-1

क्रमांक	नाम माह	खाद्य विभाग से शक्कर की मात्रा आवंटन
1	2	3
1.	जनवरी, 70	2760 बोरी
2.	फरवरी,	4140 बोरी
3.	मार्च, 70	7360 बोरी
4.	अप्रेल, 70	5520 बोरी

Page No 161

(खाद्य मंत्री)

1	2	3
		2. टन
5.	मई, 70	5750 बोरी
6.	जून, 70	4600 बोरी
7.	जुलाई, 70	3450 बोरी
8.	अगस्त	2990 बोरी
9.	सितम्बर,	2300 बोरी
10.	अक्टूबर	5520 बोरी
11.	नवम्बर,	3450 बोरी
12.	दिसम्बर, 70	3450 बोरी

राजस्थान कैनाल में पानी की क्षमता

354. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या राजस्थान कैनाल परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल में पानी की क्षमता 18000 क्यूसेक्स की है ? यदि हां, तो इस समय कितना क्यूसेक्स पानी चल रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर का मसीतावाली हैड से रावतसर ब्रांच को पानी देने की क्षमता 800 क्यूसेक्स की है ? यदि हां, तो फिलहाल रावतसर ब्रांच में कितना पानी चल रहा है और ब्रांच में कुल पानी कितना क्यूसेक्स चल सकता है ?

(3) क्या यह सही है कि रावतसर ब्रांच से सिंचित होने वाला रकबा ज्यादा है और पानी कम चल रहा हैं, जिससे रेतीली भूमि में टेलों तक पूरा पानी नहीं दिया जा रहा है, और आबपाशी 110 प्रतिशत की बजाय 40 प्रतिशत हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान कैनाल की क्षमता मुख्य द्वार पर 18,500 क्यूसेक्स है। इस समय दिनांक 13 अप्रेल, 1971 को 1,900 क्यूसेक्स पानी चल रहा था।

(2) जी नहीं। रावतसर ब्रांच की अधिकृत क्षमता 524 क्यूसेक्स है। दिनांक 13 अप्रेल, 1971 को ब्रांच में 561 क्यूसेक्स पानी चल रहा था। ब्रांच में अधिकृत क्षमता से करीब 10 प्रतिशत अधिक पानी चलाया जा सकता है।

(3) जी नहीं। ब्रांच की क्षमता क्षेत्र के आधार पर ही निश्चित की जाती है। इस ब्रांच की बारी हर माह की 1 से 10 तारीख तक रहती है और उस समय पूरा पानी दिया जाता है। रेतीली भूमि में भी पानी दिया जा रहा है। आबपाशी 40 प्रतिशत नहीं है। इस वर्ष 70 प्रतिशत सिंचाई हुई है।

Page No 162

खेड़ा रसूलपुर में विकास कार्यों पर व्यय

355. श्री ब्रज बल्लभ बोहरा (दीगोद): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम पंचायत खेड़ा रसूलपुर को कितना रुपया विकास कार्य के लिए सन् 65 से सन् 70 तक दिया गया ? तथा उसमें से कितनी राशि अनुदान में दी है और वह किस किस कार्य हेतु ?

(2) यह कार्य सरपंच द्वारा ठेके में कराये गये हैं अथवा स्वयं की देखभाल में अमानी में ?

मुख्य सार्वजनिक विश्लेषण रसायनिक परीक्षण की योग्यता

256. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

1. राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर में मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक एवं रसायनिक परीक्षक के पद पर कौन कब से कार्य कर रहे हैं ? व उनकी योग्यता व अनुभव क्या है ?

2. क्या यह सही है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण कानून के अधीन उपरोक्त पद के लिये योग्यता निर्धारित है ? अगर हां, तो क्या ?

3. क्या यह सही है सही है कि निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्र सं. ई. (26) सी. पी. ए. 1446 दिनांक 11-3-69 द्वारा इस सम्बन्ध में कुछ सूचना दी थी ? कृपया इसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

4. क्या यह सही है कि भूतपूर्व मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक एवं केमिकल एग्जामिनर ने अपने पत्र संख्या 8103 से 8106 दि० 15-11-69 द्वारा निदेशक, चिकित्सा विभाग को इस पद के सम्बन्ध में कुछ राय दी थी ? अगर हां, तो प्रति सदन के पटल रखने की कृपा करें।

उत्तर

1. श्री अशोक भट्टाचार्या दिनांक 10-2-1970 से कार्य कर रहे हैं। वे बी. एससी. केमेस्ट्री से पास हैं तथा आल इन्डिया इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक हैल्थ, कलकत्ता से न्यूट्रीशन कोर्स पास किये हुए हैं और जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में सन् 1950 से जन विश्लेषक के पद पर स्वाधीनतापूर्वक इन्डिपेन्डेन्टली सुचारु रूप से कार्य किया है।

2. जी हां। सूची संलग्न है।

3. जी हां, प्रतिलिपि सदन की पटल पर रख दी गई है।

4. जी हां। प्रति सदन की पलट पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

खाद बीज की बकाया रकम

357. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि बारां पंचायत

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
समिति की फतहपुर ग्राम सेवा सहकारी सोसायटी की तरफ खाद बीज आदि की रकम बकाया है? यदि हां, तो खाद बीज, कब और कितने रुपयों का दिया गया और, कितना कितना रुपया कब कब जमा हुआ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

2. बकाया रकम की वसूली के लिये क्या क्या कार्यवाही की गई?

3. उक्त सोसाइटी का अध्यक्ष उस समय कौन था जिस समय खाद बीज दिया गया था।

उत्तर

1. जी हां। सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. समय समय पर नोटिस दिये गये।

3. श्री मदनलाल पुत्र श्री जानकी लाल महाजन, फतहपुर अध्यक्ष थे।

पंचायत समिति बारां द्वारा फतेहपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति को दिये गये बीज खाद का वितरण।

दिनांक 1	नाम बीज 2	राशि जिसका बीज दिया गया। 3
12-4-61	धान	3520.00
13-6-61	सनबीजा	533.33
30-6-61	धान एन. पी. 130	1902.00
17-7-61	सनबीजा	242.00
1-11-61	गेहूं सी 591	2600.00
1-11-61	गेहूं एन. पी. 718	627.30
21-11-61	गेहूं सी 591	625.00
2-7-62 27-7-62	धान) धान)	1063.56
17-10-62	गेहूं सी 591	1950.00
22-10-62	सरसों	5.30
3-7-63	सनबीजा	962.00
3-7-62	धान	903.51
23-10-63	गेहूं सी 591	3546.34
29-11-63	,,	
29-12-63	,,	
10-6-63	संकर मक्का	48.30

(पंचायत मंत्री)

1	2	3
24-6-64	धान	
25-6-64	,,	2563.92
11-7-64	,,	
13-10-64	गेहूं सी 591	1896.58
12-11-64	जी. आर. एस. 17	81.59
29-12-64	चना आर. एस. 10	111.94
8-7-65	धान	975.44
	योग बीज	24167.05
	नाम खाद	
1-6-61	सुपरफास्फेट	2320.00
11-8-61	यूरिया	
29-8-61	,,	666.00
30-8-61	,,	
30-8-61	अमोनियम सल्फेट	76.00
14-9-61	यूरिया	37.00
18-9-61	,,	74.00
16-11-61	अमोनियम सल्फेट	2660.00
11-8-62	,,	144.00
1-10-62	यूरिया	70.00
4-10-62	,,	35.00
4-10-63	बी.एन.सी. 10 प्रति.	35.00
4-10-62	,, 5 प्रति.	35.00
11-10-62	,,	35.00
26-10-62	अमोनियम सल्फेट	360.00
6-11-62	,,	1800.00
5-12-62	यूरिया	420.00
12-11-62	अमोनियम सल्फेट	5796.00
12-12-62	,,	5832.00
17-12-62	यूरिया	700.00
3-7-63	सुपरफास्फेट	406.00
3-7-63	सल्फेट आफ पोटाश	390.00
20-7-63	सुपरफास्फेट	1856.00
19-11-63	अमो. सल्फेट	720.00

1	2	3
(पंचायत मंत्री)		
22-11-63	यूरिया	2016.00
27/28-12-63	अमोनियम सल्फेट	3600.00
4-2-64	सुपरफास्फेट	630.00
24-6-64	अमोनियम सल्फेट	2556.00
25-6-64	सुपरफास्फेट	189.00
29-6-64	सुपरफास्फेट	2037.00
22-7-64	,,	3360.00
8-8-64	अमोनियम सल्फेट	24[illegible]0.00
7-9-64	,,	5760.00
5-10-64	,,	2880.00
20-10-64	,,	5040.00
13-7-65	,,	3600.00
2-9-65	,,	1764.00
4-9-65	,,	1080.00
5-[illegible]-65	,,	3060.00
2-9-65	,,	1296.00
7-10-65	,,	7200.00
1-6-66	,,	4160.00
1-6-66	सुपरफास्फेट	2314.80
17-8-66	अमोनियम सल्फेट	6656.00
15-9-66	,,	4160.00
	योग खाद	91253.80
	योग बीज	24167.05
	कुल योग खाद बीज दिया	115420.85

नोट:—वर्ष 59-60 व 60-61 में ग्राम पंचायत फतेहपुर को दिये गये खाद बीज का हिसाब भी नीचे लिखे अनुसार ग्राम सेवा सहकारी समिति से प्राप्त करना है।

दिनांक 1	नाम खाद बीज 2	राशि जिसका खाद बीज दिया गया 3
5-11-59	गेहूं सी 591	11130.00
3-7-62	धान	43.80

Page No 166

1	2	3
(पंचायत मंत्री)		
10-11-59	सी. एच. सी.	350.00
9-11-59	अमोनियम सल्फेट	1026.00
13-10-60	सुपरफास्फेट	174.00
4-11-60	,,	29.00
12-11-60	,,	29.00
12-11-60	केलसीयम, अमोनियम, नाइट्रेट	36.00
	खाद बीज योग	12817.80

सहकारी समिति, फतेहपुर द्वारा खाद बीज पेटे राशि जमा कराने का विवरण

दिनांक	कीमत
4-7-61 13-9-61 14-9-61	1648.00
16-8-61	3512.89
27-8-61	3424.00
9-7-61	384.00
14-11-61 13-12-61	2500.00
18-5-62	2517.32
22-8-63	800.00
4-4-67	2800.00
16-2-68	400.00
1-6-68	1862.00
11-6-68	300.00
23-7-68	428.00
14-8-68	9152.00
कुल योग	29728.21

Page No 167

खाद्य निगम द्वारा बाजरे की खरीद

358. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि खाद्य निगम मंडियों से बाजरा खरीदता है ? यदि हां, तो मेड़ता मंडी से इस सीजन में कितना बाजरा खरीदा गया ? मय तारीख, वजन व भाव के सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि गत 15 दिनों में निगम बाजार से बिलकुल माल नहीं खरीद रहा है, फलतः बाजार में बाजरे का भाव 44/- से 47/- प्रतिशत क्विन्टल तक ही है ?

(3) क्या यह सही है कि निगम के माल नहीं खरीदने से किसानों को उनकी उपज का निम्नतम भाव भी नहीं मिल रहा हैं ?

उत्तर

(1) जी हां । तिथिवार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

Page No 168

सूची प्रश्न भाग 1

दिनांक	मात्रा जो खरीदी गई	(मात्रा क्विन्टल में) भाव जिस पर खरीदी गई
1	2	3
18-12-70	4,75,000	53.50
21-12-70	6,65,000	52.50
31-12-70	38,00,000	52.00 से 55.00
1-1-71	3,80,00	52.00
2-1-71	22,80,000	53.50
4-1-71	31,35,000	53.40 से 55.00
5-1-71	22,80,000	53.50 से 55.00
6-1-71	16,15,000	53.50
8-1-71	114,95,000	52.00 से 55.00
9-1-71	147,25,000	52.00 से 55.00
11-1-71	180,50,000	52.00 से 55.00
12-1-71	181,45,000	53,50 से 55.00
13-1-71	487,35,000	53.50 से 55.50
14-1-71	277,40,000	53.50 से 55.00
15-1-71	250,80,000	52.00 से 55.00
16-1-71	283,10,000	52.00 से 55.00
18-1-71	605,15,000	52.00 से 55.00
19-1-71	158,65,000	52.00 से 55.00
20-1-71	166,25,000	52.00 से 55.00
21-1-71	149,15,000	52.00 से 55.00
22-1-71	872,10,000	53.00 से 55.00
23-1-71	752,85,000	52.00 से 55.00
25-1-71	556,70,000	53.50 से 55.00
27-1-71	368,60,000	52.55 से 55.00
28-1-71	940,50,000	52.00 से 55.00
29-1-71	121,60,000	53.50 से 55.00
30-1-71	1232,15,000	52.00 से 55.00
1-2-71	780,90,000	52.00 से 55.00
2-2-71	562,40,000	52.00 से 55.00

1	2	3
3-2-71	862,60,000	52.00 से 55.00
4-2-71	468,35,000	52.00 से 55.00
5-2-71	1823,05,000	52.00 से 55.00
8-2-71	1818,36,000	52.00 से 55.00
12-2-71	3379,15,000	52.00 से 55.00
13-2-71	1131,45,000	52.00 से 55.00
15-2-71	563,34,000	52.00 से 55.00
16-2-71	461,70,000	52.00 से 53.50
17-2-71	115,90,000	52.00 से 53.50
18-2-71	502,55,000	52.00 से 53.50
19-2-71	604,20,000	52.00 से 53.50
20-2-71	149,15,000	52.00
22-2-71	182,40,000	52.00 से 53.50
9-3-71	601,35,000	52.00 से 53.50
10-3-71	1585,55,000	52.00 से 53.50
11-3-71	2184,05,000	52.00
13-3-71	1396,50,000	52.00
15-3-71	285,00,000	52.00
19-3-71	32,25,000	52.00 से 53.50
20-3-71	44,65,000	52.00
22-3-71	561,45,000	52.00 से 53.50
23-3-71	804,65,000	52.00 से 53.50
9-4-71	125,40,000	52.00 से 53.50
10-4-71	414,20,000	52.00 से 53.50
12-4-71	1198,90,000	52.00 से 53.50
13-4-71	540,55,000	52.00 से 53.50

Page No 170

परिशिष्ट 6

(तारांकित प्रश्न संख्या 331 की सूची)

"Extract of Bhakra Nangal Agreement between the Govt. of Rajasthan and Punjab:-dated 13th Jan., 1959-Portion relating to Ghaggar river.

16. In consideration of the fact that the area of Rajasthan served by the Ghaggar river has been included in the Project, Rajasthan shall have no claim whatso ever on the supplies of the Ghaggar river."

Page No 171

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 326 की सूची)

नियोजन कार्यालयों द्वारा प्राईवेट उद्योगों में लगाये गये व्यक्तियों की जिलेवार सूची।

क. सं.	नियोजन कार्यालय	वर्ष				
		1966	1967	1968	1969	1970
1.	अजमेर	188	121	201	108	125
2.	अलवर	22	10	32	13	12
3.	बांसवाड़ा	–	1	1	2	–
4.	बाड़मेर	–	–	–	–	1
5.	भरतपुर	–	–	8	11	16
6.	भीलवाड़ा	143	287	966	431	72
7.	बीकानेर	19	19	26	21	31
8.	चित्तौड़गढ़	17	8	49	51	40
9.	चूरू	–	–	–	20	15
10.	जयपुर	65	21	63	28	33
11.	झालावाड़	–	–	–	2	2
12.	झुन्झुनू	17	13	17	15	5
13.	जोधपुर	33	35	92	36	82
14.	कोटा	402	237	1440	413	73
15.	नागौर	1	1	2	6	2
16.	पाली	310	191	182	355	168
17.	सवाई माधोपुर	2	5	3	2	6
18.	सीकर	5	2	16	13	6
19.	सिरोही	6	5	13	4	1
20.	श्री गंगानगर	34	30	24	15	17
21.	उदयपुर	80	57	31	22	8
22.	राज्यस्तरीय पी.एण्ड.ई. अनुभाग	–	–	–	6	6
	योग. .	1344	1043	3166	1574	721

कुल योग.–7848

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 327 की सूची)

राजकीय चिकित्सालय मेड़ता शहर में गत तीन वर्षों में उपचार किये गये रोगियों एवं उनकी दैनिक औसत का विवरण:–

वर्ष	रोगियों की संख्या		रोगियों का दैनिक औसत	
	आउटडोर	इनडोर	आउटडोर	इनडोर
1968	38323	251	209	6
1969	42105	210	227	5
1970	43062	235	229	6

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 333 की सूची) Appendix 'A'

Details of amount payable to the Municipal Board, Baran in respect of valuation of the Power House taken over by the Board.

1.	Cost of land as determined by the Collector, Kota.	Rs.	82,969.00
2.	Plant and Machinery in generating sets including plant foundation.	Rs.	95,440.64
3.	Cooling Tower and circulating water system.	Rs.	836.56
4.	Building and other Civil Engineering Works as determined by P. W. D. authorities.	Rs.	24,584.00
5.	Switchgar including cable connection.	Rs.	10,276.69
6.	Over Head Lines including Sports & Service lines.	Rs.	76,219.38
7.	Meters.	Rs.	7,459.58
8.	Stationmachine tools.	Rs.	398.68
9.	Office furniture and fitting.	Rs.	165.39
10.	Office equipment.	Rs.	380.29
11.	Street Light Fittings.	Rs.	4,580.25
12.	Stores Material.	Rs.	1,343.64
13.	Consumable Store.	Rs.	3,618.27
14.	Spare parts.	Rs.	4,071.66
	Total..	Rs.	3,12,344.03

LESS

1.	Amount of Consumer Contribution.	Rs.	11,872.55
2.	Amount of Consumer Seourity deposit.	Rs.	11,963.93
3.	Cost of Street Light Fitting.	Rs.	9,849.85
4.	Charges for detailed calculation for valuation of building.	Rs.	738.00
	Total..	Rs.	34,424.33

Amount required to be paid	Rs.	2,77,919.70
Amount already paid	Rs.	2,00,000.00
Balance to be paid.	Rs.	77,919.70

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 334 की सूची)

LIST OF TEHSIL UN-ELECTRIFIED AREA IN RAJASTHAN

S. No.	Name of the District.	Tehsil.
1.	Barmer.	1. Chohtan.
2.	Bharatpur.	2, Rupwas.
3.	Dungarpur.	3. Aspur.
4.	Jaipur.	4. Phagi.
5.	Kota.	5. Kishangang.
,,	,,	6. Shahbad.
,,	,,	7, Digod.
6.	Sawaimadhopur	8. Nadoti.
,,	,,	9. Sapotra.
,,		10. Khandar.
7.	Udaipur.	11. Kumbhalgarh.
,,	,,	12. Kotra.
,,	,,	13. Phalasiya.
,,	,,	14. Gogunda.
,,	,,	15. Sahad.
,,	,,	16. Lasadiya.

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 338 की सूची)

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

Statement showing the district wise number of localities/electrified upto February, 1971.

S. No.	District.	No. of localities electrified upto February 1971.
1.	Ajmer.	129
2.	Alwar.	196
3.	Banswara	67
4.	Barmer.	31
5.	Bharatpur.	116
6.	Bhilwara.	115
7.	Bikaner.	59
8.	Bundi.	50
9.	Chittorgarh.	136
10.	Churu.	105
11.	Doongarpur.	44
12.	Jaipur.	428
13.	Jaisalmer.	3
14.	Jhunjhunu.	153
15.	Jalore.	56
16.	Jhalawar.	138
17.	Jodhpur.	95
18.	Kota.	115
19.	Nagaur.	122
20.	Pali.	121
21.	S. Madhopur.	95
22.	Sikar.	100
23.	Sirohi.	45
24.	Sri Ganganagar.	137
25.	Tonk.	75
26.	Udaipur.	161
		Total.. 2822

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 342 की सूची)

भीमसागर बांध की डूब में आने वाले ग्रामों की सूची

1. इकतासा
2. पनयासा
3. बारेढा
4. मेहन्दी
5. केवली
6. डबरिया
7. कांसखेड़ली
8. रईसरपुरा
9. डिगरखेड़ी
10. अमनावर
11. दयागांव
12. सांगोदिया

परिशिष्ट—१३

(अतारांकित प्रश्न संख्या 346 की सूची)

साल सम्वत् गोसवारा जिन्सवार आहाता आर. एच. सांवतगढ़, गोठ्ड़ा बान्ध सिचाई उप खण्ड, बून्दी खण्ड कोटा बूंदी राजस्व विभाग के पटवारी के खसरा गिरदावरी की नकल से तैयार किया गया—नीलामी की जानकारी रिकार्ड से ली गई।

सं. 2023 साल 1966-67		सं. 2024 साल 1967-68			सं. 2025 साल 1968-69			सं. 2026 साल 1969-70			सं. 2027 साल 1970-61		
रबी	नीलाम हुआ या नहीं विवरण	खरीफ	रबी	नीलाम हुआ या नहीं विवरण	खरीफ	रबी	नीलाम हुआ या नहीं विवरण	खरीफ	रबी	नीलाम हुआ या नहीं विवरण	खरीफ	रबी	नीलाम हुआ या नहीं विवरण
4	6	4	4	6	4	4	6	4	4	6	4	4	6
सिंचित चना 1114 गोचनी 3) कटला जीरा × 1 कान्दा असिंचित ×	खरीफ की कुछ पैदावार नीलाम नहीं की गई रबी में भी केवल 2) बीघा गोचनीनीलाम किया गया इश्तहारनीलाम उप खण्ड से जारी हुआ था और नीलाम लहसन अधिक से अधिक किया गोपी रकम 265) जमा हो चुकी है।	सिंचित असिंचित मक्का ।।।) मूंगफली ।।।) 4 मिर्च) 1 × उड़द गोपी ×	सिंचित गोज्य 1) धनिया ।।) चना ।।।) 4 बटला × मसूर ।।) ल × कान्दा ×	इस साल कोई पैदावार नीलाम नहीं किया गया।	सिंचित मक्की ।।) 4 मूंगफली ।।) उड़द 11 ज्वार ।। सब्जी असिंचित तिल 12	सिंचित चना 1114 धना 13 बटला) 1	फसल खरीफ की केवल मूंगफली केवल ।।।) 2 का ही नीलाम किया गया—जिसकी रकम 130) रु. जमा हो चुकी है। महंदी का पाला 11) में नीलाम हुआ था इश्तिहार उप–खण्ड से जारी किया गया था नीलाम किया गया।	सिंचित मिर्च) गोपी × चना) 1 बगीचा 4) असिंचित उड़द ×	सिंचित चना 1) लहसन × मसूर कान्दा 2)	कोई नीलाम नहीं किया गया।	सिंचित मिर्च ।।।) मूंगफली) 1 शकरकन्द) 1 अनार पपीता बगीचा	चना ।।) 2 बटला मसूर	इस साल पैदावार नीलाम की गई 302) रु. प्राप्त हुवे

नीलामी

खरीफ	रबी
मिर्च ।।।) 2 पपीता अमरूद सब्जी	चना मसूर बटला ।।) 2

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 356 की सूची)

पंचायत समिति, सुमेरपुर, पाली, रानी, देसूरी में नियुक्त सहायक सचिवों का विवरण

नाम पंचायत समिति	नाम सहायक सचिव	ग्राम पंचायत का नाम जहां कार्यरत है।	वेतन शृंखला	वर्तमान वेतन		मंहगाई भत्ता
1. सुमेरपुर	1. श्री भागीरथ सिंह	सुमेरपुर	—	120)	फिक्स्ड	—
	2. ,, केसाराम	वाकली	—	75)	,,	—
	3. ,, भंवरलाल	तख्तगढ़	—	130)	,,	—
	4. ,, शेषमल सोनी	,,	—	98)	,,	—
	5. ,, भोमाराम	वोरामी	—	45)	,,	—
	6. ,, हरिसिंह	ढोला	—	75)	,,	—
	7. ,, मनरूपराम	कोशेलाव	—	110)	,,	—
	8. ,, बाबूसिंह	शिवान्दी	—	75)	,,	—
	9. ,, सोहनलाल	सांडेराव	—	75)	,,	—
2. पाली	1. ,, हरिवल्लभ	कुड़ाला	—	85)	,,	—
	2. ,, गोपाल सिंह	मुन्डारा	—	60)	,,	—
	3. ,, अचलाराम	खीगोल	—	35)	,,	—
3. रानी	1. ,, मोड़सिंह	बूसी	—	40)	,,	—
	2. ,, बद्रीदास	सीमाड़ा	—	30)	,,	—
	2. ,, बस्तीराम	सिवास	—	25)	,,	—
	4. ,, बाबूलाल	वाचोड़ी	—	50)	,,	—
	5. ,, लेखराज	जवाली	—	80)	,,	—
	6. ,, विजयसिंह	रानी स्टेशन	60-4-80	68)		40)
	7. ,, पृथ्वीसिंह	,,	,,	68)		40)
	8. ,, अयूब खां	,,	,,	60)		30)
	9. ,, जगदीशचन्द्र	,,	,,	60)		30)
	10. ,, मोहनलाल शर्मा	रानीगांव	,,	68)		71)
4. देसूरी	1. ,, उसमान खां	देसूरी	—	80)	फिक्स्ड	
	2. ,, खेमारपुरी	नारलाई	—	80)	,,	
	3. ,, सोहनलाल	डावलाना	—	70)	,,	
	4. ,, रायसिंह	कोटड़ी	—	50)	,,	
	5. ,, बाबूदास	नाडोल	—	100)	,,	

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 357 को सूची)

अकाल सहायता पर होने वाले व्यय का मानचित्र

(बाढ़ के अतिरिक्त) (संख्या करोड़ों में)

वित्तीय वर्ष	कुल व्यय की राशि	केन्द्र से प्राप्त सहायता की राशि
1953–54	1.13	0.05
1954–55	0.32	0.11
1955–56	0.38	0.16
1956–57	0.06	–
1957–58	0.24	–
1958–59	0.33	–
1959–60	0.06	–
1960–61	0.17	–
1961–62	0.68	0.24
1962–63	0.12	–
1963–64	1.55	1.00
1964–65	4.63	3.34
1965–66	1.33	1.00
1966–67	12.13	11.50
1967–68	7.97	8.02
1968–69	13.08	14.51
1969–70	62.83	58.00
1970–71+	47.59	20.51

+ प्रोवीजनल आंकड़े हैं इनमें तबदीली संभव है।

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 19 अप्रेल, 1971)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
1	2	197-	1971
,, अन्तिम से	9	)	dt
3	10	स	उस
4	9	िृपया	कृपया
5	2	ि-	विभाग
,,	15	राय	राय
,,	14	श्र्री	श्री
6	1	191	1971
,, अन्तिम से	4	अप्रत्यत्र	अप्रत्यक्ष
7	1	1 अप्रेल	19 अप्रेल
18	10	ल्री	श्री
20	1	ी	श्री
29	1	तारांकिक	तारांकित
30	1	तार कत	तारांकित
67 अन्तिम से	3	वड़ो-दखाना।	वड़ोदखान
70 ,,	16	फल सून्ड	फलसून्ड
72	4	उपलध्ध	उपलब्ध
,,	15	सहयक	सहायक
76 अन्तिम	1	पाव-	पावर
,,	13	सन्बन्धी	सम्बन्धी
,, अन्तिम से	1	िगतान	भुगतान
79 ,,	18	किशनगंल	किशनगंज
80 ,,	2	करदी	करादी
81	4	10-	103
,,	13	कनेक्श-	कनेक्शन
,,	13	(-)	(1)
,,	16	तियोरिटी	सिक्योरिटी
,,	17	ा र्म	फार्म
,, अन्तिम से	2	जैसनमेर	जैसलमेर
85	7	फरवर 71	फरवरी 1971
86	1	पुलिए	पुलिया
	,,	वाहवे	चाहते
87 अन्तिम से	8	कार्यालप	कार्यालय
,, ,,	6	तहसल आसन्द	तहसील आसीन्द
	5	(ω)	(3)
	5	वर्लासह संढा	बालसिंह सोढा

1	2	3	4
89	1	प्रश्नोत्तर-1-	19 अप्रेल,
,, अन्तिम से	1	1Ł	12
90 ,,	5	पत्री	यात्री वसें चलाने
,, ,,	4	रघुाथ	रघुनाथ
,, ,,	2	सत्प	सत्य
93	11	ि दावार	दीवार
95	1	(95)	95]
96	2	ज।नी	जानी
103 अन्तिम से	3	पचायत	पंचायत
104	13	कीं	की
105 अन्तिम से	3	न ीं	नहीं
,,	5	1 -	(1) (2) (3)
109	8	व्स्तृत	विस्तृत
110	2	5.	(5)
,,	14	गेहूं	हेहूं
113	14	श्रो अध्यय	श्री अध्यक्ष
126	7	मुभे॰	मुझे
129 शीर्ष	–	श्रीमती सुमित्रा	श्री वृद्धिचन्द्र जैन
130	4	श्री उपायक्ष	श्री उपाध्यक्ष
,,	11	चा	चार
132	6	वेल	वैल
,, अन्तिम से	9	संडा	सोढ़ा
133	1	नै	से
136 अन्तिम से	5	ये	हैं
139 ,,	4	चिट्ठी	चिट्ठी
140	5	घंस	धंस
144	1	अवथा	अथवा
,,	3	अवथा	अथवा
,,	6	साथ	साध
	,,	प्रविष्टियों	प्रविष्टियां
145	18	स्थानांन्रित	स्थानांतरित
146	2	क ा	को
,,	7	सेबा	सेवा
151 अन्तिम से	4	डिपोर्टमेंट	डिपार्टमेंट
152 ,,	7	सकत	सकते
,, ,,	6	मौसन	मोजन
155 ,,	1	Thc	The
,, ,,	11	श्रो	श्री
156	8	श्र	श्री
157	3	डिपाटमेंट	डिपार्टमेंट
,, अन्तिम से	8	अग्र्वाल	अग्रवाल
,,	2	,,	अग्रवाल

1	2	3	4
158	6	वे	—
159 शीर्ष	1	1971-72-19 अप्रेल	1971-72 पर 19 अप्रेल
162	11	कंन्म्पशन	कन्जम्पशन
,,	25	कन्जम्पशन	कन्जम्पशन
164	9	जाप गाड़ा	जीप गाड़ी
166	1	-हरों	शहरों
170 अन्तिम	1	की-	की कि
171 अन्तिम में	1	-एक	में एक
173	3	कमिस्ट्री	केमिस्ट्री
,,	10	सहोदय	महोदय
,,	18	कमिस्ट्री	केमिस्ट्री
183 अन्तिम में	1	आय-व्यय	आय-व्ययक
185	3	ने	—
193 अन्तिम	6	विरजली की लस्न	बिजली की लाइन
194	3	लकिन	लेकिन
,, अन्तिम	5	6 अ ना	6 आना
195 शीर्ष	1	105]	195]
196 अन्तिम से	16	अक्सी	अच्छी
,,	15	आवश्यकत	आवश्यकता
197	1	को	तो
,,	2	यगा	गया
199 अन्तिम	11	का	की
200 ,,	1	एमें	गए में
209 शीर्ष	1	20,] आय व्ययक	209] आय-व्ययक
,, अन्तिम से	13	अर्ज	कर्ज
243	12	जयारायण	जयनारायण
244 अन्तिम से	13	बैंड	बैंक
251	6	स.तोष	सन्तोष
259	4	-होर्टेसियालिटी	पोहोर्टेसियालिटी
261	5	इन्इजीनस	इन्डीजीनस
265 अन्तिम से	12	अ. र	अन्दर
,, ,,	11	जह जह ावश्यकता	जहां-जहां आवश्यकता
273 ,,	7	बताया एक	-एक बात
274 ,,	12	से	के
,, ,,	7	कि	की
276	12	कास्ट	कास्ट्स
,,	18	जाघेगी	जायगी
277	5	(जारी)	—
,, अन्तिम में	1	(गणपूरक घण्टी)	(गणाभाव सूचक घण्टी) (कुछ माननीय सदस्यों आने से गण पूर्ति)
278	8	को	dt

1	2	3	4
278 अन्तिम से	5	जब	तब
279	10	कास्ट्	कास्ट्स
,, ,,	12	लोन– सुविधा	लोन की सुविधा
,, अन्तिम से	3	रिपोट	रिपीट
,, ,,	2	औद्योगीकरण	औद्योगिकरण
281 शीर्ष	1	श्री डूगाराम राजोरिया	(श्री डूगाराम राजोरिया)
282	16	और से चाहिये	– dt
	17		
284 अन्तिम से	2	0	30
288 ,,	3	और खत्म कर दिया जाय।	— dt
290	6	वजूद	बावजूद
,,	9	इन्दलिय	इन्दलिया
293 शीर्ष	1	(सुरेन्द्रसिह)	(श्री सुरेन्द्र सिंह)
295 ,,	1	1671–72	1971–72
	2	मजूरी	मजदूरी
296 अन्तिम से	3	5–39	सायंकाल 5–39 बजे तक
303 ,,	5	ssess	access
304 शीर्ष	1	(मयाभाव	(समया भाव
,, अन्तिम से	8	हैल सैन्टर	हैल्थ सैन्टर
,,	7	वहन	वाहन
,,	2	न्टर	सैन्टर
305	6	श्री कसरी सिंह हाडा	श्री केसरी सिंह हाड़ा
,, ,,	5	मंत्री	मंत्री
307	13	17.–	17.5
346	1	सचित	सिंचित